GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 3741

CALL No. 310.58/Ind/M.I.B.

D.G.A. 79

A ×
10981
New Acc. 3741
Old Ac 167

पाँचवाँ वर्ष

पब्लिकेशन्स डिवीजन
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली
स्विस होटल, दिल्ली
दी ओबराए होटल
पूर्व में सबसे अधिक
आरामदेह होटलों
की शृंखला
होटल माउन्ट एवरेस्ट, दार्जिलिंग
सीसिल होटल, मरी
डीन्स होटल, पेशावर

पाँचवाँ वर्ष

Panchavan
Varsha

१५ अगस्त १९५२

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
New Delhi

मूल्य १॥)

Gola

SWEETS & TOFFEES

Full of Energy

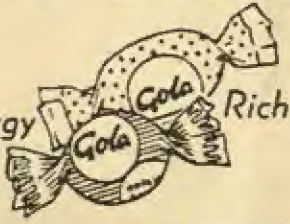

Rich in Glucose

THE HINDUSTHAN SUGAR MILLS LTD.

51 Mahatma Gandhi Road, Bombay.

Raising a New crop
for NEW INDIA
NICCO claims with pride that it has made its due contribution to India's 'Produce or Perish' campaign by supplying Cables & Wires for electrical development in the country. Nicco products comply with the highest technical standards and are specially suitable for Indian conditions. Being on Government of India Rate Contracts they are supplied in large quantities to Provincial and State Governments.
NICCO RUBBER INSULATED CABLE
LIFE LINES OF THE NATION
NICCO
Cables & Wires
NATIONAL INSULATED CABLE CO., OF INDIA LTD
STEPHEN HOUSE, CALCUTTA. BRANCH : DELHI

उत्तम माल की पहचान

लायन ब्रांड

शेर मार्का
५१ सुप्रसिद्ध
किस्में

हवा निकाले हुए डिब्बों में बन्द यह ताजा फल व सब्जियां व अनेक प्रकार के रुचिकारक आचार व पौष्टिक मुरब्बे व स्वादिष्ट चटनियां, गुलकन्द आदि व्यवहार करें।

हर शहर में प्रतिष्ठित व्यापारियों से मिल सकते हैं। सदैव शेर मार्का देखकर खरीदें।

हरनारायण गोपीनाथ

खारी बावली, देहली (१८६० से देश की सेवा मे) *कनॉट प्लेस, नई देहली*

1st
First tyre made by Dunlop over 60 years ago.
First pneumatic tyres to come to India were brought by Dunlop 54 years ago; the Dunlop tyre plant was the first and is still the largest in South East Asia.
First tyre to achieve 394 m.p.h. ... and for all world's land speed records since 1929.
TRADE MARK
DX 392
FIRST IN 1888 — FIRST NOW!
DUNLOP
DON'T JUST ASK FOR 'A TYRE'— ASK FOR DUNLOP

COOPER'S

FOR HIGHEST INDUSTRIAL OUTPUT
AND INCREASED FARM YIELD

- DIESEL ENGINES
  11 single-cylinder models. 8-9 HP to 58-64 HP.
  2 two cylinder models. 100-110 & 116-128 HP.
- MEEHANITE METAL
  High Duty iron to meet every service—for general engineering. Wear, corrosion & heat resisting—for long life, superior finish.
- POWER-LOOMS
  From 36" to 120" reed-space-dobby motion in several shafts available.
- SUGAR CANE CRUSHERS
  2 to 4 bullocks or power-driven. Capacity : 1,2000-1,800 lb. of cane per hour.
- SHAPING MACHINES
  4 models—high speed—fast high Precision utility tool.
- ROTARY OIL MILLS
  4 to 5 H.P. 115-125 lb. per hour input.
- CHAFF CUTTERS
  Power driven or operated by one man. Best steel knives.
- PLOUGHS & PLOUGHSHARES
  13 models—drawn by 2 to 8 bullocks

COOPER ENGINEERING LTD.,
Satara Road, Dist. Satara.

A 'WALCHAND GROUP' INDUSTRY

ENGINEERING COOPER LIMITED

It may never happen to you . . .

It's easy to deride safety. It's easy to say that not everyone meets with accidents, that buildings are not burned down every day, that ship's cargoes are not always damaged or lost.

But sometimes they are. And then people see the wisdom of investing a small premium to insure against a great loss.

BETTER BE *SAFE* THAN SORRY

THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD.

Mahatma Gandhi Road, Bombay.

The largest Composite Indian Assurance Company

रोबस्ट

क्रूड आयल इंजिन्स

रोबस्ट का कोई भाग भी विदेशी नहीं है और भारत में ही तैयार किया जाता है।

रोबस्ट का निर्यात किया जा रहा है और यह विदेशी धन भारत में लाता है।

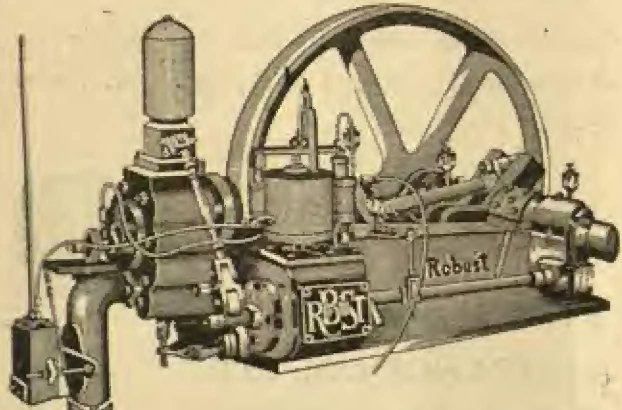

मेशीन्स ऐन्ड स्पेअरस (इन्डया) लि.

73, जी. बी. रोड- दिल्ली.

PRINCE DLH

PMS 32 H

Panchavan Varsha

पाँचवाँ वर्ष

3741

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
New Delhi

310.58
Ind/M.I.B.

पब्लिकेशन्स डिवीज़न
मिनिस्ट्री आफ़ इन्फ़ार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग
गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया

PERILS OF PIONEERING

In every field of human endeavour, he that is first must perpetually live in the light of publicity, also emulation and envy are ever at work. The leader is assailed because he is a leader and this is true whether the leadership be vested in man or in a manufactured product.

After five years of freedom, NEW ERA finds itself in an unique position in the field of fashion. We are fully aware of the perils of pioneering and our responsibilities of leadership.

War and after has brought about many revolutionary changes in styles, designs and materials. New idea, new materials, new processes have been developed and employed to meet all requirements of this fast moving World of Fashion. NEW ERA has kept pace with time and Progress. New plants have been installed, old plants are remodelled, new processes are employed and numerous Technicians and Artists are constantly working for you, to satisfy this unsatiating thirst for the NEW.

"That which deserves to live—lives".

NEW ERA TEXTILE MILLS LIMITED

TULSI PIPE ROAD, BOMBAY. 16

आमुख

आगामी पृष्ठों में भारत सरकार और राज्यों की सरकारों की अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियों और सफलताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। भाग १ का सम्बन्ध स्वतंत्रता के बाद के चार वर्षों की प्रगति से, भाग २ का केन्द्र से और भाग ३ का राज्यों से है।

स्वतंत्रता के बाद की प्रगति का परिचय १६ अध्यायों में दिया गया है और केन्द्रीय विषयों को चार शीर्षों में वर्गबद्ध किया गया है — सामाजिक, आर्थिक, आन्तरिक एवं वैदेशिक। यह वर्गीकरण सम्भवतः पूर्णरूपेण सन्तोषप्रद न हो, पर वर्णित विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए और विकल्प न था।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 3741.
Date 22. XI. 55.
Call No. 310. 58/Ind/M.I.B.

A rich contribution to the world's well-being
Over the years from 1884, the scientific achievements of research work by Ciba Limited, Basle (Switzerland), have enriched the world with new and improved products in ever widening fields. Ciba Pharmaceutical Specialities have won renown in almost every part of the globe
CIBA

विषय-सूची

भाग १

स्वतंत्रता के बाद (१५ अगस्त १९४७ से १५ अगस्त १९५१ तक) १–१४८

भाग २

केन्द्र

१. सामाजिक	१५१–१९४
२. आर्थिक	१९५–२५२
३. आन्तरिक	२५३–३०४
४. वैदेशिक	३०५–३३८

भाग ३

राज्य

१. भाग क	३४१–३९५
२. भाग ख	३९६–४४५
३. भाग ग	४४६–४८०

GRAIN SILOS

Built to last with *ACC* CEMENT.

THE CEMENT MARKETING COMPANY OF INDIA, LIMITED
Sales Managers of
THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES LIMITED

CMI 6537

स्वतंत्रता के बाद

(१५ अगस्त १९४७

से

१५ अगस्त १९५१ तक)

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 167
Date 14.4.53
Call No. 311.3/P.D.

: १ :

विभाजन और उसके बाद

राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद चार वर्षों में सरकार ने इस देश में एक सुदृढ़, समृद्ध और प्रगतिशील लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया। दुर्भाग्यवश उसके सम्मुख बहुत बड़ी कठिनाइयां आईं, जिनमें कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के कारण और कुछ अप्रत्याशित रूप में उपस्थित हुईं। जब शताब्दियों के विदेशी शासन के बाद भारत में स्वतन्त्रता-दिवस का उदय हुआ तो देश प्रायः प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। कृषि, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है, चिन्तनीय अवस्था में थी। वास्तविक किसानों की ग़रीबी अवर्णनीय थी। शताब्दियों के अल्प-पोषण और बीमारियों के कारण उनका स्वास्थ्य जर्जर हो चुका था। वे धरती से जो कुछ उगाते थे उसका बड़ा भाग गैर-काश्तकार हितों के हाथों में पड़ जाता था। कृषि की प्रणाली पुरानापन लिए हुए, अवैज्ञानिक और अनुत्पादक थी। भूमि-अधिनियम सामन्ती और प्रतिक्रियावादी थे। नई सरकार के नेता जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कृत-संकल्प थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा ही कृषि के पिछड़ेपन के लिए सब से अधिक जिम्मेदार थी। और उन्हें वस्तुतः कई राज्यों में इस प्रथा के उन्मूलन सम्बन्धी कानून बनाने में सफलता भी मिली है।

विभाजन के परिणाम

आबादी

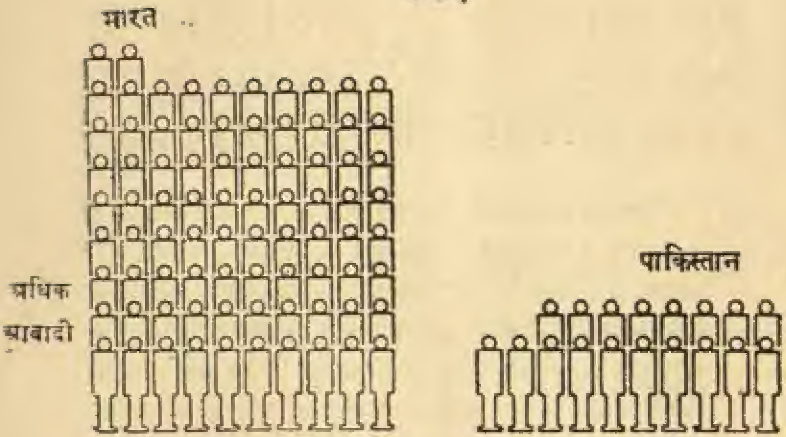

सिंचित क्षेत्र

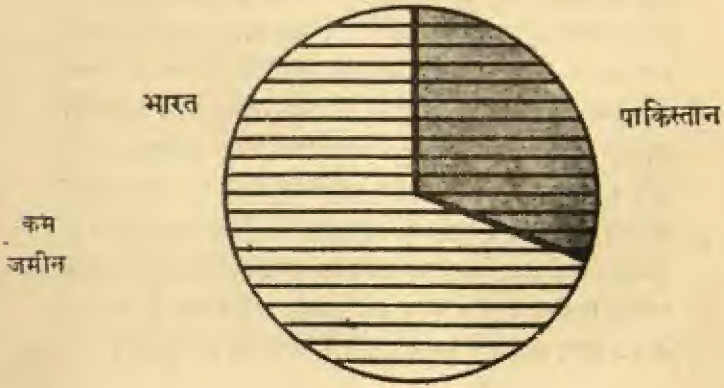

फसलें

गेहूँ

भारत पाकिस्तान

चावल

विभाजन के कारण खाद्य परिस्थिति, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ में ही खराब हो चुकी थी, और अधिक बिगड़ गई। भारत में अविभाजित भारत की ८२ प्रतिशत आबादी शेष रह गई, पर सिंचित क्षेत्र का ६९ प्रतिशत भाग, गेहूं वाले क्षेत्र का ६५ प्रतिशत भाग और चावल वाले क्षेत्र का ६८ प्रतिशत भाग ही शेष रह गया। परिणामस्वरूप, खाद्य पदार्थों की कमी, जरूरत के वर्तमान निम्न स्तर को देखते हुए भी, ४० लाख टन से भी अधिक हो गई। जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा की दशा भी अधिक अच्छी न थी। लोग पहले ही से बहुत गरीब थे और युद्ध के कारण उनकी आम आर्थिक दशा में और अधिक गिरावट आई। अत्यावश्यक द्रव्यों की उपलब्धि में कमी थी। मूल्य बढ़ गए जिससे नियंत्रणों और मुद्रास्फीति का जन्म हुआ। पर नियंत्रणों के होते हुए भी, दुर्लभ वस्तुओं का चोर बाजार में जाना जारी रहा जिससे अभाव और अधिक बढ़ा, तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई। यह तर्क उपस्थित किया गया कि नियंत्रण हटा लिए जाने चाहिएं क्योंकि उन्हीं के कारण इतना अधिक भ्रष्टाचार बढ़ा है। गांधी जी स्वयं नियंत्रणों को हटाने के जोरदार पक्षपाती थे। पर जब नियंत्रण हटा लिए गए तो सरकार को और अधिक बढ़े-चढ़े दामों का सामना करना पड़ा और नियंत्रण फिर लगाने पड़े। यह अनुभव किया गया कि उपचार उत्पादन की वृद्धि करना और देश की औद्योगिक क्रियाशीलता को बढ़ाना है।

पर औद्योगिक क्षेत्र में भी बाधाएं और समस्याएं थीं। पटसन और कपास वाले क्षेत्र अधिकांशतः पाकिस्तान में चले गए थे, जबकि इनसे उत्पादित माल के कारखाने भारत में रह गए जिससे इन उद्योगों में विशृंखलता उत्पन्न हो गई। साथ-

साथ देश-द्रोहियों द्वारा, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में, उपद्रव खड़े करने के प्रयत्नों का सामना भी करना पड़ा।

पर स्वतन्त्रता के उषःकाल में सबसे अधिक महत्त्व की समस्या थी साम्प्रदायिक तत्वों की कार्रवाइयां। जुलाई-अगस्त १९४७ में पंजाब में होने वाले साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण लगभग ५० लाख पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। स्वभावतः सरकार को अपने जन्मकाल से ही बड़ी संख्या में विस्थापित इन लोगों के लिए भोजन, मकान और रोज़ी-रोज़गार की व्यवस्था करने के अत्यावश्यकीय कार्य की ओर अपनी शक्ति और अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ा। राष्ट्र के जिन साधनों का उपयोग ग़रीबी से मोर्चा लेने के लिए किया जा सकता था उन्हें एक लम्बे समय तक लाखों विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने और फिर से बसाने के लिए लगाना पड़ा।

इन सब बातों के साथ पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर हमले को जोड़ दीजिए। इन सभी असाधारण परिस्थितियों का बेजा लाभ देशद्रोही तत्वों ने, विशेषतः कम्युनिस्टों ने, उठाया और उन्होंने पागलपन से भरे हिंसा के कार्य करने आरम्भ किए तथा देश के कुछ भागों में अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की।

नई सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि इन कठिनाइयों का सामना जितना अधिक किया जा सके, किया जाए, और परिणाम सभी को विदित हैं। कुछ मामलों में ये प्रयत्न सफल हुए हैं, यथा

पहले के देशी राज्यों का एकीकरण। अन्य दिशाओं में परिणाम बहुत अधिक आकर्षक नहीं हुए हैं। फिर भी, कुल मिला कर, यदि हम कठिनाइयों को दृष्टि में रखें तो, रोकड़-बाकी निराशा-जनक नहीं है।

: २ :

विधान

पहला जो काम नेताओं ने उठाया वह था स्वतंत्रता संग्राम को अनुप्रेरित करने वाले और भविष्य में नए राज्य का दिशा-दर्शन करने वाले सिद्धान्तों और आदर्शों को विधान के अन्तर्गत प्रतिष्ठित स्थान देना। सन् १९४६ में एक विधान परिषद् बुलाई जा चुकी थी। अगस्त सन् १९४७ में यह परिषद् सर्वप्रभुत्व सम्पन्न हो गई और भारत की संसद् के रूप में उसने पूर्ण अधिकार ग्रहण कर लिया। सन् १९४९ के अन्त तक उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया और एक सर्व-सम्मत विधान बना लिया तथा बड़ी धूमधाम से २६ जनवरी, सन् १९५० को भारतीय गणराज्य का उद्घाटन हो गया।

विधान को बनाने में कितना परिश्रम और चिंतन-कार्य हुआ, इसका अनुमान विधान के आकार को देखते हुए लगाया जा सकता है। विधान में ३९५ धाराएं और ८ अनुसूचियां हैं, और उसके पूर्ण होने में २ वर्ष, ११ महीने और १८ दिन लगे हैं। अन्तिम रूप में उसके अन्तर्गत भारत में एक लौकिक राज्य और धर्म, जाति, वर्ण, सम्प्रदाय तथा लिंग-भेद का विचार किए बिना सब के लिए समान नागरिकता की परिकल्पना है। उसके अन्तर्गत भाषण और अभिव्यक्ति, निःशस्त्र सभा करने, सभा-

संसद

राज्य परिषद
अधिकतम सदस्य संख्या २५०
१२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट

शेष राज्यों के प्रतिनिधि
उपराष्ट्रपति पदेन
राज्य परिषद का सभापति है

लोक सभा

५०० सदस्य, जो प्रति पांच वर्ष पश्चात् वयस्क मताधिकारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। प्रत्येक सदस्य ५ लाख से ७॥ लाख लोगों तक का प्रतिनिधि होगा।

लोक सभा सब अनुदान स्वीकृत करती है, और उसे ही वित्तीय मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।

संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगा।

संसद संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है।

वह राज्य सूची के भी किसी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है यदि राज्य परिषद दो तिहाई के बहुमत से उसे राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक घोषित कर दे।

यदि राष्ट्रपति आपात अवस्था की घोषणा कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है।

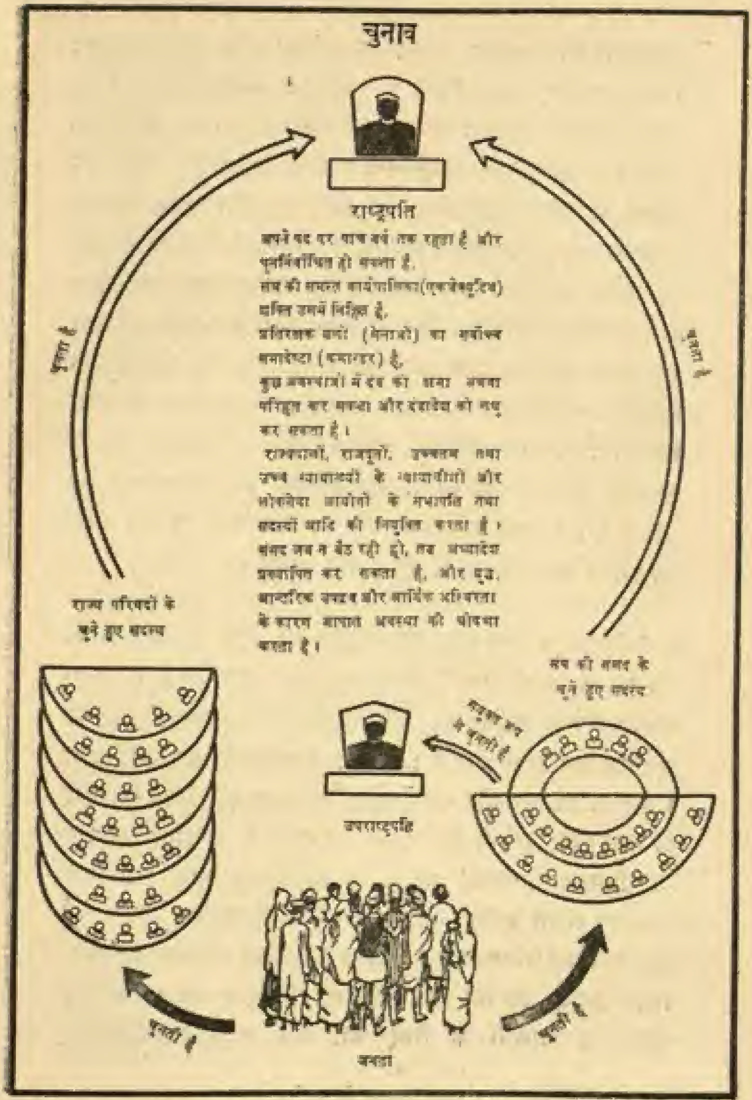
चुनाव
राष्ट्रपति
अपने पद पर पांच वर्ष तक रहता है और पुनर्निर्वाचित हो सकता है,
संघ की समस्त कार्यपालिका(एक्जेक्यूटिव) शक्ति उसमें निहित है,
प्रतिरक्षक बलों (सेनाओं) का सर्वोच्च समादेष्टा (कमान्डर) है,
कुछ अवस्थाओं में दंड को क्षमा अथवा परिहृत कर सकता और दंडादेश को लघु कर सकता है।
राज्यपालों, राजदूतों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और लोकसेवा आयोगों के सभापति तथा सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
संसद जब न बैठ रही हो, तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, और युद्ध, आन्तरिक उपद्रव और आर्थिक अस्थिरता के कारण आपात अवस्था की घोषणा करता है।
चुनता है
चुनता है
राज्य परिषदों के चुने हुए सदस्य
संघ की संसद के चुने हुए सदस्य
संयुक्त रूप से चुनती है
उपराष्ट्रपति
चुनती है
चुनती है
जनता

समितियों का निर्माण करने, सम्पूर्ण भारतीय प्रदेश में मुक्त विचरण करने, उसके किसी भी भाग में बसने तथा कोई भी रोजी-रोजगार या धन्धा अपनाने की स्वतंत्रता है। इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक शान्ति, श्लीलता, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रतिबन्धित किया गया है। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने और धार्मिक या दातव्य कार्यों के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व-अधिकार और व्यवस्था की छूट देकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया है। अन्य आधारभूत अधिकारों, यथा समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार और वैधानिक उपचार सम्बन्धी अधिकार की भांति, यह अधिकार भी न्यायालय द्वारा रक्षित है। वे सभी अधिनियम, जो इन अधिकारों को कम करेंगे या इनका निवारण करेंगे, अवैध माने जाएंगे।

विधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है और किसी भी रूप में उसका पालन गैर-कानूनी तथा दण्डनीय है। अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों और हितों को प्रभावशाली रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म के परिपालन और अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा के लिए अधिकार की गारन्टी दे दी गई है। वैधानिक उपचार के अधिकार का तात्पर्य यह है कि अपने आधारभूत अधिकारों को लागू कराने के लिए प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को आम अधिकार दिया गया है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। उसे इस प्रकार के मामलों के लिए भी, जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण,

परमादेश आदि, विशेष अधिकार दिए गए हैं। विधान में इन आदेश-लेखों को सन्निहित करके व्यक्ति-स्वातंत्र्य की गारन्टी दी गई है।

राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्त सम्बन्धी अध्याय भारतीय विधान की एक अद्वितीय विशेषता है। ये सिद्धान्त वैधानिक औचित्य की संहिता के रूप में दिए गए हैं और इनके द्वारा भविष्य की धारासभाओं और कार्यपालिकाओं से कहा गया है कि वे जनता के लिए आजीविका के साधनों, समान कार्य के लिए समान मजूरी, रोजी, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, तथा बड़ी संख्या में अन्य उपयुक्त सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उपायों की व्यवस्था करें।

भारतीय विधान का रूप संघीय है जिसमें संघ और अंगभूत एककों के अधिकार-क्षेत्र का स्पष्ट निर्देश है। संघ के अन्तर्गत २७ राज्य हैं जिनमें से ९ भाग 'क' के राज्य, ८ भाग 'ख' के राज्य और १० भाग 'ग' के राज्य हैं। पहले के गवर्नरों के प्रांत भाग 'क' के अन्तर्गत आते हैं, और राज्यों के संघ तथा हैदराबाद, मैसूर और जम्मू तथा काश्मीर भाग 'ख' के अन्तर्गत। भाग 'ग' के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा शासित पहले के तीन क्षेत्र और कुछ देशी राज्य आते हैं।

विधान के अन्तर्गत भाग 'क' और भाग 'ख' के राज्यों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित हैं। हाल में एक संसदीय अधिनियम द्वारा ६ भाग 'ग' के राज्यों में भी अब प्रतिनिधित्वपूर्ण सरकारें स्थापित हो गई हैं।

विधान के निर्वचन और राज्यों तथा केन्द्रों के बीच उठने वाले झगड़ों को निबटाने के लिए स्वतंत्र न्याय-व्यवस्था है। विधान के अन्तर्गत अवशिष्ट अधिकार केन्द्र में सन्निहित हैं और उसे सभी महत्त्वपूर्ण कार्यवाहियों को एकरूपता के साथ योजनानुसार संचालित करने के अधिकार दिए गए हैं। समान न्याय-व्यवस्था, बुनियादी कानूनों की एकता, समान अखिल भारतीय सेवाओं और एक राष्ट्रभाषा के द्वारा शासन में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

वयस्क मताधिकार देकर विधान ने एक ऐसे निर्वाचक-वर्ग का निर्माण किया है जो विश्व की जनसंख्या का लगभग १२ वाँ भाग है। इससे जनता राज्य-विधान सभाओं और संघीय संसद् के सदस्यों का सीधा निर्वाचन कर सकती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-गण द्वारा, जिसके अन्तर्गत संसद् के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, होता है। गणराज्य में शीर्षस्थान पर राष्ट्रपति है, और एक मंत्रिमंडल, जिसका नेता प्रधान मन्त्री होता है, उसे उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता और सलाह देता है।

उक्त विधान के अनुसार प्रथम आम चुनाव विगत शीत ऋतु में सम्पन्न हुए। उसमें लगभग ४,००० सदस्यों के निर्वाचन के लिए लगभग १७ करोड़ ५० लाख व्यक्तियों ने मतदान में भाग लिया।

: ३ :

देशी राज्यों का एकीकरण

स्वतंत्रता के प्रभात में दो समस्याएं प्रमुख रूप से सम्मुख आ उपस्थित हुईं; साम्प्रदायिक दंगों की समस्या और रियासती शासकों का असामयिक तंत्र। विभाजन से पहली समस्या का आंशिक समाधान हुआ, पर दूसरी अभी यथावत् थी। स्वतंत्र भारत के लिए यह संभव न था कि वह अपने नए मानचित्र पर ५५० ऐसे क्षेत्रीय एककों को चिह्नित देखे जहां निरंकुश शासन था और जहां का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास विभिन्न अवस्थाओं पर था। भारत में ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय रियासतों को जनता की राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध रक्षा-पंक्ति के रूप में देखा; वस्तुतः उसने भरसक यह प्रयत्न किया कि वह इन क्षेत्रों के शासकों को भारतीय स्वाधीनता के विचार के प्रति सहानुभूतिहीन और विरोधी तक बनावे। जब ब्रिटिश सत्ता ने भारत का त्याग किया तो उसने घोषणा की कि प्रभु-सत्ता का अन्त हो गया है, और इस प्रकार रियासतों की स्वतंत्रता और उनके भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रश्न खटाई में पड़ा रह गया। यह आशंका उत्पन्न हो गई कि इस स्थिति का लाभ प्रतिक्रियावादी उठावेंगे।

पर नई सरकार ने तत्परता से कार्य किया। ५ जुलाई, सन् १९४७ को उसने स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में एक पृथक् रियासती विभाग की स्थापना की। उस समय एक वक्तव्य में 'भारत के लौहपुरुष' ने इस समस्या और इसके समाधान का वर्णन इन शब्दों में किया था :—

'यह देश और इसकी संस्थाएं उस जनता का गर्वपूर्ण उत्तराधिकार है जो यहां बसती है। यह केवल संयोग की बात है कि हम में से कुछ लोग रियासतों में रहते हैं और कुछ ब्रिटिश भारत में। पर सभी समान रूप से इसकी संस्कृति और इसकी प्रवृत्तियों के साझीदार हैं। हम सब पारस्परिक हित की भावना से तो बंधे हैं ही, हम रक्त और भावना के सम्बन्धों से भी परस्पर ग्रथित हैं और कोई भी हमें टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकता; किसी भी प्रकार की दुर्लंघ्य दीवार हमारे बीच खड़ी नहीं हो सकती। अतः मेरा सुझाव है कि हमारे लिए अधिक अच्छा होगा कि हम सब साथ मिल-बैठ कर मित्रों की भांति नियमादि बनावें, न कि विदेशियों की भांति संधियां करें। मैं अपने मित्रों—देशी राज्यों के शासकों और जनता—को आमंत्रित करता हूं कि वे मैत्री और सहयोग की इस भावना से प्रेरित होकर विधान परिषद् में आवें और मिल बैठकर उसके कार्यों में भाग लें और ऐसा करते हुए वे सभी के समान हितों के लिए मातृभूमि के प्रति स्वामिभक्ति की भावना से अनुप्राणित हों।"

राजाओं की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए सरदार पटेल ने यह संकेत करने की सावधानी रखी कि इस सहयोग को स्वीकार न करने के क्या परिणाम होंगे। उन्होंने कहा था :—

"मैं आशा करता हूं कि भारतीय रियासतें यह बात समझ लेंगी कि जनहित के लिए सहयोग न करने का विकल्प है ऐसी अराजकता और अव्यवस्था जो, यदि हमने न्यूनतम समान कार्यों को भी साथ मिलकर न किया तो, छोटे-बड़े सभी को विनाश के गर्त की ओर खींच ले जाएगी।"

राजाओं की प्रशंसा में हमें यह कहना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन काल में उन्होंने जो कुछ भी किया हो, वे देशभक्ति की भावना लेकर अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए एक साथ उठ खड़े हुए जिससे उन्हें सरदार पटेल तथा गणतंत्र के अन्य सभी प्रेमियों की प्रशंसा प्राप्त हुई। उन्होंने ब्रिटेन के साथ होने वाली काल-जर्जर संधियों के प्रति संकीर्ण कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपनाया और प्राचीन विशेषाधिकारों पर जोर नहीं दिया। यह भी प्रयत्न नहीं किया गया कि भारत सरकार से मोर्चा लिया जाए और देश में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न की जाए, विशेषतः ऐसे समय में जब कि सरकार पंजाब के दंगों और काश्मीर पर हमले से जन्मी समस्याओं को सुलझाने में फंसी हुई थी। वस्तुतः राजाओं, रियासती जनता और भारत की नई सरकार के बीच सहयोग के कारण ही जनता को गणतंत्रात्मक परिस्थितियों के अन्तर्गत पहले-पहल प्रभु-सत्ता प्राप्त हुई। इस सफलता का महत्त्व यह देखते हुए और अधिक बढ़ जाता है कि यह सब कार्य दो वर्ष से भी कम समय में पूर्ण हुआ।

जनवरी सन् १९४८ में सरदार पटेल देश के सम्मुख यह घोषणा कर सके कि हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर

बाक़ी सभी वे रियासतें, जिनकी सीमाएं भारत की सीमा से लगीं थी, भारत से सम्बद्ध हो गईं। वर्ष का अन्त आते-आते उक्त दोनों रियासतें भी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गईं।

हैदराबाद के भारत में सम्मिलित होने का वृत्तान्त सर्व विदित है। कुछ समय तक धर्मान्धों के एक गुट ने, जिन्हें हम रज़ाकारों के नाम से जानते हैं, अशान्ति मचा रखी थी जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद में बड़े पैमाने पर ग़ैर क़ानूनी कार्य-वाहियां हुईं और भारतीय दृष्टिकोण से जो बात और अधिक चिन्तनीय थी वह यह थी कि उक्त कार्यवाहियों के कारण पड़ोस की भारतीय सीमा में भी आतंक फैला। कुख्यात कासिम रिज़वी के नेतृत्व में इन धर्मान्धों ने इतना अधिक प्रभाव बढ़ा लिया कि वे निज़ाम और उनके सलाहकारों को भी अपने इशारों पर नचाने लगे। इस विस्फोटक परिस्थिति में कोई क़दम उठाने की जनता की मांग के बावजूद भारत सरकार ने अत्यधिक सहिष्णुता दिखाई। पर शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि यदि रज़ाकारों को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो लूट और हत्या का ऐसा बाज़ार गर्म हो उठेगा कि जैसा पिछले वर्ष पंजाब में हुआ था; और केवल हैदराबाद में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। स्पष्टतः भारत सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि वह इस संकट का निवारण करे। अतः उसने क़दम उठाने का निश्चय किया।

क़दम तेज़ी और साहस के साथ उठाया गया। पांच दिन के अन्दर-अन्दर हैदराबाद को रज़ाकारों के चंगुल से मुक्त कर दिया

गया और निज़ाम को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता मिली। उन्होंने भारत से सम्बद्ध होने का निश्चय किया।

जब एक बार सभी रियासतें भारतीय झंडे के नीचे एकत्र हो गईं तो रियासत मंत्रालय ने विभिन्न एककों को क्षेत्रीय, राजनीतिक, प्रशासकीय और आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार के कानून और शासन के अन्तर्गत एकीकृत करने की दिशा में क़दम उठाया। ५५० के लगभग राज्यों को पृथक् एककों के रूप में सुरक्षित रखना अव्यावहारिक और अनुचित होता। वस्तुतः अधिकांश रियासतों में पृथक् लोकतंत्रात्मक शासन के संचालन के लिए न तो प्रशासन-यन्त्र था और न साधन। अतः सरदार पटेल ने घोषणा की कि जहां कोई रियासत आधुनिक ढंग की लोकतन्त्रात्मक पद्धति का आरम्भ नहीं कर सकती थी, वहाँ लोकतन्त्रीकरण और एकीकरण—इन दोनों की आवश्यकता का स्पष्ट संकेत मिलता था। एकीकरण, अथवा रियासतों का यथेष्ट आकार में सामूहीकरण, सरकार के सम्मुख प्रथम कार्य था। इसे तीन प्रकार पूर्ण किया गया:

(१) कुछ रियासतों का साथ लगे प्रांतों में विलयन;

(२) कुछ अन्य रियासतों का रियासती संघों के रूप में सामूहीकरण; तथा

(३) कतिपय रियासतों का केन्द्र द्वारा शासनार्थ ग्रहण।

तीन रियासतों को, जो पहले ही से काफ़ी बड़े आकार की थीं, इस योजना से बाहर रहने दिया गया। ये हैदराबाद, जम्मू

और काश्मीर तथा मैसूर थीं। उनकी सीमाओं को यथावत् रखा गया। अन्यों के मामले में एकीकरण की प्रगति के फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय और चुंगी की सीमाएं, जहां कहीं वे थीं, टूटीं और शासन का स्तर उसी प्रकार हो गया जैसा भूतपूर्व भारतीय प्रांतों में था। परिणामतः छोटी रियासतों के कार्य-क्षेत्र और आत्म-विकास को सीमित करने वाली कृत्रिम रुकावटें हट गईं तथा अधिक मात्रा में भौतिक और नैतिक साधनों को प्राप्त करके मातृभूमि की उन्नति के लिए अपना पूर्ण अंशदान दे सकीं।

यह उल्लेखनीय परिवर्तन १ जनवरी सन् १९४८ को छत्तीसगढ़ की रियासतों के उड़ीसा प्रान्त में विलय के साथ आरम्भ हुआ। अन्तिम रियासत, जिसका विलय १ जनवरी सन् १९५० को पश्चिमी बंगाल में हुआ, कूचबिहार थी। कुल मिलाकर २१६ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल १०८,७३९ वर्गमील और आबादी १९,१५८,००० थी, विलयन द्वारा प्रभावित हुईं।

उन रियासतों की संख्या, जिन्हें केन्द्र द्वारा शासनार्थ हस्तगत किया गया, ६१ है। इनका क्षेत्रफल ६३,७०४ वर्गमील और आबादी ६,९२५,००० है। इन्हें केन्द्र द्वारा शासित सात क्षेत्रों में संगठित किया गया है। इनमें से तीन में विधान सभाएं और उनके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल होंगे।

प्रथम रियासती संघ का जन्म, काठियावाड़ के २२२ राज्यों और जागीरों के मिलने पर, 'सौराष्ट्र' के नाम से हुआ। कुल मिला कर २७५ राज्यों के मिलने से ५ रियासती संघों का निर्माण हुआ। इन राज्यों का क्षेत्रफल २१५,४५० वर्गमील

और आबादी ३४,७००,००० है। २६ जनवरी सन् १९५० तक राज्यों की क्षेत्रीय एकता का यह क्रम पूर्ण हो चुका था और भारतीय गणराज्य का आरम्भ ऐसी राजनीतिक एकता के साथ हुआ जिसे सदियों से नहीं देखा गया था। आज भारतीय गण-राज्य के मानचित्र पर १५ भूतपूर्व रियासतें दृष्टिगोचर होती हैं पर वे इस प्रकार एकीकृत हो गई हैं कि उन्हें संघ के अन्य गण-तंत्रात्मक एककों से पृथक् नहीं देखा जा सकता। यह क्रान्ति बिना शस्त्रों की सहायता के, सिवा उन पांच दिनों के जब कि हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई, लगभग ढाई वर्ष में पूर्ण हुई।

यहां उन लाभदायक परिणामों की चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा जो एकीकरण और लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप भूतपूर्व देशी राज्यों को प्राप्त हुए। किसी लोकतन्त्रात्मक संघीय राज्य में संघीय इकाइयों के बीच किसी प्रकार की वैधानिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस प्रकार भारतीय विधान के अन्तर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों और भूतपूर्व ब्रिटिश प्रान्तों को समान स्थिति प्राप्त है और दोनों गणराज्य की पूर्ण संघटक इकाइयां हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भी प्रांतों तथा रियासतों तक समान रूप से व्याप्त है। भूतपूर्व प्रान्तों और रियासतों को समान बुनियादी अधिकार और उनको लागू करने के लिए समान कानूनी अधिकार और उपाय प्राप्य हैं। केन्द्र के साथ वैधानिक सम्बन्ध और आन्तरिक संगठन—इन दोनों ही मामलों में अब रियासतों की स्थिति प्रान्तों के समान ही है। इस प्रकार नए विधान ने उन कृत्रिम खाइयों को पूर दिया है

जो देशी राज्यों को शेष भारत से पृथक् रख रही थीं और प्रथम बार एक सुदृढ़, सुसंगठित और लोकतन्त्रात्मक भारत का लक्ष्य पूर्ण हुआ है।

जहां तक रियासतों के लोकतन्त्रीकरण का प्रश्न है, राजाओं से जनता के हाथों में सत्ता के अन्तिम रूप में हस्तांतरण के लिए नई भारत सरकार ही जिम्मेवार रही है। अब जनता को वे ही कानूनी एवं प्रशासकीय अधिकार तथा वैसी ही लोकप्रिय प्रतिनिधि सरकार प्राप्त है जैसी कि स्वतन्त्रता के बाद से भूतपूर्व ब्रिटिश प्रान्तों को प्राप्त है। रियासतों की कुछ अन्य समस्याओं का, जो उनके विचित्र इतिहास की देन के रूप में हैं, अभी हल होना शेष है। इस प्रकार अभी भी काफ़ी कठिन कार्य बाकी है, पर जनता के सहयोग और सदेच्छा को प्राप्त करके, जो अभी तक प्राप्त होती रही है, सरकार को विश्वास है कि वह इन समस्याओं को सुलझा लेगी।

: ४ :

विधि और व्यवस्था

सत्ता-हस्तांतरण का मार्ग अनिवार्यतः ऊबड़-खाबड़ होता है। भारत में परिस्थिति इसलिए और भी जटिल हो गई क्योंकि इस देश पर विश्वयुद्ध का प्रभाव पड़ा। विश्वयुद्ध के कारण देश की नैतिक और भौतिक दशा में गम्भीर रूप में गिरावट आई। मुद्रा-स्फीति और मूल्य-वृद्धि के कारण बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हुई और देश के कई भागों में अकाल तथा अकाल के सन्निकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। मुनाफाखोरों ने लालच में पड़कर संग्रह और चोरबाजारी करनी आरम्भ कर दी जिससे जनता को बहुत अधिक आर्थिक कष्ट सहना पड़ा। इस असामान्य परिस्थिति का लाभ कतिपय देशद्रोही तत्वों ने, विशेषतः कम्युनिस्टों ने, उठाया और कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की। पहले हड़तालों, प्रदर्शनों और हिंसात्मक कार्यों के लिए उत्तेजित करने के रूप में गैर-कानूनी कार्य और शासन के विरोध की विचारधारा फैली। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगर कुछ समय के लिए हिंसात्मक प्रदर्शनों द्वारा कम्पित हो उठे। विभिन्न राज्यों में कानून तोड़ने वालों द्वारा गैर-कानूनी जुलूस निकाले गए जिनमें विद्यार्थियों और उग्रवादियों ने भाग लिया, आपत्तिजनक साहित्य बांटा गया, मजदूरों को उकसाया

गया और विधि तथा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाइयां की गई तथा उन्हें धमकियाँ दी गईं।

कलकत्ता में अगस्त सन् १९४६ में मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए 'सीधी कार्रवाई दिवस' से जो साम्प्रदायिक भावना उभड़ी उसकी अनिवार्य प्रतिक्रिया अन्यत्र विभाजन के बाद भी हुई। परन्तु सरकार ने दृढ़ता के साथ सभी दंगों को दबा दिया और कुछ असामान्य परिस्थितियों मे उसे पुलिस की सहायतार्थ सेना को भी बुलाना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम अफसरों के पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप पुलिस की शक्ति कुछ क्षीण हो गई थी।

दुर्भाग्यवश सीमा के उस पार के इस्लामी देश में होने वाली घटनाओं की हिंसात्मक प्रतिक्रिया भारत में रहने वाले कतिपय साम्प्रदायिक तत्वों के अन्दर हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अकाली दल और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तान में फैली हुई धर्मान्धता से प्रभावित होकर और उसे अपनाकर आपत्तिजनक कार्य करने आरम्भ किए। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साम्प्रदायिक मनोभावना वाले हिन्दुओं के बीच कार्य करना आरम्भ किया और पाकिस्तान में हिन्दुओं के पीड़न के आधार पर अपना अस्तित्व कायम रखा। उसने सैनिक ढंग पर बहुत से स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया और अपने कुछ अन्य सदस्यों को गृह-रक्षक सेना में भर्ती होने तथा बन्दूक, मशीन गन और अन्य हथियारों की शिक्षा लेने के लिए उकसाया। उसने खुल्लमखुल्ला साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रचार किया और उसकी स्थिति उन लोगों के बीच में मजबूत हो गई जो उसके सिद्धान्तों के

प्रति सहानुभूति रखते थे। उसने यहां तक किया कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रयत्नों की निन्दा करनी आरम्भ कर दी। उसने गांधीजी को मुस्लिम-परस्त कहा और उन्हें देश-द्रोही तक कहने का साहस किया। अतः आश्चर्य की क्या बात है कि एक उग्र सम्प्रदायवादी के हाथों गांधीजी को अपने प्राण विसर्जन करने पड़े।

उक्त अपराध के कारण, जिससे कि सारा विश्व स्तब्ध रह गया, स्वभावतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और यद्यपि प्रतिबन्ध को हटाने के लिए व्यापक और गुप्त आन्दोलन आरम्भ किया गया तथापि सरकार ने झुकने से इन्कार किया। तत्सम्बन्धी स्थिति पर पुनर्विचार तभी किया गया जब उक्त आन्दोलन वापिस ले लिया गया। इस पुनर्विचार के फल-स्वरूप अच्छे व्यवहार का वचन देने पर संघ के सदस्यों को कारामुक्त करने की नीति अपनाई गई। परन्तु सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संघ को एक लिखित और प्रकाशित लोकतंत्रात्मक विधान के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए, अपना कार्यक्षेत्र सांस्कृतिक दिशा तक सीमित रखना चाहिए, हिंसा और गुप्त कार्यों से बचना चाहिए, विधान के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए और राष्ट्रीय झंडे के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करना चाहिए। मार्च सन् १९४९ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान ने उक्त शर्तों को मान लिया जिस पर संघ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया और सभी बन्दियों को मुक्त कर दिया गया।

एक अन्य संगठन, जो साम्प्रदायिक ढंग पर काम कर रहा था और भारत सरकार की धर्म निरपेक्ष नीति का विरोध कर रहा था, अकाली दल था जिसके नेता मास्टर तारासिंह थे। दिल्ली में धार्मिक स्थानों को राजनैतिक कार्यों के लिए उपयोग में न लाने के सम्बन्ध में दी गई आज्ञा का उल्लंघन करने पर मास्टर तारासिंह को गिरफ्तार कर लिया गया पर कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त इस बात के भी संकेत मिल रहे थे कि भारत के मुसलमानों में से कुछ लोगों में मुस्लिम लीग की विचारधारा शेष रही थी और वे प्रेरणा के लिए पाकिस्तान की ओर देखते थे। ये लोग गुप्त सभाएं करते थे, पाकिस्तान पक्षीय और रजाकार पक्षीय प्रचार करते थे, 'आजाद' काश्मीर के लिए चंदा एकत्रित करते थे। इनमें से कुछ हैदराबाद के रजाकार-शासन के जासूसों के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास से पाए गए कागजों से यह प्रकट हुआ कि हैदराबाद अथवा पाकिस्तान से सशस्त्र युद्ध छिड़ने पर उन्होंने सारे देश में दंगे करने का गहरा षड्यंत्र रच रखा था। कुछ स्थानों में राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए मुसलमानों से कहा गया कि वे कम्युनिस्टों से मिल जाएं और इस प्रकार की भी रिपोर्ट मिली कि श्रमिकों को आपस में लड़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में तनाव की स्थिति पैदा करने के लिए भी मुस्लिम लीगी कोशिश कर रहे थे।

परन्तु देश की शान्ति के लिए सब से गम्भीर खतरा कम्युनिस्टों ने उपस्थित किया। प्रधान मंत्री महोदय के शब्दों में,

कम्युनिस्टों की कार्यवाइयाँ लगभग खुले विद्रोह के रूप में प्रकट हुईं और उनके अन्तर्गत हत्या, आगजनी, लूट तथा तोड़-फोड़ और हिंसा के अन्य कार्य थे। कुछ समय तक कलकत्ता में उनके और पुलिस के बीच नित्य झड़पें हुईं। कम्युनिस्टों ने बमों, तेजाब के बल्बों तथा अन्य शस्त्रास्त्रों का प्रयोग सरकारी नौकरों के विरुद्ध करना आरम्भ किया और सार्वजनिक सम्पत्ति को तथा बसों और ट्राम-गाड़ियों को जलाया। सन् १६४८ के अन्त में उन्होंने रेल कर्मचारियों को आम हड़ताल करने के लिए उकसाया, यद्यपि बहुसंख्यक रेल कर्मचारी हड़ताल के विरुद्ध थे। कम्युनिस्टों का उद्देश्य यह था कि देश के संचार साधनों को पंगु बना कर वे अकाल की दशाएं उत्पन्न करें जिससे शासन का यंत्र टूट जाए, अराजकता फैल जाए, और वे स्वयं उस यंत्र पर अधिकार कर बैठें। परन्तु सरकार ने तात्कालिक कार्यवाही की और उपद्रवी नेताओं तथा अन्य उन व्यक्तियों को, जिन्होंने देश-द्रोहात्मक कार्यों में भाग लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने गुप्त रूप से कार्य करना आरम्भ किया और विशेषतः पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद तथा मद्रास में उसने अविचारपूर्ण हत्या और हिंसा का आन्दोलन आरम्भ किया। असंख्य पुस्तिकाओं, इश्तहारों और गश्ती-चिट्ठियों द्वारा, जो उन्होंने प्रकाशित कीं, यह बात भली भांति प्रगट हो गई कि वे राज्यतन्त्र को समाप्त करने के सभी सम्भव प्रयत्न करने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने हिंसात्मक हत्याओं, तोड़-फोड़, हड़तालों और सशस्त्र क्रान्ति का प्रचार किया। कुछ स्थानों में उन्होंने छापामार दस्तों का संगठन किया और छापामार लड़ाई आरम्भ की। जेलों के अन्दर उन्होंने भूख-हड़ताल की, जेल का

अनुशासन तोड़ा, वार्डरों पर हमले किए तथा उनकी सभी कार्यवाइयों द्वारा यह प्रगट हो गया कि वे सरकार के विरुद्ध लगातार युद्ध चलाये रखने के लिए कृत-संकल्प थे।

हैदराबाद में उनकी कार्यवाइयों ने और अधिक खतरनाक रूप धारण किया। भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्यवाही किए जाने और विधि तथा व्यवस्था की स्थापना होने के पहले उस राज्य में फैली हुई अराजक दशाओं का लाभ उठाकर कम्युनिस्टों ने किसानों को छापामार दस्तों के रूप में संगठित किया और ज़मींदारों की सम्पत्ति तथा ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा किया। उन्होंने अन्न के ज़खीरे, पुलिस थाने, डाकघर और निजी मकान जलाए। विशेष रूप से तेलंगाना में उन्होंने आतंक का साम्राज्य फैलाया।

सरकार ने उक्त परिस्थिति का सामना करने में विलम्ब न किया। गैर-कानूनी तत्वों के विरुद्ध उसने सेना और पुलिस दोनों की सहायता ली और ऐसे तत्वों को उनके छिपने के पहाड़ी स्थानों से बाहर निकाला। संचार साधनों को फिर से स्थापित किया गया और पीड़ित व्यक्तियों में साहस का संचार करने के उद्देश्य से शिक्षा-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी गईं। परिस्थिति में कितना सुधार हुआ, यह इसी बात से जाना जा सकता है कि मार्च सन् १९५१ के उत्तरार्द्ध में तेलंगाना के सात ज़िलों में केवल चार हत्याएं हुईं जो न्यूनतम रिकार्ड था।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय सरकार के पास शासन-सेवाओं में भारी कमी हो

गई थी। ब्रिटिश अफ़सरों की अवकाश-प्राप्ति और मुस्लिम अफ़सरों के पाकिस्तान चले जाने के कारण भारतीय नागरिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में, जो दो आधार-भूत सेवाएं हैं, बहुत अधिक कमी हो गई। वस्तुतः युद्ध-काल में ही सामान्य वार्षिक भर्ती के स्थगित हो जाने के कारण उक्त सेवाओं में कमजोरी आ गई थी। युद्ध के पहले विभिन्न राज्यों में आई० सी० एस० अफ़सरों की संख्या १,००० से ऊपर थी। विभाजन के बाद यह संख्या घट कर ४०० से भी कम रह गई। भारतीय पुलिस के उन अफ़सरों की संख्या में, जो भाग 'क' के राज्यों में कार्य कर रहे थे, और भी गम्भीर कमी हुई। सीधी भर्ती वाले स्थानों की मूल संख्या ४७३ थी जो घट कर विभाजन के बाद १६३ रह गई। इससे अंशतः स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को क्यों आपत्कालीन उपाय करने पड़े। कमी के कारण उसे विवश होकर शीघ्र से शीघ्र उक्त सेवाओं का संगठन करना पड़ा और उन्हें मजबूत बनाना पड़ा।

सरकार के नेता इस परिस्थिति के प्रति पूर्णतः सजग थे। वस्तुतः स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले ही स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने आई० सी० एस० और आई० पी० के स्थान पर पूर्णतः भारतीयों से युक्त और नियंत्रित सेवाओं की परिकल्पना कर ली थी। अक्तूबर सन् १९४६ में उन्होंने दो अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय शासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना के विषय में सभी प्रान्तों की सम्मति प्राप्त कर ली थी। उक्त सेवाओं के द्वारा ही स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव पड़ी।

परन्तु स्वतंत्रता और वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण दो नई समस्याओं का जन्म हुआ। पहली समस्या थी अनुभवी ब्रिटिश और मुस्लिम अफ़सरों के देश-त्याग के कारण उत्पन्न होने वाली खाई को पूरना, और दूसरी समस्या थी नई सरकार की आवश्यकताओं और कार्यों के अनुरूप सरकारी शासन यंत्र और नागरिक सेवाओं का पुनर्गठन करना।

जहां तक पहली समस्या का प्रश्न है, स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने गृह-मंत्री के रूप में सन् १६४८ में एक विशेष भर्ती-बोर्ड की स्थापना की जिसका कार्य था देश के अन्दर स्थायी सेवाओं के अन्तर्गत तथा उससे बाहर भी सम्भावित प्रशासनिक जन-शक्ति की पड़ताल करना। इस बोर्ड ने अभी तक भारतीय शासन सेवा के लिए ६५ व्यक्तियों को और भारतीय पुलिस सेवा के लिए ७६ व्यक्तियों को चुना है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप भी लोग चुने गए हैं। नई भारतीय शासन सेवा के कार्य लगभग वही रहेंगे जो पहले आई० सी० एस० के थे। केवल न्यायिक कार्य को पृथक् कर दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा के रूप में उस पर केन्द्रीय सरकार का अन्तिम रूप से नियंत्रण रहता है। परन्तु उसे विभिन्न राज्यीय संवर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक संवर्ग पर सम्बन्धित राज्य की सरकार का तात्कालिक नियंत्रण रहता है। भारतीय पुलिस सेवा को भी अखिल भारतीय आधार पर संगठित किया गया है और उसका उद्देश्य देश की आन्तरिक सुरक्षा को स्थापित रखना है। इस सेवा को भी विभिन्न राज्यीय संवर्गों में विभाजित किया गया है।

इन अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने सचिवालय सेवाओं का भी पुनर्गठन किया। उक्त सेवाएं युद्ध-काल में बड़े पैमाने पर भर्ती के फलस्वरूप क्षीण हो गई थीं क्योंकि उस समय व्यक्तियों के स्तर की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और पदोन्नति अनिवार्यतः शीघ्र होती थी। स्वतन्त्रता के बाद भी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित सरकारी नौकरों को केन्द्रीय सरकार में खपाने की आवश्यकता के कारण उक्त समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया जा सका। परन्तु स्तर सम्बन्धी गिरावट को रोकने के लिए शीघ्र ही सभी केन्द्रीय सचिवालय के पदों के पुनर्गठन सम्बन्धी एक योजना को तैयार किया गया। यह योजना अक्तूबर सन् १६४८ में बनी और अन्तिम रूप में चार वर्गों, अर्थात् अण्डर सेक्रेटरी, सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट, और असिस्टेंट पदों का गठन हुआ। इसी प्रकार मंत्रालय सेवाओं को दो वर्गों में व्यवस्थित करने और स्टेनोग्राफरों को तीन वर्गों में व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए गए।

सरकार ने सुयोग्य अस्थायी कर्मचारियों को आभास स्थायी बनाने के लिए भी नियम बनाए जिससे उनमें सुरक्षा की भावना का विकास हो।

मंत्रालयों के पुनर्गठन की दिशा में प्रथम प्रयत्नों के रूप में कई मंत्रालयों के अधीन विषयों का पुनर्वर्गीकरण किया गया। इसके फलस्वरूप जिन नए मंत्रालयों का उदय हुआ है वे हैं खाद्य और कृषि; वाणिज्य और उद्योग; निर्माण, उत्पादन और रसद; और प्राकृतिक साधन एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान।

सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने तथा उनके सम्पादन में कुशलता और तेजी लाने के लिए सरकार ने मंत्रि-मंडल की स्थायी समितियों का निर्माण किया है, जिनका सम्बन्ध रक्षा, आर्थिक मामलों, संसदीय मामलों और कानूनी मामलों तथा नियुक्तियों से है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक पुनर्गठन एवं पुनर्वास के लिए तदर्थ मंत्रिमंडल समितियां बनाई गई हैं। एक आर्थिक शाखा की स्थापना के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय को मजबूत किया गया है। सेक्रेटरियों की एक कमेटी योजना कमीशन के साथ सम्पर्क रखती है और मंत्रिमंडल की आर्थिक समितियों को सहायता देती है।

क्रान्तिकारी परिवर्तनों के समय, यथा भारत में स्वतन्त्रता के आगमन के समय, सरकार की परीक्षा इस बात में होती है कि उसने किस सीमा तक विधि और व्यवस्था को, जो सामान्य अवस्था में ठीक रहती है, स्थापित रखा है। जैसा कि हमने देखा है, भारत की नई सरकार को न केवल प्रशासनिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, प्रत्युत लोकतंत्र के विरोधी तत्वों का भी मुकाबला करना पड़ा जो ऐसे समय पर अनिवार्य रूप से अपना सर उठाया करते हैं। अतः किसी को इस बात में सन्देह न होगा कि सरकार ने देश में विधि और व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो भी उपाय किए उनका पूर्ण औचित्य था क्योंकि वैसा करके और मजबूत तथा सुदृढ़ कार्यवाई के द्वारा उसने ऐहिक गणराज्य की नींव दृढ़ता के साथ डाली।

: ५ :

रक्षा

इस संकटकाल में सेना का कार्य केवल यही नहीं था कि उसने दंगों को समाप्त किया। पश्चिमी पंजाब में धार्मिक कट्टरता के शिकार लोगों की रक्षा करने में भी उसका भाग समान रूप से उल्लेखनीय था। सितम्बर सन् १९४७ में इस कार्य के लिए एक सैनिक निष्क्रमण संगठन की स्थापना की गई और छः हफ्ते के अल्प-काल में उक्त संगठन ने लगभग १५ लाख मुसलमानों को पाकिस्तान पहुँचाया और उतने ही गैर-मुस्लिमों को पाकिस्तान से भारत पहुँचाया। उसने खाने-पीने की सामग्री की रक्षा की व्यवस्था की और शरणार्थी-ट्रेनों को सैनिक संरक्षण में लिया। बाढ़ों के कारण कुछ मार्ग उपयोग के योग्य नहीं रह गए थे, परंतु सेना के इंजीनियरों ने संचार साधनों को चालू रखा।

गत वर्ष आसाम में जब भूकम्प और बाढ़ के कारण राज्य के कई भाग बर्बाद हो गए तो राहत के कार्य में सेना ने बड़ा साहसिक और शानदार भाग लिया। उसने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, फँसे हुए लोगों को बचाया और चिकित्सा-सहायता पहुँचाई। उत्तरी आसाम के अगम्य क्षेत्रों में छतरीधारी सैनिक गिराए गए जिससे कि वे ढहते हुए घरों और उमड़ती हुई बाढ़ों

से लोगों की रक्षा कर सकें। सैनिक इंजीनियरों ने पुलों और सड़कों की मरम्मत की। जवानों द्वारा 'एक वक्त का खाना छोड़ो' आन्दोलन आरंभ किया गया और इस प्रकार बचे हुए अन्न को पीड़ित लोगों में बांटा गया। इच्छापूर्वक दिए गए चंदे के द्वारा लगभग १ लाख रुपयों से अधिक धन संग्रह हुआ और उसे प्रधान मन्त्री के राहत-फंड के लिए भेजा गया।

परन्तु सेनाओं की अग्नि-परीक्षा वास्तविक रूप में तब हुई जब उन्हें अचानक काश्मीर में युद्ध के लिए भेजा गया। अक्तूबर सन् १९४७ में उक्त राज्य पर लुटेरों के बहुत बड़े दल ने हमला किया। यह हमला पाकिस्तान की सीमा के कई स्थानों से हुआ और इसका लक्ष्य काश्मीर की राजधानी था। काश्मीर की जनता और वहां के शासक की अपील पर (जिसने अपने राज्य को भारत से सम्बद्ध करने की घोषणा कर दी थी) भारतीय सेना काश्मीर की रक्षा के लिए दौड़ गई और १५ महीने तक उसने शत्रु से डट कर मोर्चा लिया। हमला करने वालों में कबीलों वाले थे और पाकिस्तानी सेना की नियमित टुकड़ियां भी थीं। भारतीय सेना ने इस युद्ध में जो शानदार कार्य किए; वे विश्व के सैनिक इतिहास में अद्वितीय हैं।

भारतीय वायु सेना ने हमलावरों के विरुद्ध और शरणार्थियों को हवाई जहाज़ द्वारा राहत पहुंचाने में जो शानदार कार्य किया, वह इतिहास में अमर रहेगा। उड़ान की प्रतिकूल दशाओं और पहाड़ी स्थानों के खतरों के होते हुए भारतीय वायु सेना ने उसको सौंपे गए कठिन कार्य को पूर्ण किया और इस प्रकार वह जम्मू और काश्मीर तथा शेष भारत की

जनता की प्रिय बन गई। पुंछ से लगभग ३५,००० नागरिक शरणार्थियों को आकाश-मार्ग द्वारा सुरक्षित स्थानों में पहुँचाया गया। लेह तक उड़ान भरते हुए भारतीय वायु सेना के डकोटा जहाजों ने तात्कालिक यांत्रिक सुधार करके लगभग २०,००० फुट की ऊंचाई को पार किया।

पैदल सेना की बहादुरी के काम भी किसी से घट कर नहीं थे। युद्ध-क्षेत्र पर सफलताओं के अतिरिक्त उसने तब सशस्त्र युद्ध का एक रिकार्ड स्थापित किया जब कि हल्के टैंकों को बर्फ से पटे और गीले रास्तों से होते हुए १२,००० फुट की ऊंचाई पर स्थित जोजीला दर्रे तक पहुँचाया गया और शत्रु के इरादों को तहस-नहस कर दिया गया। यद्यपि १ जनवरी सन् १९४९ को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-बन्दी हो गई है, तथापि अभी किसी प्रकार की सन्धि नहीं हो पाई है और अब भी भारतीय सेनाओं को युद्ध-बन्दी की सीमा पर लगातार सतर्क दृष्टि रखनी होती है।

जब कि काश्मीर का युद्ध चल ही रहा था तभी हैदराबाद की दशा गम्भीर हो गई और सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद के घबराए हुए लोगों को शान्ति और राहत दी थी।

कर्तव्य की उपर्युक्त अप्रत्याशित पुकारों के बावजूद, जिनके कारण बिलम्ब होना अनिवार्य हो गया, विभाजन के बाद सेनाओं के पुनर्गठन, विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

को आगे बढ़ाया गया। विभाजन-पूर्व के भारत की सेना का वर्गीकरण साम्प्रदायिक-सहित-वैकल्पिक आधार पर किया गया था और सेना की वे टुकड़ियां, जिनमें क्रमशः हिन्दू और मुसलमान अधिक संख्या में थे, भारत और पाकिस्तान के हिस्से में पड़ीं। उक्त टुकड़ियों में जो अन्य सम्प्रदाय के लोग आते थे, उन्हें यह छूट दी गई कि वे जिस देश की सेना में रहना चाहते हों, चले जाएं। इस योजना का सम्पादन एक सम्पर्क-सत्ता के द्वारा हुआ जिसकी व्यवस्था सर्वोच्च सेनापति के मुख्यालय में संयुक्त रक्षा परिषद् के नियंत्रण में की गई। नवम्बर सन् १९४७ के अन्त तक पुनर्गठन का यह कार्य अधिकांशतः पूर्ण हो गया। ब्रिटिश सेना के प्रस्थान के साथ-साथ, जिसका अन्तिम जत्था २८ फरवरी सन् १९४८ को भारत से चला गया, सेना के राष्ट्रीयकरण का कार्य आरम्भ हुआ। इस उद्देश्य से एक विशेष समिति पहले ही कार्य कर रही थी। उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुछ ब्रिटिश अफसरों की सेवाओं को, जो अधिकांशतः विभिन्न टैक्नीकल शाखाओं के विशेषज्ञ हैं, बरकरार रखा गया है। उनके सिवा आज भारतीय सेना सर्वोच्च सेनाध्यक्ष से लेकर निम्नतम सैनिक तक पूर्णतः भारतीय है।

जहां तक भारतीय वायु सेना का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि उसमें कोई ब्रिटिश अफसर न था। इसके लिए भी कुछ ब्रिटिश अफसरों और प्रौद्योगिकों की सेवाओं को उधार लिया गया। जहां तक नौ-सेना का संबंध है, अभी उसका पूर्णतः राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता क्योंकि आवश्यक अनुभव रखने वाले भारतीय अफसर यथेष्ट संख्या

में उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इस क्षेत्र में भी वही नीति रखी गई है जो सेना के अन्य विभागों में है। केवल ऐसे ही ब्रिटिश अफसरों को बरकरार रखा गया है या उनकी सेवाओं को ब्रिटिश शाही नौ-सेना से उधार लिया गया है जिनकी अनिवार्य आवश्यकता है।

शस्त्रास्त्र-उत्पादन को आत्मभरित बनाने की एक योजना तैयार की जा चुकी है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सेना के सभी विभागों के लिए आवश्यक नए स्टोर का उत्पादन किया जा सके। इस दिशा में सबसे बड़ी अकेली योजना है एक प्रोटोटाइप-सहित-मशीन-टूल कारखाने की स्थापना जिससे शस्त्रास्त्र का उत्पादन करने वाले कारखानों के लिए औजार बन सकें। इस कारखाने से संलग्न एक प्रशिक्षण-स्कूल में कर्मचारियों को शिल्प का प्रशिक्षण मिलेगा। रक्षा-विज्ञान-नीति बोर्ड द्वारा, जिसके सदस्यों में तीन प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं, रक्षा से सम्बन्धित मामलों की वैज्ञानिक गवेषणा का दिशा-दर्शन होता है।

परन्तु सब से महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन यह हुआ कि देशी राज्यों की सेनाओं को भारतीय सेना में अन्तर्भुक्त कर लिया गया है। भारतीय सेना और राज्यों की सेना के बीच स्तर की जो विभिन्नता थी, उसको दूर करने के लिए अफसरों के बोर्डों की नियुक्ति की गई जिनका कार्य आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग पर राज्य की सेनाओं के सैनिकों का चुनाव करना था। इस प्रकार के निर्वाचन के बाद राज्य की जो सेनाएं बनीं वे अब

भारतीय सेना का अविच्छिन्न अंग हैं और वर्दी, साज-सज्जा, खुराक तथा वेतन के दर के मामले में उनको वे ही सुविधाएं प्राप्त हैं जो भारतीय सेना को प्राप्त हैं।

देश की रक्षा में भाग लेने के लिए शिक्षित नौजवानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नेशनल कैडिट कोर का संगठन किया गया है। यह संगठन सभी राज्यों में पाया जाता है और इसके दो भाग हैं—सीनियर तथा जुनियर। एक लड़कियों की शाखा भी है। अब कोर में एक वायु-शाखा भी जोड़ दी गई है और जैसे ही सम्भव होगा, एक नौ-सैनिक शाखा भी बढ़ा दी जाएगी। इसमें भर्ती सर्वथा ऐच्छिक आधार पर होती है और भर्ती किए गए लोगों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि वे सेना में प्रवेश करें। परन्तु संकटकाल में इन शिक्षित नौजवानों को रक्षित अफसरों के रूप में रखा जाएगा।

एक अन्य संगठन, जिसका उद्देश्य जनता को देश की रक्षा के कार्य में लगाना और संकट के समय देश की संरक्षित सेना के रूप में रखना है, क्षेत्रीय सेना है जिसका आरम्भ अक्तूबर सन् १९४९ में हुआ। अन्तिम लक्ष्य के रूप में इसमें १ लाख ३० हजार सैनिक होंगे और पैदल, यांत्रिक सेना (जिसके अन्तर्गत वायुयान मारक और तटीय रक्षक सेना भी होगी) बख्तरबन्द गाड़ियों की सेना, इंजीनियर (जिनके अन्तर्गत रेलवे और बन्दरगाह एकक भी होंगे), सन्देश वाहक और साथ ही साथ शस्त्रास्त्र निर्माण, रसद, चिकित्सा, परिवहन तथा डाक सेवाएं भी होंगी। देहाती क्षेत्रों से भर्ती की गई टुकड़ियों को दो से लेकर तीन

महीने तक लगातार शिक्षा दी जाती है और शहरी टुकड़ियों को और अधिक लंबे समय तक शिक्षा दी जाती है, जिसके अन्त में एक छोटा वार्षिक शिविर होता है।

जब कि सेना के मामले में सरकार के पास कोई बुनियादी ढांचा मौजूद था, भले ही वह कितना ही अनुपयुक्त या अपूर्ण हो, यह बात उस नौ-सेना के विषय में, जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय पाई जाती थी, नहीं कही जा सकती। जो कुछ थोड़े से जहाज और अंग-रक्षक जहाज भारत के पास थे, वे शाही नौ-सेना के ही अंग थे। इस छोटी-सी नौ-सेना में लगभग एक-तिहाई की और भी कमी तब हो गई जब उसका तृतीयांश तथा तीन महत्त्वपूर्ण नाविक प्रशिक्षण संस्थायें पाकिस्तान के भाग में पड़ गईं। भारत के पास केवल चार जहाज, दो फ्रीगेट, एक कोरवेट, एक जांच-पड़ताल करने वाला जहाज, कुछ ट्रॉलर और माइन-स्वीपर और एक हवाई जहाज उतारने वाला बेड़ा बच गए। यह नौ-सेना भारत की ३,००० मील लम्बी तट-रेखा की रक्षा के सर्वथा अनुपयुक्त थी।

परन्तु नौ-सेना के विस्तार की योजना को तत्काल आरम्भ किया गया और वर्ष की समाप्ति होते-होते ब्रिटेन के साथ होने वाले समझौते के अन्तर्गत आई० एन० एस० दिल्ली को, जिसका पहले का नाम एच० एम० एस० 'एचिलीस' था, प्राप्त किया गया। जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था, ७,३०० टन का यह क्रूजर हमारी नौ-सेना के उत्तरोत्तर विकास का प्रतीक बन गया। उसकी प्राप्ति के बाद नौ-सैनिक कर्मचारियों के प्रधान

की नियुक्ति हुई और उस पद पर एडमिरल सर एडवर्ड पैरी, के० सी० बी० को, जिन्होंने रिवरप्लेट के युद्ध में 'एचिलीस' का संचालन किया था, नियुक्त किया गया। अगले वर्ष तीन विध्वंसकों को, जिनमें से प्रत्येक १,७०० टन का था और जिस पर ४.७ इंच की तोपें, ८ टारपीडो, अन्य पनडुब्बी मारक सामग्री तथा शस्त्रादि थे, खरीदा गया और उनको मिला कर प्रथम विध्वंसक पोत का निर्माण हुआ। 'जमना', 'सतलज', 'कृष्णा' और 'कावेरी' नामक फ्रीगेटों को मिलाकर, जो विभाजन के बाद भारत के हिस्से में पड़े थे, एक फ्रीगेट टुकड़ी का संघटन किया गया। ये फ्रीगेट १,४०० टन के जहाज हैं जिन पर चार इंच की तोपें और पनडुब्बी मारक सामग्री तथा शस्त्रादि हैं। एक अन्य फ्रीगेट आई० एन० एस० तीर को प्रशिक्षण-पोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस समय भारत की नौ-सेना के अन्तर्गत फ्लैगशिप 'दिल्ली' के अतिरिक्त लगभग ६०० टन के माइनस्वीपर, एक विशेष रूप से सज्जित जांच-पड़ताल का जहाज, आई० एन० एस० कुकरी, एक टैंक उतारने वाला जहाज और कई अन्य किस्मों के सामग्री उतारने वाले जहाज हैं।

विभाजन के फलस्वरूप भारत ने तीन ऐसे स्थानों को खो दिया जहां जहाजी प्रशिक्षण दिया जाता था और कई अनुभवी अफसर तथा अन्य व्यक्ति भी उसने खो दिए। उसे अब बहुत अधिक आवश्यकता ऐसे आदमियों की थी, जो कि प्रशिक्षण दे सकें और नए क्रूजरों तथा विध्वंसकों की भी आवश्यकता थी। ऐसे समय में ब्रिटिश नौ-सैनिक विभाग ने हमारी सहायता की और प्रति वर्ष ४६ कैडिटों के जत्थे को प्रशिक्षण देना स्वीकार

किया। सन् १९४८ के मध्य तक आई० एन० एस० 'दिल्ली' के लिए आवश्यक अफसरों और कर्मचारियों को इंगलैण्ड में प्रशिक्षण मिल चुका था। साथ ही सरकार ने जामनगर और बम्बई में प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया और कोचीन तथा विशाखापटनम में नए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए।

सन् १९५० तक भारतीय नौ-सेना के जहाज पड़ोसी देशों का दौरा करने के लिए तैयार हो चुके थे। इन यात्राओं के द्वारा अफसरों और कर्मचारियों को समुचित व्यावहारिक समुद्री प्रशिक्षण मिला और भारत की प्रतिष्ठा भी आस-पास के देशों में बढ़ी, एवं भारत की सदेच्छा को उन देशों तक पहुँचाया गया। ब्रिटिश शाही नौ-सेना और शाही वायु सेना के साथ मिलकर सुदूर पूर्व में, ईस्ट इंडीज में तथा भूमध्य सागरीय बेड़े के साथ भारतीय नौ-सेना और वायु सेना ने कृत्रिम युद्धों में भाग लिया। २६ जनवरी, सन् १९५० को भारतीय गणराज्य के उद्घाटन के समय हमारी नौ-सेना ने 'शाही' उपाधि का त्याग किया। इस प्रकार भारतीय नौ-सेना ने शुभारम्भ किया है। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति ने कहा था, "यद्यपि यह नौ-सेना आकार में छोटी है, तथापि योग्यता, कर्तव्य-परायणता और स्वामिभक्ति में यह किसी से भी घट कर नहीं है।"

विभाजन के बाद ही भारतीय वायु-सेना एक अर्द्ध-विक्षत ढांचे के समान थी जो कि कच्ची नींव पर खड़ा हो। भारतीय कमान की सहसा समाप्ति के कारण एयर हेड-क्वार्टर का नियंत्रण लन्दन स्थित वायु मंत्रालय द्वारा होने लगा। उपर्युक्त तथा

ब्रिटिश कर्मचारियों सहित शाही वायु सेना की टुकड़ियों के प्रस्थान कर जाने के कारण भारतीय वायु सेना का सम्पूर्ण संगठन विश्रृंखलित हो गया। इसके साथ ही विस्थापित सैनिकों के आवास आदि की व्यवस्था की समस्या भी थी, क्योंकि अधिकांश स्थायी वायु-सेना केन्द्र अविभाजित भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित थे जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ा। इस प्रकार पुनर्गठित एयर हेडक्वार्टर को स्वतन्त्र भारत की वायु सेना का निर्माण नींव से ही करना पड़ा और आज चार वर्ष के बाद दस स्क्वैड्रन सेना का लक्ष्य पूर्णता की अवस्था में पहुँच रहा है।

परन्तु यह याद रखना चाहिए कि एक संतुलित और सामरिक दृष्टि से कुशल वायु सेना के लिए विभिन्न प्रकार के सामरिक कार्यों के योग्य विभिन्न ढंग के हवाई जहाज चाहिएँ और साथ ही प्रशिक्षण, मरम्मत, उपलब्धि तथा अन्य ऐसे प्रबन्ध-संगठन चाहिएँ जिनके कारण वायु सेना का रक्षात्मक बल सामरिक दृष्टि से प्रभावपूर्ण हो जाए। दूसरे शब्दों में, उसके पास लड़ाकू, बमवर्षक, सामान ढोने वाले, जांच करने वाले तथा अन्य अनेक किस्म के प्रशिक्षण देने वाले हवाई जहाज चाहिएँ और साथ ही विमान-चालकों, हवाई अड्डों में काम करने वाले टैक्नीशियनों, प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में आवश्यकता है। आज भारतीय वायु सेना के पास उसके सुगठित दस स्क्वैड्रनों के अन्तर्गत यह सभी सामग्री और उपादान मौजूद हैं। रक्षा मन्त्रालय ने यह भी सावधानी रखी है कि जहां तक सम्भव हो, सेनाओं को आधुनिकतम साज-सज्जा

पहुँचाई जाए। सन् १६४८ में भारतीय वायु सेना को तीन जेट परिचालित 'वैम्पायर' किस्म के हवाई जहाज प्राप्त हुए। जब उन हवाई जहाजों की परीक्षा देश के विभिन्न भागों में कर ली गई तब वैसे कुछ अन्य हवाई जहाज भी खरीदे गए। ये नए हवाई जहाज आधुनिक और अधिक से अधिक तेज उड़ान भरने वाले हैं और भारतीय दशाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं तथा भारतीय वायु सेना की लड़ाकू शाखा के अंग हैं। एक नई जांच-पड़ताल करने वाली शाखा का भी संगठन किया गया है और एक अन्य शाखा के अन्तर्गत चार इंजिनों वाले 'लिब्रेटर' किस्म के भारी बमवर्षकों को प्राप्त किया गया है।

सन् १६४६ के आरम्भ में उड़ान का प्रशिक्षण देने और वायु सेना के भविष्य के उड़ाकुओं की संख्या और स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सम्पूर्ण उड़ान प्रशिक्षण योजना का श्रीगणेश हुआ। सन् १६४६ में बंगलौर के निकट भारतीय वायु सेना के लिए एक प्रौद्योगिक प्रशिक्षण कालेज खोला गया। वस्तुतः यही समय था जब कि इस प्रकार का कालेज खोला जाता, जहाँ भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक हजारों अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता। इतने अधिक कैडिटों को शिक्षा देने का कार्य कोई भी विदेशी संस्था नहीं कर सकती थी। अतः यह निश्चय किया गया कि उनकी शिक्षा इसी देश में ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता से होनी चाहिए।

राष्ट्रीय संकटकाल में भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए एक वायु रक्षा रिजर्व की स्थापना की योजना बनाई गई है। इस दिशा में गत दिसम्बर महीने

में प्रभावशाली क़दम उठाया गया जब कि संसद् में वायु रक्षा रिज़र्व विधेयक रखा गया।

आगामी कुछ वर्षों के लिए निर्माण योजना के अन्तर्गत कम से कम तीन स्थायी वायु सेना केन्द्रों की व्यवस्था है, जिनके अन्तर्गत आधुनिक ढंग के हवाई अड्डे होंगे।

चार वर्ष के परिश्रम के बाद सरकार यह दावा कर सकती है कि उसने विभाजन के कारण सेना को पहुँचने वाली क्षति और अव्यवस्था को न केवल दूर कर दिया है बल्कि उनका पुनर्गठन करके और उनके लिए नई सामग्री प्राप्त करके रक्षा व्यवस्था को बहुत काफी मजबूत बना दिया है।

: ६ :

वैदेशिक नीति

स्वतंत्रता के द्वारा जहां एक ओर भारत को प्रभु सत्ता और शासनाधिकार प्राप्त हुआ, वहीं भारत विश्व के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ सीधे सम्पर्क में आया। वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन के लिए यह आवश्यक था कि नीति की घोषणा की जाती और प्रशिक्षित कूटनीतिक सेवा की स्थापना होती। इसी उद्देश्य से वैदेशिक मंत्रालय का निर्माण हुआ और वैदेशिक सेवा के लिए अफसरों के स्थायी संवर्ग की स्थापना हुई।

विश्व के राष्ट्रों के अन्तर्गत स्वतंत्र भारत के उदय को महान् शक्तियों ने एक असाधारण महत्त्व की घटना समझा। यह बात इस तथ्य को देखते हुए स्पष्ट हो जाती है कि स्वतंत्रता के पहले वर्ष में ही उन महान् शक्तियों ने तथा कुछ अन्य शक्तियों ने भी भारत के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए और अधिकांश मामलों में सम्बन्ध-स्थापना की मांग उन राष्ट्रों द्वारा रखी गई। आज विदेश में भारत के २० राजदूतावास, १६ दूतावास, ७ उच्चायुक्तों के कार्यालय, १४ वाणिज्य दूतावास, ५ आयुक्तों के कार्यालय और १० मिशन तथा एजेंसियां हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का क्या भाग होगा, इसकी प्रतीक्षा विश्व में बड़ी रुचि के साथ की गई, क्योंकि भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति, उसके प्रगट और सम्भावित जन तथा प्राकृतिक साधन, और इन सब से अधिक उसकी परम्परा, संस्कृति तथा स्वतंत्रता के संघर्ष के अद्वितीय ढंग ने स्पष्ट रूप से यह उद्घोषित किया कि विश्व के रंगमंच पर एक नए और सब से भिन्न राष्ट्र का उदय हुआ है। उपर्युक्त सभी बातों और दासता के लम्बे समय के बाद राष्ट्रीय विकास के लिए अनुकूल दशाओं की सुस्पष्ट आवश्यकता के कारण भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह विश्व-शांति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करे। भारत की शांति-नीति केवल कथन की वस्तु अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण मात्र नहीं है, जैसा कि आरम्भ में कुछ राष्ट्रों ने सोचा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की चिन्ताजनक घटनाओं के प्रकाश में उक्त नीति की भली-भांति परीक्षा हो गई है।

सर्वप्रथम, जैसे ही स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ब्रिटेन के साथ विरोधपूर्ण सम्बन्धों का अन्त कर दिया गया। इसका प्रभाव इतना अच्छा हुआ कि भारत को, उसके गणराज्य हो जाने के बाद भी, राष्ट्र परिवार का सदस्य बने रहने के लिए आमन्त्रित किया गया। ब्रिटेन ने भारतीय गणराज्य को राष्ट्र-परिवार का सदस्य बनाने के उद्देश्य से ही एक संसदीय कानून पास किया जो एक असाधारण बात थी। इस प्रकार भारत के प्रवेश के द्वारा राष्ट्र-परिवार का क्षितिज व्यापक हुआ क्योंकि राष्ट्र-परिवार ने अपने आदर्शों को व्यावहारिक रूप दिया। उक्त ऐतिहासिक

परिवर्तन में ब्रिटेन का भाग निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि यह परिवर्तन भारत की वैदेशिक नीति की महत्त्वपूर्ण सफलता का सूचक और भारतीय जीवन-पद्धति को प्रतिबिम्बित करने वाला था।

प्रायः भारत की तटस्थ और स्वतंत्र वैदेशिक नीति के बारे में वे लोग, जो वर्तमान शीत-युद्ध में प्रत्यक्षतः संलग्न हैं, भ्रमपूर्ण विचार रखते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के अन्तर्गत भारत को यही देखना है कि वह शांति बनाए रखे जिससे वह स्वयं अपने जीवन को नए सिरे से ढाल सके, और दूसरों को भी वैसा करने के योग्य बनावे। साथ ही, अब अपने हृदय से सम्पूर्ण कटुता को दूर करके भारत को नए सिरे से सारे कार्य करने हैं, और ऐसा करते हुए उसे परम्परागत मित्रों या शत्रुओं की बात सामने नहीं रखनी है। अतः उसे सत्तात्मक राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है क्योंकि ऐसी राजनीति का परिणाम अशोभन अधिकार भावना और तज्जन्य अनिवार्य संघर्ष होता है। साथ ही, जहाँ कहीं अच्छाई और बुराई एवं उचित और अनुचित के बीच चुनाव का प्रश्न हो, वहां वह न तो तटस्थ है, न कभी हो सकता है।

इसी कारण भारत ने कोरिया पर आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की। पर जब इस लगभग विश्वव्यापी निन्दा को वर्गगत या निम्न हितों के पोषण का साधन बनाया जाने लगा तो भारत ने उन कार्यवाहियों से हाथ खींच लिया। इस बात को ध्यान में रखकर कि कोरिया में मित्र राष्ट्रों का कार्य यही हो सकता है कि वे शान्ति की स्थापना करें, उसने संघर्ष के परिसीमन

और चीन को मित्र राष्ट्र संस्था में सम्मिलित करने की बात उठाई। जैसा कि बाद की घटनाओं से सिद्ध हो गया, यदि भारत की सलाह मान ली जाती तो खून खराबे को काफ़ी बचाया जा सकता था। यदि चीन के जनवादी गणराज्य को सभी सम्बन्धित राष्ट्रों द्वारा मान्यता दे दी जाती तो विराम सन्धि सम्बन्धी वर्तमान वार्ता के संचालन में भी बड़ी सुविधा हो जाती।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में "तटस्थ" रहने की बजाय भारत पीड़ित और अधिकारवंचित राष्ट्रों के मामले में विशेष रुचि लेता है। अतः उसके वैदेशिक मामलों के अन्तर्गत एशिया और अफ्रीका को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन महाद्वीपों में चलने वाले प्रत्येक प्रगतिशील आन्दोलन को भारत का जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थ, उपनिवेशों में जनता द्वारा संचालित मुक्ति के प्रयत्नों में भारत के भाग को देखा जा सकता है।

चीनी जनवादी गणराज्य का जन्म इस प्रकार के आन्दोलन की चरम परिणति थी, यद्यपि इस आन्दोलन के संचालकों के विरोध की दिशा भिन्न प्रकार की थी। चीन के नए शासन को मान्यता न देना एशिया की भावनाओं के प्रति सहानुभूति-रहित होना है। पूर्व के प्रति जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नए सिरे से न निर्मित करेंगे तब तक हम एशियाई भावनाओं को ठीक से समझ न सकेंगे और भ्रमपूर्ण धारणाएं बना लेंगे। सहानुभूति-शून्यता और गलत कार्य द्वारा हम गुत्थी को और अधिक उलझा देंगे और जो कुछ हम चाहते हैं उससे उल्टा परिणाम होगा। पर भारत ने अपना रास्ता ठीक ढंग से निश्चित

किया है और वह मित्र राष्ट्रों की जमात में चीन का स्वागत करने के लिए तैयार है।

जाति-भेद एक अन्य समस्या है जिसके विषय में भारत का अपना सुनिश्चित दृष्टिकोण है। वह जाति-भेद को कहीं भी और किसी भी रूप में सहन नहीं कर सकता। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जाति-भेद नीति के विरुद्ध उसने जोरदार आवाज उठाई है और उसे विश्व के जनमत के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है जिससे अफ्रीकन सरकार की चालबाजियों और बहानेबाजियों को निष्फल किया जा सके और सही तथ्यों से लोगों को परिचित कराया जा सके।

भारत को लोकतंत्रात्मक नियंत्रण में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और खुली कूटनीतिज्ञता पर दृढ़ विश्वास है। जब रूस ने मित्र राष्ट्र संघ का बहिष्कार किया और चीन की अनुपस्थिति के कारण संघ के छिन्न-भिन्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई तो हमारे प्रधान मन्त्री ने मार्शल स्टालिन और डीन अचेसन से व्यक्तिगत अपीलें कीं और इन खुली अपीलों का सर्वत्र स्वागत हुआ। इससे कुछ समय पूर्व पेरिस में होने वाली मित्र राष्ट्रीय आम सभा में नेहरू जी से सभा के अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि वे व्यक्तिगत रूप से सभा में भाषण देवें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन और कनाडा के प्रधान मन्त्री सेंट लारेंट के आमन्त्रण पर नेहरू जी अमेरिका और कनाडा गए और उक्त दोनों देशों को भारत के निकटतर लाने में बड़े सहायक हुए। अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास और सदेच्छा की वृद्धि के लिए जितना काम हमारे प्रधान मंत्री महोदय

ने किया है उतना शायद ही किसी समकालीन राजनीतिज्ञ ने किया हो। १ जनवरी, सन् १६५० को सर्व सम्मति से २ वर्ष के लिए भारत को सुरक्षा समिति का सदस्य चुना गया था।

अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों के मामले में भारत अत्यधिक सौभाग्यशाली है। उसके मित्रतापूर्ण हस्तक्षेप से नेपाल के राजा, वहाँ के प्रधान मंत्री और नेपाली कांग्रेस के बीच मतभेद दूर हुए और नेपाल गणतंत्र के मार्ग पर चल पड़ा। शान्ति, मैत्री और व्यापार सन्धियों के द्वारा नेपाल से धर्म एवं संस्कृति सम्बन्धी प्राचीन बन्धनों को दृढ़तर किया गया। ब्रिटेन और सिक्किम के साथ भी इसी प्रकार की सन्धियाँ की गई हैं।

तिब्बत की चिंताजनक स्थिति भी भारत द्वारा सामयिक और धीरतापूर्ण कार्यवाही के कारण सँभल गई। तिब्बत को प्रोत्साहित किया गया कि वह सीधी वार्ता के लिए पेकिंग को अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजे और चीन को राजी किया गया कि वह ल्हासा की ओर अपनी सेनाओं के अभियान को स्थगित कर दे। प्रसंगवश यहाँ यह बता देना उचित होगा कि भारत उन कुछ देशों में से है जिनके कूटनीतिक मिशन पेकिंग में मौजूद हैं।

उपर्युक्त सफलताओं और उत्साहजनक कार्यों के साथ-साथ हमें दुःख के साथ एक निराशाजनक स्थिति की भी चर्चा करनी पड़ती है। काश्मीर पर हमला करके पाकिस्तान ने यद्यपि भारत में गंभीर उत्तेजना का वातावरण पैदा करना चाहा तथा अन्य

अनेक विरोधी कार्य किए, तथापि भारत ने पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ ही बढ़ाया है। विशेषतः अल्प संख्यकों के प्रति पाकिस्तान का व्यवहार बड़ा शोचनीय है। पश्चिमी पाकिस्तान और सिन्ध से लगभग सभी हिन्दुओं को निकाल बाहर करने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में उनके विरुद्ध व्यवस्थित आन्दोलन आरंभ किया गया। कितने ही हिन्दुओं की हत्या कर दी गई और हजारों को देश से बाहर खदेड़ दिया गया। फ़रवरी सन् १९५० में पाकिस्तान के अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच गए और अन्त में हमारे प्रधान मन्त्री महोदय को ८ अप्रैल को अल्प संख्यकों के हितों की रक्षार्थ एक समझौते पर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के हस्ताक्षर कराने में सफलता मिली। पर दुर्भाग्यवश अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में स्थिति सामान्य हो गई है।

जो भारतीय सीलोन, बर्मा, मलाया और दक्षिण अफ्रीका आदि विदेशों में बस गए हैं उनके प्रति सरकार अपनी विशेष जिम्मेवारी मानती है। उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जो आप्रवास नियमों, श्रम कानूनों, राजनैतिक अधिकारों, राष्ट्रीयकरण, रंग-भेद आदि से उत्पन्न होती हैं। सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि वह इन असुविधाओं को दूर कर दे, पर दुर्भाग्यवश ये मामले कानूनी सीमाओं और प्रचलित रूढ़ियों के कारण आसानी से नहीं सुलझ पाते।

राष्ट्रीय परम्परा, स्वभाव, चरित्र और मनोभावनाओं के प्रकाश में एक सुस्पष्ट वैदेशिक नीति के निर्धारण के लिए सदियों की राजनीतिक क्रियाशीलता और चिंतन अपेक्षित है।

चार वर्षों में भारत की सफलता वस्तुतः आश्चर्यजनक है, और यदि इस दिशा में एक महान राजनीतिक प्रतिभा का दिशादर्शन न मिला होता, तो यह सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। अधिकांश लोगों को यह मानना पड़ेगा कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने (जो विदेश मन्त्री भी हैं) स्थिति का वर्णन नम्र और नियंत्रित शब्दों में ही किया था जब कि उन्होंने कहा था, "मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती कि विश्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संघर्षों के बावजूद, एक देश के अतिरिक्त अन्य सभी देशों से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। हमने अपने अल्प साधनों द्वारा यह कोशिश की है कि हम शान्ति के पक्ष में अपना जोर लगा दें और अपने आपको सैनिक या अन्य ऐसी उलझनों से ग्रंथित होने से बचावें।"

: ७ :

वित्त

स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकार के आर्थिक कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ब्रिटिश शासन के समय वित्त विभाग का कार्य अधिकांशतः केन्द्र के आगम और व्यय के नियन्त्रण तक सीमित था। सन् १९४७ के बाद सरकार के क्षेत्र और उसके द्वारा आरम्भ किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि हुई है और उसने विभिन्न विकास योजनाओं को हाथ में लिया है यथा नदी-घाटी योजनाएं, भूमि सुधार योजनाएं, सिन्दरी स्थित रासायनिक खाद का कारखाना, चित्तरंजन स्थित रेल के इंजन का कारखाना और बंगलौर स्थित हवाई जहाज का कारखाना। अन्य अनेक दिशाएं भी हैं जिनके प्रति वित्त मंत्रालय का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। भारत की एक सुस्पष्ट मुद्रा नीति है जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है और उस नीति का परिचालन केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा होता है। उक्त मंत्रालय विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सम्पर्क रखता है। कतिपय मित्र राष्ट्रीय देशों के साथ सहयोगपूर्वक भारत एक ऐसी विकास योजना के कार्य को उठा रहा है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई अंचल के अल्प विकसित देशों की उन्नति करना है।

3741

बहुत अधिक बढ़े हुए दायित्वों के निर्वाह के लिए सन् १९४९ में वित्त मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया। वित्त मंत्रालय की राष्ट्रीय आय शाखा और राष्ट्रीय बानगी-पड़ताल शाखा इस प्रकार के सांख्यिकीय तथ्य संग्रह कर रही है जिनके द्वारा शासकों को भारत की विकास योजनाओं को अब से अधिक वैज्ञानिक ढंग पर परिचालित करने में सहायता मिलेगी।

दुर्भाग्यवश ये अतिरिक्त जिम्मेवारियां सरकार पर ऐसे समय आई जो संकट का समय था। उदाहरणार्थ, गत कुछ वर्षों में खाद्य की समस्या ने बड़ा चिन्ताजनक रूप धारण कर लिया है जिसके कारण बाहर से अनाज मँगाने के लिए बहुत बड़ी रकमों की आवश्यकता होती है। सन् १९४८-४९ में सुलभ मुद्रा तथा दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के साथ होने वाले व्यापार में भुगतान का संतुलन प्रतिकूल रहा। सन् १९४९ में यह प्रतिकूल संतुलन १८७·५६ करोड़ रुपये था और दुर्लभ मुद्रा वाले प्रदेशों को होने वाला निर्यात गिरावट पर था। परन्तु अवमूल्यन के बाद परिस्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार सन् १९५०-५१ के वित्तीय वर्ष में भारतवर्ष का अनुकूल संतुलन ४६·८५ करोड़ रुपये का था और यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में भी यह सुधार जारी रहेगा।

इस बीच कई बार यह सुझाव रखा गया है कि सरकार को रुपये के मूल्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसका वही मूल्य स्थिर करना चाहिए जो पहले था। परन्तु वित्त मंत्री ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि ऐसा कोई कदम उठाना देश के हित में न होगा। उन्होंने आंकड़ों को उपस्थित करके

यह सिद्ध किया है कि रुपये का मूल्य १५ प्रतिशत बढ़ाने से भुगतान के संतुलन में इतना घाटा आएगा कि वह राशि ५० करोड़ तक हो जाएगी और यदि मूल्य ३० प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया तो घाटा १३५ करोड़ तक हो सकता है। वर्तमान दर पर भारत सम्भवतः अपने निर्यात और आयात खातों का संतुलन करने में समर्थ होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को प्रदत्त सेवाओं और सामग्री के रूप में सहायता के कारण भारत के पास बहुत बड़ी पौंड पावने की रकम जमा हो गई। इस रकम का मूल्य १,५१६ करोड़ था। इसमें से निकाली गई रकमों के अन्तर्गत २०१ करोड़ की रकम पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला पौंड पावना था। आरम्भ में २६६ करोड़ की रकम ब्रिटिश सरकार को पेंशनों और अधिकृत अतिरिक्त रक्षा सामग्री की भुगतान के लिए दी गई। लगभग १४२ करोड़ रुपये की रकम हमारे भुगतान के संतुलन की कमी को पूरी करने के लिए प्रयोग में लाई गई। इस रकम का अधिकांश भाग विदेश से अनाज मँगाने में खर्च हुआ है। इसका कुछ भाग पूंजीगत सामग्री, औद्योगिक कच्चे माल तथा उपभोग्य द्रव्यों को मँगाने में भी व्यय हुआ है।

भारत की समृद्धि उसी सीमा तक संभव होगी जिस सीमा तक उसकी विकास योजनाएं सफल होती हैं। एक वर्ष पहले योजना कमीशन की स्थापना हुई और उसे यह भार दिया गया कि वह उक्त योजनाओं की जाँच-पड़ताल करे और उनको समन्वित करके उन्हें एक पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले आवे। योजना कमीशन ने सरकार को अपनी आरम्भिक रिपोर्ट दे दी है

और उस रिपोर्ट के प्रति जनता तथा निजी उद्योगों की प्रतिक्रिया को देख कर अन्तिम रिपोर्ट दी जाएगी। पंचवर्षीय योजना के लिए, जैसी कि वह योजना कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई है, १,७९३ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। योजना को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग के लिए १,४९३ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और उसके द्वारा आवश्यक उपभोग्य द्रव्यों की उपलब्धि उसी प्रकार हो जाएगी जिस प्रकार वह युद्ध से पहले थी। यह कार्य सन् १९५५-५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा। योजना के दूसरे भाग के अन्तर्गत, जिसके लिए ३०० करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी, अगले पांच वर्षों में विकास की और अधिक तीव्र गति की व्यवस्था है। कमीशन यह अनुभव करता है कि योजना के प्रथम भाग को देश द्वारा प्रत्येक कीमत पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। दूसरे भाग को तब हाथ में लिया जा सकता है जब यथेष्ट बाहरी सहायता उपलब्ध हो। राज्य और केन्द्र की सरकारों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की परिकल्पना की गई है, परन्तु उन सबको तत्काल कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं। योजना कमीशन ने हमारे सीमित साधनों और हमारी विभिन्न मांगों की पड़ताल की है और एक प्राथमिकता-सूची बना दी है। योजना के प्रथम भाग में प्राथमिकताओं को इस प्रकार रखा गया है:—

१. आरम्भ किए जा चुकने वाले कार्यक्रमों की पूर्ति, जिनके अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के कार्य भी हैं;

२. अपेक्षाकृत अल्प अवधि में अनाज और कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाना;

३. देश में रोजी-रोजगार की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए साम्पत्तिक तथा प्रौद्योगिक साधनों के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना;

४. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को मजबूत बनाना; और

५. अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में विकास की गति को तीव्रतर बनाने के लिए समुचित प्रशासकीय और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना।

इनमें से कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और कई कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आती हैं। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना उक्त कोलम्बो योजना से आगे का एक क़दम है। राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करना आता है, जिन्हें प्रत्येक दशा में पूरा किया जाएगा, चाहे आवश्यकतानुसार विदेशी सहायता मिले या नहीं। निस्संदेह इसका अर्थ यह होगा कि हमें देश में और अधिक प्रयत्न और अधिक कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय योजना इस रूप में कोलम्बो योजना से भिन्न है।

सन् १९५१-५२ के बजट में आवश्यक वित्त की व्यवस्था देश के अन्दर ही करने की दिशा में कदम उठाया गया है। भारत में प्रत्यक्ष कर को बढ़ाने की गुंजाइश बहुत सीमित है।

अतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण का ढंग अपनाया गया है। परन्तु यह सावधानी रखी गई है कि कर का भार यथासम्भव समुचित रूप से और काफी बड़े क्षेत्र में वितरित रहे जिससे कि किसी एक विशेष वर्ग या समुदाय पर अधिक जोर न पड़े। जनता से आशा की जाती है कि वह भविष्य की समृद्धि की दृष्टि से वर्तमान कठिनाइयों को खुशी के साथ झेल लेगी। सरकार ने भी हाल में अपने खर्चों में बहुत अधिक कमी की है। लेखा परीक्षण को भी और अधिक मजबूत कर दिया गया है।

भारत ने यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ तीन पक्के समझौते किए हैं और ट्रूमैन चतुर्थ बिन्दु कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समझौता अमेरिका से किया गया है। इन समझौतों के अन्तर्गत भारत को अपनी विकास योजनाओं के लिए विदेश से निःशुल्क टेक्नीकल सहायता प्राप्त होगी।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा और आस्ट्रेलिया ने यह स्वीकार किया है कि वे भारत की विकास निधि में क्रमशः २ करोड़ ५० लाख और ३ करोड़ १५ लाख पौंड का अनुदान देंगे। इसके अतिरिक्त भारत को दिए गए अमेरिका के अनाज के ऋण की वसूली को विकास योजनाओं के लिए लगाया जाएगा। चूंकि हमें विदेशी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए भारत में विदेशी पूंजी के विनियोग के लिए यथेष्ट क्षेत्र है। भारत सरकार ने विदेशी पूंजीपतियों को अनेक सुविधाएं दी हैं कि वे अपनी पूंजी और उससे प्राप्त लाभ को, कतिपय निर्धारित परिस्थितियों के अन्तर्गत, वापस ले जा सकें। इस प्रकार

भारत में विनियोजित वैदेशिक पूंजी के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव का व्यवहार न होगा और उसे लगाने वालों के साथ वही व्यवहार होगा और उन्हें वे ही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो पूंजी लगाने वाले भारतीयों को प्राप्त हैं।

: ८ :

राहत और पुनर्वास

नई सरकार के सामने जो सबसे कठिन समस्यायें थीं, उनमें पाकिस्तान के लाखों ग़ैर मुस्लिम नागरिकों को राहत पहुँचाने और उनके पुनर्वास की समस्या थी, जो अपने मुस्लिम सह-नागरिकों के द्वारा निर्यातित होने के कारण भारत में आ कर आश्रय लेने के लिए बाध्य हुए थे। कहना न होगा कि भारत सरकार विभाजन से उत्पन्न इस आपत्ति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पाकिस्तान से कोई ८५ लाख पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे आये, जिनमें से ५० लाख पश्चिमी पाकिस्तान से और ३५ लाख पूर्वी पाकिस्तान से आए। सरकार के सामने इस प्रकार जो कर्तव्य आ गया, वह इतना बड़ा था कि वह अभूतपूर्व था। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद भी यूरोप को ऐसी महान समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

यह सच है कि कोई ४० लाख मुसलमान भी पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान चले गए। पर जानेवाले मुसलमानों और आनेवाले ग़ैर मुस्लिमों की आर्थिक हैसियत तथा दूसरी बातों में बहुत बड़ा भेद था। जबकि पाकिस्तान से आने वाले ग़ैर मुस्लिम वहाँ बड़ी-बड़ी संपत्ति छोड़ आए थे, और वे अधिकतर बौद्धिक

व्यवसाय तथा व्यापार करने वाले लोग थे, उनमें से कुछ तो बहुत ही धनी थे, यहां से जाने वाले मुसलमान तुलना में बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए, और अधिकतर निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे। इस प्रकार से देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत छोड़ने वाले मुसलमानों ने बहुत कम व्यापार और पेशे ऐसे छोड़े जिनमें पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लोगों को खपाया जा सकता था। इन लोगों में से अधिकांश को यहां आ कर फिर से जीवन का आरम्भ करना पड़ा।

जो कुछ भी हो, प्रथम सप्ताहों में पुनर्वास का प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि जो हजारों लोग घर-द्वार और सर्वस्व खोकर आ रहे थे, उनको कैसे खिलाया पिलाया जाए, कपड़ा पहुँचाया जाए और मकान दिया जाए। एक समय ऐसा आया था जब सरकारी सहायता पर जीने वाले विस्थापितों की संख्या १० लाख पहुँच गई थी। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक विस्थापित पर लगभग एक दिन में एक रुपया खर्च होता है, इसलिए सरकार का खर्च प्रति दिन १० लाख रुपया हो गया था। सन् १९५० के अन्त तक विस्थापित शिविरों को राहत पहुँचाने के लिये ३२ करोड़ २७ लाख रुपये खर्च हो चुके थे।

पर एक अनिश्चित काल के लिए राहत की योजना को जारी रखना न तो व्यावहारिक था और न वांछनीय। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया कि अपने साधनों तथा कर्म-शक्ति को पुनर्वास में लगावे। सच तो यह है कि पुनर्वास के कार्यक्रम का सूत्रपात हो चुका था, भले ही यह बहुत सीमित

और अटपटे ढंग से किया जा रहा हो। पंजाब और पेप्सू में जमीनों को वार्षिक आधार पर उन लोगों को दे दिया गया था, जो उन पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने को तैयार थे।

पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के द्वारा छोड़ी हुई दुकानों और मकानों को उपयोग के लिए विस्थापितों को दिया गया, और उन्हें कुछ कर्ज भी दिया गया। विस्थापित शिविरों में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए।

पर जल्दी ही योजनाबद्ध पुनर्वास भी शुरू कर दिया गया। जुलाई सन् १९४८ में एक सम्मेलन में यह निर्णय कर लिया गया कि किस राज्य में कितने विस्थापित खपाये जाएं, साथ ही पुनर्वास के लिए पृथक योजनाओं पर भी विचार हुआ, और वे तय की गईं। केन्द्रीय सरकार ने विस्थापितों पर होनेवाली सारी रकम को खर्च किया, और विस्थापित शिविरों से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को बड़ी संख्या में उनके नए घरों की ओर रवाना किया गया।

देहात के रहने वाले प्रति २५ विस्थापित व्यक्तियों में से २४ को फिर से बसाया जा चुका है और उन्हें प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जा चुकी है—केवल एक शेष रहता है।

जहाँ तक कि गाँव के लोगों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, यह देखा गया कि मुसलमान भारत में जिन जमीनों को छोड़कर गए हैं वे क्षेत्रफल और गुण दोनों दृष्टियों से उन जमीनों से निम्नतर कोटि की हैं, जिन्हें हिन्दू और सिख पाकिस्तान में छोड़ आए हैं। इस प्रकार विस्थापित खेतिहरों को जमीन बांटते समय किसी न किसी प्रकार की राशनिंग अनिवार्य हो गई। व्यौरेवार योजना निर्माण तथा हजारों कारकुनों के कठिन परिश्रम की बदौलत जमीन की मांग सम्बन्धी सारी दरख्वास्तों की छान बीन की गई, और दावों का सत्यासत्य देखा गया। पंजाब और पेप्सू में केवल ४,७३५,००० एकड़ जमीन प्राप्त थी, जबकि दावेदारों की संख्या ५७७,००० थी। इस प्रकार से एक योजना इस बात को जानने के बाद बनाई गई कि पाकिस्तान जा कर बसने वाले लोग कितनी जमीन छोड़ गए हैं। इस योजना के कारण सरकार प्रत्येक व्यक्ति को इतनी काफी जमीन देने में समर्थ हुई जिससे कि वह ढंग से अपनी जीविका चला सके। बहुत से विस्थापित व्यक्ति पंजाब और पेप्सू के बाहर भी बसाये गए। मत्स्य, बीकानेर, भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में ४५ हजार परिवार बसा दिए गए और प्रति परिवार १० से १५ एकड़ भूमि दी जा सकी। प्रत्येक परिवार को मकान की मरम्मत, औजारों तथा बैलगाड़ियों को खरीदने के लिए एक रकम उधार दी गई। १९५० के अगस्त तक इन रकमों का कुल जोड़ ६ करोड़ ५० लाख तक पहुँच चुका था, और लोगों को वस्तुओं द्वारा जो सहायता दी गई, उनका कुल जोड़ इस धनराशि से भी अधिक है।

बहुत जल्दी ही यह बात स्पष्ट हो गई कि छोड़ी हुई जमीन गांव के लोगों के पुनर्वास की समस्या को संपूर्ण रूप से हल

नहीं कर सकती। इस से भी अधिक जमीन की आवश्यकता थी। इसलिए सरकार ने जमीन की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार दो उद्देश्य सिद्ध हुए, पुनर्वास का सम्बन्ध अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के साथ जुड़ गया। भोपाल, गंगा खादर और उत्तर प्रदेश के नैनीताल तराई क्षेत्र में विशाल जमीनें ट्रैक्टर के नीचे आ गईं। केवल उत्तर प्रदेश की योजनाओं में ही ७५ लाख का खर्च बैठा। इन योजनाओं के अनुसार ज्यों ही जमीन को ट्रैक्टर के द्वारा ठीक कर दिया जाता है, त्यों ही विस्थापितों में से स्वीकृत खेतिहरों की टुकड़ियों को एक विशेष बोर्ड चुनता है, और उन्हें नए उपनिवेश में भेज देता है। वहां उन्हें रहने की जगह तथा मुफ्त राशन तब तक दिया जाता है जब तक कि वे जमीन से अपनी जीविका अर्जन करने में समर्थ न हों।

सन् १९५० के अन्त में केवल १५ हजार खेतिहर परिवारों को बसाना बाकी रह गया। ६२२,००० परिवार बसाये जा चुके

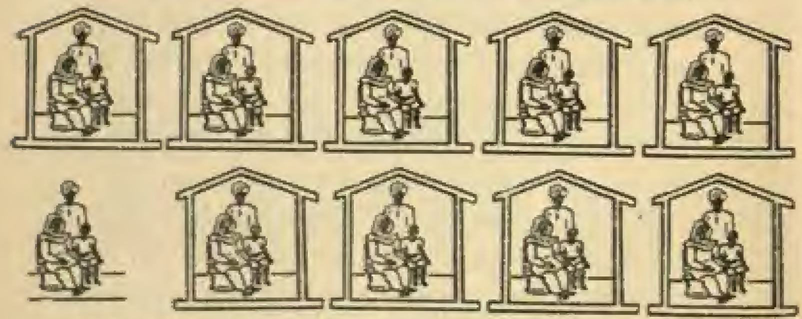

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रति १० शहरी विस्थापित व्यक्तियों में से ९ को सरकार की आवास-योजना के अन्तर्गत स्थान दिया गया है—केवल एक शेष रहता है।

थे। उनमें से १० हजार परिवारों को विभिन्न राज्यों में जल्दी ही बसाया जाएगा, और बाकी ५ हजार के लिए नई जमीन खोजी जा रही है।

शहरी विस्थापितों के पुनर्वास में दूसरी ही तरह की समस्या सामने आई। शिक्षित और व्यापारी वर्गों के लिए सरकार को वास-स्थान और साथ ही साथ जीविका के साधन देने पड़े। पर मकानों की कमी तो पहले से ही बहुत भयंकर रूप धारण किए हुए थी। लड़ाई के समय से ही इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ था। इसलिए सरकार फौरन ही उन हजारों बेघरबार लोगों को कोई मकान न दे सकी, जो शहरों में पहुँच गए। फिर भी सन् १९५० के अन्त तक यहाँ से पाकिस्तान गए हुए लोगों के मकानों, मरम्मत की हुई बैरकों और नई इमारतों में २,०५०,००० शहरी विस्थापितों को बसाना संभव हुआ। और भी बहुत से मकान बराबर बनते चले जा रहे हैं, और ऐसी आशा की जाती है कि इनके बन जाने पर समस्या बहुत कुछ हद तक हल हो जाएगी।

जिस प्रकार से पड़ती जमीन के उद्धार से खाद्य उत्पादन में सहायता पहुँची, उसी प्रकार से विस्थापित लोगों के लिए जो नए नगर बसाये गए, उनसे भारत के सामाजिक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ा। यह एक बहुत बड़ा विचार था, जिसका कि नीलोखेरी एक प्रतिनिधि प्रतीक है। दिल्ली से ८५ मील की दूरी पर इस नगर में ७,५०० पुरुष और स्त्रियाँ एक बहुत ही सुन्दर और अद्वितीय सहकारी प्रयास में लगी हुई हैं, जिसके कारण न केवल उनमें फिर से विश्वास का संचार हुआ है

बल्कि उन्हें जीवन के लोकतांत्रिक ढंग की महत्ता मालूम हुई है। इस प्रयोग की मुख्य विशेषताएँ ये हैं—उपार्जित आय, उत्पादनों के साधनों पर समाज का अधिकार, सब सशक्त बालिगों के लिए पूर्ण समय का काम, वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ सामूहिक उत्तरदायित्व का एकीकरण। जो लोग यहाँ बसे हैं, उन्हीं लोगों ने जंगल साफ किये हैं, दलदल को सुखाया है, सड़कें बनाई हैं, मकान, कारखाना, दफ्तर का निर्माण किया है, ट्यूबवेल खोदे हैं, बिजली लगाई है, एक औद्योगिक बड़ा यन्त्र लगाया है जिसे डिस्पोज़ल आफ सेलवेज विभाग से प्राप्त किया गया है। धीरे-धीरे इसमें गौशाला, कृषिशाला, मुर्गीखाना और सुअर पालने के स्थान जोड़े गए। केन्द्रीय उत्पादकों का संघ कृषि, विद्या, इंजीनियरिंग, कलागृह, शिल्प, छपाई, बिजलीघर, जल प्रबन्ध, चर्मशाला, लकड़ी के काम आदि अलग-अलग धन्धों की सहकारी समितियों पर नियंत्रण रखता है। यहां पर परिचालक सिद्धान्त यह है कि मजदूर जितना ही काम करता है उसे जीवन की उतनी ही सहूलियतें प्राप्त होती हैं, जिनमें कि उसे उचित भाग मिलता है। मजदूर की बचत में से एक हिस्सा केन्द्रीय उत्पादक मण्डल के खर्च को चलाने के लिए काट लिया जाता है। नीलोखेरी के सम्बन्ध में यह आशा की जा रही है कि विभिन्न कलाओं, दस्तकारियों तथा धन्धों में लगी हुई १०,००० की आबादी यहां हो जाएगी, और वह जल्दी ही सरकार को, उसने इसमें जो ७५ लाख रुपये लगाए हैं, २० साल की किश्तों में वापिस दे सकेगा।

इन नए नगरों के अतिरिक्त दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य-क्रम उठाया गया, क्योंकि वहां विस्थापितों का

दबाव विशेष रूप से अधिक था। दिल्ली के इर्द-गिर्द बहुत-सी बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, जिनके अपने विद्यालय, अस्पताल, बाजार, तथा मन्दिर आदि हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकार केवल दिल्ली में उपस्थित विस्थापितों को बसाने के लिए ६ करोड़ रुपये खर्च कर चुकेगी।

सन् १९५० के अन्त तक जिन शरणार्थियों को किसी न किसी रूप में सहायता दी जा चुकी थी, उनकी संख्या ४९ लाख पहुँच चुकी थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान से आकर फैले हुए शरणार्थियों की कुल संख्या का ९८ प्रतिशत है। इस प्रकार से जिस समस्या के कारण देश की सारी आर्थिक व्यवस्था उलटने का भय था, वह अब बहुत कुछ नियंत्रण में लाई जा चुकी है।

: ६ :

खाद्य और कृषि

खाद्य की कमी के कारण इस सरकार पर कदाचित् जितना बोझ पड़ा है और उसको जितनी फजीहत का सामना करना पड़ा है, उतना और किसी समस्या से नहीं हुआ। आबादी में वृद्धि खाद्य उत्पादन के मुकाबले में बढ़ जाने के कारण स्वतंत्रता मिलते समय यह देश खाद्य की कमी का सामना कर रहा था। इस पर जब विभाजन आया, तो उस से परिस्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि इसके कारण आबादी जितनी घटी, उसके मुकाबले में खेती योग्य जमीन अधिक चली गई। इसके अतिरिक्त भारत को उन लोगों को भी खिलाना पड़ा जो पाकिस्तान से आए हुए थे, और जिनकी संख्या बहुत कम नहीं थी।

इसलिए भारत के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वह बाहर से खाद्य पदार्थ मँगाए। तथ्य तो यह है कि सन् १६४३ में ही खाद्य की कमी को दूर करने के लिए बाहर से खाद्य मँगाया गया था, और अब भी बराबर मँगाया जा रहा है और इसके कारण भारत का वैदेशिक विनिमय, जो बहुत ही बहुमूल्य है, बराबर घटता चला जा रहा है।

सौभाग्य से यह कमी भूमि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि भूतकाल में विदेशी सरकार की उदासीनता से ही यह

कमी उत्पन्न हुई। इस प्रकार सन् १९४७ में भारत में १९ करोड़ ८० लाख एकड़ भूमि पर खेती हो रही थी, और यहाँ की आबादी उस समय ३२ करोड़ से ऊपर थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जितना होना चाहिए, उससे २० प्रतिशत कम खेती थी। जिस जमीन पर खेती होती भी थी, उसकी अवहेलना की जाती थी और उसमें जितना अन्न उत्पन्न हो सकता था, उतना अन्न उत्पन्न नहीं होता था। भारत में गेहूं की उपज प्रति एकड़ ६६० पौंड है, जबकि मिस्र की तरह देश में यही उपज १,९१८ पौंड है। इस कम उपज से यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत गहराई से उन्नत औजारों, बीजों और खादों से खेती करने की जरूरत है।

इसलिए भारत सरकार ने एक पंचसाला योजना बनाई, और अन्न की उपज बढ़ाने के लिए कई तरीकों को ग्रहण किया। सन् १९४९ में आत्मयथेष्ट होने का कार्य-क्रम चालू हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि सन् १९५०-५१ में ४८ लाख टन अन्न अधिक उपजे। सन् १९५१ के फसली संवत् के अन्त को अन्तिम रेखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया, जिसके बाद बाहर से केवल केन्द्रीय रिजर्व या फसल खराब हो जाने से उत्पन्न आपत्ति काल का सामना करने के अतिरिक्त बाहर से खाद्य द्रव्य मँगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। दुर्भाग्य से, जैसा कि हम जानते हैं, मद्रास में सूखा पड़ गया, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ आ गई, आसाम में भूचालों का सिलसिला चल पड़ा, और ये एक ही साल में हुए। इन दुर्घटनाओं के कारण ५५ लाख टन अन्न नष्ट हुआ, और इस प्रकार न केवल आत्म-यथेष्ट बनने के कार्यक्रम का नाश हो

गया, बल्कि साथ ही इतनी कमी हो गई कि सन् १९५१ में बहुत अधिक खाद्य मँगाने की आवश्यकता पड़ी।

पंच वर्षीय योजना में गहराई तक जुताई और पड़ती जमीन के उद्धार की बातें भी थीं। इस संबंध में खेतिहरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए देहाती इलाकों में खेतिहरों के संघ बनाए गए। उन्नत जुताई की योजना को मोटे तौर पर स्थायी और आवर्तक योजनाओं में विभक्त किया गया। स्थायी योजनाओं में छोटे मोटे सिंचाई के प्रबन्ध जैसे कुओं, तालाबों, छोटी नहरों और छोटे बांधों के निर्माण थे, इनके अलावा इसमें जमीन को उन्नत करने के तरीके भी आ जाते थे। आवर्तक योजनाओं में मुख्यतः उन्नत बीजों का उत्पादन और वितरण, साधारण खाद और वैज्ञानिक खाद का उपयोग, कूड़े से खाद बनाना और पौधा संरक्षण आते हैं। सोपानों में बांट कर इन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया जिससे कि प्रति एकड़ उपज में धीरे धीरे वृद्धि हो।

पहले के सोपानों में सरकार ने आवर्तक योजनाओं पर अधिक धन लगाया। जो कुछ भी हो, बाद में चल कर स्थायी ढंग की चीजों पर अधिक जोर दिया गया।

राज्य की सरकारें उन्नत जुताई से संबद्ध व्यावहारिक कार्य पर देख-रेख रखती हैं। उन्नत जुताई के कार्यक्रम को किसानों की छोटी जमीनों पर काम में लाया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ नीतियां और सिद्धान्त बना दिए हैं और राज्य की जन, धन और द्रव्य की दृष्टि से क्या आवश्यकताएं हैं, इस संबंध में उनसे घनिष्ट संबंध बनाए रखती है। राज्य सरकारों को केन्द्र से

सहायता और कर्ज के रूप में इन-इन बातों के लिए रकमें दी जाती हैं, जैसे हरी खाद, कूड़े से खाद बनाना, बीज की वृद्धि और भूमि की उन्नति। इन सहायताओं की एक अनिवार्य शर्त यह है कि किसान स्वयं योजना का आधा खर्च उठावे। केन्द्र और राज्य समान रूप से बाकी आधे को पूरा करते हैं।

खेती योग्य पड़ती ज़मीन को हल के नीचे लाने के लिए सरकार ने सन् १९४७ में १८० ट्रैक्टर देकर एक केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन कायम किया है। इस संगठन ने एशिया में सबसे विशाल ज़मीन उद्धार संबंधी कुछ कार्य किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की कांस से भरी ज़मीन का उद्धार भी आता है। कांस एक जंगली पौधा है, और इसकी जड़ें १४ इंच तक नीचे पहुँचती हैं। इसके संबंध में कभी यह समझा जाता था कि इसे हटाया नहीं जा सकता, और जब सरकार ने इस संबंध में योजना बनाई तो गांव वालों ने बहुत उदासीनता दिखाई। पर जैसे-जैसे कार्य बढ़ा, उनकी यह उदासीनता जोश और सक्रिय सहयोग में परिणत हो गई। अब पुनरुद्धृत ज़मीनों में जो फसल उत्पन्न होती है, वह दूसरे इलाकों की फसलों के मुकाबले में श्रेष्ठ है। पुनरुद्धार में सरकार का १८ लाख खर्च हुआ, जबकि उस पर उत्पन्न फसल का दाम ६० लाख कूता गया है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल तथा देश के दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की योजनाएं चालू हैं।

इन योजनाओं की सफलता के कारण ट्रैक्टर संगठन का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। सन् १९४९ में १ करोड़ डालर विश्व

बैंक से इसलिए प्राप्त किया गया कि ३७५ भारी ट्रैक्टर खरीदे जाएं। इनमें से २४० ट्रैक्टर आ चुके हैं, और उन्हें काम में लगाया जा चुका है।

सन् १९४९–५० में जो तीन साल समाप्त हुए, उनमें केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने विभिन्न राज्यों की १८३,३७४ एकड़ ज़मीन का उद्धार किया, और इस प्रकार ६१,००० टन अन्न उत्पादन बढ़ा। सन् १९५१-५२ में २८०,००० एकड़ के उद्धार का प्रस्ताव है जिनसे ८०,००० टन अन्न और उत्पन्न होने की आशा है।

उन्नत जुताई में मुख्यतः कुओं का खोदना और मरम्मत करना, तालाबों का निर्माण और मरम्मत, छोटी-मोटी सिंचाई के प्रबन्ध, पानी खींचने वाले यन्त्रों को लगाना, वैज्ञानिक खाद, और खली का वितरण, कूड़े से उत्पन्न खाद तथा अन्य खादों का उपयोग आते हैं। इस कार्य-क्रम के कारण केवल १९४८ और १९५१ के बीच देश को ३४ लाख ४० हज़ार टन अतिरिक्त अन्न मिल चुका है। ऐसी आशा की गई थी कि जो १४ लाख टन खाद्य कम पड़ता है, वह सन् १९५२ के मार्च के अन्त तक ७ से ८ हज़ार एकड़ ज़मीन के उद्धार से, ३०० ट्यूब वैल लगाने से और सहज सिंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत जुताई से पूरा किया जा सकेगा।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि खाद्य के मामले में अभी आत्म-यथेष्टता प्राप्त न हो सकी, पर इसके साथ ही हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यदि इस संबंध में प्रयत्न न किए जाते तो हमें अब हम जितना खाद्य बाहर से मंगा रहे हैं उससे दुगना खाद्य मंगाना पड़ता। सफलता के संबंध में सरकार की आशा का

मुख्य आधार यह नहीं है कि यांत्रिक उपाय काम में लाए जा रहे हैं, बल्कि जनता में जो जोश और उसकी ओर से जो सहायता मिल रही है उसी से आशा बंधती है।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उदाहरण स्वरूप यह बताया जा सकता है कि औसत रूप से फी एकड़ नौ मन से खाद्य उत्पादन २३ मन फी एकड़ हो गया है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में बतलाया था कि यह जो उन्नति हुई यह यांत्रिक उपायों के प्रयोग अथवा भूमि पर वैज्ञानिक खाद डालने के कारण नहीं, बल्कि गाँव वालों के अधिक प्रयास के कारण हुई है।

जनता के जोश को बढ़ाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में फसल संबंधी प्रतियोगिताएं संगठित की गई हैं। केन्द्रीय योजना के अनुसार कृषि अनुसंधान संबंधी भारतीय परिषद् ने अभी हाल में तीन खेतिहरों को, जिनमें दो उत्तर प्रदेश के और एक बंगाल का था, इस कारण 'कृषि पंडित' की उपाधि दी कि उन्होंने खेती के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

जो लोग बिना कुछ जाने बूझे आलोचना करने चल देते हैं वे लोग इस बात पर आपत्ति करते हैं कि गत तीन सालों में ५८ करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या मिला। इसके फलस्वरूप पहले के मुकाबले में ३,४४०,००० टन खाद्य अधिक मिला। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह तखमीना ५० फी सदी अधिक है, तो भी खाद्य वृद्धि में जो लाभ हुआ वह २,६२०,००० टन से

कम न हुआ होगा। इस प्रकार कुल ५८ करोड़ रुपया लगाने पर पहले साल में ११६ करोड़, और उसके बाद ७२ करोड़ रुपयों का फायदा रहेगा।

आत्म यथेष्टता के कार्य-क्रम में पटसन और रूई का उत्पादन भी आता है जो हमारे पटसन और कपड़े के धंधों के लिए अत्यावश्यक है और जिनसे हम बाहरी विनिमय का बहुत अधिक उपार्जन करते हैं। पटसन के धंधे की सालाना ७,२५०,००० गट्ठों की आवश्यकता है। विभाजन के बाद मुख्य पटसन उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए और भारत को ५५ लाख गट्ठों की कमी पड़ने लगी। इसी प्रकार से पूर्वी भारतीय किस्म की रूई की हमारे यहां प्रति साल ४,०७०,००० गट्ठों की आवश्यकता है। विभाजन के कारण रूई उत्पादन करने वाला अधिकांश इलाका पाकिस्तान में ही रह गया, और १९४९–५० में रूई उत्पादन २,९७०,००० गट्ठों तक गिर गया। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए एक पूर्णांग कार्य-क्रम बनाया गया जिसमें उस जमीन को खाद्योत्पादन से हटा कर नकद उपार्जन की फसलों में लगा दिया गया। यह अंदाज़ा लगाया गया है कि इस कार्य-क्रम के अनुसार १२ लाख गट्ठा पटसन अधिक उत्पन्न हुआ है। सन् १९५२ के मार्च तक भारत ५,०५०,००० गट्ठा (३,८५०,००० + १,२००,००० गट्ठे) यांने हमारी आवश्यकता की तीन चौथाई पटसन उत्पन्न करने की आशा करता है। इसके साथ ही यह आशा की जाती है कि रूई का उत्पादन ४,१००,००० गट्ठों तक पहुँच जाएगा, जो हमारी वर्तमान कुल आवश्यकताओं से कुछ अधिक ही है। यह हिसाब लगाया गया है कि खाद्य से हटा कर कुछ ज़मीन को पटसन और रूई उत्पादन में लगाने के कारण

६ लाख टन खाद्य की हानि रहेगी। पर इसके एवज़ में जो पटसन और रुई उत्पन्न होगी, उससे कोई १,६०८,०००,००० रुपयों का कुल फायदा रहेगा।

पूर्णांग कार्य-क्रम के अनुसार खेतिहर को जो सहायता दी जाती है, उसे फसल से उत्पन्न द्रव्य की वसूली से जोड़ दिया गया है। अब तक राज्यों को किसानों से औसत में अधिक उत्पन्न अन्न की केवल १० फी सदी प्राप्ति हुई है, जो उन्नत जुताई के कारण उत्पन्न हुआ है। पूर्णांग-योजना के अनुसार खेतिहर को इस शर्त पर आर्थिक सहायता दी जाती है कि वह बढ़े हुए उत्पादन की ६० फी सदी राज्य के हवाले कर दे। हरेक सतह पर प्रशासन संबंधी यन्त्र की तरफ से बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है। उदाहरण स्वरूप गांव में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं को पड़ती ज़मीन जोतने, कुओं तथा तालाबों की मरम्मत करने और खाद उत्पादन के काम में लगाया जा रहा है।

वर्तमान साल के लिए जो अल्पकालीन कार्यक्रम बनाया गया है, उसे दीर्घ कालीन दस साला कार्य-क्रम में खपा दिया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि भूमि में परिवर्तन हो, उस इलाके में सहयोगात्मक विकास हो जिससे कि भूमि, जल और ढोर संबंधी सारे साधनों को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए और यथेष्ट वैज्ञानिक सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी जाएं। वन-महोत्सव का भी उद्देश्य यही है कि ३० करोड़ पेड़ और लगाए जाएं, और जंगलों की रक्षा और विकास किया जाए। इस कारण वन-महोत्सव इस कार्य-क्रम का एक अत्यावश्यक अंग है।

सरकार ने खाद बनाने के संबंध में भी एक देश व्यापी कार्यक्रम का सूत्रपात किया। अब तक मनुष्य, ढोर और पौधों से उत्पन्न हो सकने वाली बहुत सी खादें तैयार ही नहीं की जाती थीं क्योंकि उनके उपकरण को फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था। कुछ राज्यों ने अब नगरपालिकाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे कूड़ा तथा गन्दे नालों के पानी को खाद के काम में लावें। सन् १९४९-५० में ८९० नगरपालिकाओं ने शहरी मल और कूड़ा से १० लाख टन मिश्र-खाद उत्पन्न किया, और ४० हजार गांवों ने ५० लाख टन मिश्र-खाद उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त सिन्दरी में सरकारी खाद के कारखाने में ३५,००० टन खाद उत्पन्न किया जाएगा।

जिस काम को इतने अच्छे उपायों से इतनी अच्छी तरह शुरू किया गया है, जैसे भूमि का पुनरुद्धार, उन्नत जुताई और पूर्णांग उत्पादन, वह अवश्य ही नदी, बांध तथा अन्य इस प्रकार की विकास-संबंधी चालू योजनाओं द्वारा पूर्णता को पहुँच जाएगा। भारत फिर एक बार धन-धान्य से पूर्ण होगा।

: १० :

योजनाएं

इस उद्देश्य से सरकार ने बाढ़-नियंत्रण, खेती योग्य भूमि की सिंचाई, और कुछ क्षेत्रों में विद्युत् शक्ति के उत्पादन में भारत की प्रबल नदियों का उपयोग करने की योजनाएं बनाई हैं। कुछ नदियों के सम्बन्ध में बांध की योजनायें धीरे-धीरे स्पष्ट हुई हैं, और क्योंकि उनसे खाद्य उत्पादन में बहुत लाभ पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें सबसे अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। सच तो यह है कि सरकार इन पर जितना खर्च कर रही है, उतना प्रतिरक्षा के अतिरिक्त और किसी मामले में खर्च नहीं किया जा रहा है।

कुल मिलाकर १३५ नदी घाटी बांध योजनाएँ ऐसी हैं जिन्हें कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। इनमें से ११ बहुमुखी हैं, ६० सिंचाई सम्बन्धी हैं, और ६४ विशुद्ध रूप से विद्युत् शक्ति उत्पादन योजनाएँ हैं। जब ये योजनाएँ संपूर्ण हो जाएंगी तो उन पर सरकार का ५६० करोड़ खर्च बैठेगा। जो १२ मुख्य योजनाएँ हैं, उन्हीं पर ४३६ करोड़ रुपये लगेंगे। इनमें से ८ बहुमुखी हैं, ३ बिजली उत्पादन योजनाएँ हैं, और एक सिंचाई सम्बन्धी है। विभिन्न बहुमुखी, सिंचाई और बिजली

उत्पादन की योजनाओं पर सन् १९४९-५० में ३९४,६००,००० रुपये और उसके बाद के साल में ७८५,९००,००० रुपये खर्च हुए।

बहुमुखी योजनाओं को बहुमुखी इस कारण कहा जाता है कि उनसे समाज को बहुत प्रकार के लाभ पहुँचते हैं, जैसे देश के अन्दर जहाजरानी का विकास, भूमि की रक्षा की सुविधाएं, जंगल उत्पादन, मछली उत्पादन, पीने के पानी के लिए व्यवस्था, तथा मनोरंजन केन्द्रों का विकास। इनके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही बताया गया है, बाढ़ों का नियंत्रण, जिनसे फसल, भू-सम्पत्ति, ढोर और मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुँचता है, अतिरिक्त अन्न उत्पादन की सुविधाएँ, धन लाने वाली फसलों का उत्पादन तथा जलविद्युत् शक्ति का उत्पादन तो होगा ही।

अब हम मुख्य योजनाओं पर दृष्टि डालें।

पंजाब की भाखड़ा नांगल योजना में भाखड़ा के पास सतलुज पर ६८० फुट ऊंचा बांध तैयार किया जाएगा। यह अंबाला जिले में रूपड़ से करीब ५० मील ऊपर होगा। इससे आठ मील नीचे की तरफ ९० फुट ऊंचा नांगल बांध करीब-करीब तैयार है। नांगल नहर पर ३ बिजली उत्पादन केन्द्र होंगे। इन बांधों से ३६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी जिस से यह आशा की जाती है कि १३०,००० टन अतिरिक्त खाद्य और ८ लाख गांठ रूई उत्पन्न होगी। इस योजना में ४ लाख किलोवाट बिजली के उत्पादन की व्यवस्था है, जिससे पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का काम निकलेगा। जब यह योजना सम्पूर्ण हो

जाएगी, तो पंजाब फिर से भारत की अन्न-शाला हो जाएगी। राज्य का औद्योगीकरण भी आसान हो जाएगा।

उड़ीसा में हीराकुड योजना उन तीन बांध योजनाओं में से प्रथम है जिनके द्वारा महानदी को काम में लाया जाएगा। सन् १९५३-५४ से इस बांध से ११ लाख एकड़ की सिचाई की व्यवस्था होगी। पूर्णरूप से विकसित होने पर इस योजना से ३४०,००० टन खाद्य पदार्थ और ३४,००० टन वैदेशिक मुद्रा लाने वाली फसलें, जैसे गन्ना और रूई, ३२१,००० किलोवाट बिजली शक्ति, जिसमें से २४,००० किलोवाट सन् १९५२-५३ में प्राप्त होगी, उत्पन्न होगी। इस बिजली शक्ति से जमशेदपुर की विराट् भट्ठियों तथा रोलिंग मिलों को चलाया जाएगा, और साथ ही इससे राज्य के अब तक अछूते जंगल तथा खनिज धन के पद्धतिगत उपयोग में सहायता प्राप्त होगी। हीराकुड बांध से न केवल मुहाने के इलाके की बाढ़ से बचत होगी, बल्कि इस से महानदी की नाव्यता में बड़ी उन्नति होगी।

दामोदर घाटी योजना अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के नमूने पर बनी है, और इससे पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के राज्यों को बहुत लाभ पहुँचेगा। इस योजना के अनुसार ८ जल संग्रह बांध होंगे, जिनमें जल विद्युत् उत्पादन के केन्द्र, २४०,००० किलोवाट सामर्थ्य के दो सहायक यंत्र भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बोकारो थरमल शक्ति केन्द्र भी निर्मित होगा जिसकी सामर्थ्य दो लाख किलोवाट होगी। बोकारो थरमल शक्ति केन्द्र का निर्माण करीब-करीब सम्पूर्ण हो गया है, और यह सन् १९५२ के अन्त में चालू हो जाएगा। कोनार बांध सन् १९५२ के जून तक

और तिलैया बाँध उसी के बाद दिसम्बर में सम्पूर्ण हो जाएगा, ऐसी आशा की जाती है। यह सारी योजना इस प्रकार से बनाई गई है कि एक-एक अंग के संपूर्ण होते ही उस से लाभ होने लगे। इस योजना के संपूर्ण होने पर दामोदर की बाढ़ पर अच्छी तरह नियंत्रण हो सकेगा। दामोदर अब तक अपनी विनाशकता तथा खामख्यालियों के लिए मशहूर रही है। इस योजना से जो अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैं, वे इस प्रकार होंगे कि १० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी, बहुत काफी बिजली उत्पन्न होगी, साथ ही जल यातायात सस्ते में प्राप्त होगा।

तुंगभद्रा योजना से मद्रास और हैदराबाद को लाभ होगा। बेलारी जिले में होसपेट से तीन मील ऊपर मल्लपुरम् के पास तुंगभद्रा नदी पर एक बांध तैयार किया जाएगा। इसमें दो नहरें होंगी; एक के द्वारा मद्रास की ३ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी और दूसरी के द्वारा हैदराबाद की ४१६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना से १५५,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी जिस से २१०,००० टन अतिरिक्त खाद्य उत्पन्न किया जा सकेगा। बहुत संभव है कि यह योजना सन् १९५३ के जून तक समाप्त हो जाए।

मचकुंड जल विद्युत् योजना मचकुंड नदी के जल को काम में लाकर चालू होगी। मचकुंड नदी मद्रास और उड़ीसा के सीमांत के रूप में है। यह योजना इन दोनों राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित होगी। बिजली उत्पादन का केन्द्र डुडुमा प्रपात के पास है जो विशाखपट्टनम से सड़क द्वारा १२५ मील की दूरी पर है। इस बिजली उत्पादन केन्द्र में प्रारंभ में तीन

बिजली उत्पादन की इकाइयां होंगी जिनमें से प्रत्येक १७,३५० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने में समर्थ होगी।

बंबई राज्य में काकरापार योजना सूरत से ५० मील ऊपर काकरापार में ताप्ती पर एक बांध बना कर पूर्ण होगी। नदी के दोनों किनारों पर एक-एक नहर बनाई जाएगी। इससे जो मुख्य लाभ होंगे वे इस प्रकार हैं:—एक तो ५६२,५२० एकड़ जमीन की सिचाई हो सकेगी और ४८,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी तथा १६६,००० टन अतिरिक्त खाद्य उत्पन्न होगा।

जो दूसरे मुख्य कार्य इस संबंध में चालू हैं, वे हैं उत्तर प्रदेश की शारदा शक्ति उत्पादन योजना, पश्चिमी बंगाल की मयूराक्षी योजना, जिसमें सिचाई और शक्ति-उत्पादन दोनों काम होंगे, मध्य भारत और राजस्थान के लिए चम्बल सिचाई और शक्ति उत्पादन योजना, मैसूर में लक्कावल्ली सिचाई और बिजली उत्पादक केन्द्र योजना, मध्य प्रदेश की सारी बिजली शक्ति उत्पादक योजनाएं।

इनके अतिरिक्त १२३ छोटी शक्ति उत्पादक तथा सिचाई योजनाएं चालू हैं, जिनमें से एक-एक में कुछ लाख से लेकर दस करोड़ तक का खर्च होगा। ये १९ राज्यों में चालू हैं। इनमें वे भी गिनी गई हैं जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं।

नदी घाटी योजना बहुत ही बड़ा कार्य है, और इसके संपूर्ण होने में समय लगता है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि जिन योजनाओं के नाम लिए गए हैं, वे फौरन ही तात्कालिक

खाद्य, सिंचाई और बिजली की योजनाएँ

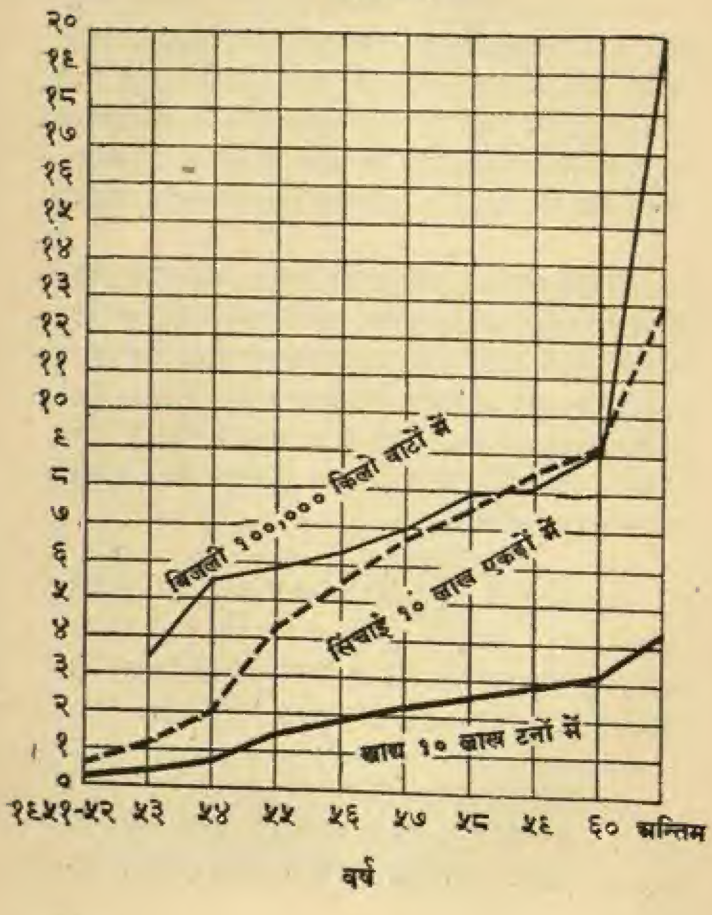

रूप से कुछ फायदा पहुँचावेंगी। जो कुछ भी हो, चालू साल में भी हम उनका पूर्व स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगले पाँच सालों में उनसे लाभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा।

उदाहरण स्वरूप इन योजनाओं को काम में लाने के फलस्वरूप सन् १९५१-५२ में दो लाख टन अतिरिक्त खाद्य द्रव्य उत्पन्न हुआ था। यही उत्पादन सन् १९५४-५५ में १,४००,००० टन, और १९५९-६० में ३१ लाख टन पहुँच जाएगा। रहा यह कि सबसे अधिक उत्पादन जो इनसे प्राप्त होगा, वह ४,३००,००० टन पहुँच जाएगा। इन आंकड़ों में उस वृद्धि को नहीं जोड़ा गया है, जो उन्नत जुताई से प्राप्त होगी। खाद्य संबंधी आत्म-यथेष्टता के अनुसार उन्नत जुताई चालू है।

१३५ चालू योजनाओं के अतिरिक्त १२२ योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें धनाभाव के कारण हाथ में नहीं लिया जा सकता। यदि इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए तो ४२,०००,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई सम्भव होगी, जिसके सम्बन्ध में मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में कुल जितनी जमीन जोती जाती है, उस से यह दुगुनी है। इस प्रकार जो अतिरिक्त खाद्य प्राप्त होगा उसका परिमाण १४,०००,००० टन होगा, जिससे न केवल खाद्य की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि देश की पुष्टि का मानदण्ड ऊंचा हो जाएगा।

अगस्त सन् १९४७ और दिसम्बर सन् १९५१ के बीच में भारत ५४३ करोड़ रुपये का खाद्य-द्रव्य मँगा चुकेगा। इस विपुल व्यय के अतिरिक्त १३५ चालू योजनाओं में ५६० करोड़ रुपये

लगेंगे, ऐसी आशा की जाती है। खाद्य मँगाने में जो धन लगता है, उस से बहुमूल्य वैदेशिक विनिमय की हानि होती है जो राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को काम में लाने के लिए प्रयुक्त हो सकती थीं। पर इन योजनाओं पर जो धन लगाया जा रहा है वह तो एक तरह से स्थायी पूंजी लगाने के रूप में है। इनके कारण प्रगति के दो बहुत आवश्यक अंग याने खाद्य तथा यथेष्ट बिजली प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण और देश के अन्दर की जहाजरानी के संबंध में जो सुविधाएं प्राप्त होंगी, उन को तो घाते में समझना चाहिए।

देहाती इलाकों का तेजी से विद्युतीकरण उन अति आवश्यक कार्यों में था जिसका बीड़ा सरकार ने गंभीरता के साथ उठाया। सन् १९४७ में ५ हजार से कम आबादी वाले केवल १,२९५ गांवों में ही बिजली थी। सन् १९४९ में यह संख्या २,११८ तक पहुँच गई। दूसरे शब्दों में प्रति ५ हजार से कम आबादी वाले प्रति १० हजार गांवों में से ३८ गांवों में बिजली है।

सन् १९४८ में सरकार ने इस संबंध में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण क़दम उठाया क्योंकि इसने बिजली सप्लाई की विधि पारित कर दी जिसका उद्देश्य यह था कि बिजली धंधा का वैज्ञानिक संगठन हो और देश का द्रुत विद्युतीकरण हो। इस विधि में राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड तथा एक केन्द्रीय बिजली अधिकारी मण्डल नाम से राज्य बिजली बोर्डों के कार्य की देख-रेख के लिए संस्था बनाने का विधान है। इस समय सारे देश में जितना बिजली उत्पादन यंत्र लगा है, उससे केवल २० लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था है। विशेषज्ञों के अनुसार सन् १९५४ तक

यह बढ़ कर ३,४५०,००० किलोवाट याने ७२ फी सदी वृद्धि हो जाएगी। सन् १९५९ तक यह आशा की जाती है कि ४,८५०,००० किलोवाट बिजली की उत्पत्ति होगी।

सिंचाई और बिजली योजनाओं में हम जितना खर्च करते हैं, उसकी तुलना, इस संबंध में अमेरिका अपनी योजनाओं पर जितना खर्च करता है उससे अच्छी तरह की जा सकती है। अमेरिका में अब तक जो कार्य समाप्त हो गए हैं, जो कार्य होने को हैं तथा निकट भविष्य में जिनको किया जाएगा, उन सब का मूल्य २८३,५४० लाख डालर कूता गया है, जो भारत के इस संबंधी खर्च याने चालू योजना तथा हाथ में ली जाने वाली योजनाओं के कुल मूल्य याने १,९०० करोड़ का छः गुना है। दूसरे शब्दों में भारत की आबादी के एक तिहाई के लाभ के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भारत से छः गुना धन व्यय करना पड़ेगा।

: ११ :

वाणिज्य

सरकार की वाणिज्य संबंधी नीति की मुख्य विशेषताएं यह हैं—वैदेशिक व्यापार की उन्नति, व्यापार पर नियंत्रण को कार्यान्वित करना, आर्थिक विकास के साधन के रूप में वित्तीय नीति का प्रयोग, व्यापार संबंधी सेवाओं और कार्यों को विदेशों में कायम रखना और भारतीय जल यातायात का विकास।

सरकार ने वैदेशिक व्यापार को विकसित करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जैसे बहुत से देशों से द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं, आयात के नियंत्रण को उदार बनाया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है, विदेशों में भारतीय व्यापार के प्रतिनिधित्व को बल पहुँचाया गया है, द्विपक्षीय व्यापार संबंधी समझौते का उद्देश्य प्रत्यक्ष सम्पर्क प्राप्त करना, विरल तथा अनिवार्य द्रव्यों को प्राप्त करना, जिन्हें और किसी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाना है। भारत ऐसे बहुत से देशों से व्यापार करता है जिनके साथ उसका कोई व्यापारिक समझौता नहीं है, जैसे ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।

वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के परिणामदायक साधनों में से एक यह है कि एक व्यापारी सेवा का विदेशों में संगठन किया गया

है, जिसे हाल में बढ़ाया गया है। इस सेवा का कार्य यह है कि भारतीय माल के विक्रय को आगे बढ़ावे, यथा विदेश के बाजारों से घनिष्ट संपर्क बनाए रहे। इस उद्देश्य से भारत ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में और प्रदर्शनियों में भाग लिया जिनमें ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—ब्रिटिश औद्योगिक मेला, ब्रसेल्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, न्यूयार्क में होने वाला स्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजीशन, कैनेडियन राष्ट्रीय प्रदर्शिनी, शिकागो मेला, अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू मेला और जकार्ता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक मेला।

भारतीय माल की प्रदर्शनियाँ सरकार द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिनिधियों के द्वारा लंदन, सिंगापुर, न्यू ओरलियन्स, स्टाक-होम, और गोटेनबुर्ग में संगठित की गईं।

अन्दरूनी आवश्यकताओं को किसी प्रकार हानि न पहुँचा कर व्यापार को प्रसारित करने के लिए सन् १९४९ में निर्यात नियंत्रणों को उदार बनाया गया। लड़ाई के जमाने से ये नियंत्रण इस कारण लागू थे कि देश के अन्दर माल की कमी थी। बाद को निर्यात को विकसित करने में तथा वैदेशिक विनियम उपार्जन करने के लिए ये नियंत्रण उपयोगी पाए गए। उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप बहुत सी चीजों के संबंध में निर्यात व्यापार सन् १९४९ तक संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया या करीब करीब स्वतंत्र हो गया।

सन् १९५० के प्रारम्भ में कुछ चीजों की सागर पार बहुत माँग होने के कारण उन पर कुछ नियंत्रण लागू करने

पड़े। इस बात को समझ लेना जरूरी है कि निर्यात नियंत्रण की आवश्यकता इस कारण है कि अत्यावश्यक चीजों, विशेष कर ऐसी चीजों को, जिनकी आवश्यकता भारतीय धंधों को है, अधिक निर्यात से बचाया जाए तथा इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक निर्यात किया जाए जिससे वैदेशिक विनिमय उपार्जित हो। जो कुछ भी हो, सन् १६४६ में भारत के विदेशी व्यापार में जो प्रतिकूल संतुलन था, उसके कारण निर्यात नियंत्रण के बजाय निर्यात वृद्धि पर जोर दिया गया।

आयात नियंत्रण की अक्सर आलोचना की गई है। अवश्य ही खुले आम लाइसेन्स और इस कारण आयात के उदारीकरण से देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की रोकथाम होती है। इसी कारण जुलाई सन् १६४८ में जिस समय बढ़ते हुए दाम तथा मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का देशनांक ऊपर की ओर जा रहा था, उस समय खुले आम लाइसेन्सों का प्रवर्तन किया गया था। दूसरे कारणों से भी इस नीति का समर्थन हो सकता है। जून सन् १६४८ में यह पाया गया था कि नियंत्रणात्मक आयात नीति से ८ करोड़ पौंड का अव्ययित शेष हो गया था, जो इस दृष्टि से बिल्कुल समर्थन योग्य नहीं था क्योंकि देश में मुद्रास्फीति की भयंकर परिस्थिति फैली हुई थी।

उदार आयात नीति का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि मूल्य देशनांक में और वृद्धि नहीं हुई। सच तो यह है कि सन् १६४८ की जुलाई के बाद इस का रुख और नीचे हो गया। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के मूल्य में भी इसी प्रकार से कमी हुई।

पर यह जल्दी ही देखा गया कि हमारे देश में आयात की जितनी अधिक माँग है वह हमारे विनियम संबंधी साधनों से पूरी नहीं हो सकती। जल्दी ही वैदेशिक विनिमय संबंधी परिस्थिति भयानक हो गई, और सरकार इस बात के लिए बाध्य हुई कि सन् १९४९ की ५ मई को खुले आम लाइसेन्स नं० ११ को रद कर दे। इसके बाद १९ मई को खुला आम लाइसेन्स नं० १५ प्रसारित हुआ जिसके द्वारा कुछ ही चीजों का बिना लाइसेन्स सुलभ मुद्रा वाले देशों से आयात हो सकता था। खुले आम लाइसेंस के रद किये जाने के साथ ही साथ सन् १९४९ के उत्तरार्द्ध में आयात पर जो नियंत्रण किया गया और साथ ही निर्यात से हमारा जो उपार्जन बढ़ा, उससे सन् १९५० में लेन देन के लेखे में उन्नति हुई। उस साल के अधिकतर उधार कार्यक्रमों में तुलनात्मक रूप से सरलीकृत परिस्थिति प्रतिफलित हुई।

भारत से बाहर जाने वाली चीजों में पटसन और रूई के द्रव्य महत्त्वपूर्ण हैं। हाल तक भारत को पाकिस्तान से आई हुई कच्ची रूई और कच्चे पटसन के आयात पर निर्भर रखना पड़ता था। पाकिस्तान की बेजा ज़िद को देखकर भारत ने यह निर्णय किया कि इन कच्चे-मालों के विषय में आत्मयथेष्ट हो जाए। इस बीच में अवमूल्यन तथा कोरिया के युद्ध से बहुत से द्रव्यों, विशेष कर पटसन की बनी चीजों की मांग रही। सन् १९५० में वर्ष पर्यन्त सागर पार बाजारों में पटसन की बनी वस्तुओं की माँग मज़बूत बनी रही। मूल्य इतना बढ़ा कि सरकार को हेसियन और बोरे पर निर्यात कर बढ़ाना पड़ा। दूसरी भारतीय वस्तुओं में यहां के बने हुए वस्त्र विदेशी बाजारों में सफलता पूर्वक प्रतियोगिता कर रहे हैं।

उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने तथा देश के औद्योगीकरण में वृद्धि करने के लिए धंधों को सहायता तथा संरक्षण देने की नीति बराबर जोरदार तरीके से सरकार के द्वारा काम में लाई जाती रही। जिन चीजों को संरक्षण प्राप्त है, उनके क्षेत्र में न केवल संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई बल्कि कुछ नए धन्धों को भी संरक्षण दिया गया। इन मामलों में सरकार टैरिफ बोर्ड की सिफारिशों द्वारा परिचालित हो रही है। कुछ क्षेत्रों में संरक्षण समाप्त होने दिया गया। जो कुछ भी हो, किसी धन्धे पर से संरक्षण उठा लेने के पहले उसके सम्बन्ध में याने उसके दामों के संबंध में जांच की जाती है। नए उद्योग धन्धों की स्थापना के लिए संरक्षण की बात पर भी विचार किया जाता है।

जहां तक पाकिस्तान के साथ व्यापार का संबंध है, सरकार ने ऐसे दीर्घकालीन समझौते करने चाहे जो दोनों के लिए लाभदायक हों, पर चूंकि पाकिस्तान सरकार इस बात पर राजी नहीं हुई, इसलिए सन् १९४८-४९ के लिए एक अल्पकालीन समझौता किया गया। जो कुछ भी हो, भारत के व्यापार मंत्री और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने मई सन् १९४९ में कुछ बातचीत की, और उसके कारण कुछ प्राचीर टूट गए। सन् १९४९ के जून में सन् १९४९-५० में द्रव्य आदान-प्रदान के लिए एक नया समझौता हुआ, और सन् १९४९ की २४ जुलाई को एक और समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान में कुछ चीजों को, जिनमें सूती वस्त्र थे, भेजना स्वीकार किया। पर सन् १९४८-४९ में भारत और पाकिस्तान में जो व्यापार हुआ था, उसमें भारत का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन था क्योंकि उस देश की सरकार ने पहले के समझौते के अनुसार भारत से सूती वस्त्र तथा अन्य चीजें मंगाने से इंकार

कर दिया। सन् १६४६ की मई के समझौते को भी पाकिस्तान ने अमल में लाने से इंकार कर दिया। सन् १६४६ के १२ नवम्बर को पाकिस्तान ने सन् १६४६ की २४ जुलाई वाले समझौते को भंग करते हुए भारत को उन देशों की सूची में रख दिया जिनसे सूती वस्त्र का आयात निषेध माना गया। धीरे-धीरे एक परिस्थिति आई जब सन् १६४६ के अन्त में भारत और पाकिस्तान में करीब करीब व्यापार बन्द हो गया।

सन् १६५० के अप्रैल में भारत और पाकिस्तान में फिर से व्यापार संबंध क़ायम करने का प्रश्न उस समय उठा जब पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री दिल्ली में आये। इसके फलस्वरूप सन् १६५० के २१ अप्रैल को एक समझौता हुआ। मौलिक रूप से यह समझौता जुलाई सन् १६५० को समाप्त होता था, पर इसे बढ़ा दिया गया। इस समझौते का आशय यह था कि पाकिस्तान भारत को ४० लाख मन कच्चा पटसन दे, जिसके बदले में भारत द्वारा पाकिस्तान को २० हज़ार टन पटसन की चीज़ें, यथेष्ट मात्रा में सूती कपड़े और कुछ अन्य चीज़ें देनी थीं। इस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त इस समझौते में एक बात यह भी थी कि कुछ चीजें एक देश से दूसरे देश में बिना किसी आयात और निर्यात की रोक टोक के आ जा सकें जिससे कि दोनों सरकारों को किसी प्रकार का विनियम लेना देना न पड़े। सन् १६५० की ३० सितम्बर को यह समझौता समाप्त हो गया। गत फरवरी में एक समझौता और हुआ। कुल मिला कर यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ संतोषजनक व्यापार संबंध स्थापित करने में सरकार को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।

: १२ :

श्रम

युद्ध के अन्त पर श्रम सम्बन्धी अनेक नई समस्याओं का जन्म हुआ क्योंकि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था से हम सामान्य शान्तिकालीन उत्पादन की ओर उतर आए। इससे औद्योगिक कार्यों में जो अनिवार्य कमी हुई और जिसके कारण मालिकों ने मूल्य में कमी से भयभीत होकर उद्योगों की मांग के प्रति अपने अपने रुख को कड़ा कर लिया उससे श्रमिकों में बड़े गम्भीर सन्देह का जन्म हुआ। इसके बाद छटनी और वैज्ञानीकरण आया और इसके परिणामस्वरूप बेकारी से लड़ने के लिए श्रमिकों ने अपने आपको संगठित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि उपद्रवकारी तत्वों ने इस अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठाया।

सरकार ने यह अनुभव किया कि न केवल संघर्ष को दूर करना चाहिए प्रत्युत ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना चाहिए जिससे उत्पादन सम्बन्धी प्रयत्न अधिकाधिक हों और स्फीतिकारी शक्तियों को रोक दिया जाए।

तदनुसार सरकार ने पूंजी और श्रम के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का उपक्रम किया जिससे एक औद्योगिक समझौता

हो सके और उत्पादन के दोनों बाजू एक साथ मिलकर मैत्रीपूर्ण और उपयुक्त वातावरण में कार्य कर सकें।

८ अप्रैल सन् १९४८ को संसद् में भारत सरकार ने औद्योगिक नीति पर जो वक्तव्य दिया उसमें यह स्वीकार किया गया है कि उद्योगों में श्रमिकों को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए और उन्हें समुचित मजूरी और कार्य की दशाएं प्राप्त होनी चाहिएं। यह भी कहा गया है कि श्रमिकों को भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति समान रूप से सजग रहना चाहिए क्योंकि इस वृद्धि के बिना जीवन के स्तर को उच्च बनाना सम्भव नहीं है।

सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि बिना उत्पादन को कम किए पारस्परिक वार्ता द्वारा मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष को सुलझा देवे। उसने एक केन्द्रीय श्रम परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की जिसके अन्तर्गत सरकार, मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि थे। इस परिषद् ने मजदूरों के लिए उचित मजूरी सम्बन्धी सर्वसम्मत प्रस्ताव को रखा। इन प्रस्तावों पर आधारित एक उचित मजूरी बिल इस समय संसद् में विचारार्थ उपस्थित है। इसके अन्तर्गत मजूरी की निम्नतम सीमा निर्धारित कर दी गई है और उच्चतम मजूरी उतनी हो सकती है जितनी कि कोई उद्योग दे सके। उसको केवल श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को देख कर ही सीमित किया जाएगा।

सरकार द्वारा श्रमिकों की भलाई के लिए किए गए महत्वपूर्ण कानूनी उपायों के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी कानून था, जिसे

मार्च सन् १९४८ में गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल गई। उसके अन्तर्गत न्यूनतम समय की दर और न्यूनतम काम की दर का निर्धारण है। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम दरों के निर्धारण की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर सन् १९५३ है और उद्योगों के श्रमिकों के लिए ३१ मार्च सन् १९५२ है।

सन् १९४८ में स्वीकृत होने वाले तीन अन्य महत्त्वपूर्ण कानूनों के लिए भी सरकार उत्तरदायी है। ये कानून हैं: कर्मचारी राज्य बीमा कानून, कारखाना कानून और कोयला खान प्राविडेण्ट फण्ड एवं बोनस योजना कानून। इसी वर्ष बलात् श्रम और बन्दरगाह श्रमिकों की समस्याओं को भी सुलझाया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा कानून उस सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना का अंग है जिसके विषय में सरकार विचार कर रही है। यह योजना पहले ऐसे कारखानों में लागू की जाएगी जहां २० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जहां काम शक्ति द्वारा होता है। ऐसे कारखानों के कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता, बीमारी और प्रसूति सम्बन्धी लाभ तथा घायल होने पर मुआवजा मिलेगा। योजना का व्यय अंशतः मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा तथा अंशतः केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अनुदान द्वारा प्राप्त होगा। यह निश्चय किया गया कि योजना को पहले पहल केवल दिल्ली और कानपुर में लागू करके प्रयोगात्मक आरम्भ किया जाए। परन्तु कुछ कठिनाइयां आईं जिनके कारण कानून में संशोधन करना पड़ा। जैसे ही यह संशोधन हो जाएगा इस योजना को

उपर्युक्त दोनों नगरों में आरम्भिक रूप में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना की पूर्ति में समय लग जाता है। ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून के पास हो जाने के बाद उसको लागू करने में लगभग १० वर्ष लग गए थे। भारत में कई राज्यों में चिकित्सा-सम्बन्धी जाँच-पड़ताल पूर्ण हो चुकी है।

सन् १९४८ का कारखाना कानून अप्रैल सन् १९४९ में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत कारखाने के मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण तथा बालकों को काम पर लगाने, काम के घंटों, सवेतन छुट्टियों एवं उद्योग सम्बन्धी बीमारियों के सम्बन्ध में निर्देश हैं। इससे ३,०००,००० कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा।

कोयला खान प्राविडेण्ट फण्ड एवं बोनस योजना कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कोयला खान में काम करने वालों के लिए प्राविडेण्ट फण्ड और बोनस योजनाएं बना सके। इस कानून के अनुसार प्रत्येक खनिक को, जिसका वेतन ३०० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है, फण्ड में अपना अंशदान देना होता है। फण्ड में मालिक और कर्मचारी दोनों का समान भाग होता है। बोनस योजना के द्वारा कोयला खान के प्रत्येक कर्मचारी को बोनस प्राप्त होगा जो उसके बुनियादी वेतन का एक-तिहाई भाग होगा बशर्ते कि वह निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धी योग्यता की पूर्ति करे। उपर्युक्त दोनों योजनाओं द्वारा खनिक की स्थिति बुढ़ापे में एक असहाय और निर्धन व्यक्ति की बजाय एक स्वतन्त्र और कुछ साधनयुक्त व्यक्ति की हो जाती है।

सन् १९४९ का बन्दरगाह कर्मचारी कानून एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह बन्दरगाह कर्मचारियों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की योजना बनाए जिससे उनके लिए अधिक नियमित काम और काम की अधिक अच्छी दशाएं उपलब्ध हों। कर्मचारियों के पंजीयन, उनके वर्गीकरण और प्रशिक्षण, उन्हें सुनिश्चित न्यूनतम मजूरी की भुगतान, उपस्थिति की मजूरी और क्षतिग्रस्त पक्ष द्वारा अपील की अदालत में अपील करने की सुविधा आदि की व्यवस्था सम्बन्धी एक योजना बम्बई के लिए तैयार की जा चुकी है।

सामान्य रूप से श्रमिकों और विशेष रूप से कोयला खान के मजदूरों के लाभार्थ कोयला खान मजदूर कल्याण निधि कानून, १९४७ के अन्तर्गत आवास और सामान्य कल्याण निधि की स्थापना की व्यवस्था है। खानों के मुख-भाग पर स्नानागारों की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है और उक्त उद्देश्य के लिए मालिकों को आर्थिक सहायता दी गई है। स्त्रियों के लिए २२ कल्याण-केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों में बुनाई, सिलाई, कटाई, घरेलू अर्थ-शास्त्र, पाक-शास्त्र और पोषण सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। खानों में बच्चों के भूलों सम्बन्धी नियमों को भी लागू किया जा रहा है।

खनिकों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के अन्तर्गत झरिया और रानीगंज क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय अस्पताल हैं और धनबाद में एक केन्द्रीय अस्पताल है। इन अस्पतालों में प्रति वर्ष लगभग ६०,००० श्रमिकों की चिकित्सा की गई और इनमें प्राप्त

सुविधाओं के अन्तर्गत क्षय निरोधक, गुप्त रोग निरोधक और मलेरिया निरोधक चिकित्सा थी। प्रति वर्ष लगभग एक लाख रुपये के मूल्य की प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं।

अप्रैल सन् १६४६ में औद्योगिक आवास सम्बन्धी एक योजना बनाई गई और उसे विचारार्थ राज्य सरकारों के पास भेजा गया। बम्बई में १,७१२ घर बनाए जा चुके हैं। उड़ीसा में चालू वर्ष के अन्त से पहले-पहले १६६ घर बन जाएंगे। यह आशा की जाती है कि मध्य प्रदेश में ४०० घर और बिहार में ८५ घर इसी अवधि में बन जाएंगे। अब उक्त योजना का विस्तार अन्य राज्यों तक हो गया है।

इसके अतिरिक्त ५०,००० मकानों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि के द्वारा कोयला खानों के कर्मचारियों के लिए बनाया जाना था। इनमें से १,६०० मकान बनाए जा चुके हैं परन्तु धन की समुचित व्यवस्था न होने और निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण उक्त योजना को त्यागना पड़ा और उसके स्थान पर एक नई योजना को स्वीकार करना पड़ा जिसके अन्तर्गत कोयला खान के मालिकों को २० प्रतिशत तक भवन निर्माण के मूल्य में सहायता दी जाएगी परन्तु यह सहायता प्रति मकान ६०० रुपये से अधिक न होगी। यह आशा की जाती है कि इस योजना द्वारा बहुत बड़ी संख्या में भवन निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में विश्वस्त आंकड़े प्राप्त न होने के कारण सरकार ने उनके काम की दशाओं की पड़ताल के लिए

कदम उठाया। सन् १९४९ में विभिन्न राज्यों के २७ गाँवों में प्रारम्भिक पड़ताल की गई और अब उसके बाद सम्पूर्ण भारत में ८१२ गाँवों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक पड़ताल की जा रही है। इस पड़ताल को तीन भागों में बाँटा गया है: सामान्य ग्राम पड़ताल, सामान्य पारिवारिक पड़ताल, प्रकृष्ट पारिवारिक पड़ताल।

सभी राज्यों में प्रथम दो भागों की पूर्ति हो चुकी है और अधिकांश में तीसरे भाग की भी पूर्ति हो चुकी है। शेष में अगस्त के अन्त तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

सामान्य ग्राम पड़ताल द्वारा एकत्रित आँकड़ों का अध्ययन और वर्गीकरण हो गया है और वे राज्य सरकारों को प्राप्त हो गए हैं। इन आँकड़ों के आधार पर पंजाब और कच्छ की सरकारों ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित भी कर दी है।

फरवरी सन् १९५२ तक सम्पूर्ण जाँच पड़ताल के पूर्ण हो जाने की आशा है। सरकार का यह इरादा है कि प्राप्त परिणामों का उपयोग न केवल न्यूनतम मजूरी के निर्धारण के लिए किया जाए बल्कि काम के घंटों, देहात-आवास के आयोजन और कृषि सम्बन्धी सुधार के लिए भी।

बगान मजदूरों को, जिनकी संख्या १,१५०,००० है, और अधिक अन्तर्कालीन महँगाई भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी गईं जो सरकार द्वारा समय-समय पर बुलाए गए त्रिपक्षीय सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप थीं। अब यह बात मान ली गई है कि

प्रत्येक वर्ष मालिकों को कम से कम आठ प्रतिशत बगान मजदूरों के लिए मकान बनाने होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ३४६,००० मकान अभी भी तैयार हैं। भारतीय चाय एसोसियेशन के सदस्यों का यह प्रस्ताव है कि ८,८०० मकान और भी बनाए जाएं। चाय उद्योग द्वारा काम पर लगाए गए मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय को केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा ४ लाख रुपये मिल गए हैं। जून सन् १९५१ में संसद् में उपस्थित होने वाले बगान मजदूर बिल के अन्तर्गत मालिक के लिए यह बाध्यता हो गई है कि वह बगान में रहने वाले प्रत्येक मजदूर और उसके परिवार के लिए यथोचित आवास की व्यवस्था करे और उस व्यवस्था को बनाए रखे।

सरकार ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत करने और उसे स्वस्थ दिशाओं की ओर ले जाने का प्रयत्न किया है। पुराने कानून के अन्तर्गत मालिकों द्वारा ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य मान्यता देने की कोई व्यवस्था न थी। मालिकों के लिए यह भी जरूरी न था कि वे ट्रेड यूनियनों से कोई वार्ता करें। इसके कारण मालिक और कर्मचारी एक दूसरे से पृथक रहते थे और हड़तालें आए दिन हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त बाहरी आदमियों द्वारा मजदूरों को उकसाया जाता था और ये बाहरी आदमी राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते थे।

नया ट्रेड यूनियन बिल, जिसे संसद् में सन् १९५० में उपस्थित किया गया, उपर्युक्त सभी दोषों का निराकरण करने वाला है। बिल की मुख्य धाराओं का सम्बन्ध ट्रेड यूनियनों की मान्यता, कतिपय दशाओं की पूर्ति पर उनकी अनिवार्यतः स्वीकृति,

श्रम अदालतों की स्थापना, मालिकों से बातचीत करने का ट्रेड यूनियनों को अधिकार और मालिकों अथवा ट्रेड यूनियन द्वारा अनुचित कार्यों के करने पर दण्ड की व्यवस्था आदि से है।

जब कभी औद्योगिक संघर्ष उठ खड़ा होता है तो सरकार समझौता कराने का प्रयत्न करती है। बजाय इसके कि उत्पादन के दोनों बाजू आपस में लड़ें, सरकार ने पंच निर्णय के साधन प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने यह अधिकार औद्योगिक संघर्ष क़ानून सन् १९४७, के अन्तर्गत ग्रहण किया है। उक्त कानून ने पहले के तद्विषयक कानून का स्थान ग्रहण किया है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक संघर्षों के सुलझाने का अधिक द्रुतगामी और प्रभावशाली तरीका खोजा गया है। देश के विभिन्न भागों में कई पूरे समय काम करने वाले समझौता अफ़सरों की नियुक्ति की गई है। ये अफसर मालिकों और मजदूरों से सम्पर्क रखते हैं और उन्हें पारस्परिक वार्ता द्वारा संघर्षों को निपटाने में सहायता देते हैं। जब वार्ता और समझौते के प्रयत्न असफल होते हैं तो संघर्ष को किसी स्थाई औद्योगिक अदालत को, जिसकी स्थापना कानून के अन्तर्गत हुई है, सौंपा जाता है।

नए श्रम सम्बन्ध बिल के द्वारा श्रम-प्रबन्ध-सम्बन्धों की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है, और संघर्षों की जांच, रोक और समझौते की व्यवस्था है। यह बिल इस बात पर जोर देता है कि आरम्भिक अवस्था में वार्ता चलाई जाए। इसके अन्तर्गत वार्ता के ढंग और सामूहिक विचार-विनिमय की प्रणाली को सरल बनाया गया है। तीन नए अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार हैं: स्थायी समझौता बोर्ड, श्रम अदालतें

और अपील की अदालत। बिल द्वारा झटपट हड़तालों को वर्जित कर दिया गया है और अदालतों के निर्णय को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने की व्यवस्था है।

सन् १९४८ में फिर से बसाने और काम दिलाने के सम्बन्ध में सरकार ने काम दिलाऊ केन्द्रों का द्वार बेकार नागरिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए खोल दिया। इन केन्द्रों के द्वारा काफी बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला है। दिसम्बर सन् १९५० तक गत तीन वर्षों में लगभग ३,१४७,६४० व्यक्तियों ने इन केन्द्रों में सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र भेजे और ८४८,०९५ व्यक्तियों को काम पर लगाया गया।

श्रम मंत्रालय ने एक प्रशिक्षण योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत ६३ ऐसे केन्द्र आते हैं जहां लगभग ६५ उद्योग-धन्धों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि आरम्भ में इन केन्द्रों की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों के लिए हुई थी, पर अब उनका द्वार नागरिकों के लिए भी खुला है। योजना के अन्तर्गत १०,००० व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और २,००० स्थान विस्थापित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हैं। पश्चिमी बंगाल में अप्रैन्टिसों के प्रशिक्षण के लिए १,००० अतिरिक्त स्थानों की स्वीकृति दी गई।

अभी तक औद्योगिक समझौता सन्तोषजनक रीति से कार्यान्वित होता रहा है। औद्योगिक शान्ति तथा अधिकाधिक उत्पादन सम्बन्धी सरकार की पुकार का उत्तर मजदूरों और मालिकों ने सन्तोषजनक रीति से दिया है। यह बात श्रम संघर्षों

की संख्या और गत चार वर्षों में श्रम-दिवसों की हानि की संख्या को देखते हुए सिद्ध हो जाती है। गत वर्ष बम्बई के सूती वस्त्र उद्योग में होने वाली आम हड़ताल के सिवा प्रगति समान रूप से सन्तोषजनक रही है। इस विषय में भारत का रिकार्ड ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में अच्छा है। जब कि भारत में श्रम-दिवसों की हानि में सन् १६४७ के बाद लगभग ५२ प्रतिशत की कमी हुई है, ब्रिटेन में केवल १३ प्रतिशत की कमी हुई है, और अमेरिका में ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जब कि भारत में हड़ताल की अवधि औसतन ६ दिन रही है, उपर्युक्त दोनों देशों में यह अवधि क्रमशः ३४.५ दिन और १६.८ दिन रही है।

भारत में परिस्थिति के इतनी अधिक अच्छी होने का एक कारण यह है कि मजदूरों को यह अनुभव करने के लिए उत्साहित किया गया है कि उनका स्थान उद्योग के साझीदार के रूप में है और वे अब केवल मालिक की मर्जी पर नहीं रह गए हैं। समझौता और संघर्षों के पंच-निर्णय के लिए स्थापित किए गए अभिकरणों के कारण मजदूर को बढ़ी हुई मजदूरी और अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पंच-निर्णय की पूर्ति न होने के मामले बहुत कम रहे हैं। सन् १६४८-४६ में विभिन्न राज्यों में १,२५० औद्योगिक संघर्षों को पंच-निर्णय के लिए सौंपा गया और केवल १४ मामलों में निर्णयों की अवहेलना की गई। सरकार ने अवहेलना करने वालों के साथ कोई रियायत न की। इस प्रकार यह दावा किया जा सकता है कि सन् १६४८ के बाद श्रमिक वर्ग ने अधिक उत्पादन के महान् राष्ट्रीय प्रयत्न में

क्रियात्मक सहयोग दिया है। सन् १९४८ में भी उत्पादन में बहुमुखी वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगातार जारी है और सिवाय सूती वस्त्र उद्योग के, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, आगामी वर्षों में और अधिक बढ़ती रही है।

: १३ :

उद्योग

सरकार का औद्योगिक नीति सम्बन्धी बुनियादी वक्तव्य ८ अप्रैल, सन् १९४८ को दिया गया। इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इसके अन्तर्गत एक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। जब कि निजी उद्योगों को कार्य-संचालन की छूट दी गई है, सरकार ने उन उद्योगों के विकास का उत्तर-दायित्व स्वयं ग्रहण किया है जिनको निजी हाथों में छोड़ने पर राष्ट्र को खतरे का सामना करना पड़ जाए। इन उद्योगों में से भी कतिपय उद्योगों को निजी संचालन के लिए छोड़ दिया गया है। वस्तुतः इन में से कुछ उद्योगों के संचालनार्थ सरकार आर्थिक सहायता देती है। इनमें से विशेष उल्लेखनीय इस्पात और जहाज-निर्माण उद्योग हैं।

इस नीति को अब योजना कमीशन की स्वीकृति मिल गई है।

इस नीति के अनुसार शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद, अणु शक्ति का उत्पादन और नियन्त्रण तथा रेल व्यवस्था का स्वामित्व और प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार का एकाधिपत्य है। इसके

साथ-साथ कोयला, लोहा और इस्पात, जहाज-निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस यंत्र (रेडियो को छोड़ कर) और खनिज तेल सम्बन्धी नए उद्योगों को केवल राज्य द्वारा आरम्भ किया जा सकता है। वर्तमान औद्योगिक एकक १० वर्ष तक उनके स्वामियों के पास रहेंगे और उक्त अवधि के अन्त में औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। शेष औद्योगिक क्षेत्र सामान्यतः निजी तौर पर संचालित होगा और यह संचालन व्यक्तिगत तथा सहकारी दोनों ही प्रकार का होगा, परन्तु राज्य इस संचालन में उत्तरोत्तर भाग लेगा। यदि निजी तौर पर संचालित किसी उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार हस्तक्षेप करने में हिचकिचाहट न दिखाएगी। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को भी यथेष्ट महत्त्व दिया गया है।

इस दिशा में भी मुख्य विचार यही है कि आर्थिक संकट टालने के लिए अधिकतम उत्पादन किया जाए। सरकार ने ३२ उद्योगों के लिए तात्कालिक योजनाएं तैयार कीं। इन उद्योगों के अन्तर्गत इस्पात, कपास, सूती वस्त्र, सीमेंट, सुपर फास्फेट, कागज, दवाइयां, मशीन, औजार, मोटर कार, बैटरी, बिजली की मोटर आदि आते हैं। यह अनुभव किया गया कि उत्पादन की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग, व्यवसाय और सामान्य जनता के बीच प्रभावशाली, निकट तथा लगातार सहयोग स्थापित रहे। तदनुसार एक केन्द्रीय औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण उद्योगों, राज्य सरकारों, संगठित श्रमिकों तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि थे। यह

परिषद् उद्योग और रसद के डायरेक्टर जनरल को उद्योग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर सलाह देती है।

इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों में उत्पादन काफी बढ़ा है। उदाहरणार्थ, कोयले का उत्पादन सन् १९४८ में २ करोड़ ९८ लाख टन से बढ़कर सन् १९४९ में ३ करोड़ १४ लाख टन और सन् १९५० में ३ करोड़ १९ लाख टन हो गया। उसके निर्यात का स्तर न केवल यथावत् रहा प्रत्युत कुछ बढ़ गया। हाँगकाँग, सिंगापुर, बर्मा और सीलोन के अतिरिक्त, जो कि भारतीय कोयले की नियमित बाजारें रहीं हैं, भारतीय कोयला आस्ट्रेलिया, जापान, मिस्र, और अदन को भी जाने लगा।

इसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन सन् १९४८ में ८५४,००० टन से बढ़ कर सन् १९४९ में ९३०,००० और सन् १९५० में ९८३,००० टन हो गया जो कि १० लाख के निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम न था। इस्पात का उत्पादन करने वाले विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपनी विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करें और एक मामले में सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए क़र्ज भी दिया।

सन् १९५० में सीमेंट का कुल उत्पादन २६ लाख टन था जो कि सन् १९४९ के उत्पादन से ५ लाख टन अधिक था, और सन् १९४८ से ११ लाख टन अधिक था। बढ़े हुए उत्पादन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट को बाहर भेजना सम्भव हो सका। सीमेंट का वर्तमान उत्पादन सभी प्रकार की आवश्यकताओं

औद्योगिक उत्पादन

कोयला

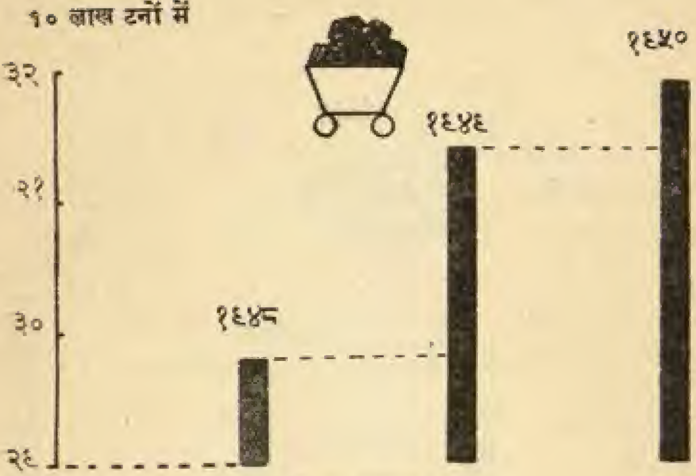

तैयार इस्पात

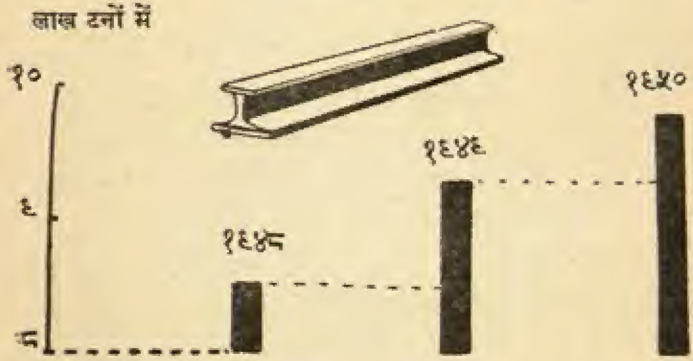

के लिए यथेष्ट समझा जा रहा है और इस समय उसके वितरण पर नियन्त्रण हटा लेने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

सीमेंट

सूती वस्त्र के सम्बन्ध में परिस्थिति इतनी अधिक सन्तोषजनक नहीं रही है। सन् १९४८ में उत्पादन में जो वृद्धि हुई, वह सन् १९४९ में जारी न रह सकी और सन् १९५० में उसमें कमी हो गई। कपास की सामान्यतः कमी के अतिरिक्त सन् १९५० में उत्पादन में कमी का कारण कुछ ऐसे कारखानों का बन्द हो जाना था जो अपनी पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें न लगा सके। अन्य कारणों के अन्तर्गत कारखानों में आर्थिक दृष्टि

से कार्य की हानिकर दशाएं तथा श्रमिक संघर्ष थे। अगस्त-अक्तूबर सन् १९५० की बम्बई की हड़ताल के कारण ८० लाख पौंड सूत और २० करोड़ ३० लाख गज कपड़े की हानि हुई।

वस्त्र के उत्पादन में गिरावट के कारण और वस्त्र की आन्तरिक उपलब्धि को समुचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार ने मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े के निर्यात को निर्धारित करके चालू वर्ष के लिए १२ करोड़ गज सीमित कर दिया है। यह वस्त्र सुलभ और दुर्लभ दोनों ही प्रकार की मुद्राओं वाले प्रदेश को जाएगा। महीन और अति महीन कपड़े और सूत की सभी किस्मों का निर्यात एकदम रोक दिया गया है।

इस बीच में सरकार द्वारा नियुक्त विकास समिति द्वारा तैयार कपास विकास योजना ने, जिसके द्वारा उत्पादन के लक्ष्य और किस्म के स्तर का निर्धारण किया गया है, कुछ उन्नति की है। इस योजना के अनुसार २० कारखानों ने, जिनमें स्पिन्डलों की कुल संख्या २५४,४५६ है, उत्पादन आरम्भ कर दिया है, और प्रति मास वे लगभग ३० लाख पौंड सूत का उत्पादन कर रहे हैं। २४ अन्य कारखाने, जिनमें स्पिन्डलों की संख्या २३०,००० होगी, निर्मित हो रहे हैं। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही इन कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा जिससे कुल उत्पादन २५ लाख पौंड प्रति मास अधिक बढ़ जाएगा।

नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाए गए हैं। छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वालों को यह सुविधा दी गई है कि वे संग्रह, परिवहन तथा बिक्री सम्बन्धी बाधाओं के बिना नमक का उत्पादन कर सकें, और लाइसेंस शुदा उत्पादकों को अपने कारखानों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

कागज उद्योग ने भी दृढ़ प्रगति दिखाई है। उत्पादन का परिमाण सन् १९४८ में ९८,६०० टन से बढ़ कर सन् १९४९ में १०३,२०० और सन् १९५० में १०८,९०७ टन हो गया जो एक रिकार्ड था। सन् १९५० में प्रति वर्ष ३,००० टन उत्पादन-क्षमता वाले एक कारखाने ने उत्पादन आरम्भ किया।

कागज के उत्पादन, वितरण, मूल्य और खपत पर युद्ध के समय और उसके बाद भी कुछ समय तक कड़ाई के साथ नियन्त्रण रखा गया। पर सन् १९४८–४९ में खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में आयात और देशी उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण सरकार ने कागज पर से सभी प्रकार का नियन्त्रण उठा लिया।

परन्तु अखबारी कागज की समस्या भिन्न थी। उसकी संसार-व्यापी कमी के कारण और उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता से प्रेरित होकर सरकार ने उस पर नियन्त्रण लगा दिया। साथ ही सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है कि वह विदेश से अखबारी कागज को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त कर सके और भारत में भी मध्य प्रदेश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना स्थापित

किया गया है। इस कारखाने में, जिसकी उत्पादन क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष है, सन् १६५२ में काम आरम्भ हो जाएगा।

कई इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग उद्योगों, यथा अल्यू-मिनियम, ऐण्टीमनी, साईकिल, कास्टिक सोडा, डीजल इंजिन, बिजली के लैम्प और पंखे, बिजली की मोटरें, शीशे की चद्दरें, कागज का गत्ता, प्लाईवुड, पावर अलकोहल, सिलाई की मशीनें, गन्धक का तेजाब, सोडा एश आदि में उत्तरोत्तर उत्पादन की वृद्धि होती रही है। वस्तुतः अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी लगभग ३० उद्योगों में चोटी का उत्पादन हो सका है जिसके परिणामस्वरूप कई ऐसी वस्तुओं के मामले में, जिन्हें पहले बाहर से मँगाना पड़ता था, देश आत्म-भरित हो गया है। इनमें से कुछ वस्तुएं निम्नलिखित हैं: ड्राई बैटरी, ताँबे के कण्डक्टर, रिफैक्ट्रीज, बाल और सूत की पेटियां, अब्रेजिव, मोटरकार बैटरियाँ, श्वेत धातु सम्मिश्रण, कंडुइट पाइप, हरीकेन लालटेन, डायनैमो ग्रेड इलैक्ट्रिकल स्टील शीट, बर्तनों के लिए पीतल और तांबे की चद्दरें, पिस्टन ड्रिल और रीमर आदि। कई अन्य वस्तुओं को अब बाहर भी भेजा जाता है, यथा रासायनिक और चिकित्सा सम्बन्धी उद्योगों की वस्तुएं जिनके अन्तर्गत ग्लीसरीन, बाइक्रोमेट, मैगनीशियम, पोटैशियम ब्रोमाइड आदि हैं। निर्यात सूची पर भारत में बनने वाली दवाइयां तथा रबर की वस्तुएं भी हैं।

सिन्द्री स्थित रासायनिक खाद का कारखाना सरकारी उद्योगों में से एक सबसे बड़ा उद्योग है। सन् १६५० के अन्त

में इस कारखाने का लम्बा-चौड़ा निर्माण-कार्य और इसमें यन्त्रादि लगाने का कार्य पूर्ण हुआ। यह आशा की जाती है कि सन् १९५१ के अन्त तक प्रयोग में लाने योग्य अमोनियम सल्फेट प्राप्त होने लगेगा और उसके लगभग ६ महीने बाद उत्पादन पूरी तरह होने लगेगा। इस कारखाने का बिजली घर, जिसकी क्षमता ८०,००० किलोवाट है, न केवल कारखाने के लिए बिजली और भाप की शक्ति देगा, बल्कि दामोदर घाटी कार्पोरेशन ग्रिड के लिए भी २०,००० किलोवाट तक बिजली देगा जिसे पड़ोस में औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जाएगा।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने, जिसमें सरकार का भाग प्रमुख है, उत्पादन और विकास में अच्छी प्रगति की।

उक्त कारखाने में बनाया जाने वाला आरम्भिक प्रशिक्षक विमान एच. टी. २ तैयार हो चुका है और उसके विभिन्न भागों की शक्ति की जांच करने के लिए परीक्षण पूर्ण हो चुके हैं। १५ प्रेन्टिस हवाई जहाजों के विभिन्न भागों को बाहर से मँगा कर कारखाने में जोड़ा गया है। अन्य १५ हवाई जहाजों के विभिन्न भागों को कारखाने में ही तैयार किया जा रहा है। लड़ाकू हवाई जहाजों के निर्माण का कार्य भी सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है।

कारखाने के कार्यों के अन्तर्गत टूट-फूट का काम बहुत अधिक होता है। सन् १९५०–५१ के आर्थिक वर्ष में अनुमानतः १४० हवाई जहाजों के सुधार के कार्य और ४५० वायुयान इंजिनों के

सुधार के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में वायुयानों, वायुयानों के इंजिनों तथा सुधार के अन्य फुटकर कार्यों को भी किया जाएगा।

एक बिलकुल नए ढंग का कार्य, जो कि यहां किया गया, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और बम्बई के लिए कुल धातु की एक मंजिल और दो मंजिल की बसों के ढांचों का राज्य यातायात विभाग के लिए निर्माण था। प्रथम कुछ बसों के ढांचों का निर्माण मुख्यतः बाहर से मँगाई गई सामग्री के द्वारा हुआ। परन्तु अब यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि देशी सामग्री से ही उन्हें तैयार किया जाए।

जुलाई सन् १९५० में रेल मंत्रालय के लिए १०० रेल के डिब्बों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और आशा की जाती है कि शीघ्र ही सुधरे किस्म के ४४ और भी डिब्बे तैयार हो जाएंगे।

सन् १९४९ में वैज्ञानिक यंत्रों का उत्पादन २७ प्रतिशत और बिक्री ११.५ प्रतिशत बढ़ी। अगले वर्ष उत्पादन में २.३ प्रतिशत की और अधिक वृद्धि हुई। इस सफलता का श्रेय मैथेमैटिकल इन्स्ट्रूमेंट आफिस को है। इस कार्यालय ने अन्य महत्वपूर्ण यन्त्रों के अतिरिक्त प्रोफाइल प्रोजैक्टरों, शीशे के ऐबसार्पशन सेलों, स्पेशल हाइड्रोमीटर सेटों, स्पेशल मरकरी थर्मामीटरों और स्टेनलैस स्टील मिरर एवं स्लिट का विकास किया है।

इंडियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूशन द्वारा प्रमापीकरण के कार्य में भी सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। सन् १९५० में प्रस्तावित विषयों में से प्रमापीकरण के लिए ८०० विषयों को स्वीकृत किया गया जिनमें से १२३ प्रमापों को प्रकाशित किया गया और १०८ को अन्तिम रूप दिया गया।

जुलाई सन् १९५० में कुटीर उद्योग बोर्ड का पुर्ननिर्माण हुआ। अप्रैल सन् १९४९ में स्थापित केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम का कार्य देश के सभी भागों से और राज्य सरकारों तथा निजी संगठनों की सहायता से कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य एक बिक्री केन्द्र और एक प्रचार केन्द्र का कार्य करना है। अनेक विस्थापित व्यक्तियों को कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए सुविधाएं प्रदान की गई और अब वे खिलौने, साबुन, मोजे, बनियान, सूती वस्त्र, जूते, बटन, फीते आदि तैयार कर रहे हैं। सन् १९५०-५१ में कुटीर उद्योग बोर्ड का ध्यान कुटीर उद्योग के उत्पादन के निर्यात को बढ़ाने में केन्द्रित रहा।

मई सन् १९४९ में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। अभी तक इसने १० राज्य सरकारों को रेशम उद्योग के विकास के लिए १८१,००० रुपयों की सहायता दी है। रेशम के कीड़ों के बाजार की स्थापना और विकास के लिए मद्रास, मैसूर, पश्चिमी बंगाल और आसाम को ६८,००० रुपयों की अतिरिक्त सहायता भी दी गई। यह निश्चय किया गया है कि रेशम और कच्चे रेशम के उद्योग का प्रशिक्षिण प्राप्त करने के लिए तीन अफसरों

के एक दल को जापान भेजा जाए। बुनकरों को सहायता देने के विचार से सरकार ने जापान से लगभग ५०,००० पौंड कच्चा रेशम मँगाया और उसे विभिन्न राज्य सरकारों के पास बुनकरों के बीच वितरणार्थ भेजा।

बोर्ड ने अनेक योजनाओं को विचारार्थ हाथ में लिया है जिनके अन्तर्गत शहतूत और कच्चे रेशम का उड़ीसा में उत्पादन, मैसूर स्थित चानापटन की गवेषणा संस्था में रेशम उद्योग शाखा की वृद्धि, और बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में रेशम के कीड़े के पोषण सम्बन्धी गवेषणा का विस्तार है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क़ानून बनाकर बिना परीक्षित बीज, अर्थात् शहतूत पर रहने वाले रेशम के कीड़े के अण्डे का प्रयोग वर्जित कर दिया जाए।

उद्योगों को सहायता देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं की एक श्रृंखला की स्थापना की है, जहां यह गवेषणा की जाती है कि किस प्रकार वैज्ञानिक जानकारी को औद्योगिक प्रगति के लिए प्रयोग में लाया जाए। इस प्रकार की ७ प्रयोग-शालाओं का निर्माण हो चुका है, और वे कार्य कर रही हैं। इनके नाम हैं: पूना स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, दिगवाड़ी स्थित ईंधन गवेषणा शाला, कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कांच तथा मिट्टी गवेषणा शाला, जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य गवेषणा शाला और लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधि गवेषणा शाला। चार अन्य गवेषणा

संस्थाओं की स्थापना होनी शेष है यद्यपि केन्द्रीय एककों का कार्य आरम्भ हो गया है। इनके नाम हैं: नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सड़क गवेषणा शाला, रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा शाला, मद्रास स्थित केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा शाला और कराईकुडी स्थित विद्युत् रसायन गवेषणा शाला।

इन प्रयोगशालाओं के निर्माण और इनमें यंत्रों की स्थापना के व्यय का मुख्य भाग केन्द्रीय सरकार पर पड़ा है, यद्यपि राज्य सरकारों और उद्योगों ने भी कुछ व्यय का भार वहन किया है। इन शालाओं के कार्य का उत्तरदायित्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों को दिया गया है और उनकी सहायतार्थ उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों को चुना गया है।

युद्धोत्तर काल में, जब कि भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, परिस्थितियां औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल न थीं। दूसरी ओर देश की गरीबी के कारण देश में तेजी के साथ औद्योगीकरण की आवश्यकता थी। कुछ समय से सारे संसार में कच्चे माल की कमी हो जाने से परिस्थिति और जटिल हो गई। देश में और विदेश में इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के होते हुए सरकार आज यह कह सकती है कि उसके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और सहायता के परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों ने उत्पादन की वृद्धि की दिशा में दृढ़ता पूर्वक प्रगति की है।

: १४ :

शिक्षा

भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य, और वस्तुतः आम तौर पर सामाजिक कल्याण के सभी कार्यों पर विदेशी शासन का सब से अधिक कुप्रभाव पड़ा। वर्षों की लापरवाही के कारण मौजूद व्यापक निरक्षरता को कोई भी लोकप्रिय सरकार अपने सामन्य कार्यकाल में नहीं मिटा सकती। इस दीर्घकालीन बुराई को तो केवल पीढ़ियों के संकल्प और प्रयत्नों तथा भारी व्यय द्वारा मिटाया जा सकता है। इस कार्य की गुरुता वास्तव में भयोत्पादक है। फिर भी, शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है, यद्यपि उसके मार्ग पर आर्थिक कठिनाइयां रोड़े अटका रही हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है और केन्द्रीय मंत्रालय का कार्य मुख्यतः राज्यों के कार्यों को समन्वित करना और उनकी देख-रेख करना है।

प्रथम, बुनियादी और सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित और कार्यान्वित किया गया है और यह आशा है कि शीघ्र ही यह कार्यक्रम पूरी तेजी से चालू हो जाएगा। लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण इस मद के लिए सन् १९४९-५० के बजट में निर्धारित १ करोड़ ३६ लाख रुपयों की अल्प राशि को बाद

में घटा कर ७५ लाख कर दिया गया और अगले वर्ष यह राशि कुल १४ लाख २० हजार रह गई। परिणामस्वरूप, यद्यपि इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, फिर भी केन्द्र की सार्वदेशिक, निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा योजना यथेच्छ प्रगति न कर सकी। परन्तु लगभग सभी राज्यों में प्रयोगात्मक तौर पर बुनियादी शिक्षा को आरम्भ किया गया। कुछ राज्यों ने बुनियादी स्कूलों और बुनियादी शिक्षा देने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए विशेष अनुदान दिए।

धन की सीमितता के कारण ही केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में भी सरकार को बाध्य होकर बुनियादी और सामाजिक शिक्षा योजना की गति धीमी कर देनी पड़ी। सन् १६४८ में दिल्ली राज्य के देहाती क्षेत्रों में निःशुल्क अनिवार्य बुनियादी शिक्षा को लागू करने की एक पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ। आशा की जाती थी कि इससे ६ से लेकर ११ वर्ष तक के ४०,००० बालकों को लाभ पहुँचेगा। अजमेर के देहाती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की योजना हाल में लागू की गई है।

उक्त दोनों ही क्षेत्रों में १२ से लेकर ४५ वर्ष तक के वयस्कों में से ५० प्रतिशत तक को साक्षर बनाने के लिए सामाजिक शिक्षा योजनाओं को आरम्भ किया गया। विभिन्न राज्यों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की योजनाएं भी संचालित हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सन् १६४६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी और ऐसी सिफ़ारिशों को, जिनके लिए भारी व्यय अपेक्षित नहीं है, शीघ्र कार्या-

न्वित किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को किसी विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान हुए हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्व भारती संस्था और श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैंकरसी के भारतीय महिला विश्वविद्यालय को कानूनी मान्यता प्रदान की गई, और प्रथम को आवर्तक तथा अनावर्तक बड़ी राशियाँ तथा द्वितीय को अनावर्तक राशि सहायतार्थ स्वीकृत हुई। दिल्ली की जामिया मिलिया संस्था को भी बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए आवर्तक सहायता मिलती रही है।

सीमित साधनों के होते हुए सरकार ने देश में प्रौद्योगिक शिक्षा के सुधार का कार्य हाथ में लिया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है पश्चिमी बंगाल में खड्गपुर नामक स्थान में एक प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना। बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था के कार्य का नए गवेषणा विभागों को बढ़ाकर विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली की पालीटेक्नीक संस्था का भी संचालन हो रहा है। विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थाओं को विशेष सहायताएं भी दी गईं और होनहार विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययनार्थ तथा अन्य वजीफे दिए गए।

भारत मित्रराष्ट्रीय शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक प्रवर्तक सदस्य है। उक्त संगठन द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को कई फेलोशिप प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने सरकार को अन्य कई प्रकार से भी बहुमूल्य सहायता दी

है जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए वयस्क शिक्षा विषयक एक परामर्शदाता की सेवाएं भी हैं। यूनेस्को के सहयोग से एक पाइलट पुस्तकालय योजना बनाई गई जिसके लिए एक दक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाएं प्राप्त हुईं और एक भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप प्रदान की गई। सामूहिक उत्तेजना सम्बन्धी एक गवेषणा की योजना के लिए सरकार को एक दक्ष मनोविज्ञानवेत्ता की सेवाएं भी प्राप्त हुई।

सरकार और यूनेस्को के बीच प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी एक समझौता भी हुआ है जिसके अन्तर्गत यूनेस्को द्वारा प्रथम वर्ष दस विशेषज्ञों की सेवाएं और २२ हज़ार डालर के मूल्य की टेक्निकल तथा अन्य सामग्री प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त २२ हज़ार डालर के मूल्य के फेलोशिप विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्राप्त होंगे।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के दो अन्य कार्यों का उल्लेख होना भी आवश्यक है : शीघ्र ही कार्यान्वित होने वाली भारतीय कला कौशल सम्बन्धी गवेषणा के लिए वजीफों की योजना तथा वयस्क नेत्रहीनों को उद्योग-धन्धों की शिक्षा की व्यवस्था। भारत में निरक्षरता की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्यों से सरकार ने यूनेस्को से अनुरोध किया कि वह देहाती वयस्क शिक्षा सम्बन्धी प्रथम एशियाई सेमिनार भारत में आयोजित करे। इसमें कई एशियाई देशों के प्रमुख शिक्षाविद् सम्मिलित हुए।

: १५ :

स्वास्थ्य

शिक्षा की भाँति, भूतपूर्व शासन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। परिणामस्वरूप भारत की औसत जीवनावधि विश्व में सबसे कम है। इसके अतिरिक्त विगत चार वर्षों में स्वास्थ्य की समस्या देश में खाद्य की स्थिति पर निर्भर रही है। सरकार के सीमित साधनों और प्रतिद्वन्द्वात्मक मांगों के कारण भी इस समस्या का समाधान कठिन रहा है।

शिक्षा की ही भाँति चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी राज्यों के विषय हैं यद्यपि राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को समन्वित करने में केन्द्र का महत्त्वपूर्ण भाग रहता है। इस प्रकार राज्यों को एक समान नीति का निर्धारण करने और चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, भैषज्य उद्योगों और दवाइयों की बिक्री आदि के मामले में न्यूनतम योग्यता-स्तर कायम रखने में सहायता दी गई है। विदेश और राज्यों के बीच सम्पर्क-स्थापना का कार्य भी केन्द्र द्वारा होता है। स्वास्थ्य विषयक समस्याओं के आंकड़े तथा अन्य सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें

केन्द्रीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों तक पहुँचाया जाता है।

सफ़ाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अखिल भारतीय संस्था, मलेरिया संस्था, केन्द्रीय गवेषणा संस्था, लसी-विद्या (serological) सम्बन्धी प्रयोगशाला और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला का नियंत्रण भी केन्द्र द्वारा होता है। उपर्युक्त संस्थाओं में गवेषणा का संचालन चिकित्सा गवेषणा सम्बन्धी भारतीय परिषद् तथा अन्य ऐसे संगठनों द्वारा होता है। एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का भी संगठन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के लिए शिक्षा और प्रशासन सम्बन्धी लोगों की व्यवस्था होगी।

दिल्ली और अजमेर के केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा डाक्टरों और दाइयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दिल्ली में चार सबसे बड़े अस्पतालों का विस्तार किया गया है और विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शिक्षा और गवेषणा के लिए एक तपेदिक संस्था की स्थापना हुई है। इसी नगर में स्थापित नर्सिंग कालिज, जिसमें चार वर्ष का बी० एस०-सी० का पाठ्य-क्रम है, देश में अपने ढंग की पहली संस्था है। इसमें विश्व-विद्यालय स्तर तक परिचर्या के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और इसके द्वारा शिक्षित तरुणियों को एक विशेष दिशा में कार्य और उपार्जन की सुविधा प्राप्त होती है।

दिल्ली में एक अन्य योजना पर कार्य हो रहा है। इसका उद्देश्य और अधिक चिकित्सकों की व्यवस्था करना तथा अस्पतालों की विभिन्न शाखाओं का पुनर्गठन करना है।

एक सौ पलंगों वाले एक नए संक्रामक रोगों के अस्पताल की किंग्सवे में स्थापना के लिए इस वर्ष आवश्यक वित्त की व्यवस्था बजट में की गई है।

यूनीसेफ़ की सहायता से नई दिल्ली में एक क्षय-निरोधक केन्द्र की स्थापना हुई है। इस केन्द्र द्वारा क्षय-निरोधक आधुनिक उपायों का प्रचार किया जाएगा और उक्त रोग सम्बन्धी समस्याओं तथा रुग्णालय-विषयक गवेषणा की व्यवस्था होगी।

स्वास्थ्य पड़ताल एवं विकास समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार नजफगढ़ और नरेला में दो स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो रही है। ये देश के अन्य भागों के लिए नमूने के रूप रहेंगे।

राज्यों में मुख्य समस्या देहातों में चिकित्सा सम्बन्धी राहत पहुँचाना है। अतः राज्य सरकारें चिकित्सकों के विशिष्ट प्रशिक्षण की ओर सबसे अधिक ध्यान दे रही हैं। बम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आसाम की सरकारों ने अपने यहां के चिकित्सा सम्बन्धी स्कूलों को उच्चतर बनाया है, कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई है और दो पालियों में शिक्षा की व्यवस्था की है। दाइयों के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया गया है।

राज्य सरकारें अपने साधनों का एक बड़ा भाग देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी में सुधार के लिए भी लगा रही हैं। उदाहरणार्थ, मद्रास सरकार ने २ करोड़ ५६ लाख रुपयों की एक पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करनी आरम्भ की है जिसका उद्देश्य देहातों

को शुद्ध जल पहुंचाना है। नगरों के लिए की जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत १०,००० या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए शुद्ध जल और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की सर्वत्र व्यवस्था है। बम्बई सरकार को आशा है कि वह नगरों में जल की व्यवस्था पर आगामी पांच वर्षों में १ करोड़ ८६ लाख रुपये व्यय करेगी। आगामी १५ वर्षों में उत्तर प्रदेश के ८७ छोटे नगरों में नल के जल और नालियों की व्यवस्था हो जाने की आशा है। बिहार सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शाखा विभिन्न जलोपलब्धि और सफ़ाई योजनाओं पर कार्य कर रही है। आगामी पांच वर्षों में मध्य प्रदेश के गांवों में ८,००० कुएं और भी हो जाएंगे और ३२ नगरों में पीने के पानी और नालियों की अधिक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पहले ही से क्षय रोग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी, प्रशिक्षण और गवेषणा की सुविधाएं कर दी गई हैं। लेडी हार्डिञ्ज मेडीकल कालिज, दिल्ली के लिए, जो महिला डाक्टरों को प्रशिक्षण देता है, १,३५०,००० रुपये आरम्भिक व्यय के रूप में और ७३१,००० रुपये वार्षिक सहायता के रूप में स्वीकृत हुए हैं। टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई को नासूर सम्बन्धी गवेषणा और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए ३००,००० रुपयों की सहायता दी गई है, और क्षय संस्था के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के होस्टल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को १००,००० रुपयों की स्वीकृति हुई है।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली, अखिल भारतीय सफ़ाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता तथा मलेरिया संस्था,

दिल्ली में भी गवेषणा-कार्य चल रहा है। खुराक सम्बन्धी सलाहकार समिति ने जनता को खुराक सम्बन्धी आदतों में सुधार के लिए सुझाव दिए और कुछ राज्यों ने प्रत्यक्ष पड़तालों की व्यवस्था की।

चिकित्सा गवेषणा सम्बन्धी भारतीय परिषद् ने सन् १९४८ में एक चिकित्सा परीक्षण समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य देश-विदेश की औषधियों के सम्बन्ध में गवेषणा करना था। बंगाल और बिहार में सुल्फा दवाइयों के हैजे में प्रयोग सम्बन्धी परीक्षण किए गए। स्ट्रेप्टोमायसिन की क्षय और प्लेग में उपयोगिता के विषय में भी परीक्षण हुए। चिकित्सा गवेषणा सम्बन्धी भारतीय परिषद् चिकित्सा विषयक सभी शाखाओं में गवेषणा के लिए प्रेरणा देती है और उसके एककों द्वारा जलोदर, मलेरिया, कुष्ट तथा अन्य महामारियों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की गई है।

क्षय रोग से मोर्चा लेने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और मित्रराष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट निधि (यूनीसेफ़) से परामर्श करके सन् १९४८ में बी० सी० जी० के टीके का आन्दोलन आरम्भ किया। इस में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और अब बी० सी० जी० वैक्सीन इस देश में तैयार होने लगा है। यूनीसेफ़ ने दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में तीन केन्द्रों की स्थापना में भारत की सहायता की है। इस समय मद्रास, बम्बई, बड़ौदा, हैदराबाद, त्रावन्कोर, मैसूर, आसाम, बिहार और पश्चिमी बंगाल में तथा उत्तर प्रदेश, पटियाला और राज-कोट में भी ९ चिकित्सक-दल इस टीके को लगाने का कार्य कर

रहे हैं। कुल ९० क्षेत्रीय दलों को प्रशिक्षण मिला है और वे देश में कार्य कर रहे हैं। अक्तूबर सन् १९५० के अन्त तक २२ लाख ५० हजार व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा की जा चुकी थी और ७५०,००० को टीके लगाए गए। यह अनुमान किया जाता है कि लगभग १० करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाने होंगे और यदि आगामी ५ वर्षों में इनमें से ८० प्रतिशत व्यक्तियों को टीके लग जाएं तो क्षय का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ़ से क्षेत्रीय दलों, सामग्री और यन्त्रादि के रूप में सहायता मांगी है।

सन् १९४८ में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया और नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उक्त संगठन की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हो गई। संगठन ने मलेरिया, तपेदिक और गुप्त रोगों के निवारणार्थ आरम्भ किए गए आन्दोलनों में सहायता दी है। तराई में, उड़ीसा के जैपुर पार्वत्य अंचल में, मैसूर के मलनाड क्षेत्र में और मलाबार के एरनाड क्षेत्र में मलेरिया दल कार्य कर रहे हैं। एक बार जब उक्त क्षेत्रों से मच्छरों का सफ़ाया कर दिया जाएगा तो उन्हें खेतों के लिए सुधारा जा सकेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ़ ने भारत सरकार को २ करोड़ रुपयों की लागत से एक पेंसिलीन का कारखाना स्थापित करने में भी सहायता दी है। यह आशा की जाती है कि यह कारखाना प्रति मास ४००,००० मेगा यूनिट उत्पादन करने लगेगा।

सरकार ने होम्योपैथी और देशी चिकित्सा पद्धति के विकास और नियमन के लिए भी कमेटियों की नियुक्त की। एक केन्द्रीय कुष्ट रोग शिक्षण और गवेषणा संस्था की स्थापना के लिए भी एक समिति की स्थापना की गई। यद्यपि भारत में बड़ी संख्या में डाक्टरों, दाइयों, दन्त-चिकित्सकों और खुराक सम्बन्धी कार्य-कर्ताओं को प्रशिक्षण मिल रहा है, तथापि २०० से अधिक लोगों को समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विदेशों में शिक्षा के लिए भेजा गया।

: १६ :

परिवहन

सन् १९४५ के अन्त में जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय रेल-व्यवस्था बहुत मजबूत न थी। युद्ध काल में उस पर बहुत अधिक भार पड़ गया था और उसकी टूट-फूट के लिए बहुत कम व्यय हुआ था। विभाजन से नई समस्याओं का जन्म हुआ और हजारों सरकारी कर्मचारियों को तथा टनों सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान को तेजी के साथ ले जाना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद लाखों शरणार्थियों को सीमा के उस पार भारत में सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना पड़ा। इसके अतिरिक्त शरणार्थी-शिविरों तक खाना, कपड़ा और जीवनोपयोगी अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं को पहुँचाना पड़ा। ये शिविर देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। ढाई महीने के अन्दर ३० लाख शरणार्थियों ने रेल द्वारा यात्रा की। अच्छे से अच्छे समय में भी विश्व की किसी भी रेल व्यवस्था के लिए यह एक प्रशंसनीय सफलता होती। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले में समय एक आवश्यक तत्व था, परन्तु भारतीय रेलों ने इस सारे दबाव को सहन किया और बहुत तेजी के साथ असम्भव को भी सम्भव कर दिखाया। यह बात समझ में आने योग्य है कि

वैगनों और डिब्बों की इस अप्रत्याशित मांग के फलस्वरूप देश के अन्य भागों में माल और यात्री सेवाओं में कमी करनी पड़ी।

बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए, इंजिन ड्राइवर और फिटर थे, और इसके परिणामस्वरूप रेलों की औद्योगिक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी हो गई। नए आदमियों को काम सिखाने के लिए समय और धन की अपेक्षा थी, परन्तु रेलवे प्रशासन ने आश्चर्यजनक रूप से कम समय में खाई को पूर दिया।

विभाजन के कारण नई रेलवे लाइनों को बिछाना पड़ा और कुछ वर्तमान लाइनों को दुहरी बनाना पड़ा। उदाहरणार्थ, कराची भारत से अलग हो गया और इसीलिए उत्तर से दक्षिण की ओर यातायात बम्बई की बन्दरगाह से होने लगा। इसके कारण रेलवे लाइनों पर जितना दबाव पड़ा, उसे सहने के लिए वे सक्षम न थीं। इस दबाव को कम करने के लिए दिल्ली-मथुरा वाले भाग में रेलवे लाइन को दोहरी बनाया गया और इस कार्य में १ करोड़ ३ लाख ६० हजार रुपये व्यय हुए। यह कार्य रिकार्ड समय में पूरा हुआ और सन् १९४९ में यह लाइन यातायात के लिए खुल गई।

पूर्वी पाकिस्तान के बन जाने के कारण आसाम और शेष भारत के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। १४२ मील लम्बी इस रेलवे लाइन का निर्माण एक आश्चर्यजनक सफलता थी। कर्मचारियों ने खराब मौसम और दलदल तथा बीमारियों से भरे हुए क्षेत्रों में काम करते

हुए अनेक भयंकर नदियों को पार किया। इंजीनियरिंग के इस कौशल को केवल दो वर्षों से भी कम समय में पूरा किया गया और इस पर सरकार के १४ करोड़ रुपये व्यय हुए। ६ दिसम्बर, सन् १९४९ को यह नई शाखा माल के यातायात के लिए और २६ जनवरी सन् १९५० को यात्रियों के यातायात के लिए खोल दी गई।

दिसम्बर, सन् १९४७ में अनाज का विनियंत्रण हो गया और इसके बाद अनाज को इधर-उधर ले जाने के लिए रेल के वैगनों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। मुनाफे की प्रवृत्ति के कारण अनाज का परिवहन अहितकर ढंग से होने लगा और कभी कभी तो कमी वाले क्षेत्रों से बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों को यह परिवहन हुआ। परिणामस्वरूप परिवहन-सामर्थ्य का दुरुपयोग हुआ और अन्य आवश्यक उद्योगों तथा कोयला और लोहा के परिवहन के लिए वैगनों की कमी पड़ गई। अतः केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने वैगनों की सीमित और उचित उपलब्धि तथा प्रयोग के बारे में निश्चित योजना बनाई, उनका दिशा-दर्शन किया और जहां कहीं वैगनों की कमी हुई, उसे दूर किया गया। इसके अतिरिक्त देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए यह आवश्यक था कि अत्यावश्यक उद्योगों के लिए निर्धारित उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जाए और उनके लिए की गई परिवहन की मांगों को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए। इसके बाद माल के यातायात में उत्तरोत्तर सुधार का समय आया क्योंकि एक के बाद एक परिवहन सम्बन्धी अवरोधों को दूर किया गया। प्राथमिकता संगठन की कोई आवश्यकता न रह गई और इसलिए उसे समाप्त कर दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद रेलवे प्रशासन ने और अधिक योग्य संचालन का कार्य हाथ में लिया और यात्री तथा माल परिवहन से होने वाली आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। इसके परिणाम बहुत अधिक आशाजनक हुए और कुछ मामलों में विभाजन से पहले की बृहद् रेल व्यवस्थाओं से भी अधिक आय हो गई। ये सुधार उत्तरोत्तर होता जा रहा है।

युद्ध के समय रेलों पर उनकी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक भार पड़ा जिससे रेल के डिब्बों और वैगनों की काफी कमी हो गई और लगभग ३० प्रतिशत इंजिन अनुपयुक्त हो गए और उनकी मरम्मत या उन्हें बदलने की जरूरत पड़ गई। इस तात्कालिक संकट को दूर करने के लिए सरकार ने निर्यात के द्वारा अपने भंडार को पूरा किया। इस अत्यावश्यक उद्योग के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की प्राप्ति से प्रेरित होकर सरकार को राज्य की ओर से पश्चिमी बंगाल के चितरंजन नामक स्थान में एक इंजन का कारखाना स्थापित करना पड़ा। इस कारखाने में प्रति वर्ष १२० भाप से संचालित इंजिन और ५० अतिरिक्त बायलर तैयार होंगे। इसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है। और यह आशा की जाती है कि सन् १९५६ तक यह कारखाना अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करने लगेगा। उस समय यह कारखाना एशिया में अपने ढंग का सब से बड़ा होगा।

इसके अतिरिक्त सन् १९३८-३९ की तुलना में तीसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या ढाई गुनी अधिक हो गई है। भीड़-भाड़ को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष पर्यन्त देश में ८०४ यात्री डिब्बे बनेंगे। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में बिजली के पंखों तथा

अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई तीसरे दर्जे के डिब्बों को जोड़ा है। एक स्विस फर्म से समझौता किया गया है जिसके अनुसार एक डिब्बे बनाने वाली फैक्टरी की स्थापना होगी जो नई डिजाइन के सम्पूर्ण धातु के हल्के वज़न वाले डिब्बे बनाएगी। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि रेल द्वारा तीसरे दर्जे की यात्रा को अधिक से अधिक आराम देह बनाया जाए। सन् १९४९ के अन्त तक १३० नई ट्रेनों का आरम्भ किया गया और ९० ट्रेनों को बढ़ाया गया। जनता एक्सप्रेस, जिसमें केवल तीसरे दर्जे के डिब्बे रहते हैं, चलाई गई और दूरवर्ती मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में तीसरे दर्जे के और अधिक डिब्बों की व्यवस्था कर के भीड़-भाड़ को कम किया गया। यह निश्चय किया गया कि ५ वर्ष की अवधि में १५ करोड़ रुपयों से अधिक व्यय करके तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

उपर्युक्त सभी सुधारों के कारण संचालन-व्यय में वृद्धि हुई है और इसीलिए रेल-किराये में वृद्धि करनी पड़ी। परन्तु यह वृद्धि क्रमशः की गई और इसका भार उच्च श्रेणी के यात्रियों पर अधिक पड़ा। यह भार दूर की यात्राओं पर निकट की यात्राओं की तुलना में अधिक पड़ा। सामान के परिवहन की दरों का भी वैज्ञानीकरण हुआ और सार्वजनिक मांग के उत्तर में माल के परिवहन की दरों से सम्बन्धित झगड़ों को निपटाने के लिए एक रेलवे रेट पंच निर्णायक संगठन बनाया गया।

रेलवे के वित्त में एक सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रेलवे पृथक्करण कन्वेंशन का संशोधन था जिसे संसद् द्वारा दिसम्बर सन् १९४९

में स्वीकार किया गया। इसके अन्तर्गत एक विकास-निधि की व्यवस्था है जिसका उपयोग (अ) यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने, (ब) श्रम-कल्याण की व्यवस्था करने और (स) ऐसी योजनाओं के लिए होगा, जो निर्माण के समय अलाभकर हों परन्तु जिनकी अनिवार्य आवश्यकता हो। वर्तमान सुधार निधि को इसी नई निधि में सम्मिलित कर दिया जायगा। कन्वेंशन के अन्तर्गत अगले ५ वर्षों में इस निधि में से ३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए व्यय किया जायगा।

भूतपूर्व देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाने के कारण उनकी रेल-व्यवस्थाओं को भी ग्रहण कर लिया गया। सम्पूर्ण रेलवे प्रशासन को ६ क्षेत्रीय भागों में बांटा गया। साऊथ इण्डियन रेलवे, मद्रास और सदर्न मरहठा रेलवे तथा मैसूर रेलवे व्यवस्थाओं को मिलाकर एक कर दिया गया।

रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और उनमें निरन्तर सहयोग की भावना रही है। कल्याण कार्यों यथा अस्पतालों, कैन्टीनों, कर्मचारियों के लिए आवास आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तावों को सुस्पष्ट रूप देने के मामले में श्रमिकों के प्रतिनिधियों से सलाह ली गई है।

केन्द्रीय वेतन कमिश्नर की सिफारिशों और पंच के निर्णय के फलस्वरूप सभी श्रेणी के रेलवे श्रमिकों की स्थिति अच्छी हो गई। उन्हें अनेक अतिरिक्त सुविधाएं दी गईं यथा उन्नतर वेतन की दरें, काम के घटे हुए घंटे, उदार छुट्टियों के नियम और छुट्टियों

सम्बन्धी अन्य सुविधाएं। इनके अतिरिक्त रेल कर्मचारियों को अनाज की सस्ती दुकानों और चिकित्सा सम्बन्धी राहत की सुविधा भी प्राप्त है तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भी हैं। चालू वर्ष में श्रम कल्याण पर ८ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

गत वर्ष केन्द्रीय वेतन कमीशन की रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों में जो अनियमितताएं थीं, उन्हें दूर करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति की स्थापना हुई जिसमें रेलवे बोर्ड और रेल मजदूरों के प्रतिनिधि थे और जिसके अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। इस समिति ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से अधिकांश को मान लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार को २ करोड़ रुपये और अधिक व्यय करने पड़ेंगे।

भारतीय रेलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री महोदय के निम्नलिखित शब्द समुचित चित्र उपस्थित करते हैं: "हमारी सरकार को चाहे जो सफलताएं या असफलताएं मिली हों, मैं समझता हूं कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेल व्यवस्था में सुधार सरकार की अद्वितीय सफलताओं में से एक है।"

टन प्रति टन और मील प्रति मील माल का जल द्वारा परिवहन रेल द्वारा परिवहन से सस्ता पड़ता है। इस प्रकार के परिवहन में गति की जो कमी होती है उसकी पूर्ति माल के भारीपन से हो जाती है जिसे एक समय में ले जाया जा सकता है। इस माल के

ढोने के लिए रेलों के मुकाबिले में कम आदमियों की आवश्यकता होती है। पूंजी और टूट-फूट का व्यय भी कम होता है। माल की ढुआई की दरें रेल की तुलना में आधी से एक-तिहाई तक पड़ती हैं।

भारत में औद्योगिक विकास क मार्ग में एक रोड़ा परिवहन व्यवस्था का अयथेष्ट होना है। देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के लिए रेलें काफी नहीं हैं। भारत में ऐसे जल-मार्गों की दूरी लगभग ४,००० मील है, जहां स्टीमरों या देशी नावों द्वारा परिवहन हो सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में वर्तमान समय में भी प्रति वर्ष ६२ करोड़ ५० लाख टन-मील तक का परिवहन स्टीमरों द्वारा होता है। आज कलकत्ते में आने और कलकत्ते से जाने वाले माल का मुश्किल से १२ वां भाग जल-मार्ग से जाता है। यदि माल के परिवहन का कुछ और अधिक भाग जल-मार्गों से जाने लगे तो बहुत अधिक बचत हो सकती है। विगत विश्वयुद्ध में मद्रास की बकिंघम नहर द्वारा होने वाले परिवहन के फलस्वरूप रेलों पर दबाव बहुत कम हो गया था।

अब से पहले भारत में जल-परिवहन के प्रति उपेक्षा दिखाई गई थी, क्योंकि वह एक प्रान्तीय विषय था। नीति और नियंत्रण की एकरूपता के अभाव और अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्बन्धी बाधाएं इसके विकास में बाधक बनीं। जब नदियों को एक एकक मानकर चला जाएगा तभी इसका वैज्ञानिक ढंग से विकास हो सकेगा। गणराज्य के विधान में अन्तर्राज्यीय नदियां और जल-मार्ग केन्द्रीय विषय हो गए हैं। जल परिवहन

के आयोजन और विकास का कार्य केन्द्रीय जल और बिजली आयोग को सौंपा गया है। अनेक बहुमुखी योजनाएं जो इस समय कार्यान्वित हो रही हैं, भारत में जल-परिवहन के विकास में सहायक सिद्ध होंगी। कई स्थानों में इस समय जल-परिवहन में कठिनाई है क्योंकि सूखे मौसम में नदियों का पानी इतना कम रहता है कि छोटी देशी नावों तक के लिए वह यथेष्ट नहीं होता। बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत नदियों के जल के संरक्षण सम्बन्धी उपायों द्वारा भारत में जल-यातायात एक महत्त्वपूर्ण उद्योग हो जाएगा।

पर्यटन उद्योग को वैदेशिक विनिमय साधनों के अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण भाग समझते हुए और उसे अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द का साधन मानते हुए भारत सरकार ने इधर उस पर अधिक ध्यान दिया है। परिवहन मंत्रालय की पर्यटन शाखा का काफी विस्तार हो गया है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में कई क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय स्थापित किए गए हैं; और काश्मीर, उड़ीसा, हैदराबाद तथा मैसूर की सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों का कार्य पर्यटकों और पर्यटन एजेंसियों को सहायता करने के अतिरिक्त यह भी है कि वे पर्यटन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करें। पर्यटकों के आवास इत्यादि के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। होटलों और होटल-निर्देशकों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाएं एकत्रित और वितरित की गई हैं।

महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में सड़कों का सुधार हो रहा है। आटोमोबील एसोसियेशन को आमंत्रित किया गया है कि वह

सड़कों के नक्शे और चार्ट बनाने में सहायता करें। गाइडों की सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। शिकार सम्बन्धी सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पर्यटक को विशेष पर्यटक परिचय कार्ड देने की व्यवस्था की गई है।

: १७ :

संचार

जैसा कि अन्य क्षेत्रों में रहा है, विभाजन के समय सार्वजनिक हित की सेवाओं को क्षति पहुँची। पर डाक और तार विभाग ने न केवल क्षति की पूर्ति कर ली है, बल्कि वह लगातार अपने कार्य का विस्तार कर रहा है। ३१ मार्च, सन् १९५० को डाकघरों की संख्या सन् १९४८ में उसी तिथि की संख्या से २७ प्रतिशत अधिक थी, और इसी अवधि में टेलीफ़ोनों की संख्या में २२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। देहाती क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोले गए और सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक ऐसे गांव में जिसकी आबादी २,००० या उससे अधिक हो, एक डाकघर हो जाए। विभाजन के बाद ऐसे गाँवों की संख्या ४,८३७ थी और नवम्बर सन् १९५० तक इनमें २,७९१ में डाकघर स्थापित हो चुके थे।

संघीय वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप भाग 'ख' और 'ग' के राज्यों की डाक-तार व्यवस्था, काश्मीर के अतिरिक्त, सरकार द्वारा हस्तगत कर ली गई। इससे विभाग पर अतिरिक्त भार पड़ा है और उसे बड़े पैमाने पर पुनर्गठित करना पड़ा है।

भारत में दूरवर्ती संचार सम्बन्धी इंजीनियरिंग की मुख्य समस्या यह रही है कि विभिन्न मौसमी दशाओं के अन्तर्गत किस प्रकार दूरवर्ती टेलीफ़ोन सेवा की व्यवस्था की जाए। काफ़ी गवेषणा और नई डिज़ाइनों के निर्माण के बाद इस कार्य को संतोषजनक रीति से पूर्ण कर लिया गया है। इस दिशा में प्रौद्योगिक और विकास शाखा द्वारा, जो देश की सभी बड़ी टेलीफ़ोन योजनाओं के सम्पादक का कार्य करती है, अच्छा काम किया गया है।

विभाजन से देश की दूरवर्ती संचार-व्यवस्था में बड़ी विश्रृंखलता आई। आसाम और शेष भारत के बीच ४७२ मील लम्बी संचार-व्यवस्था बड़े ही दुर्गम स्थानों से होकर गुजरती है, और उसे ५ महीने में ३५ लाख रुपयों के व्यय से पूरा किया गया।

पर डाक विभाग की सबसे प्रमुख सफलता है १ अप्रैल, सन् १९४९ से एक 'समग्र वायु परिवहन' योजना। इस योजना के अन्तर्गत सभी पत्र, पोस्टकार्ड, मनी आर्डर बिना अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा ले जाए जाते हैं। यह योजना रात्रि वायु-डाक सेवा के कारण सफल हो सकी है। यह सेवा दो मार्गों पर संचालित है—बम्बई से कलकत्ता और दिल्ली से मद्रास, तथा नागपुर केन्द्रीय जंकशन है। इन मार्गों पर हाल में रेडियो तथा परिवहन सम्बन्धी अन्य सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है, जिससे ये वांछित सुरक्षात्मक स्तर की हो जाएं और अब रात्रि वायु-सेवा वर्षा के मौसम में भी संचालित रह सकती है।

भारत पूर्व और पश्चिम वायु-यात्रा का सम्मिलन केन्द्र है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन के अन्तर्गत उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति है। लम्बी-चौड़ी दूरी और साल में प्रायः सदैव अच्छी मौसमी दशाओं के कारण भारत में वायु परिवहन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। भारत से होकर आने-जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय वायु-सेवाओं के अन्तर्गत ट्रान्स वर्ल्ड एयरवेज, पैन अमरीकन एयरवेज, बी० ओ० ए० सी०, के० एल० एम०, एयर फ्रान्स और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल आदि हैं।

हाल के वर्षों में वायु-यातायात के अन्तर्गत यात्रियों की संख्या और सामान के परिमाण में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन् १९४७ में भारतीय वायुयानों द्वारा २५४,९६० व्यक्तियों ने यात्रा की और ५,६४७,५६२ पौंड सामान ढोया गया। सन् १९५० में ये संख्याएं ४५२,८६९ यात्री और ८०,००६,७५५ पौंड थीं। रात्रि वायु सेवा, जिसके लिए अतिरिक्त रेडियो तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ी है, बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। सन् १९५०-५१ में औसतन २,६९९ पौंड सामान, ६,७७१ पौंड डाक और ९१ यात्रियों को प्रति रात्रि ले जाया गया।

सरकार भारतीय वायु कम्पनियों और उड्डयन क्लबों को अनुदान और ऋण देकर आर्थिक सहायता दे रही है। उदाहरणार्थ, एयर इण्डिया इन्टरनेशनल को सन् १९४८ की अपनी हानि पूर्ति के लिए १९ लाख रुपये कर्ज के रूप में दिए गए, और अगले वर्ष कम्पनी ने कर्ज का कुछ भाग अदा कर दिया। भारत एयरवेज को उसके द्वारा हाल में आरम्भ की गई कलकत्ता

बैंकाक वायु सेवा के लिए इसी प्रकार की सहायता दी गई है। हवाई अड्डों की संख्या भी सन् १९४९-५० में ४८ से बढ़ कर सन् १९५०-५१ में ७२ हो गई है। जैसा कि रेल के सम्बन्ध में हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के बन जाने से यह आवश्यक हो गया कि आसाम का शेष भारत से सम्पर्क स्थापित करने के लिए नई व्यवस्था हो। त्रिपुरा में कई हवाई अड्डे बनाए गए हैं और आसाम में भी बनाए जा रहे हैं। सरकार अब उड्डयन विज्ञान की गवेषणा के कार्य को प्रोत्साहित कर रही है। इलाहाबाद में एक उड्डयन स्कूल और एक एरोड्रोम स्कूल खोला गया है। उसी नगर में स्थित नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र ही भौमिक इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना आरम्भ करेगा।

हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ अन्तरिक्ष विज्ञान सेवा की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अतः मौसम की जानकारी के लिए भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग की अनेक वेधशालाएं देश भर में फैली हैं, मौसम सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार के लिए दूरवर्ती संचार साधन हैं, और अनेक ऋतु सूचना प्रसारण केन्द्र हैं। इस विभाग द्वारा रेलों, जहाजों और कृषि को लाभ मिलता है।

: १८ :

सूचना और प्रसार

सन् १९४८ में आल इण्डिया रेडियो ने सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं वाले क्षेत्रों तक प्रसारण की सुविधाओं का बिस्तार करने की अपनी "मार्ग-दर्शक योजना" के प्रथम भाग का श्रीगणेश किया। मई सन् १९५० में उक्त योजना के अन्तर्गत कालीकट के केन्द्र द्वारा, जो योजना के अन्तर्गत निर्मित अन्तिम केन्द्र था, प्रसारण आरम्भ हो जाने से उपर्युक्त प्रथम भाग सम्पूर्ण हो गया। अब आल इण्डिया रेडियो की श्रृंखला के अन्तर्गत २१ प्रसारण केन्द्र हैं जिनमें से ४ को राज्यों से हस्तगत किया गया। आल इण्डिया रेडियो की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध है कि लोगों में रेडियो के कार्यक्रम सुनने की आदत बढ़ती जा रही है। लाइसेन्सशुदा रेडियो सैटों की संख्या सन् १९४७ में २५६,१९१ से बढ़कर अप्रैल सन् १९५१ में ६०३,७१० हो गई। घरेलू रेडियो की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त देहाती और औद्योगिक क्षेत्रों और स्कूलों में लगे हुए सामुदायिक सेटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सन् १९५० के अन्त में सामुदायिक सेटों की कुल संख्या ४,९८८ थी। औसतन प्रत्येक सामुदायिक रेडियो का लाभ १०० सुनने वालों ने उठाया। आल इण्डिया रेडियो लम्बे समय

से देहाती और औद्योगिक श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। अतीत में कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षा और समाचारों पर अधिक बल दिया जाता था। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अब विशेष जोर खाद्योत्पादन आन्दोलनों पर दिया जाता है और एक विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम "खेत सम्बन्धी बातचीत" है, आरम्भ किया गया है।

ब्राडकास्टिङ्ग का विकास

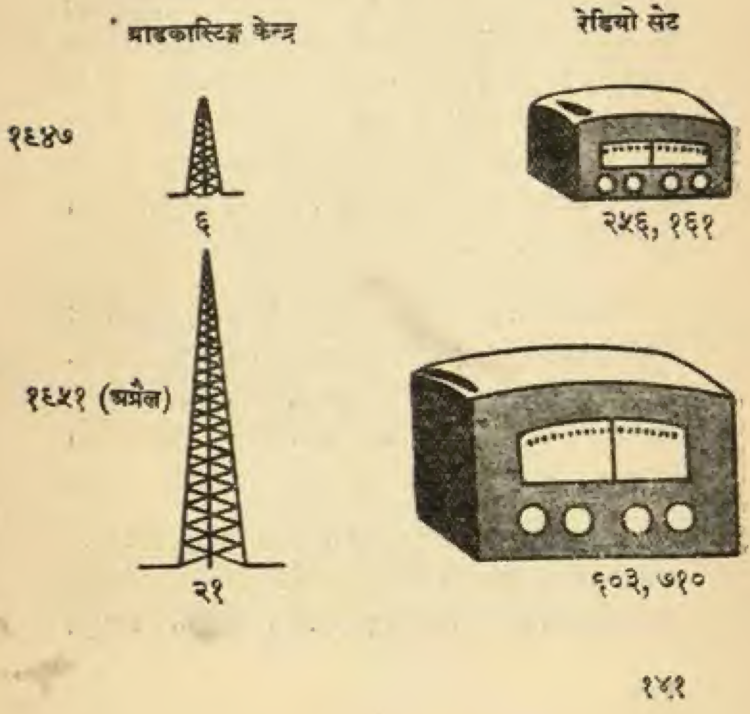

मनोरंजन के साधन होने के अतिरिक्त आल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रमों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है। समाचार-विज्ञप्तियों, वाद-विवाद और वार्ता आदि के द्वारा सुनने वालों के सम्मुख विश्व की ताजी घटनाओं का विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, पुस्तकों के सम्बन्ध में बताया जाता है और आधुनिक सामाजिक विचारधाराओं से परिचय कराया जाता है। संगीत के कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है सुनने वालों में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि बर्द्धित करना। दक्षिण भारत के केन्द्र उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत का प्रसारण करते हैं और उत्तर भारत के केन्द्र कर्नाटक संगीत का। इस प्रकार भारतीयों को विभिन्न संगीत परम्पराओं का ज्ञान होता है। दिल्ली केन्द्र के "भारतीय संगीत" शीर्षक प्रोग्राम में देश के सभी भागों के प्रमुख कलाकारों का भाग रहता है। इसे नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है और आल इण्डिया रेडियो के अन्य केन्द्रों से भी इसका पुनः प्रसारण होता है।

रेडियो रिपोर्टिंग अब आल इण्डिया रेडियो के प्रोग्रामों का नियमित अंग हो गया है। रेडियो द्वारा अब दीक्षान्त समारोह, मुशायरे, कवि-सम्मेलन, प्रदर्शिनियों के उद्घाटन, स्वतन्त्रता दिवस समारोह आदि महत्त्वपूर्ण अवसरों के विषय में प्रसारण होने लगा है।

सन् १९४९-५० की शरद्-ऋतु में पहले-पहल दिल्ली और लन्दन के बीच द्विमार्गीय रेडियो वाद-विवाद के आयोजन का प्रयत्न किया गया। दिसम्बर सन् १९५० में यह प्रयोग तब कुछ

और आगे बढ़ा जब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में चतुष्मार्गीय वाद-विवाद का आयोजन लन्दन, दिल्ली, सिडनी और माण्ट्रियल के बीच आयोजित हुआ। यह प्रसारण के इतिहास में एक अद्वितीय सफलता थी।

आल इण्डिया रेडियो २३ भाषाओं में, जिनमें १५ भारतीय हैं और ८ विदेशी, ६६ समाचार विज्ञप्तियों का प्रसारण करता है। यह प्रसारण दिन-रात के लगभग चौबीसों घंटे होता रहता है। समुद्र पार के सुनने वालों के लिए १२ भाषाओं में प्रसारण होता है। इनके अन्तर्गत बर्मीज, इण्डोनेशियन, पश्तो, कैंटोनीज तथा पर्शियन भाषाएं हैं। प्रतिदिन प्रायः २१ घंटे तक यह प्रसारण होता है।

आल इण्डिया रेडियो ने 'जन गण मन' राष्ट्रीय गीत के सैनिक ध्वनि के कुछ स्थायी रेकार्ड बनाए हैं। इनको सभी प्रसारण केन्द्रों और विदेशों में कूटनीतिक कार्यालयों को गण-राज्य दिवस पर बजाने के लिए गत वर्ष भेजा गया।

फ़िल्म डिविजन ने अभी तक ८६ विभिन्न विषयों के चित्र और १४८ समाचार चित्र अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, तामिल और तेलगू में तैयार किए हैं। इन्हें १३६ बार की यात्राओं में ३,००० सिनेमा गृहों में देश भर में दिखाया गया। विभिन्न विषयों के चित्रों या डाक्यूमेंटरीज के अन्तर्गत यथेष्ट रूप से व्यापक विषय आ गए हैं जैसा कि इन नामों से स्पष्ट हो जाएगा : "अबरक से निर्माण", "राजस्थान—क्रम १", "आपका बच्चा", "भारत के

गुफा-मन्दिर", "पूरक खाद्य", "शान्ति निकेतन", "सिन्द्री की कहानी", "काश्मीर की उपत्यका"। यार्कटन, कनाडा में होने वाले फ़िल्मी उत्सव में तीन चित्रों "रेशम के कीड़े का जीवन", "राजस्थान—क्रम १", और "भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग" को पारितोषिक भी मिला।

समाचार चित्रों के विदेशी समाचार चित्रों से विनिमय की भी व्यवस्था है। इस प्रकार भारत की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का प्रचार विदेश में होता है और भारतीय समाचार चित्रों के अन्तर्गत अन्य देशों के समाचार भी प्रदर्शित किए जाते हैं। सिनेमाओं से प्राप्त फ़िल्मों के किराए की रक़म में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। सन् १९४९–५० में ११ लाख रुपयों की तुलना में सन् १९५०–५१ में यह आय २१ लाख रुपये होने की आशा है।

अखबारों के स्वतंत्र सहयोग के द्वारा पत्र सूचना विभाग जनता को भारत सरकार की कार्रवाइयों से अवगत कराता है और सरकार को जनमत की दिशाओं से परिचित रखता है। विभाग का कार्य भारत, विदेशी पत्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित रखना भी है। सन् १९५०–५१ में इसने प्रेस सम्बन्धी जिज्ञासाओं की सर्वाधिक संख्या को निबटाया और लगभग ८,००० सामान्य संवाद तथा १२० सचित्र विशेष लेख प्रचारित किए। लगभग २०० बैठकों या सम्मेलनों के चित्र लेने का प्रबन्ध किया गया। १,८९९ अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को विभाग की सामग्री प्राप्त हो रही है।

भारतीय भाषाओं की विशेष मांगों की पूर्ति के लिए हिन्दी, उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी और तामिल में विशेष लेख प्रचारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में एक मासिक विवरण हिन्दी समाचार पत्रों को भेजा जाता है। दैनिकों, साप्ताहिकों, दो विदेशी एजेंसियों तथा ५० वैदेशिक प्रकाशन केन्द्रों को फ़ोटोग्राफ़ भेजे जाते हैं। विभाग के फ़ोटोग्राफ़ संग्रहालय में ३४,००० फ़ोटोग्राफ़ हैं, जिनका ३०० शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकरण और सूचीकरण है।

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन, विक्रय और वितरण के लिए उत्तरदायी है। स्वतन्त्रता के बाद इस विभाग द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और बंगाली तथा अन्य भाषाओं में १७२ पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं। यहां से वैदेशिक प्रचार के लिए दो पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं, 'मार्च आफ इन्डिया', अंग्रेजी भाषा-भाषी देशों के लिए और 'सौत-एल-शर्क' मध्यपूर्व के लिए। चार पत्रिकाएं देशी प्रचार के लिए हैं : हिन्दी मासिक 'आजकल', 'विश्वदर्शन', बच्चों की पत्रिका 'बाल भारती' और उर्दू मासिक 'आजकल'।

विज्ञापन शाखा का कार्य रेलों को छोड़कर भारत सरकार के शेष सभी विभागों के विज्ञापनों को तैयार करना और उन्हें प्रकाशनार्थ भेजना है। यह कार्य जिन माध्यमों से होता है वे हैं अखबार, पोस्टर, फोल्डर, कैलेन्डर, ब्लाटर, पर्चियां, विज्ञापन बोर्ड और सिनेमा स्लाइड। सन् १९५०-५१ में शाखा ने

अधिक अन्न उत्पादन, वन महोत्सव, पर्यटन, राष्ट्रीय बचत, क्षेत्रीय सेना और प्रतिरक्षा, काम दिलाऊ सेवाओं और स्वास्थ्य आन्दोलनों के लिए विज्ञापन कार्य किया। इन आन्दोलनों के प्रचारार्थ पोस्टरों, फोल्डरों और सिनेमा स्लाइडों का प्रयोग किया गया।

: १९ :

उपसंहार

यह भारत सरकार के सम्पूर्ण कार्यों का विवरण नहीं है। इस वर्णन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि विगत चार वर्षों में सरकार के कार्यों में प्रतिबिम्बित प्रगति और भविष्य की रूपरेखा के सूचक तथ्यों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य उपस्थित किया जाए। स्पष्टतः इस वर्णन के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की चर्चा नहीं की जा सकी क्योंकि हमारे पास जो सीमित स्थान है उसमें उन सभी का समावेश संभव नहीं। फिर भी इस संक्षिप्त वर्णन से यह बात यथेष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल रही हों, हमारे नेता, जो आज शासन-भार ग्रहण किए हुए हैं और वे लोग, जो उन्हें शासन-सूत्र के संचालन में सहायता दे रहे हैं, उन कठिनाइयों से न तो घबराए हैं और न उन्होंने उनसे हार मानी है। इसके विपरीत, उन्होंने एक अधिक उन्नत समाज-व्यवस्था की नींव डाली है, नए मूल्यों का निर्धारण किया है, नई नीतियों और कार्यक्रमों का आरम्भ किया है, उन्हें कार्यान्वित किया है, और कुछ उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति की है। वे एक-एक ईंट जमाते हुए भारत के अत्यन्त महान् भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि उनके

द्वारा निर्मित विधान से स्पष्ट है, उनका लक्ष्य उच्च है। उनके लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करते हुए उनकी सफलताएं अल्प प्रतीत हो सकती हैं। फिर भी, जब हम एकीकृत भारत के नए मानचित्र पर दृष्टि डालेंगे तो यह कहना कि यह एक शानदार सफलता नहीं है, असाधारण साहस का काम होगा। यदि सरकार ने केवल यही कार्य सम्पन्न किया होता तो भी इतिहास उसमें कोई कमियां न देखता, पर उसके कार्यों के अन्तर्गत अन्य सफलताएं भी हैं जिनका वर्णन यहां प्रस्तुत किया गया है। जनता के विश्वास और सहयोग को प्राप्त करके सरकार निश्चय ही और अधिक सफलताएं प्राप्त कर सकती है, क्योंकि भारत जैसे सहकारितापूर्ण सर्वहितैषी गणराज्य में महानता के प्रासाद को ऊपर के कुछ व्यक्तियों की आज्ञाओं के आधार पर नहीं, प्रत्युत सामान्य जनों के बन्धुत्वपूर्ण सहकारी प्रयत्नों पर ही खड़ा किया जा सकता है।

केन्द्र

१. सामाजिक

सन् १९५१–५२ में आर्थिक कठिनाई होते हुए भी भारतवर्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रम-कल्याण, गृह-निर्माण और पुनर्वास की दिशा में यथेष्ट प्रगति की।

शिक्षा

बुनियादी शिक्षा की योजना ने विभिन्न राज्यों में सन्तोष-जनक प्रगति की। दिल्ली स्थित केन्द्रीय शिक्षण-संस्था बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी गवेषणा कर रही है। हाल में बिहार में बेसिक और गैर-बेसिक स्कूलों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सफलताओं का अध्ययन करने के लिए उक्त संस्था ने एक व्यापक "सफलता परीक्षण" की पद्धति निकाली है। यहां होने वाले प्रयोगों के अन्तर्गत एक दिलचस्प प्रयोग यह है कि बुनियादी शिक्षा को शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए कैसे उपयुक्त बनाया जाय। एक अन्य प्रयोग का लक्ष्य देहाती क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिए सस्ती सामग्री तैयार करना है।

सामाजिक शिक्षा

गत वर्ष आरम्भ होने वाली सामाजिक शिक्षा की योजना भी और आगे बढ़ी। सफल साक्षरता आन्दोलन आरम्भ किए

गए और लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा श्रव्य-दृश्य साधनों द्वारा शिक्षा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक मेलों का आयोजन किया गया।

यह स्मरणीय है कि दिल्ली के निकट अलीपुर में एक जनता कालेज खोला गया था। इसे खोलने का उद्देश्य कुछ चुने हुए ग्रामवासियों को स्थानिक नेतृत्व विषयक प्रशिक्षण देना था। तीन महीने तक सामान्य शिक्षा और कृषि तथा अन्य दस्तकारियों का प्रशिक्षण लेने के बाद ये प्रशिक्षित लोग अपने गाँवों को जाते हैं जहाँ वे ऐच्छिक आधार पर सामाजिक शिक्षा का कार्य आरम्भ करते हैं। 'कारवाँ' पद्धति द्वारा भी गाँवों में शिक्षा-प्रसार का आन्दोलन चलाया गया है। यह इस प्रकार होता है कि चार मोटर-गाड़ियाँ एक पुस्तकालय, एक पूर्ण रंगमंच और प्रदर्शनी तथा अन्य प्रदर्शन-योग्य सामग्री लेकर एक गाँव में पहुँचती हैं और वहाँ खेल-कूद, चित्रमय भाषणों और नाटकों का कार्यक्रम रखा जाता है। जब यह कारवाँ गाँव से चलता है तो पन्द्रह से लेकर बीस तक शिक्षकों को पीछे छोड़ दिया जाता है जिससे कि वे छः सप्ताह तक गाँव में कार्य करें। अन्य अनेक राज्य भी सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं।

जनता को शिक्षा देने के लिए नए तरीके और सामग्री का उपयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सम्बन्धी सामग्री को, जिसे सामान्य स्कूलों में मँगाना बहुत अधिक मूल्य-साध्य है, सरकार द्वारा निःशुल्क दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की फिल्म लाइब्रेरी में इस समय १६ मिलीमीटर की

८०० फिल्में और ३५ मिलीमीटर की १,००० फिल्में मौजूद हैं। वहाँ से इन फिल्मों को देश भर की लगभग ३३० संस्थाओं को दिया जाता है और इन फिल्मों का औसतन मासिक वितरण ४०० है। अब इस लाइब्रेरी का विस्तार हो गया है और इसके अन्तर्गत पोस्टर, चार्ट, माडल, ग्राफ़ इत्यादि भी आ गए हैं। अक्तूबर सन् १९५१ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अखिल भारतीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन ने सभी राज्यों में श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विकास की सिफ़ारिश की है और ऐसे शिक्षण सम्बन्धी संग्रहालयों की स्थापना का सुझाव दिया है जहाँ से श्रव्य-दृश्य शिक्षा विषयक सामग्री को प्राप्त किया जा सके।

अपांगों की शिक्षा

भारत सरकार ने देहरादून में नेत्रहीन वयस्कों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला था जहाँ १२३ नेत्रहीनों को राज्य के खर्चे से शिक्षा दी जा रही है। कताई, जाल बुनना, बेत का काम, कसीदा, कम्बल बनाना, सूती दरियाँ बुनना और पटसन तथा ऊनी कालीन आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो इस केन्द्र में सिखाए जाते हैं। प्रशिक्षितों को प्रारम्भिक शिक्षा भी दी जाती है। संसार भर के नेत्रहीनों के लिए भारत ने एक समान 'ब्रेल' लिपि निकाल कर बड़े महत्त्व का काम किया है। वस्तुतः भारत सरकार के सुझाव पर ही यूनेस्को ने इस विषय के अध्ययन का कार्य हाथ में लिया। इस प्रकार लिपि के मामले में बहुत अधिक एकरूपता उपलब्ध हो सकी है।

केन्द्रीय ब्रेल छापाखाने के लिए आवश्यक यंत्रों का अधिकांश भाग विदेशों से मँगाया गया है और छोटे पैमाने पर उत्पादन का कार्य आरम्भ हो चुका है। साथ ही साथ अजमेर स्थित अन्धों के निवास और स्कूल को निजी प्रबन्ध से मुक्त करके सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है और हिन्दी भाषी केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों के लिए एक नमूने की संस्था के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। उसमें पढ़ने, लिखने, ठहरने, भोजनादि तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं का प्रबन्ध निःशुल्क किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार यह तय किया गया है कि एक माध्यमिक शिक्षा कमीशन नियुक्त किया जाए जो व्यापक रूप से जाँच-पड़ताल करके अपनी सिफारिशें पेश करे। इस कार्य के लिए सन् १९५२–५३ के बजट में आवश्यक वित्त की व्यवस्था की गई है।

और अधिक प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों को खोलने का कार्यक्रम, विशेषतः देहाती क्षेत्रों में ऐसे स्कूलों को खोलने का आयोजन, विभिन्न राज्यीय सरकारों द्वारा बड़े उत्साह के साथ संपादित हो रहा है। पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के अन्दर प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का निर्धारण कर दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा

सन् १९५१-५२ में भारत सरकार ने अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की पड़ताल करने, उक्त विश्वविद्यालयों की तात्कालिक आवश्यकताओं सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, और उनके उपयोग के लिए मोटी रकमों का अनुदान निर्धारित करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति की रिपोर्ट इस समय विचाराधीन है। अलीगढ़ मुस्लिम और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कानून, विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, संशोधित किए गए। सन् १९५२ के आरम्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय कानून का संशोधन करते हुए भी एक बिल स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया है और उसके व्यय के लिए बजट में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए ४'२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से १'२ करोड़ रुपयों का उपयोग कला विषयों के अध्ययन के लिए निर्धारित किए जाने की आशा है।

अनुसंधान के लिए अनुदान

जैसा कि अभी तक होता आया है, कई संस्थाओं को शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी गवेषणा और अनुसंधान-कार्य में प्रोत्साहन

देने के लिए वित्तीय अनुदान दिए जाएंगे। इस प्रकार के अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के अन्तर्गत इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड, आंग्ल-भारतीय शिक्षा विषयक अन्तर्राज्यीय बोर्ड, पूना स्थित दक्कन कालिज पोस्ट-ग्रेजुएट एवं गवेषणा संस्था, पूना स्थित भण्डारकर प्राच्य गवेषणा संस्था, कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसायटी और कलकत्ते की रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्था हैं।

प्रौद्योगिक शिक्षा

प्रौद्योगिक शिक्षा की दिशा में भी यथेष्ट प्रगति हुई है। वैज्ञानिक जन-शक्ति समिति के सुझावों के अनुसार तीन योजनाओं का आरम्भ भी भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। इनका सम्बन्ध गवेषणा के विकास और पोस्ट-ग्रेजुएट प्रशिक्षण से है। प्रौद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् ने एक प्रौद्योगिक जन-शक्ति समिति की नियुक्ति की है जिसका कार्य आगामी पांच वर्षों में देश के लिए आवश्यक प्रौद्योगिक विशेषज्ञों की संख्या का अनुमान लगाना होगा। इस बीच में परिषद् ने एक अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षण बोर्ड की भी स्थापना की है जिसका कार्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मुख्य शाखाओं के अध्ययन-कार्य को प्रोत्साहित करना होगा।

खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था का उद्घाटन १८ अगस्त, सन् १९५१ से हो गया। जब यह पूर्ण हो जाएगी तो इसमें ३ करोड़ रुपये का व्यय आएगा। अण्डर-ग्रेजुएट कक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सन् १९५१-५२ में २१० थी। सन् १९५२-५३ में यह संख्या बढ़कर ६०० हो जाएगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए १२ विश्व-विद्यालयों को आर्थिक सहायता दी गई। इंजीनियरिंग कालिजों को भी इस प्रकार की सहायता मिली है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्थापत्य तथा क्षेत्रीय आयोजन सम्बन्धी विशिष्ट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए एवं सभी स्तरों पर अल्पकालीन पाठ्य-क्रमों के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है।

धनबाद स्थित खान एवं व्यावहारिक भूगर्भ शास्त्र विषयक भारतीय स्कूल का पुनर्गठन किया गया है जिससे खान इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

कलकत्ते में एक जहाजी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण डायरेक्टरेट और स्थानिक जहाजी इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना हुई है।

भारत और यूनेस्को

सन् १९५१ के मध्य में पेरिस में होने वाले यूनेस्को के छठे आम सम्मेलन में भारत सरकार ने भी भाग लिया। मौलाना आजाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने यूनेस्को के कार्यक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन करने की जोरदार मांग रखी जिससे अपेक्षाकृत अल्पविकसित देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति और विश्व शांति की रक्षा हो सके। प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत यूनेस्को के साथ एक पूरक समझौता किया जा चुका है जिसके अनुसार यूनेस्को द्वारा तीन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होंगी तथा फैलोशिप और सामग्री की प्राप्ति की भी व्यवस्था होगी। इन सबका उपयोग विज्ञान एवं उद्योग

गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत भारत में वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र की स्थापना के लिए होगा।

कला और साहित्य

राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट की स्थापना के सम्बन्ध में, राज्य की सरकारों के सहयोग से, चुनी हुई स्थानिक कलाओं में गवेषणा और उनकी जांच-पड़ताल के कार्य के लिए ३,५०० रुपये की पांच कला विषयक छात्र वृत्तियां देने की एक योजना बनाई गई है। कला वस्तुओं के रंगीन प्रकाशन की भी एक योजना को स्वीकृति मिल चुकी है।

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने और सदेच्छा का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति वर्ष कई वजीफे देती है। कर्नाटक संगीत और नृत्य के विकास के लिए विश्वविद्यालय के ढंग पर एक ऐकेडमी की स्थापना का विचार किया जा रहा है। कर्नाटक संगीत विषयक केन्द्रीय कालिज इस ऐकेडमी का प्रारम्भिक एकक होगा।

परिगणित जातियों और कबीलों को वजीफे

सन् १९५१-५२ में परिगणित जातियों, परिगणित कबीलों तथा पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को वजीफे देने के लिए १५.४ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई। सन् १९५२-५३ के बजट में इस कार्य के लिए १७.५ लाख रुपयों की व्यवस्था है। सन् १९५१-५२ में प्रार्थियों की संख्या ८,२१९ थी जिनमें से २,४६१ प्रार्थियों को वजीफे दिए गए।

नवयुवक कल्याण कार्यक्रम

भारत सरकार ने मित्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सहायता प्रशासन के सहयोग से शिमला में नवम्बर सन् १९५१ में एक नवयुवक कल्याण-शिक्षण-शिविर का आयोजन और संगठन किया। इसके शीघ्र ही बाद केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा एक नवयुवक कल्याण समिति की नियुक्ति हुई जिसकी बैठक में उक्त शिक्षण शिविर की सिफारिशों पर विचार किया गया और राज्यों की सरकारों के सहयोग से उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए।

हिन्दी

हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिससे विधान में निर्धारित १५ वर्ष की अवधि में अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिन्दी में काम लिया जा सके। इसी कार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी संगठन की स्थापना हुई है। सन् १९५१-५२ में भाषा-शास्त्रियों की एक समिति और १० विशेषज्ञ समितियों की भी नियुक्ति हुई जिनका कार्य वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना होगा।

पुरातत्व विभाग

पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान के अन्तर्गत बीकानेर डिवीजन में नदी-घाटियों की खोज का कार्य जारी रखा गया

और यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि हड़प्पा की ताम्र-प्रस्तर युगीन संस्कृति का विस्तार उससे कहीं अधिक था जितना पहले समझा जाता था। एक संसदीय कानून द्वारा भाग 'क' और भाग 'ख' के राज्यों के अन्तर्गत कतिपय प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्व विषयक स्थानों को केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकार में लाया गया।

मानव शास्त्र

मानव शास्त्र सम्बन्धी विभाग का कार्य जारी रहा जिसके अन्तर्गत यूनेस्को की सामूहिक उत्तेजना अध्ययन योजना के लाभार्थ दक्षिण बंगाल में सामाजिक जीवन की जाँच-पड़ताल की गई। इस सम्बन्ध में एकत्रित सामग्री का सांख्यिकीय दृष्टि से विश्लेषण किया गया है और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अंदमान द्वीप समूह में मानव शास्त्र विषयक एक उपकेन्द्र की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य प्रमुखतः वहाँ के आदिवासियों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य कार्य इस वर्ष यह रहा है कि उसने उन सब अभिलेखों का संग्रह किया जो भूतपूर्व ब्रिटिश रेजीडेंसियों और पोलिटीकल एजेन्सियों में पाए जाते थे। अभिलेखागार ने विदेशों से ऐसे ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतिलिपियाँ भी प्राप्त कीं जिनका सम्बन्ध भारत से था। फोर्ट विलियम-इंडिया हाउस पत्र-व्यवहार की एक पुस्तक भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ तैयार की गई।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

उक्त पुस्तकालय की ग्रन्थ-सूची शाखा ने बड़ी संख्या में संक्षिप्त ग्रंथ-सूचियाँ तैयार कीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पुस्तकालय-प्रशिक्षण कक्षाओं के कार्य में भी इस पुस्तकालय ने सहयोग दिया और बंगाल पुस्तकालय एसोसियेशन द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण स्कूल के लिए सुविधायें प्रदान की गईं एवं उक्त पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ने इस स्कूल के निर्देशक के रूप में कार्य किया।

केन्द्रीय शिक्षा परिषद्

इस परिषद् की प्रकाशन शाखा ने 'दि एजुकेशन क्वार्टरली' के अतिरिक्त अन्य कई प्रकाशन भी किए। साथ ही सांख्यिकीय शाखा ने महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया और सूचना-शाखा ने शिक्षा सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाओं का उत्तर दिया।

स्वास्थ्य

देश का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशासन भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों की सम्मिलित जिम्मेवारी है। इस प्रकार यद्यपि स्वास्थ्य-सम्बन्धी मामले मुख्यतः राज्यों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथापि केन्द्रीय सरकार भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। केन्द्रीय सरकार का कार्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को देना, सूचना देना,

कुशल परामर्श देना तथा अन्य इस प्रकार की सहायता है जिसकी आवश्यकता स्वास्थ्य की उन्नति के लिए पड़े।

तपेदिक से मोर्चा

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विभिन्न रोगों, और विशेषतः तपेदिक के विरुद्ध, मोर्चे का संगठन किया है। भारत में सरकारी और गैर सरकारी तपेदिक के अस्पतालों तथा अन्य संस्थाओं की कुल संख्या नीचे दी जा रही है :

आरोग्याश्रम	४६
तपेदिक के अस्पताल	३५
क्लिनिक	११०
तपेदिक वार्ड	११४

इसके साथ ही तपेदिक के १०,३७१ मरीजों को अलग-अलग रख कर उनकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था है। गत तीन वर्षों में १,००० मरीजों के लिए स्थानों की प्रति वर्ष वृद्धि होती रही है। सन् १९४९–५० और सन् १९५०–५१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न तपेदिक सम्बन्धी संस्थाओं को क्रमशः ७ लाख और ५·५ लाख रुपयों की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त विस्थापित तपेदिक के मरीजों की चिकित्सा के लिए विभिन्न संस्थाओं को उपर्युक्त वर्षों में क्रमशः ५ लाख और ८·८ लाख रुपयों की सहायता दी गई।

भारत सरकार ने आई० टी० ओ०, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सहायता से बी० सी० जी० के टीके लगाने

का कार्यक्रम भी आरम्भ किया है। यह कार्यक्रम अधिकांश राज्यों में आरम्भ हो चुका है लेकिन केवल कुछ ही राज्यों में व्यापक रूप से टीके लगाए गए हैं। नवम्बर सन् १९५१ के अन्त तक ५,९७३,०३६ लोगों की डाक्टरी परीक्षा की गई और १,९२०,०५७ लोगों को टीके लगाए गए एवं १०० टुकड़ियों से अधिक को प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्य के लिए सन् १९५२-५३ के बजट अनुमानों में २८०,००० रुपयों की व्यवस्था रखी गई है।

भारत सरकार ने गुइन्डी स्थित बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला में बी० सी० जी० के टीके तैयार करना आरम्भ कर दिया है। इस प्रयोगशाला ने हाल में अपने काम का विस्तार किया है और विभिन्न राज्यों को और अधिक संख्या में टीके भेजना आरम्भ हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में यह अपने ढंग की एक ही प्रयोगशाला है और इस क्षेत्र के देशों को यहाँ से वैक्सीन और टुबरकुलीन दी जाएगी। सन् १९५२-५३ के लिए इस प्रयोगशाला को १२०,००० रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ३ प्रशिक्षण, गवेषणा और प्रदर्शन केन्द्र भी नई दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में खोलने की दिशा में कदम उठाये गए हैं। इन संस्थाओं में डाक्टरी सीखने वाले विद्यार्थियों, पोस्ट ग्रेजुएट कार्यकर्त्ताओं और दाइयों आदि को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन केन्द्रों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि रोग को आने से ही बचाया जाए और उसकी चिकित्सा अस्पताल में न होकर घर में ही हो सके। विश्व-स्वास्थ्य संगठन से इस बात के लिए सहायता मांगी गई है कि सन् १९५२ में भारत में दो और भी क्षय निरोधक केन्द्र खोले जाएं। तपेदिक चिकित्सा सम्बन्धी

कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य सेवा संचालक के कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष तपेदिक के चिकित्सकों की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

तपेदिक एसोसिएशन आफ इण्डिया, रामकृष्ण मिशन और मदनपल्ली के यू० एम० टी० क्षय आरोग्याश्रम को क्षय निरोधक कार्यों के लिए सहायता दी गई है। सन् १९५२–५३ में ये सहायताएँ जारी रहेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट के लिए भी ४००,००० रुपयों की सहायता देने का प्रस्ताव आया है और यह आशा की जाती है कि यह इन्स्टीट्यूट इस वर्ष से कार्य करने लगेगा।

स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंज मैडिकल कालिज एवं अस्पताल, महिलाओं को चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा देने वाली भारत भर में अपने ढंग की अकेली संस्था है। इसे भारत सरकार से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। एक विशेष समिति ने यह सिफारिश की है कि इस संस्था को १,३५०,००० रुपयों की अनावर्त्तक सहायता और ७३१,००० रुपयों की आवर्त्तक सहायता दी जाए। सरकार द्वारा यह सिफारिश मान ली गई है और समिति द्वारा सुझाई गई कुछ अत्यावश्यक योजनाओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत भी हो गई है। एक नए शव-परीक्षा कक्ष का निर्माण हो चुका है और सामग्री की खरीद के लिए ३ लाख रुपये की रकम स्वीकृत हुई है। २४,५०० रुपयों की एक अन्य रकम शीत-संग्रह कक्ष की सामग्री खरीदने के लिए स्वीकृत

हुई है। ऐण्टी-नेटाल वार्ड, एक नई नर्सरी और एक सेपटिक लेबर रूम बनाने की स्वीकृति भी दी गई है। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट अनुमानों के अन्तर्गत दाइयों के लिए एक नया निवास स्थान और बाहरी मरीजों के विभाग में एक आकस्मिक चोट की चिकित्सा सम्बन्धी शाखा की व्यवस्था है।

इस समय यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि लुधियाना के महिला क्रिश्चियन मेडिकल कालिज को ५,०००,००० रुपये के व्यय से उच्च कक्षाओं वाला कालिज बना दिया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि सन् १९५२-५३ में दिल्ली में एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना हो। इस प्रस्तावित संस्था के अन्तर्गत अन्डर ग्रेजुएटों के लिए एक मेडिकल कालिज होगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा केन्द्र होगा और एक दन्त चिकित्सा कालिज होगा और यह संस्था इर्विन अस्पताल से सहयोग पूर्वक कार्य करेगी।

सन् १९५२-५३ के बजट अनुमानों में ५ लाख रुपये की व्यवस्था इसलिए रखी गई है जिससे कालिज आफ नर्सिंग को इर्विन अस्पताल की सीमा में स्थायी स्थान मिल सके। बजट में यह भी व्यवस्था की गई है कि ४०,००० रुपयों के व्यय से मलेरिया इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया में फिलेरियेसिस सम्बन्धी गवेषणा की एक अलग शाखा खोली जाए। एक विशेष समिति की सिफारिशों पर यह निश्चय हुआ है कि जामनगर में गुलाब कुँवर बा आयुर्वेदिक संस्था के सहयोग से देशी चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी एक केन्द्रीय गवेषणा संस्था की स्थापना की जाय। इस कार्य के लिए विगत आर्थिक वर्ष में १००,००० रुपये

दिए गए थे। चालू आर्थिक वर्ष के बजट अनुमानों में भी इस कार्य के लिए ४००,००० रुपये रखे गए हैं।

भाग 'ग' के राज्यों के स्वास्थ्य के विषय में भारत सरकार की सीधी जिम्मेवारी है, और जैसा कि पहले होता आया है, चालू बजट में ऐसे राज्यों में स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था रखी गई है। उदाहरणार्थ, दिल्ली में एक योजना का सम्बन्ध छूत की बीमारियों के अस्पताल से है जहां इस समय चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं। इस अस्पताल में अभी केवल ३० मरीजों के लिए स्थान है। यह तय किया गया है कि इस समय इस अस्पताल में जितने भवन हैं उनका विस्तार किया जाए और एक, दो तथा चार मरीजों के रहने योग्य स्पेशल वार्डों में २४ स्थान और बढ़ाए जाएँ। ४८ स्थान और भी बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यूनिसेफ की सहायता से दिल्ली क्षेत्र में सन् १९५१ में प्रसूति विषयक प्रशिक्षण और नर्सिंग में सुधार का कार्य आरम्भ किया गया। इस कार्य के लिए यूनीसेफ द्वारा विशेषज्ञ, सामग्री तथा यंत्र आदि प्राप्त होंगे तथा भारत सरकार द्वारा समानान्तर कार्यों, आपत्कालीन कार्यों और यातायात आदि का व्यय दिया जाएगा। यह अनुमान किया गया है कि इस योजना के लिए सरकार को प्रति वर्ष १४१,००० रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अन्य भाग 'ग' के राज्यों के लिए भी बजट में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है और योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

दवाइयों पर नियंत्रण और उनका उत्पादन

जहाँ तक दवाइयों का सम्बन्ध है, सरकार ने इस बात के लिए निश्चयात्मक क़दम उठाए हैं कि दवाइयां निर्धारित प्रमाप के अनुसार बनें, उनको बाहर से मँगाने की अधिकाधिक सुविधा रहे और देश में उनको बनाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। दवाइयों सम्बन्धी नियंत्रण के लिए सन् १९४० में दवाई कानून बनाया गया था जिसे अप्रैल सन् १९४७ में कार्यान्वित किया गया। केन्द्रीय सरकार के दिशा दर्शन में सभी भाग 'क' के राज्यों ने दवाई कानून के अन्तर्गत एक से नियमों को अपनाया है और निकट भविष्य में भाग 'ख' के राज्य भी यही करने जा रहे हैं।

और अधिक संख्या में दवाइयों की प्राप्ति के लिए मई सन् १९५० में पैन्सिलीन, इन्सुलीन, सुलफा दवाइयों आदि के आयात को उदार बना दिया गया। अगस्त सन् १९५० में पैन्सिलीन, क्लोरोमाएसेटीन और ग्लूकोज को प्रत्येक देश से मँगाया जा सकता था और स्ट्रेप्टोमाइसीन को सुलभ मुद्रा वाले प्रदेशों से। २५ नवम्बर सन् १९५० के ओ० जी० एल० नं० २१ के अनुसार सुलभ मुद्रा वाले प्रदेशों से अन्य आवश्यक दवाइयों का आयात भी हो सकता है। इसी बीच में डी० डी० टी० पर आयातकर हटा दिया गया है।

जहाँ तक दवाइयों के बनाने का सवाल है, भारत सरकार ने पैन्सिलीन बनाने की एक योजना का आरम्भ किया है और बम्बई की सरकार ने डी० डी० टी० के बनाने का काम हाथ में

लिया है। पश्चिमी बंगाल और मद्रास की सरकारों के अधिकार में सिनकोना के बगान हैं और उन राज्यों में इस साल १००,००० पौंड कुनैन तैयार हुई है। केन्द्रीय सरकार ने उक्त राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे कुनैन के उत्पादन को और अधिक बढ़ावें। बम्बई के हाफ़किन इन्स्टीट्यूट ने सलफाथायाजोल के उत्पादन को व्यावसायिक पैमाने पर आरम्भ किया है और यह उत्पादन बाहर से आने वाले सर्वोत्तम माल के समकक्ष है। केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था कई चीजों पर गवेषणा के कार्य में लगी हुई है। इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में काम आने वाले पौधे भी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ से यह कहा गया है कि वे यंत्रादि तथा विशेषज्ञ देवें और शिक्षण सम्बन्धी वजीफों का भी प्रबन्ध करें जिससे मलेरिया, गुप्त रोगों आदि का निवारण हो सके। प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के विकास के लिए भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। भारत को उपर्युक्त दोनों संस्थाओं से काफी अधिक सहायता मिल भी चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैज़ा, प्लेग, मलेरिया, इन्फ्लुएन्ज़ा आदि रोग विषयक विशेषज्ञ समितियां बना दी हैं और इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रमुख भारतीय कार्यकर्त्ता इन समितियों में सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

देश की बढ़ती हुई आबादी की ओर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। डाक्टर अब्राहम स्टोन की रिपोर्ट विचाराधीन है

और यह आशा की जाती है कि परिवार-आयोजन की दिशा में शीघ्र ही कार्य आरम्भ होगा।

भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ सहयोग करते हुए यह निश्चय किया है कि कलकत्ता स्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई विषयक अखिल भारतीय संस्था की प्रसूति और शिशु कल्याण शाखाओं का विकास किया जाए और उक्त संस्था में एक जच्चा-बच्चा और शिशु स्वास्थ्य विभाग आयोजित किया जाए। यह विभाग शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकर्त्ताओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य करेगा और ये कार्यकर्त्ता अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर कार्य करेंगे। सन् १९५१-५२ के बजट में इस कार्य के लिए राजस्व खाते में ३५०,००० रुपयों और पूंजीगत नियोजन खाते में ६६०,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सन् १९५२-५३ के बजट अनुमानों में राजस्व खाते में २१२,००० रुपयों और पूंजीगत व्यय के खाते में १,०००,००० रुपयों की व्यवस्था रखी गई है।

के० ई० एम० अस्पताल बम्बई में एक स्थायी दैहिक चिकित्सा स्कूल और केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें देश के विभिन्न भागों से आने वाले दैहिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण होगा। इसके कुल आवर्त्तक व्यय का भार भारत सरकार, बम्बई की सरकार और बम्बई म्युनिसिपैलिटी बराबर-बराबर वहन करेंगी। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि बम्बई के टाटा स्मारक अस्पताल को उसकी सम्पूर्ण वर्तमान सम्पत्ति के साथ अधिकृत कर लिया जाए और उसे केन्द्रीय सरकार की एक संस्था के रूप में संचालित किया जाए।

पुनर्वास

७४·८० लाख विस्थापित व्यक्तियों में से, जो पाकिस्तान से भारत में बसने के लिए आए, ४६·०५ लाख व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से आए और २५·७५ लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से।

सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को यत्र-तत्र भेजने का कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका है और अब उनके लिए कोई भी सहायता-शिविर नहीं रहा है। जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आए, वे इस समय १४ सहायता-शिविरों में रह रहे हैं। इस आर्थिक वर्ष के आरम्भ में पूर्वी राज्यों के शिविरों में रहने वाले लोगों की संख्या एक लाख से ऊपर थी। अब वह घट कर ४०,००० रह गई है, क्योंकि बहुत से लोगों को योजनानुसार विभिन्न केन्द्रों में पुनर्वास के लिए भेज दिया गया है। यह आशा की जाती है कि सन् १९५२–५३ में शिविरों की सम्पूर्ण आबादी को यत्र-तत्र बसा दिया जाएगा।

भारत सरकार ने ऐसी स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों तथा कमजोर लोगों एवं उनके अधीनस्थों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, जिनका सगा-सम्बन्धी कोई न था। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ऐसे लोगों की संख्या ३८,००० है और पश्चिमी पकिस्तान से ३६,००० ऐसे लोग आए हैं। इनमें से अधिकांश उन शरण-गृहों में रह रहे हैं जो उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं और इनमें से बहुत बड़ी संख्या इस समय दातव्य सहायता के सहारे निर्वाह कर रही है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि

स्त्रियों, बच्चों और उनके अधीनस्थों को समुचित धंधों और कला-कौशल की शिक्षा दी जाए जिससे वे स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-निर्वाह कर सकें। इस कार्य के लिए ग़ैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया गया है।

पुनर्वास मंत्रालय ने यह स्वीकार कर लिया था कि अन्त-कालीन सहायता के रूप में वह ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को निर्वाह-भत्ते देगा जो बुढ़ापे, कमज़ोरी या बीमारी के कारण रोजी नहीं कमा सकते। अभी तक लगभग ५० लाख रुपये इस कार्य के लिए व्यय हुए हैं और लगभग १६,००० व्यक्तियों को सहायता दी गई है।

देहाती क्षेत्रों में पुनर्वास

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले ४६७,००० विस्थापित परिवारों को गाँवों में बसाया गया है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ऐसे परिवारों की संख्या ३३७,००० है। कृषकों को निर्धारित दर के अनुसार कृषि सम्बन्धी यंत्रों की खरीद और घर बनाने के लिए कर्ज दिए गए हैं। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित परिवारों को दिए गए कर्ज की कुल रकम १५·९३ करोड़ है।

नगरों में पुनर्वास

मोटे तौर पर नगरों में पुनर्वास की समस्या के दो रूप हैं—आवास और रोजी की खोज। विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लगभग २५ लाख व्यक्तियों के लिए

आवास की खोज करनी पड़ी। आरम्भिक अवस्था में उन्हें निष्क्रान्त व्यक्तियों के घरों, बैरकों, खेमों आदि में रखा गया। बाद में सरकार ने भवन-निर्माण की व्यापक योजना को कार्यान्वित करना आरम्भ किया। १० लघु नगरों को बसाने की योजनाएँ पूर्ण की गईं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में उपनगरों के विस्तार की १५० योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान से दिल्ली में ही लगभग ५ लाख व्यक्ति आए। इनमें से १६०,००० व्यक्तियों को निष्क्रान्तों के घरों में स्थान दिया गया। शेष के लिए सरकार ने लगभग ३,००० एकड़ क्षेत्रफल में २० उपनगर-विस्तार-योजनाओं को कार्यान्वित किया है, जहां सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। मार्च सन् १९५२ के अन्त तक २७,००० नए मकानों और दुकानों को बनाया जा चुका था और लगभग ५,५०० का बनना जारी था। साथ ही १,६०० प्लाट विस्थापित लोगों को दिए गए, जिन पर वे स्वयं अपने मकान बनाएंगे।

गृह-निर्माण

कुल मिलाकर अभी तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए २,२२०,००० विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था कर दी गई है। नए नगरों और उपनगरों के विस्तार के कार्य लगभग पूर्ण हो रहे हैं जिससे कालान्तर में परिस्थिति बहुत अधिक सुधर जाएगी। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का प्रश्न है, आम नीति यह रखी गई है कि उनके लिए भवन निर्माण के हेतु स्थानों की व्यवस्था कर दी जाए और मकान बनाने के लिए उन्हें कर्ज दिए जाएँ, लेकिन भवन-निर्माण का

कार्य उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। सरकार ने हावरा-बाईगाछी और फूलिया में १,१०० और ८५० मकानों वाले दो लघु नगर बनाए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की सरकारों ने भी पूर्वीय क्षेत्रों में ७,२०० मकान बनाए हैं।

रोज़ी-रोज़गार

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लगभग १८६,००० विस्थापितों को श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित काम दिलाऊ केन्द्रों के द्वारा काम दिलाया गया है। इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया कि विस्थापित सरकारी नौकरों को केन्द्रीय और राज्यों की सरकारों में काम पर लगा दिया जाए। गृह मंत्रालय ने एक विशेष सेवा-परिवर्तन-विभाग की स्थापना की, जिससे विस्थापितों को समुचित स्थानों पर नियुक्त किया जा सके। रेल मंत्रालय ने यह स्वीकार कर लिया कि वह कुछ स्थानों को विस्थापितों के लिए सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार जब पंच-निर्णायक के निर्णय के अनुसार कुछ जगहें खाली हुईं तो उनमें १५,००० विस्थापितों को लगा दिया गया। दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त सभी प्रकार के उपायों द्वारा लगभग ८०,००० विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय और राज्यीय सेवाओं में स्थान मिल चुका है।

शहरी विस्थापित व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या को उत्पादक दिशाओं में मोड़ने के लिए योजनाएं बनाई गईं और उन्हें उपयुक्त उद्योग-धंधों तथा कला-कौशल की शिक्षा देने का कार्य पूर्ण हुआ जिससे कि वे विभिन्न उद्योगों को अपना सकें। इस

प्रकार ५०,००० से अधिक पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ८,००० व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं। पूर्वी राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ७,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ४,००० व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं।

प्रशिक्षण योजनाएं

इस समय तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं जिनके अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है: (१) पुनर्वास तथा काम दिलाऊ विभाग की ओर से ३१ नियमित केन्द्र संचालित किए गए हैं और पूर्वी पाकिस्तान के १,१६६ विस्थापित व्यक्तियों को तथा पश्चिमी पाकिस्तान के ७६८ व्यक्तियों को सन् १९५१-५२ में प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर-प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में स्थापित औद्योगिक कार्य-केन्द्रों में ८५० से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। (२) कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग ३७,००० विस्थापित व्यक्तियों को दिसम्बर सन् १९५१ के अन्त तक प्रशिक्षण दिया गया है और ११,००० व्यक्तियों के एक अन्य दल को भी विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है अथवा वे उत्पादक कार्यों में लगे हुए हैं। (३) पुनर्वास मंत्रालय की भी अपनी योजनाएं हैं और नीलोखड़ी तथा फूलिया के नए लघु नगरों में दो विविध धंधों का प्रशिक्षण देने वाली पौलीटैकनीक संस्थाएं संचालित हैं। अभी तक इन दोनों केन्द्रों में

२,८८६ विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिल चुका है और ४३६ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं।

विस्थापित विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई और वजीफ़ों की सुविधा दी जा रही है और उनमें से योग्य विद्यार्थियों को किताबों और कापियों आदि के लिए नकद सहायता भी दी जा रही है।

कर्ज़

३१ जनवरी, सन् १९५२ तक पश्चिमी पाकिस्तान के १९१,००० से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को १०·५८ करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत हुआ। पश्चिमी प्रदेशों में विस्थापित व्यक्तियों के लिए ४·२४ करोड़ रुपये की राशि और भी स्वीकृत हुई।

मुआवज़ा और दावे

विस्थापित व्यक्तियों को मुआवज़ा देने के लिए पहला कदम यह उठाया गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान में वे जो सम्पत्ति छोड़ आए थे उसके सम्बन्ध में उनके दावों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ भारत में अचल निष्क्रांत सम्पत्ति का भी लेखा-जोखा किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि सन् १९५२–५३ तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। मंत्रालय ने डा० बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो भारत में निष्क्रांत सम्पत्ति के उपयोग के ढंगों पर परामर्श देगी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय ने हाल में यह निश्चय किया कि राज्य की सरकारों द्वारा उद्योग-धंधे,

व्यवसाय, शिक्षा, गृह-निर्माण इत्यादि के लिए दिए गए अग्रिम कर्जों की किस्तों में वसूली तब तक स्थगित रखी जाए जब तक कि जाँच-पड़ताल किए गए दावों के सम्बन्ध में मुआवज़े की रकम की पहली किश्त अदा न कर दी जाए।

विस्थापित हरिजन

विस्थापित हरिजनों के पुनर्वास के लिए एक पृथक बोर्ड है जिसकी अध्यक्ष श्रीमती रामेश्वरी नेहरू हैं। अपने कार्यकाल के गत चार वर्षों में इस बोर्ड ने ८,८०० विस्थापित हरिजनों को काम पर लगाया है और शहरी क्षेत्रों में उनके लिए १,१२३ मकानों का प्रबन्ध किया है। देहाती क्षेत्रों में इसने १६,२५६ परिवारों के लिए जमीन की व्यवस्था की है और कर्ज दिलाया है तथा २,४०३ घरों का प्रबन्ध किया है।

श्रम

श्रम कानून

सन् १९५१–५२ में पास होने वाले दो महत्त्वपूर्ण कानूनों के अन्तर्गत बगान मजदूर कानून और कर्मचारी प्राविडेन्ट फण्ड कानून हैं। प्रथम कानून द्वारा चाय, काफी, रबड़ और सिनकोना के बगानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण और उनके कार्य की दशाओं के नियमन की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए अब नमूने के नियम बनाए जा रहे हैं। दूसरे कानून को पहले अध्यादेश के रूप में प्रचारित किया गया

था, और फिर उसे कानून का रूप दे दिया गया। इसके अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्राविडेन्ट फण्ड की व्यवस्था है और यह उन सभी कारखानों पर लागू होता है, जहाँ ५० या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके अन्तर्गत वस्त्र, लोहा और इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कागज और सिगरेट के उद्योग आते हैं। इस योजना के अनुसार मालिक को कर्मचारी के बुनियादी वेतन और मँहगाई भत्ते का ६¼ प्रतिशत अंश दान देना पड़ता है। कर्मचारी को भी उतना ही देना पड़ता है जितना मालिक को। सरकार और स्थानिक अधिकारियों द्वारा संचालित कारखानों को इस कानून के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि कई मामलों में सरकारी कारखानों में काम करने वालों को प्राप्त सुविधाएँ उन सुविधाओं से कहीं अधिक हैं, जिनकी व्यवस्था इस कानून द्वारा की गई है।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक संघर्ष कानून, १९४७, औद्योगिक संघर्ष (अपील की अदालत) कानून १९५०, कर्मचारी राज्य बीमा कानून, १९४८, बालकों की भर्ती कानून, १९४८, न्यूनतम वेतन कानून, १९४८, वेतन भुगतान कानून, १९३६, भारतीय खान कानून, १९५२, और कोयला खान श्रम-कल्याण निधि कानून, १९४७ में संशोधन किए गए। १ अप्रैल, सन् १९५१ से भारतीय खान कानून, १९२३, खान प्रसूति सुविधा कानून १९४१, अभ्रक खान श्रम-कल्याण निधि कानून, १९४६ और कोयला खान श्रम-कल्याण निधि कानून, १९४७ का क्षेत्र भाग 'ख' के राज्यों (जम्मू और काश्मीर के राज्य को छोड़कर) तक व्यापक कर दिया गया है। इन राज्यों तक उपर्युक्त कानूनों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और उपनियमों तथा औद्यो-

गिक सांख्यिकीय कानून का भी विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त मैसूर तथा जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर इन राज्यों में भारतीय लौह धातु खान नियम, १९२६ को भी लागू कर दिया गया।

औद्योगिक सांख्यिकीय (श्रम) नियमों को बनाया गया और स्वीकृति के लिए उन्हें राज्यों की सरकारों को भेजा गया।

श्रम कल्याण

सन् १९५१ में सरकार ने सामान्य कल्याण खाते के अन्तर्गत ७,२४४,००० रुपये निर्धारित किए और गृह-निर्माण खाते के अन्तर्गत १,९३५,००० रुपये निर्धारित किए।

धनबाद स्थित केन्द्रीय अस्पताल के विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और रानीगंज की कोयले की खानों में स्थित आसनसोल के निकट एक केन्द्रीय अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। आसनसोल का अस्पताल धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल के नमूने पर बनेगा और आरम्भ में उसमें १६५ मरीजों के लिए स्थान रहेगा। ३० पलँगों वाले और प्रसूति केन्द्र से संयुक्त एक अस्पताल बोकारो कोयला खान क्षेत्र में स्थित फुसरो नामक स्थान में बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ और बिहार की कोयला खानों में स्थित मुगमा नामक स्थान में एक चिकित्सालय बनाना स्वीकृत हुआ। आसनसोल में एक रक्त बैंक की स्थापना और कटरस तथा सीयरसोल में तपेदिक का चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।

यह भी तय हुआ कि झरिया और रानीगंज की कोयला खानों के क्षेत्र में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्य आरम्भ हो। उड़ीसा के सम्भलपुर जिले में मलेरिया निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए। आसनसोल खान स्वास्थ्य बोर्ड को ५७,००० रुपयों की सहायता दी गई और झरिया खान स्वास्थ्य बोर्ड को ५२,००० रुपयों की सहायता दी गई जिससे उक्त क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता और सफाई की सेवाओं का विस्तार हो सके। इसके अतिरिक्त झरिया और रानीगंज की कोयला खानों के क्षेत्रों में मलेरिया निरोधक उपायों पर लगभग १,०००,००० रुपये व्यय किए गए।

स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए स्वीकृत केन्द्रों के अतिरिक्त बिहार के कर्णपुर और रामगढ़ कोयला खान क्षेत्रों में और मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में १० प्रदर्शन केन्द्र खोलना स्वीकृत हुआ तथा तलचर कोयला खानों में एक महिला कल्याण केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई। तलचर कोयला खानों में एक वयस्क शिक्षा केन्द्र तथा अन्य कोयला खान क्षेत्रों में ११ ऐसे केन्द्रों को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

इसके साथ ही साथ शिक्षा, मनोरंजन तथा अन्य कल्याण-कारी सुविधाओं के लिए कोयला खान क्षेत्रों में २० विविध उद्देश्ययुक्त कल्याण केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति मिली। यह भी निश्चय हुआ कि मध्यप्रदेश की पेंच घाटी की कोयला खानों में रेडियो और लाउड स्पीकरों की व्यवस्था की जाए।

कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए वस्त्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १२,००० रुपयों की

सहायता दी गई। मध्यप्रदेश की पेंच घाटी, चाँदा और कोरिया की कोयला खानों में वर्तमान सामाजिक शिक्षा योजना को जारी रखने तथा बच्चों के पार्क बनाने के प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए। दिल्ली की अखिल भारतीय अन्ध सहायता समिति को बिहार की खानों में नेत्र-चिकित्सा सम्बन्धी कार्य करने के लिए ४,००० रुपये का सहायक अनुदान दिया गया। भूली लघु नगर में खान मजदूरों की सुविधा के लिए २६०,००० रुपयों के व्यय से बांस-जोरा से भूली तक एक सड़क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बच्चों के भूलों और खान-द्वार पर स्नानागारों सम्बन्धी कानूनी धाराओं को कठोरता के साथ लागू किया गया। भूलों की देख-रेख करने वालों की दूसरी टोली को गत वर्ष प्रशिक्षण मिला।

कोयला खान प्राविडेन्ट फण्ड और बोनस योजनाओं को बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। मार्च सन् १९५२ के अन्त तक लगभग ४८१,९२७ कोयला खान मजदूरों ने फण्ड कटाना शुरू किया और मालिकों तथा मजदूरों द्वारा २२,०००,००० रुपये फण्ड खाते में जमा हुए। १५ मार्च सन् १९५२ तक ५,६०८ कोयला खान मजदूरों और कर्मचारियों को उनके प्राविडेन्ट फण्ड से २०२,२३९ रुपये दिए जा चुके थे।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के बजट के अन्तर्गत बिहार और मद्रास में क्रमशः ९००,००० रुपये और १२५,००० रुपयों की व्यवस्था की गई।

मद्रास के अभ्रक खान के क्षेत्रों में स्थित कालीचेदु नामक स्थान में ८ पलंगों वाले एक अस्पताल और ४ पलंगों वाले एक प्रसूति वार्ड को बनाने के लिए स्वीकृति दी गई। सन् १९५१-५२ में मद्रास के अभ्रक खान मजदूरों के लिए प्रयोग में आने वाले दो स्थान गवर्नमेंट अस्पताल नेलोर में और एक स्थान गवर्नमेंट अस्पताल गुडुर में यथावत् सुरक्षित रखा गया। मद्रास प्रान्तीय कल्याण निधि की नेलोर जिला शाखा को तपेदिक अस्पताल में अभ्रक खानों के मजदूरों के ही इस्तेमाल के लिए ८ पलंगों वाले एक वार्ड को बनाने के लिए १५,००० रुपयों की सहायता दी गई। बिहार और मद्रास की अभ्रक खानों के लिए मलेरिया निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए ६४,००० रुपयों की स्वीकृति दी गई। अन्य सुविधाओं के अन्तर्गत जालपुर में एक सामग्री-संग्रहालय की स्थापना और अभ्रक खान मजदूरों के लिए ढाब में एक प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना है। अभ्रक खान मजदूरों को अपने इस्तेमाल के लिए कुएं बनाने के कार्य में सहायतार्थ धन की स्वीकृति हुई।

चाय बगान मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय चाय बोर्ड से ४००,००० रुपयों की सहायता प्राप्त हुई। राज्यों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे कल्याण योजनाएं तैयार करें जिनके अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, इस प्रकार के पूरक धंधों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जैसे-दर्जीगीरी, कसीदा, बुनाई, डलिया बनाना आदि। कुछ राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो

चुके हैं, जिसके अन्तर्गत बगान मजदूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त होंगी।

मार्च-अप्रैल सन् १६४८ में होने वाले बगान उद्योग समिति के दूसरे अधिवेशन में बगानों में डाक्टरी देख-रेख के स्तर के सम्बन्ध में डाक्टर लॉयड जोन्स द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार किया गया। तदनुसार प्लैन्टर्स एसोसिएशनों से कहा गया कि वे उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

मद्रास में ५ फरवरी सन् १६५१ को होने वाली बगान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की उपसमिति की बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसार, और सम्बन्धित राज्यीय सरकारों से परामर्श करके, यह निश्चय किया गया कि दक्षिण भारत में प्रचलित मजदूरों की भर्ती की 'कंगानी' प्रणाली को, जिसमें बहुत सी बुराइयां थीं, दूर करने के लिए कतिपय उपाय किए जाएं। राज्यीय सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि १ जनवरी, सन् १६५२ से वे इन उपायों को लागू करें।

बन्दरगाह कर्मचारी (कार्य नियमन) कानून, १६४८, के उद्देश्यों के सम्पादन के लिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए गए :

(१) बम्बई बन्दरगाह कर्मचारी (कार्य नियमन) योजना, १६५१;

(२) कलकत्ता बन्दरगाह कर्मचारी (कार्य नियमन) योजना, १६५१; तथा

(३) मद्रास बन्दरगाह कर्मचारी (कार्य नियमन) योजना, १९५२।

इन योजनाओं के अन्तर्गत, जिनका विस्तार अभी जहाज पर माल चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों की कुछ श्रेणियों तक ही सीमित है, कर्मचारियों तथा मालिकों के रजिस्ट्रेशन, निर्धारित न्यूनतम वेतन की भुगतान, हाजिरी के भत्ते और जब-तब ही काम पाने वालों को 'निराशा का भत्ता' देने की व्यवस्था की गई है। बम्बई योजना को १ फरवरी सन् १९५२ से कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित उद्योगों में न्यूनतम वेतन कानून (१९४८) को लागू करने की दिशा में यथेष्ट प्रगति हुई। ऐसे उद्योगों में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई है और राज्य सरकारों की सम्मति प्राप्त करके दावा-अफसरों की नियुक्ति का अधिकार उक्त सरकारों को सौंप दिया गया है।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा काम में लगाए जाने वाले मजदूरों के हितों की रक्षार्थ उक्त विभाग के ठेकों की शर्तों में एक उचित वेतन सम्बन्धी धारा को जोड़ दिया गया है। इस धारा को जोड़ने का उद्देश्य यह है कि मजदूरों को उचित वेतन मिले और ठेकेदारों को यह छूट न हो कि वे बाजार दर से कम दर पर लोगों से काम लेने की कोशिश करें। राज्य की सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करें।

श्रम मंत्रालय के सुझाव पर रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे प्रशासनों से कहा है कि वे ठेके में मजदूरों को लगाने की प्रणाली को हटा देवें और रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस शुदा भार-वाहकों की सीधी भर्ती करें।

श्रम कल्याण अफसरों, नागरिक श्रम अफसरों आदि की सेवाओं सम्बन्धी दशाओं का नियमन करने के लिए श्रम अफसर (केन्द्रीय समूह) भर्ती और कार्य दशा नियम, १६५१, बनाए गए। जब इन नियमों को पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा तब सभी श्रम अफसर एक ही समूह के अन्तर्गत आ जाएंगे।

औद्योगिक आवास व्यवस्था

यह निश्चय किया गया कि १,६६६,००० रुपयों के व्यय से रेलवे की कोयला खानों के कर्मचारियों के लिए ५३६ मकान बनाए जाएं। ये मकान सामान्यतः दो कमरों वाले होंगे और उनके साथ सम्मिलित शौचालय, बाहर जल की व्यवस्था, सड़कों की रोशनी, मार्गों तथा नालियों की व्यवस्था रहेगी। नव-निर्मित लघु नगर भूली में और अधिक सुविधाएं देने की दिशा में भी कदम उठाए गए। पानी की व्यवस्था और सफाई सम्बन्धी व्यवस्था के लिए स्वीकृति दी गई।

बगान मजदूर कानून, १६५१ के अन्तर्गत बगान के मालिकों ने सन् १६५१ में दक्षिण भारत में मजदूरों के लिए ४,६१५ मकान बनवाए और १ अप्रैल तथा ३० सितम्बर १६५१ के बीच उत्तर भारत में १०,१८३ मकान बनवाए।

सन् १९५१-५२ के बजट में औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के लिए १ करोड़ ६८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई जबकि पिछले साल केवल १ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। यह योजना, जो अभी तक भाग 'क' के राज्यों और कुछ भाग 'ग' के राज्यों तक सीमित थी, अब सभी राज्यों तक व्यापक हो गई है। १० राज्यों को, जिन्होंने इस योजना में भाग लिया, उक्त कार्य के लिए ऋण दिया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

बैंकों को छोड़ कर अन्य उद्योगों में सन् १९५१–५२ में पारस्परिक सम्बन्धों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ। सन् १९५०–५१ में ३,४९४,११९ श्रम दिवसों की हानि हुई जबकि सन् १९४९–५० में १३,२४४,११४ श्रम दिवसों की हानि हुई थी। सभी प्रमुख उद्योगों में उत्पादन बढ़ा।

विभिन्न राज्यों से अपीलों की संख्या में वृद्धि हुई और इसीलिए निश्चय किया गया कि श्रम अपील अदालत में एक तीसरी बेंच और बढ़ा दी जाए।

चूंकि कुछ बैंकों द्वारा की गई एक अपील के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य एवार्ड अथवा पंच-निर्णय को तथा कुछ अन्य निर्णयों को अमान्य घोषित किया, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री एस० पी० शास्त्री की अध्यक्षता में एक नई औद्योगिक अदालत की, जिसके तीन सदस्य थे, नियुक्ति की गई और उसे उपर्युक्त संघर्षों के सम्बन्ध में पंच-निर्णय देने को कहा गया।

खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी जांच

इस वर्ष खेतिहर मजदूर जांच सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्य पूर्ण किया गया। प्राप्त आँकड़ों के अन्तर्गत ८१२ सामान्य ग्राम-सूचियाँ और उतनी ही विवरणात्मक ग्राम्य-टिप्पणियाँ हैं। लगभग १०४,००० सामान्य परिवार-अनुसूचियाँ हैं और १५६,००० फार्म ३-क की अनुसूचियां हैं, १३,००० फार्म ३-ख की अनुसूचियाँ हैं और २५,००० फार्म ३-ग की अनुसूचियाँ हैं। ८ गांवों में होने वाली खेतिहर-मजदूर-जांच की ८ रिपोर्टें भी प्रकाशित हो गई हैं और सामान्य-ग्राम पड़ताल की पहली अवस्था के विषय में रिपोर्ट छप रही है। पंजाब, दिल्ली, काश्मीर और अजमेर की सरकारों ने खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन निर्धारित भी कर दिए हैं और बिहार की सरकार ने पटना जिले में इस प्रकार के वेतन की दरों को निश्चित कर दिया है।

बेगार

१० सितम्बर सन् १९५१ को भारत सरकार ने बेगार को हटाने के लिए जो उपाय किए थे, उनके सम्बन्ध में एक वक्तव्य संसद् में पेश किया गया। शासकीय कार्रवाइयों के अन्तर्गत बेगार के विरुद्ध कानूनी रक्षा सम्बन्धी कदम उठाए गए और इस मामले में राज्यों की सरकारों को सहायता देने के लिए आँकड़े एकत्रित किए गए। राज्यों की सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे देहाती क्षेत्रों में बेगार सम्बन्धी विधान की धाराओं का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार करें।

प्रौद्योगिक सहायता

अप्रैल सन् १९५१ में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य मित्र-राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी व्यापक सहकारी कार्यक्रम तथा अन्य विशेष अभिकरणों के अन्तर्गत विशेषज्ञों की सेवाओं तथा अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के रूप में प्रौद्योगिक सहायता प्राप्त करना था। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से यह भी माँग की कि वह उत्पादन के क्षेत्र के और परिणामों को देख कर पारिश्रमिक देने की प्रणाली सम्बन्धी विशेषज्ञों की सेवाओं को प्रदान करे। ऐसे विशेषज्ञों को भी देने के लिए कहा गया, जो खेतिहर मजदूरों की जांच-पड़ताल सम्बन्धी परिणामों का विश्लेषण कर सकें, बगान मजदूरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को आयोजित कर सकें। इसके अतिरिक्त श्रम के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लिए वजीफों की व्यवस्था करने को भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कहा गया।

प्रौद्योगिक सहायता की दिशा में आरम्भिक कदम के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नवम्बर सन् १९५१ में नई दिल्ली में श्रम सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार-विनिमय करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। विभिन्न एशियाई देशों से, जिनके अन्तर्गत भारत भी था, सांख्यिकीय अधिकारियों ने इस सम्मेलन में और उसके वाद-विवाद में हिस्सा लिया।

अमेरिका के चतुर्थ बिन्दु कार्यक्रम के अन्तर्गत ८ अफसरों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएँ प्रदान की गई। औद्योगिक क्षेत्रों की

सफाई सम्बन्धी तीन विशेषज्ञों की एक टोली को भी, इस देश में औद्योगिक सफाई सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अवसर मिलेगा। इसी बीच में संघ और राज्यीय सरकारों के अफसरों को ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में राष्ट्र-परिवार प्रौद्योगिक सहकारी योजना (कोलम्बो योजना) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

काम दिलाऊ केन्द्र

सन् १९५१ में काम दिलाऊ केन्द्रों के राष्ट्र व्यापी संगठन में पाँच अन्य केन्द्र जुड़ गए। ये केन्द्र कोटा, भीलवाड़ा (राजस्थान), संभलपुर (उड़ीसा), मैसूर और बेलगाम में खोले गए हैं।

इस वर्ष काम दिलाऊ विभाग ने स्वास्थ्य सेवा संचालन विभाग से विस्थापित डाक्टरों तथा डाक्टरी से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को काम दिलाने का भार भी ग्रहण कर लिया है। काम दिलाऊ कार्यालय की डाइरेक्टरेट जनरल में भारत सरकार के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के ऐसे गजट-शुदा अफसरों और सेना के कमीशन प्राप्त अफसरों की विशेष सूची रखी गई जिनकी छँटनी हो चुकी थी।

सन् १९५१ में १,३७५,३५१ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जबकि पिछले वर्ष १,२१०,३५८ लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। खाली जगहों की संख्या, जिनकी सूचना काम दिलाऊ केन्द्रों को दी गई, सन् १९५० में ४१६,३०७ से बढ़कर सन् १९५१ में ४८६,५३४ हो गई। ५५·७ प्रतिशत ऐसी खाली जगहें थीं जो

निजी तौर पर काम देने वालों के हिस्से में आती थीं। औसतन ८४,००० प्रार्थियों को मुलाकात के लिए और चुनाव के लिए १९५१ में प्रति मास भेजा गया। यह औसत पिछले साल की प्रति मास औसत से ८०० अधिक थी। इसके अतिरिक्त २७,४२७ विस्थापित व्यक्तियों को काम दिलाऊ केन्द्रों द्वारा काम पर लगाया गया और १३,००० छँटनी शुदा सरकारी कर्मचारियों को फिर से काम दिलाया गया। इनमें से ६,१८२ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी थे और ३,८१८ राज्यों के भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी थे। केन्द्रीय सरकार के अधिकांश वे छँटनी शुदा कर्मचारी, जिन्होंने काम दिलाऊ केन्द्रों में अपने को रजिस्टर करा लिया था और जो नियमानुसार पुनः केन्द्रीय सरकार की सेवा में लिए जा सकते थे, काम पर लगा दिए गए। परिगणित जातियों वाले जिन प्रार्थियों को काम दिलाया गया उनकी संख्या सन् १९५० में ४५,१४२ से बढ़ कर सन् १९५१ में ५६,६९९ हो गई।

इसके साथ ही महिलाओं को काम दिलाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उनके लिए काम दिलाऊ केन्द्रों में पृथक शाखाएं खोली गईं। इस प्रकार इस वर्ष २८,३२१ महिलाओं को काम पर लगाया गया जब कि सन् १९५० में २४,१४० महिलाओं को काम पर लगाया गया था।

कानपुर में "अटूट नियोजन एवं समूह योजना," जो आरम्भ में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित मजदूरों की सहायतार्थ बनाई गई थी, चमड़ा उद्योग के कर्मचारियों और म्यूनिसिपैलिटी के सफाई विभाग के कर्मचारियों तक व्यापक कर दी गई। बीवर (अजमेर)

के वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों के लिए बनाई गई उक्त योजना में भी कुछ प्रगति हुई।

सार्वजनिक निर्माण में संलग्न मजदूरों की भर्ती काम दिलाऊ केन्द्रों के द्वारा करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई। वस्तुतः काम दिलाऊ केन्द्रों की सेवा का उपयोग रेलों द्वारा श्रमिकों तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती के लिए व्यापक रूप से किया गया। इस प्रकार से भरने वाली जगहों की संख्या २७,६७१ थी।

उन क्षेत्रों में जहाँ काम दिलाऊ केन्द्र नहीं हैं, काम दिलाऊ केन्द्रों की सेवा का लाभ मजदूरों और मालिकों को देने के उद्देश्य से, एक गतिशील-शाखा ने कार्य किया। यह कार्य कई काम दिलाऊ केन्द्रों के आस पास हुआ। इस प्रकार गतिशील शाखाओं के प्रयत्नों से सन् १६५१ में प्रति मास ७,६२५ प्रार्थियों को काम पर लगाया गया।

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार में काम पर लगने वाले लोगों के विषय में आंकड़े तैयार किए गए और डाइरेक्टर जनरल द्वारा उन्हें प्रति मास 'आंकड़ों सम्बन्धी मासिक सूचना' में प्रकाशित किया गया।

प्रशिक्षण योजनाएं

वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक उद्योगों के लिए स्वीकृत स्थानों की संख्या में इस वर्ष ५०० की कमी हुई। परन्तु पुनर्वास मंत्रालय के साथ विशेष प्रबन्ध के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ३,२७२ अतिरिक्त स्थानों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से उत्तर प्रदेश और

पश्चिमी बंगाल के लिए अप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण के लिए १,००० स्थान सुरक्षित रखे गए।

व्यावसायिक उद्योगों के शिक्षार्थियों की पहली टोली की परीक्षा जुलाई-अगस्त सन् १९५१ में ली गई। उनमें से १०६ विस्थापित तथा १,७७० अन्य व्यक्तियों ने परीक्षाएं पास कीं। इनमें २७४ महिलाएं भी थीं। जुलाई सन् १९५१ में शिक्षार्थियों की दूसरी टोली का भी प्रवेश हुआ।

रक्षा मंत्रालय के साथ विशेष प्रबन्ध के अन्तर्गत २४३ समुचित रूप से योग्य सैनिकों को, जिनका विघटन अक्तूबर सन् १९५० के बाद हो चुका था, श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

दिसम्बर सन् १९५१ के अन्त में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ५,४७६ और वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या १,६७५ थी। इनमें ३६२ महिलाएं थी। विस्थापित लोगों की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत १,९६४ व्यक्तियों को (जिनमें से १,७६२ प्रौद्योगिक और २०२ व्यावसायिक उद्योगों का प्रशिक्षण पा रहे थे) प्रशिक्षण मिला। इस के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में ८५७ विस्थापित व्यक्तियों को अप्रैन्टिसों के रूप में प्रशिक्षण मिला।

सन् १९५१ में कोनी-बिलासपुर की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था से शिक्षार्थियों की दो टोलियों ने, जिनकी संख्या २३९ थी, परीक्षाएं पास कीं।

प्रशिक्षण योजनाओं और उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकों की आवश्यकता के बीच सम्पर्क-स्थापन के लिए डायरेक्टरेट जनरल द्वारा एक राष्ट्रीय पड़ताल की गई। इस पड़ताल का उद्देश्य है प्रत्येक उद्योग द्वारा और प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक प्रौद्योगिकों की संख्या की जानकारी, जिससे प्रशिक्षण का आधार यथासम्भव वास्तविक आवश्यकता हो।

प्रौद्योगिक शिक्षण सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् के सुझाव पर भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो एक अखिल भारतीय उद्योग प्रमाणीकरण बोर्ड की स्थापना की योजना बनाएगी। इस बोर्ड का कार्य होगा प्रमापों का निर्धारण, परीक्षाओं की व्यवस्था और राष्ट्रीय पैमाने पर इंजीनियरिंग और भवन-निर्माण उद्योगों के लिए कारीगरों को योग्यता के प्रमाण-पत्र देना।

कारखाना निरीक्षण

प्रधान कारखाना-सलाहकार ने द्विवर्णीय (डाइक्रोमैटिक) एवं स्टोरेज बैटरियों को बनाने वाले उद्योगों की औद्योगिक सफाई सम्बन्धी राष्ट्रीय पड़ताल पूर्ण की। प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी चतुर्थ बिन्दु योजना के अन्तर्गत अमेरिका से तीन उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों की 'औद्योगिक सफ़ाई टोली' की सेवाएं अमेरिका से छः महीने के लिए प्राप्त की गई हैं। इस टोली ने कार्य आरम्भ कर दिया है और कारखानों के प्रधान सलाहकार के संगठन को, देश के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों में पाए जाने वाले

स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों और व्यावसायिक बीमारियों की पड़ताल करने में, सहायता कर रही है।

श्रम सम्मेलन

भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्रवाइयों में भाग लिया। इस वर्ष होने वाली बैठकों में सब से अधिक महत्वपूर्ण बैठक जून सन् १९५१ में जेनेवा में होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का चौतीसवां अधिवेशन था।

भारत से प्रतिनिधियों अथवा विशेषज्ञों ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :

(क) परिणामों को देख कर पारिश्रमिक देने की प्रणाली के विशेषज्ञों की जेनेवा में अप्रैल सन् १९५१ में होने वाली बैठक;

(ख) जेनेवा में मई सन् १९५१ में होने वाली कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति का चौथा अधिवेशन;

(ग) जेनेवा में जुलाई सन् १९५१ में होने वाली घरेलू नौकरों की स्थिति और दशाओं सम्बन्धी विशेषज्ञों की एक बैठक;

(घ) जेनेवा में नवम्बर सन् १९५१ में होने वाला एशियाई सलाहकार समिति का तीसरा अधिवेशन;

(ङ) जेनेवा में दिसम्बर सन् १९५१ में होने वाला आन्तरिक यातायात समिति का चौथा अधिवेशन;

(च) जेनेवा में दिसम्बर सन् १९५१ में होने वाली महिलाओं के कार्य सम्बन्धी विशेषज्ञों की बैठक;

(छ) बैंकाक में दिसम्बर सन् १९५१ में होने वाला जन-शक्ति सम्बन्धी एशियाई प्रौद्योगिक सम्मेलन; और

(ज) जेनेवा में फरवरी सन् १९५२ में होने वाला वेतन भोगी कर्मचारियों और विशेष व्यवसायों के कर्मचारियों सम्बन्धी सलाहकार समिति का दूसरा अधिवेशन।

उद्योगों सम्बन्धी विकास समिति को इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि विशेष प्रश्नों पर एक सर्व-सम्मत निर्णय के लिए एक उच्च अधिकार-युक्त उपसमिति बनाई जाए। अतएव सन् १९५१ के मध्य में एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया। अभी तक बोर्ड ने निम्नलिखित बातों पर विचार किया है: (क) छँटनी शुदा लोगों को उद्योगों में पुनः खपाने की एक योजना, (ख) प्रबन्ध में मजदूरों का भाग, (ग) उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन, (घ) परिणामों को देख कर पारिश्रमिक देना, (ङ) बोनस की माँग के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निश्चय।

२. आर्थिक

सरकार का यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि देश की उन्नति और आर्थिक प्रगति निश्चय रूप से होती रहे। जिस वर्ष का हम विवेचन कर रहे हैं उसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यों की विशेषता यह रही है कि उसने एक सुदृढ़ वित्तीय, औद्योगिक और राजस्व सम्बन्धी नीति का पालन किया है; अनाज, कच्चे माल और औद्योगिक माल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न किया है और मकानों की समस्या का निश्चयात्मक रूप से समाधान करने का प्रयत्न किया है।

खाद्य और कृषि

सम्मिलित उत्पादन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यथास्थान सम्मिलित कृषि उत्पादन योजना को शामिल किया गया है। इस योजना की व्यापकता और इसकी अवधि पंचवर्षीय योजना के कहीं आगे जाती है। इसके अन्तर्गत भूमि, जल और पशुओं के अधिकाधिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए १० वर्ष की अवधि में भूमि सम्बन्धी साधनों के अधिक से अधिक वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग की व्यवस्था की गई है।

खाद्यान्न

सन् १९५१–५२ के लिए १४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य प्रयोग के रूप में रखा गया था। सन् १९५१–५२ में केन्द्रीय सरकार ने अधिक अन्न उत्पादन योजनाओं के लिए लगभग १८ करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी। इस वर्ष अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी नीति में संशोधन कर के भरपूर खेती पर अधिक बल दिया गया। धनराशि को ऐसे क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया जहाँ समुचित लाभ की आशा थी। अच्छे बीजों, खादों और उर्वरकों को देकर ऐसे क्षेत्रों को भरपूर खेती योग्य बनाया गया, जो अधिक उपजाऊ थे और जहाँ सिंचाई के लिए जल निश्चित रूप से पर्याप्त था।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने जनवरी से लेकर जून सन् १९५१ तक २८१,९६२ एकड़ कांस वाली जमीन का उद्धार किया। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में इस संगठन द्वारा २·८ लाख एकड़ कांस वाली जमीन, १६,००० एकड़ घास वाली जमीन और १६,००० एकड़ जंगल वाली जमीन का उद्धार हो सकेगा।

कपास और पटसन

सन् १९५०–५१ में २९·३ लाख गांठ (एक गांठ = ३९२ पौंड) कपास उत्पन्न हुई जब कि १९४९–५० में २६·३ लाख और १९४८–४९ में १७·७ लाख गांठ उत्पन्न हुई थीं। यह आशा की जाती है कि सन् १९५१–५२ में ३३ लाख गांठ कपास पैदा होगी।

सन् १९५०–५१ में ३३ लाख गांठ पटसन (एक गांठ = ४०० पौंड) पैदा हुआ जबकि सन् १९४९–५० में ३०·९ लाख गांठ और १९४८–४९ में २०·६ लाख गांठ पैदा हुआ था। सन् १९५१–५२ में कुल ४६·८ लाख गांठ पटसन पैदा हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग २ लाख गांठ अधिक था।

अगस्त के अन्त से आरम्भ होकर पश्चिमी भारत तथा अन्य भागों में एक लम्बे समय तक सूखा पड़ा। इस प्रकार आरम्भ में जो सुविधाएँ प्राप्त हुई थीं, उनको हमने खो दिया और खाद्य समस्या और अधिक बिगड़ गई। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और काम दिलाऊ केन्द्र स्थापित किए गए और कमी वाले क्षेत्रों में अनाज तेजी से पहुँचाया गया। उत्तर-पूर्वी मानसून से मद्रास और हैदराबाद में वर्षा नहीं हुई, जिनसे उन राज्यों के कुछ भागों में अभाव की दशा उत्पन्न हो गई। अतएव वहाँ चावल का वितरण किया गया और सहायता-कार्य आरम्भ किया गया। किसानों को लगान की माफी भी दी गई।

सन् १९५२ के आरम्भ में हमारा खाद्य-भंडार पिछले वर्षों से अधिक था, परन्तु मानसून की असफलता और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से नई समस्याओं का उदय हो गया है। परिणाम-स्वरूप सन् १९५१ के लिए निर्धारित ४५.२ लाख टन की अनाज की वसूली को घटा कर ३९·७ लाख टन किया गया। परन्तु वास्तविक रूप में कुल ३७·७ लाख टन अनाज की ही वसूली हो सकी।

सन् १९५१ में २१६ करोड़ रुपयों के मूल्य का ४७·२५ लाख टन अनाज बाहर से मंगाया गया। इस अनाज के अन्तर्गत ७·४९ लाख टन चावल, ३०·१५ लाख टन गेहूँ और आटा तथा ९·६१ लाख टन मिलो था। इसी वर्ष सामग्री आदान-प्रदान सम्बन्धी तीन समझौते किए गए, जिनमें से दो चीन के साथ और एक रूस के साथ हुआ। एक अन्य दीर्घकालीन समझौते के अनुसार बर्मा ने भारत को सन् १९५१ में २·४ लाख टन चावल और सन् १९५२ से सन् १९५५ तक प्रति वर्ष ३·५ लाख टन चावल देना स्वीकार किया।

मई सन् १९५१ में प्रधान मंत्री महोदय ने यह अपील की कि बिहार और मद्रास के विभिन्न अभावग्रस्त जिलों में वितरण के लिए लोग अनाज के उपहार देवें। इसी बीच में अन्य कई क्षेत्रों में भी गम्भीर रूप में खाद्य का अभाव हो गया। इस प्रकार देश में ४,३६३ टन अनाज और १२·२ लाख रुपये एकत्रित हुए और बाहर से भी ६,२०४ टन अनाज तथा १·८ लाख रुपये नक़द प्राप्त हुए।

अनाज के परिवहन के कारण रेलों और बन्दरगाहों पर बहुत जोर पड़ा। इस वर्ष बन्दरगाहों और बढ़ोतरी वाले राज्यों से कमी वाले क्षेत्रों को ४९ लाख टन अनाज गया, जबकि पिछले वर्ष केवल २९ लाख टन अनाज गया था। बन्दरगाहों पर आने वाले बाहर के अनाज को, जिसका परिमाण बहुत अधिक था, शीघ्रता से विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ा।

अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सन् १६५१-५२ में अनाज की वसूली के दाम, विशेषतः चावल के दाम, कुछ राज्यों में बढ़ाने पड़े।

सन् १६५१-५२ में केन्द्र को अनाज सम्बन्धी सहायता २१'३२ करोड़ से बढ़ा कर ३६'६६ करोड़ करनी पड़ी। सन् १६५२ में स्फीतिकारी प्रभाव कुछ कम हुआ जिससे दामों में काफी गिरावट आई। इसलिए यह अनुभव किया गया कि केन्द्रीय राज्य कोष पर पड़ने वाले खाद्य सम्बन्धी सहायता के भार को कम करना चाहिए। संशोधित योजना के अनुसार, जो १ मार्च सन् १६५२ से कार्यान्वित हुई, गेहूँ सम्बन्धी सहायता को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और मोटे चावल सम्बन्धी सहायता को घटा दिया गया। मिलो के लिए, जो गरीब आदमियों का खाना है, सहायता बढ़ा दी गई। त्रावनकोर-कोचीन को दी जाने वाली ३ करोड़ की अर्थ सहायता को मिला कर संशोधित योजना का व्यय अनुमानतः १५ करोड़ रुपये होगा।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

इस परिषद् ने देश के विभिन्न भागों में २५ शाखाओं की स्थापना की है। नई दिल्ली की काफ़ेटेरिया के अतिरिक्त, जिसे १६५१ के आरम्भ में खोला गया था, परिषद् ने जनवरी सन् १६५२ में जनता को खाद्येतर भोज्य सामग्री उनके द्वार तक पहुँचाने के लिए एक चलते-फिरते काफ़ेटेरिया की व्यवस्था भी आरम्भ की।

चीनी

सन् १९५१-५२ में गन्ने की फसल पिछले वर्ष से अधिक थी। अप्रैल सन् १९५२ तक १३·५ लाख टन उत्पादन हुआ जबकि सन् १९५०-५१ में ११·२ लाख टन ही उत्पादन हुआ था। इस से दामों में कमी हुई है। दामों में सहसा कमी से उत्पादकों को जो हानि हुई उसको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने २५,००० टन गुड़ और ५०,००० टन चीनी के निर्माण की आज्ञा दे दी है।

वनस्पति पर इस वर्ष भी नियन्त्रण जारी रहा। सन् १९५१ में लगभग १·७२ लाख टन वनस्पति का उत्पादन हुआ। सन् १९५२ के प्रथम तीन महीनों में ४६,६०० टन वनस्पति का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष इसी समय में ३८,७०० टन उत्पादन हुआ था। १ जनवरी सन् १९५२ से बम्बई में वनस्पति द्रव्यों का दाम घटा कर एक रुपया तीन पाई प्रति पौंड कर दिया गया।

सूखे के कारण अजमेर, राजस्थान, सौराष्ट्र और पंजाब के कुछ भागों में चारे की गम्भीर रूप से कमी हो गई। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भोपाल से लगभग ६ लाख मन घास और ११ लाख मन भूसा अभावग्रस्त क्षेत्रों को भेजा गया।

अनुसन्धान

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् मुख्यतः व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाती है। अब उसके व्यापक विस्तार-कार्यक्रम को आरम्भ किया है। तदनुसार गत वर्ष एक विस्तार बोर्ड की

स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत अब केन्द्र में एक विस्तार-कमिश्नर और राज्यों में विस्तार कार्यों के लिए डाइरेक्टरों की नियुक्ति की गई है। 'भूमि सेना' का भी आरम्भ किया जा चुका है।

अनुसन्धान के लाभ को किसानों तक पहुँचाने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी विस्तार-सेवा का आरम्भ किया गया है। दिल्ली में तीन दिन तक कृषि-विस्तार सम्बन्धी एक वाद-विवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसमें भाग लेने वालों में देश भर के कार्यकर्त्ता थे और इस गोष्ठी में पढ़े गए लेखों को विस्तार सम्बन्धी कार्यकर्त्ताओं के मार्ग-दर्शन के लिए प्रकाशित किया गया।

विश्वविद्यालयों में कृषि सम्बन्धी शिक्षा के पुनर्गठन के लिए एक कृषि-शिक्षा परिषद् की नियुक्ति की गई है। इस बीच में केन्द्रीय कृषि कालेज को भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में मिला दिया गया है।

इस वर्ष विभिन्न द्रव्य समितियों द्वारा कपास, तिलहन, गन्ना, पटसन, तम्बाकू, नारियल और सुपारी के सम्बन्ध में बहुमूल्य गवेषणा का कार्य हुआ।

पशु-प्लेग को नियन्त्रण में लाने के लिए एक प्रयोगात्मक योजना का आरम्भ हुआ, जिसके अन्तर्गत 'लैपिनाइज्ड वैक्सीन' का प्रयोग आरम्भ किया गया है। इस बीमारी को रोकने के उपायों के अन्तर्गत यह एक पहला क़दम है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि मित्रराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की सहायता

से इस टीके को भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में तैयार किया जाए।

गत वर्ष आरम्भ होने वाला फसल-प्रतियोगिता का कार्यक्रम सन् १९५१-५२ में जारी रहा। किसानों को चावल, गेहूं और आलू की सब से अधिक उपज पर एक-एक हजार रुपयों के पुरस्कार दिए गए। प्रति एकड़ ७·५ मन की औसत उपज के स्थान पर अधिक से अधिक ५६ मन गेहूं पैदा किया गया। प्रति एकड़ ९७० पौंड की औसत उपज के स्थान पर १२,००० पौंड धान पैदा किया गया और प्रति एकड़ १८० मन की औसत उपज के स्थान पर ७२६ मन आलू पैदा किया गया। अब इस प्रतियोगिता का क्षेत्र बढ़ा कर चना, गुवार और बाजरा तक व्यापक कर दिया गया है।

वृक्षारोपण

जुलाई सन् १९५१ के प्रथम सप्ताह में बड़े उत्साह के साथ दूसरी बार वन-महोत्सव मनाया गया। पहले वन-महोत्सव के समय लगाए गए ३ करोड़ पेड़ों में से केवल १ करोड़ पेड़ उग सके थे। लोगों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से उन गांवों और जिलों में इनाम रखे गए हैं, जहां लोग सब से अधिक संख्या में पेड़ लगा कर उनकी देख-रेख कर सकते हैं।

देश के दियासलाई-उद्योग की आवश्यकताओं के लिए देश के अन्दर यथेष्ट रूप से दियासलाई की लकड़ी नहीं पाई जाती।

इसलिए राज्यों के साथ सहयोगपूर्वक दियासलाई की लकड़ी के बगानों को लगाने की योजना बनाई गई जिस पर ५ लाख रुपये व्यय होंगे। केन्द्रीय सरकार ने इस व्यय का एक भाग देना स्वीकार किया है।

राजपूताना के रेगिस्तान को रोकने की एक योजना का आरम्भ भी हो चुका है। इस के अन्तर्गत अरावली पर्वत के उत्तर-पश्चिमी ढालों में वृक्षारोपण और वनों के संरक्षण की व्यवस्था, 'वायु-पट्टियों' की व्यवस्था और कच्छ तथा काठियावाड़ में रेत को समुद्र तट पर ही रोक रखने की व्यवस्था है।

टिड्डी नियन्त्रण

पंजाब में आने वाले टिड्डीदलों को प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रित किया गया और पकी हुई फसलों को बहुत कम हानि हुई। चतुर्थ बिन्दु योजना के अन्तर्गत दी गई अमेरिकन प्रौद्योगिक सहायता का उपयोग राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में टिड्डियों को अंडा देने से रोकने के ऐसे प्रयोगों में किया गया जिनमें हवाई जहाजों से काम लिया गया।

ताड़ का गुड़

ताड़ के गुड़ की उपज सन् १९५१-५२ में लगभग ४ लाख मन बढ़ गई। विभिन्न राज्यों में विकास-योजनाएं, जिनके अन्तर्गत उत्पादन की सुधरी हुई प्रणाली भी आ जाती है, कार्यान्वित हुईं।

मूलभूत फारम केन्द्र

केन्द्रीय संस्थाओं और विभिन्न राज्यों में पशु-धन के विकास के लिए मूलभूत फ़ारम केन्द्र संगठित किए गए। इन योजनाओं को अधिक अन्न उत्पादन निधि से सहायता मिली।

प्रौद्योगिक सहायता

प्रौद्योगिक सहायता के कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध चावल की उपज सम्बन्धी प्रशिक्षण, वन विकास, पोषण आदि से है। भारतीय अमेरिकन प्रौद्योगिक सहयोग योजना, कोलम्बो योजना और चतुर्थ बिन्दु योजना के अन्तर्गत भी प्रौद्योगिक सहायता उपलब्ध है। कृषि तथा सम्बन्धित विषयों के ३० विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं इस वर्ष प्राप्त हुईं और १६ भारतीय अफसरों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया।

जनवरी सन् १६५२ में फोर्ड प्रतिष्ठान और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार विभिन्न राज्यों में ५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और १५ भरपूर विकास क्षेत्र स्थापित होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में ५० कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो सकेगा। प्रत्येक भरपूर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत १०० गांव आते हैं और उनमें कृषि प्रणालियों, पशु पालन, सामाजिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विकास होगा।

जनवरी सन् १९५२ में भारत सरकार और अमेरिका के बीच एक अन्य समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत की विकास योजनाओं की पूर्ति में शीघ्रता होगी।

वित्त

वित्त मंत्रालय का कार्य दो विभागों में संगठित है। एक विभाग के अन्तर्गत आगम और व्यय आता है और दूसरे के अन्तर्गत बजट तथा आर्थिक मामले आते हैं।

आगम विभाग

इस डिवीजन या विभाग का काम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी नीति और प्रशासन की व्यवस्था करना है।

मार्च सन् १९५२ के अन्त तक आय कर जांच कमीशन को सौंपे गए १,५५० मामलों में से केवल १४ मामलों के विषय में यह आपत्ति उठाई गई कि उनको सौंपना उचित नहीं था। शेष मामलों में से कमीशन ने ६८१ मामलों को तय कर दिया है और बाकी मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कमीशन द्वारा जिन मामलों को तय कर दिया गया है, उनके अन्तर्गत ३२ करोड़ की छिपी आय आती है। यद्यपि आय कर जांच कमीशन की अवधि ३१ दिसम्बर सन् १९५२ तक है, फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो सरकार इस अवधि को आगे बढ़ा देगी। इस घोषणा के परिणामस्वरूप कि यदि निर्धारित तिथियों तक छिपी हुई आय के विषय में लोग बता देंगे तो उन पर कोई मामला न चलाया जाएगा और उनके साथ सहूलियत से व्यवहार

किया जाएगा, लगभग ६५·४६ करोड़ रुपये से अधिक की छिपी आय प्रगट की गई।

आय कर की रुकी हुई भुगतान को साफ करने के लिए एक विशेष कर्मचारी दल की नियुक्ति की गई है। समुद्री रास्ते से आने वाले माल पर प्रवेश्य कर और केन्द्रीय उत्पाद-कर तथा नमक कानूनों में संशोधन किए गए जिससे राज्यों की सरकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद-कर वसूल किया जा सके।

डिवीज़न के अन्य कार्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जा सकता है :

(क) जनता के साथ और अधिक सहयोग रखने के लिए बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में प्रवेश्य-कर सलाहकार समितियां बनाई गई हैं जिनमें आयात-निर्यात नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, पोर्ट ट्रस्ट और उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए।

(ख) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए और अधिक प्रभावशाली उपायों का अवलंबन किया गया और १ करोड़ रुपये से अधिक का माल प्रवेश्य-कर अधिकारियों ने अपने अधिकार में किया। एक योजना बनाई गई जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य ऐसी समुद्री नावों को काम में लाना है जिनमें छोटे-छोटे अस्त्र-शस्त्र और बेतार के तार की सामग्री लगी हो। इसी प्रकार की सामग्री से युक्त

जीप गाड़ियों का भी एक बेड़ा तैयार किया जा रहा है।

(ग) देश भर में होने वाली अफीम की खेती को अब एक-रूपता के साथ मादक द्रव्यों के कमिश्नर के अधिकार में लाया गया है और यह आशा की जाती है कि अब किसी प्रकार की अवैध या अनियन्त्रित खेती न होगी।

बजट और आर्थिक मामलों वाला डिवीज़न

आन्तरिक वित्त सम्बन्धी डिवीज़न के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन ने आरम्भ से लेकर ३१ दिसम्बर सन् १९५१ तक के अपने कार्य का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। मार्च सन् १९५२ के अन्त तक इस प्रशासन द्वारा ८·२५ करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई जिसमें से कर्ज लेने वालों ने ४·१६ करोड़ रुपये लिए। यह अनुमान किया जाता है कि स्वीकृत ऋण के द्वारा लगभग ८३,००० व्यक्तियों को पुनर्वास में सहायता मिलेगी और १५५,००० और भी लोगों को कुछ सहायता प्राप्त होगी।

(ख) उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक वित्त विनियोग को मार्च सन् १९५२ के अन्त तक के लिए पेशगी के रूप में ११·९१ करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई।

(ग) देहात बेंकिंग जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए। व्यावसायिक बेंकों, सहकारी बेंकिंग समितियों और देशी बेंकरों को दी गई रुपये जमा करने की सुविधाएं उदार बनाई गईं और खर्च घटाया गया।

(घ) जून सन् १९५१ में श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में स्टाक एक्सचेंज के नियमन के लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव पर विचारार्थ तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट को महत्त्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय सम्बन्धी संगठनों के पास आलोचनार्थ भेजा गया है।

(ङ) इस वर्ष अलीपुर में एक नई टकसाल के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और १९ मार्च सन् १९५२ को उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। जब यह टकसाल पूरी तरह काम करने लगेगी तो कलकत्ता स्थित वर्तमान टकसाल का स्थान ग्रहण कर लेगी। अलीपुर में चांदी को साफ करने वाले प्रस्तावित कारखाने का आरम्भिक कार्य चलता रहा।

पूँजी निर्गम का नियमन

सन् १९५१ में ७३·२२ करोड़ रुपयों के पूंजी निर्गम सम्बन्धी ४५९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से १९९ औद्योगिक कम्पनियों के प्रार्थना-पत्रों को, जिनके अन्तर्गत ४४ करोड़ रुपये

का पूंजी निर्गम आता था, स्वीकृति दी गई। १५·५५ करोड़ रुपये के निर्गम के लिए गैर-उद्योगी कम्पनियों के १७४ प्रार्थना-पत्रों को भी स्वीकृति दी गई। १५·३ करोड़ रुपयों की विदेशी पूंजी के निर्गम के लिए ६४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से १५·०८ करोड़ रुपयों के ८१ प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृति दी गई।

विदेशी वित्त डिवीजन

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और पुनर्निर्माण तथा विकास विषयक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक सितम्बर सन् १९५१ में वाशिंगटन में हुई। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का एक मिशन इस देश में नवम्बर सन् १९५१ में आया। इसका उद्देश्य इस देश में होने वाली प्रगति को देखना और उस सहायता के बारे में सुझाव देना था जो बैंक से प्राप्त की जा सके।

इस वर्ष की एक महत्त्वपूर्ण घटना भारत और वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक के बीच एक ऋण सम्बन्धी समझौता होना था। इसके अनुसार भारत को खाद्य की उपलब्धि में कमी को पूरी करने के लिए १९ करोड़ डालर का ऋण प्राप्त हुआ। गेहूं सम्बन्धी ऋण का उपयोग अमेरिका से २० लाख टन अनाज प्राप्त करने में हुआ। इस पर ३० जून सन् १९५२ से ढाई प्रतिशत की दर से सूद लगेगा। इस सूद की भुगतान ३१ दिसम्बर सन् १९५२ के बाद प्रति अर्द्ध-वर्ष में होगी। मूलधन की भुगतान जून सन् १९५७ से ३० वर्ष के समय में अर्द्ध-वर्षीय किश्तों में होगी। अनाज की बिक्री की प्राप्तियों को जमा किया जा रहा

है और उन्हें केवल अल्पकालीन ऋणों के लिए, जिनकी आवश्यकता विकास योजनाओं के लिए पड़े, प्रयोग में लाया जाएगा। ३ अगस्त सन् १९५१ को जापान और पौंड मुद्रा वाले प्रदेश के देशों के बीच भुगतान के सम्बन्ध में एक नया समझौता किया गया। इसके परिणामस्वरूप यह सम्भव हो सका है कि जापान से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध को क्रमशः कम किया जा सके और २० अक्तूबर सन् १९५१ से सुलभ मुद्रा वाले देशों के लिए दिए जाने वाले आयात के लाइसेंसों को जापान के लिए भी लागू कर दिया गया है।

लन्दन में १५ जनवरी से २१ जनवरी सन् १९५२ तक राष्ट्र परिवार के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ। पौंड क्षेत्र के सोने और डालर की संचिति के अधिक व्यय को रोकने के लिए उस सम्मेलन ने निम्नलिखित उपाय सुझाए:—

(क) सभी सम्भव उपायों से मुद्रा-स्फीति का सामना करके सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना;

(ख) निर्यात और अर्जन-क्षमता को बढ़ाना;

(ग) कुछ विशेष दशाओं में पौंड क्षेत्र के बाहर से भी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करना;

(घ) यदि अन्य उपायों से वांछनीय परिणाम न प्राप्त हों तो अस्थायी उपाय के रूप में आयात को कम करना।

१ जुलाई सन् १९५१ से भारत-ब्रिटेन पौंड पावना समझौता ६ वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के अन्तर्गत इस अवधि में प्रति वर्ष ३ करोड़ ५० लाख पौंड की मुक्ति की व्यवस्था है। ३१ करोड़ पौंड की रकम को, जो भारत की मुद्रा संचिति के रूप में पौंड पावने की न्यूनतम रकम है, अवरुद्ध खाते से चालू खाते में डाल दिया गया है।

अफीम विभाग

अफीम विभाग का कार्य देश में अफीम और उससे बनने वाली चीजों का उत्पादन और वितरण है। सरकार की नीति यह है कि वह १० वर्ष के अधिकतम समय में वैज्ञानिक तथा डाक्टरी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अफीम का प्रयोग रोक देवे। वे राज्य, जहाँ निर्धारित मात्रा से अधिक अफीम का प्रयोग होता है, यह स्वीकार कर चुके हैं कि ४ वर्ष की अवधि के अन्दर वे अफीम की खपत को निर्धारित स्तर और मात्रा के अनुकूल करने का प्रयत्न करेंगे। डाक्टरी तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए विदेशों से भारतीय अफीम की भारी मांग हो रही है। भारतीय अफीम की क़िस्म और भारत के व्यावसायिक तरीकों का बाहर के खरीदारों ने बहुत आदर किया है। मित्र राष्ट्रीय मादक द्रव्य औषधि कमीशन के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर भारत के प्रतिनिधि को पुनः चुना गया है।

भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय

नासिक रोड स्थित भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय ने साधारण कार्यों के अतिरिक्त पिछले आम चुनाव के लिए मत-पत्रों को

छापने का कार्य भी किया। अधिक अच्छे ढंग के डाक के टिकटों को छापने और अधिक संख्या में तथा बहुत कम अतिरिक्त मूल्य में छापने के लिए एक चित्र-मुद्रण यंत्र को भी वहां लगा दिया जाता, परन्तु यह कार्य इस लिए न हो सका क्योंकि उक्त मुद्रण-यंत्र का एक भाग "इण्डिया एन्टरप्राइज" नामक जहाज के साथ, जो लाल सागर में डूब गया, नष्ट हो गया। दूसरी मशीन के आने तक डाक के टिकटों का मुद्रण, चित्र-मुद्रण पद्धति के अनुसार, इकहरे रंग में उसी यंत्र द्वारा हो रहा है, जो लगाया जा चुका है।

लेखा परीक्षण विभाग

भारत द्वारा अमेरिका में अनाज तथा अन्य तैयार माल की खरीद के लिए बहुत बड़ी राशि व्यय की जा रही है। अब से पहले इस भारी व्यय के लेखा परीक्षण की कोई प्रभावशाली व्यवस्था न थी। इस खराबी को दूर करने के लिए इस वर्ष वाशिंगटन में एक छोटा-सा लेखा-परीक्षण कार्यालय खोल दिया गया और लेखा-परीक्षण महाधिकारी की श्रेणी का एक भारतीय लेखा-परीक्षण-सेवा अधिकारी उस कार्यालय का संचालक नियुक्त किया गया।

महा नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक का अधिकार-क्षेत्र अब भूतपूर्व देशी राज्यों तक व्यापक कर दिया गया है। इस विभाग का पुनर्गठन और विस्तार तथा उसकी कार्रवाइयों में सुधार का कार्य जारी रहा। सरकार की व्यावसायिक और अर्द्ध-व्यावसायिक कार्रवाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण यह

आवश्यक हो गया कि इस विभाग को और मज़बूत किया जाए और इस वर्ष एक आरम्भिक संगठन नियुक्त किया गया जिसका संचालन व्यावसायिक लेखा-परीक्षण अधिकारी को दिया गया।

प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान

इस मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के साथ मिला दिया गया है। अन्य बातों के अतिरिक्त इसकी जिम्मेवारी यह भी है कि यह वैज्ञानिक अनुसन्धान का विकास करे और उसका उद्योगों में उपयोग हो।

केन्द्रीय जल तथा बिजली कमीशन

१ जून, सन् १९५१ को केन्द्रीय जल, विद्युत, सिंचाई तथा नौ-परिवहन आयोग और केन्द्रीय विद्युत आयोग को एक में मिला दिया गया और केन्द्रीय जल तथा बिजली कमीशन के रूप में उसका पुनर्गठन किया गया। नए कमीशन के अन्तर्गत दो विभाग हैं, अर्थात् जल विभाग तथा बिजली विभाग। हीराकुड और काकरापार योजनाओं के निर्माण के अतिरिक्त कमीशन के जल विभाग को देश के जलीय साधनों का नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग, सिंचाई, बिजली-उत्पादन, बाढ़ की रोकथाम, नौ-परिवहन आदि के लिए योजनाओं को बनाने, उनमें सम्पर्क स्थापित करने तथा उनको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

पूना के निकट खडकवासला में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र ने नदियों के नियन्त्रण और विकास तथा

नदी घाटी योजनाओं के सम्पादन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया।

सन् १९५१–५२ में कमीशन की विभिन्न शाखाओं द्वारा नदी घाटियों के विकास के सम्बंध में बुनियादी कार्य होता रहा। हीराकुड और काकरापार योजनाओं का निर्माण भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ा।

हीराकुड बांध योजना

हीराकुड बांध योजना निर्माण के चौथे वर्ष में है। लगभग १,६०० से अधिक कर्मचारियों के भवन तथा रिहायशी मकान, स्कूल, आफिस, वर्कशाप और बिजलीघर बन चुके हैं। ४० मील लम्बी पक्की और २५० मील कच्ची सड़कें तथा ४० मील लम्बी रेलवे लाइन भी बनाई गई है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय मार्ग पर नदियों को पार करने के लिए दो बड़े पुल भी बनाए गए हैं। राजगंगपुर स्थित सीमेंट के कारखाने में कार्य आरम्भ हो चुका है। इस कारखाने की प्रतिदिन की उत्पादन-क्षमता ५०० टन है। कमीशन के इंजीनियरों द्वारा ३,००० किलोवाट का एक थर्मल स्टेशन भी बन गया है और इससे कारखाने के लिए शक्ति प्राप्त होगी। बायीं ओर के स्पिलवे अथवा अधिप्लवन मार्ग में कंकरीट का काम आगे बढ़ रहा है और लगभग ८ लाख ६० हज़ार घन फुट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही दाहिनी ओर के शक्ति-बांध वाले भाग में ५६ लाख घन फुट की खुदाई हो चुकी है और १८ करोड़ ७० लाख घन फुट का नहर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक इस योजना पर १७·२८ करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है।

काकरापार बांध योजना

इस योजना के निर्माण का कार्य १९५० के मध्य में आरम्भ हुआ। एक बस्ती को बसाने, १३ मील लम्बी रेल की पटरी बिछाने और बांध वाली जगह को सड़क से मिलाने के आरम्भिक कार्य पूर्ण हो रहे हैं। आरम्भ में काकरापार में एक संचय-बांध बनाया जाने वाला था। बाद में इसके स्थान पर धारा से १७ मील ऊपर उकाई में इस बांध को बनाना तय हुआ। इस बात की विस्तृत जांच की जा रही है कि क्या उक्त बांध को बनाना अधिक उचित होगा। परंतु समय की बचत के लिए काकरापार में जल-धारा को मोड़ने के लिए एक बांध बनाने का कार्य आरंभ हो गया है। इस बांध का नक्शा इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कि यदि काकरापार में संचय-बांध बनाना अधिक उचित हो तो यह बांध उसका एक हिस्सा हो सके, परंतु इसके विपरीत यदि संचय-बांध को उकाई में बनाना तय हुआ, तब भी काकरापार में जल-धारा को मोड़ने वाला बांध आवश्यक होगा क्योंकि उसके द्वारा जल को सिंचाई की नहरों की ओर मोड़ा जा सकेगा। चालू सत्र के अंत में जल-धारा को मोड़ने वाला बांध २० फुट ऊंचा बन जाएगा और बायें किनारे के जल-मार्ग बनकर पूर्ण हो जाएंगे। कुल ८०० मील नहर व्यवस्था में से ३०० मील का निर्माण हो चुका है। आधा मील लम्बा, जल-धारा को मोड़ने वाला बांध ४५ फुट ऊंचा बनेगा और उसके बनने के साथ-साथ नहरें भी बन जाएंगी जिससे सन् १९५३–५४ में सिंचाई का कार्य आरम्भ हो जाएगा।

अनुसन्धान केन्द्र

पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा बिजली अनुसन्धान केन्द्र ने हीराकुड अविप्लवन-मार्ग के नमूने, गंगा नदी के नमूने, हुगली नदी-मुख और कलकत्ता बन्दरगाह के नमूनों पर व्यापक प्रयोग किए हैं। मद्रास और कोचीन के बन्दरगाहों की समस्याओं पर भी प्रयोग चल रहे हैं। इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप, गंगा में मुकामेघाट पर एक पुल बनाने और नर्मदा पर बने एक रेलवे पुल की रक्षा के सम्बन्ध में व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। हुगली में नौ-परिवहन में सुधार के लिए भी उपाय प्रायः निकाले जा रहे हैं।

प्रचार

सन् १९५१–५२ में कमीशन ने कई प्रौद्योगिक और लोकप्रिय प्रकाशन प्रकाशित किए जिनके अन्तर्गत 'दि हैण्डबुक ऑफ अर्थ-मूविंग मशीनरी', 'टैक्नीकल रिपोर्ट ऑफ दि रिसर्च स्टेशन, पूना' आदि हैं। केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन की पत्रिका, जो सन् १९५१ से त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित हो रही है, कमीशन की कार्रवाइयों के बारे में प्रचार-कार्य कर रही है।

दामोदर घाटी कार्पोरेशन

इस कार्पोरेशन की कार्रवाइयाँ इस वर्ष काफी आगे बढ़ीं। पहली अवस्था के कार्यक्रम के अन्तर्गत ४ बांध बनेंगे और एक जल-विद्युत् उत्पादन-केन्द्र भी बनेगा जिसमें १२४,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी, बोकारो में एक वाष्प-शक्ति केन्द्र बनेगा

जिसकी उत्पादन-क्षमता क्रमशः १५०,००० किलोवाट से अन्त में २००,००० किलोवाट हो जाएगी और इसके साथ घाटी में ग्रिड-प्रणाली भी रहेगी जो बर्दवान और खड़गपुर तक व्यापक होगी। अन्त में एक बैरेज और नहरों की व्यवस्था होगी जो पश्चिमी बंगाल में १० लाख एकड़ भूमि में व्याप्त होगी।

तिलैया और कोनार में दो उच्चतर बांध बन रहे हैं। पहला बांध सन् १९५२ की वर्षा ऋतु में जल का संचय करेगा। जल विद्युत् यंत्र का अधिकांश भाग केन्द्र स्थान पर पहुँच गया है। सन् १९५२ के अन्त तक इस केन्द्र में कार्य आरम्भ हो जाएगा। कोनार के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि जून सन् १९५३ तक सारा बांध पूरा हो जाए। बोकारो का बिजली घर आंशिक रूप से सन् १९५२ के मध्य तक और पूर्णतया सन् १९५३ के आरम्भ में कार्य करने लगेगा।

विस्थापितों का पुनर्वास

पुनर्वास और विकास विभाग इस समय उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, जो नदी-घाटी योजनाओं के कारण विस्थापित हो जाएंगे, नए गांवों की योजनाएँ बनाने और उनका निर्माण करने के कार्य में लगा हुआ है। तिलैया जलागार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तीन ऐसे गांव—बछई, सिगरावां और गौरीकरमा—बसाये जा चुके हैं। पहले गांव में ५६ मकान, एक समाज-सेवा केन्द्र और एक मन्दिर है। दूसरे और तीसरे गांव में क्रमशः ८९ और ३४ घर बनाए जा चुके हैं।

बिजली विभाग

कमीशन के बिजली विभाग का कार्य सन्तोषजनक रीति से चलता रहा है। एक नए विद्युत्-उत्पादन-यंत्र के लग जाने के बाद पोर्ट ब्लेयर विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।

इण्डिया स्टैन्डर्डस इन्स्टीट्यूशन द्वारा घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली के सामान के नमूने बनाए गए। ऐसे विषयों पर गहराई के साथ अध्ययन हुआ जैसे 'पवन-शक्ति', देहाती क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए सस्ती डिज़ाइन की सामग्री, नवयुवक इंजीनियरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि। बिजली-उत्पादन योजनाओं की प्रगति के विषय में अध्ययन जारी रहा और वर्तमान उत्पादन केन्द्रों के यंत्रों और सामग्री के विषय में आंकड़े एकत्रित और सम्पादित किए गए। इस वर्ष १० डीज़ल सैट लगाए गए, जो कुल मिला कर ५,६२० किलोवाट के थे। ५,००० किलोवाट के एक वाष्प-शक्ति केन्द्र की स्थापना का कार्य आरम्भ हो चुका है। बिजली सम्बन्धी उद्योगों के सम्बन्ध में आंकड़ों का सम्पादन और वार्षिक प्रकाशन किया गया। ये आंकड़े "पब्लिक इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई आल इण्डिया स्टैटिस्टिक्स, १६४६-पार्ट-ए" में प्रकाशित हुए।

भारत की भू-तत्व पड़ताल

भू-तत्व पड़ताल विभाग ने विभिन्न आर्थिक, इंजीनियरिंग, भौमिकी, भू-गर्भीय, जल, तथा अन्य विशिष्ट समस्याओं पर कार्य जारी रखा। सन् १६५१-५२ के कार्यक्रम के अनुसार देश के

विभिन्न भागों में खनिज पदार्थों की जाँच-पड़ताल की गई और विवरणात्मक भौमिक मानचित्र तैयार किया गया। आर्थिक ढंग की और अधिक पड़तालें भी की गईं।

खनिज पदार्थों सम्बन्धी सूचना

जब कभी आवश्यकता हुई तो विभिन्न खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में खनिज उद्योगों को सूचना प्रदान की गई। भारत के हितों की सुरक्षा और विशेषतः मॅगनीज और, क्यानाइट, क्रोमाइट, जैसी धातुओं के निर्यात और खनिजों के बाहर से आयात के सम्बन्ध में खनिज नीति का पालन करने के बारे में प्रौद्योगिक परामर्श दिया गया।

काश्मीर में आरम्भिक जाँच से यह सिद्ध हो चुका है कि वहाँ २००,००० टन कच्चा गन्धक पाया जाता है जिसकी मात्रा के सम्बन्ध में ठीक ज्ञान नहीं। १० टन साफ गन्धक और कुछ मात्रा में बोरॅक्स निकाला गया है।

भारतीय खान स्कूल

इस स्कूल में लेक्चरों और प्रयोगशाला में व्यावहारिक शिक्षा तथा कारखानों में काम के द्वारा प्रशिक्षण देना जारी रहा। कोयला खान के काम और भू-तत्व शास्त्र के विषय में बाहरी विशेषज्ञों के द्वारा कई विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन हुआ। भू-तत्व शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भू-भौतिकीय अन्वेषण का पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है और एक छोटी-सी भू-भौतिकीय प्रयोगशाला की स्थापना हो रही है। गवेषणा कार्य पूर्ववत् चलता

रहा। मार्च में होने वाली अन्तिम परीक्षा में २५ इंजीनियरिंग के और ३ भू-तत्व शास्त्र के विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और उन्हें भारतीय खान स्कूल का डिप्लोमा मिला।

अणु शक्ति कमीशन

आणविक विज्ञान सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर, तथा उन विषयों पर जिनका सम्बन्ध अणु शक्ति के उत्पादन और विकास से है, गवेषणा जारी रही। यह गवेषणा कमीशन की अपनी प्रयोगशालाओं में, जो बम्बई में टाटा आधारभूत गवेषणा संस्था में है, तथा अहमदाबाद की भौतिक गवेषणा प्रयोगशाला में, कलकत्ता की अणु-भौतिकीय संस्था में और अन्य गवेषणा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में होती रही। ब्रह्माण्ड रश्मियों के विषय में भी गवेषणा जारी रही। कमीशन की देख-रेख में भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में २४ अनुसन्धान-योजनाओं पर व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कार्यकर्त्ताओं के लाभ के लिए सुप्रसिद्ध विदेशी अणु-वैज्ञानिकों के लेक्चरों का भी प्रबन्ध किया गया।

वैज्ञानिक सूचना

भारत में होने वाले वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कार्यों के विषय में नवीनतम सूचनाओं से युक्त एक भारतीय-विज्ञान समाचार-पत्र का पाक्षिक प्रकाशन होता है, और उसे भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं में, ब्रिटेन में वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी के पास और डी० एस० आई० आर० (लन्दन) के सूचना विभाग को भेजा जाता है। भारत में वैज्ञानिक कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में

एक अप्रौद्योगिक सूचना-पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ पत्र-सूचना विभाग को भी भेजा जाता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्

यह परिषद् राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के द्वारा गवेषणा कार्य कर रही है। उदाहरणार्थ जून सन् १९५१ में समाप्त होने वाली तिमाही में पूना स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में ८२ अनुसन्धान योजनाओं पर और जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला में ४२ योजनाओं पर अनुसन्धान-कार्य हो रहा था। मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य विज्ञान संस्था में अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर कार्य हुआ है जिनके अन्तर्गत फलों और सब्जियों का संरक्षण, फलों का संग्रह और विधायन, टैपिओका से ग्लुकोज़ बनाना आदि थे। इसी प्रकार दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला ने तस्कर-व्यापार का पता लगाने वाला वहनीय यंत्र बनाया है जो चोरी से सोना ले जाने वालों के पास से सोने का पता लगाने में चुंगी के अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अन्य खोजों के अन्तर्गत सूर्य रश्मियों की शक्ति से खाना पकाने और पानी गरम करने का तरीका भी खोज निकाला गया है और तत्सम्बन्धी यंत्र बनाए गए हैं।

अन्य प्रयोगशालाएं, जहाँ महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है, निम्नलिखित हैं :

(१) ईंधन गवेषणा संस्था, धनबाद;

(२) केन्द्रीय काँच एवं मिट्टी के बर्तन विषयक गवेषणा संस्था, कलकत्ता;

(३) केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ;

(४) केन्द्रीय भवन-निर्माण गवेषणा संस्था, रुड़की;

(५) केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा संस्था, मद्रास; और

(६) केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था, नई दिल्ली।

कराईकुडी में केन्द्रीय विद्युत्-रसायन गवेषणा संस्था का निर्माण-कार्य आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष के आरम्भ में वहाँ कार्य आरम्भ हो जाएगा।

प्रकाशन

'वैल्थ आफ इण्डिया' (भारत के आर्थिक उत्पादन और औद्योगिक साधनों विषयक कोष) के दो और खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार कुल मिला कर अब तक चार खण्ड प्रकाशित हुए हैं। आगामी दो खण्डों की पाण्डुलिपियाँ प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप प्राप्त कर रही हैं। 'नैशनल रजिस्टर आफ साइन्टिफ़िक एण्ड टैकनीकल परसोनेल' के दो और खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं और इस प्रकार कुल चार खण्ड प्रकाशित हुए हैं, जिनमें २,५०० ऐसे लोगों के विषय में सूचनाएं हैं जो इंजीनियरिंग और डाक्टरी के कार्य में लगे हुए हैं।

निर्माण, उत्पादन तथा रसद

वर्तमान निर्माण, गृह और रसद मंत्रालय का नाम कुछ ही समय पहले तक निर्माण, उत्पादन और रसद मंत्रालय था। इस

वर्ष इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में गृह-निर्माण, कारखाना, विशाखापट्नम का जहाज का कारखाना और वाणिज्य मंत्रालय का छापाखाना भी आ गए हैं। तेल साफ करने के प्रस्तावित कारखाने भी इसी मंत्रालय के दायित्व बन गए हैं।

दिल्ली में निर्माण कार्य

इस वर्ष दिल्ली में कई निर्माण-कार्य पूर्ण हुए, जिनके अन्तर्गत रिज पर फ्लैग स्टाफ के निकट एक साफ़ पानी का जलाशय, राजदूतावासों वाली बस्ती में बंगले, तथा चपरासियों, क्लर्कों और अफसरों के लिए मकान बनाए गए हैं। कुछ अन्य मकान भी बन रहे हैं। राजधानी में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी कुछ बस्तियां बसाई गई हैं। इस प्रकार उनके लिए दो कमरों वाले ६६० मकान, एक कमरे वाले १,२०२ मकान, दो कमरों वाले ५८० भवन और ३०० और भी भवन बनाए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में भवन-निर्माण कार्य जारी है।

दिल्ली के बाहर निर्माण

दिल्ली के बाहर भी पूर्ण होने वाले निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत पुष्कर से गुन्हरा तक एक सड़क का निर्माण, कागज की लुगदी के यन्त्र के लिए भवन-निर्माण, केन्द्रीय एवं जोरासाको एवेन्यू एक्सचेंज बिल्डिंग और कलकत्ता स्थित नई टकसाल का निर्माण, तथा उड़ीसा में कठजूरी नदी के ऊपर आर० सी० सी० पुल का निर्माण है।

सन् १९५१–५२ के आरम्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की नागरिक उड्डयन शाखा के नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के ७५ हवाई अड्डे थे। इस वर्ष मंगलोर में एक और हवाई अड्डे का निर्माण आरम्भ हुआ है।

स्टोर की खरीद

सन् १९५१–५२ में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पूंजीगत तथा अन्य निर्माण कार्यों की पूर्ति के लिए सबसे अधिक स्टोर की खरीद की। इस स्टोर की आवश्यकता पुनर्वास हिजली स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, कलकत्ता स्थित जहाजी इंजीनियरिंग कालिज, बंगाल के शिशु लालन-पालन केन्द्र और नासिक के नए छापेखाने के लिए पड़ी।

इस्टेट आफिस

इस्टेट आफिस का कार्य, अन्य बातों के अतिरिक्त, आफिस और रहने की जगहों का प्रबन्ध करना है। रिहायशी जगहों की कमी बनी हुई है। दिल्ली में आफिसों के लिए ३,१५५,५०० वर्ग-फुट जगह की मांग के उत्तर में केवल २,८९४,४८३ वर्गफुट जगह की व्यवस्था ही की जा सकी है। आवास स्थानों की कुल मांग सन् १९५१ में ६८,२९५ थी, जबकि कुल १९,७३० मकान ही प्राप्त थे। इस समय लगभग ७२ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी बिना सरकारी मकान के हैं। वर्तमान कमी को दूर करने के लिए निजी रिहायशी स्थानों को प्राप्त किया गया है और उन्हें पट्टे पर दिया गया है। सरकार १३ ऐसे भवनों का उपयोग भी कर

रही है जो पहले राजाओं के पास थे, और इस प्रकार के और भी भवनों को प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इस्टेट आफिस विस्थापित सरकारी नौकरों के लिए आवास का प्रबन्ध करने के कार्य में भी व्यस्त थे। सन् १९५१ में इस तरह के ३,७४० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए परन्तु केवल ४०८ व्यक्तियों को मकान दिए जा सके।

लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग

नासिक में एक नए छापेखाने की योजना और व्यय का अनुमान स्वीकृति प्राप्त कर चुका है और उसका निर्माण आरम्भ हो गया है। जब तक स्थायी तौर तक भवन-निर्माण का कार्य पूर्ण हो, नासिक में 'लाहौर शेड्स' में छापाखाने का काम आरम्भ कर दिया गया है। छापाखानों में दो पालियों में काम की व्यवस्था पर और अधिक जोर दिया गया है और बढ़े हुए काम को निपटाने के लिए नई दिल्ली के गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस में तीसरी पाली भी आरम्भ हो गई है। शीघ्र ही इस प्रेस में एक संसदीय शाखा काम करने लगेगी, जो संसद् का और विशेषतः हिन्दी का काम करेगी।

नमक विभाग

सन् १९५१ एक स्मरणीय वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष पहले-पहल सौ वर्षों के बाद भारत नमक के उत्पादन में आत्म-भरित हो गया है। इस वर्ष नमक बाहर से नहीं मँगाया गया। सरकार को आशा है कि वह और अधिक अच्छे किस्म के नमक का

उत्पादन कर सकेगी और उसका निर्यात विशेषतः जापान को होने लगेगा। देशी उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि हो रही है। सन् १९५१ में ७४४ लाख मन नमक का उत्पादन हुआ और ४७०,००० मन नमक बाहर भेजा गया।

वर्धा में एक अनुसन्धान-केन्द्र की स्थापना हुई है, जहां नमक की किस्म को और अच्छी बनाने तथा उत्पादन-व्यय को घटाने के विषय में गवेषणा होगी। अन्य अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना पर भी विचार हो रहा है।

कोयला

सन् १९५१ में कोयले का उत्पादन पहले के उत्पादनों से सबसे अधिक रहा। ३ करोड़ ४० लाख टन कोयला इस वर्ष निकाला गया, जबकि पिछले वर्ष ३ करोड़ २० लाख टन कोयला निकला था। कोयले के निर्यात में भी वृद्धि हुई। लगभग ६३८,००० टन कोयला, सन् १९५१ के भारत-पाकिस्तान उद्योग समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को भेजा गया। अन्य स्थानों को भेजे गए कोयले का परिमाण १० लाख ५० हजार टन था।

औद्योगिक कार्य

सिन्द्री स्थित रासायनिक-खाद-योजना का कार्य पूर्ण हो गया और ३० अक्तूबर सन् १९५१ की मध्य-रात्रि से अमोनियम सलफेट का उत्पादन आरम्भ हो गया। इस कारखाने में इसकी

क्षमता का एक-तिहाई भाग अभी से उत्पादित होने लगा है और यह आशा की जाती है कि इस वर्ष के मध्य में पूरा-पूरा उत्पादन होने लगेगा, जो कि प्रति दिन १,००० टन अमोनियम सलफेट है।

पेंसिलीन के कारखाने और उससे संलग्न प्रबन्ध कार्य के लिए भवनों की योजना पूर्ण हो गई है। यह आशा की जाती है कि सन् १९५३ से उत्पादन के लिए यंत्र आदि लग जाएँगे।

मशीनी यंत्रों के कारखाने के लिए आवश्यक यंत्रों और मशीनों के बड़े भाग के लिए विदेशों में आर्डर दे दिए गए हैं और यह आशा की जाती है कि यह सामग्री चालू वर्ष में भारत में पहुँच जाएगी। उक्त कारखाने वाले स्थान में दो 'बटलर' विमान शालाएँ खड़ी कर दी गई हैं और तीन और विमान-शालाओं की प्राप्ति की व्यवस्था की जा रही है।

टेलीफोन केबल कारखाने के लिए आवश्यक यंत्रादि के लिए भी आर्डर दिए गए हैं। कारखाने की बिल्डिंग तथा कर्मचारियों के लिए रहने के स्थानों का बनना आरम्भ हो गया है और यह आशा की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक ये मकान बन जाएंगे।

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय यंत्र कारखाना, जिसका पहले का नाम मैथेमैटिकल यंत्र कार्यालय था, अब नए भवन में पहुँच जाएगा और उसका पुनर्गठन हो जाएगा। पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त चश्मे के शीशों का उत्पादन भी होगा।

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ होने वाली वार्ता के परिणामस्वरूप अब सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह विशाखापट्टनम जहाज निर्माण कारखाने के नियन्त्रण में भाग लेवे। तदनुसार एक नई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का आरम्भ हिन्दुस्तान शिप-यार्ड लिमिटेड के नाम से हुआ और २१ जनवरी, सन् १९५२ को दिल्ली में यह कम्पनी रजिस्टर्ड हो गई। कम्पनी में सरकार के हिस्से की दो-तिहाई पूंजी रहेगी और शेष सिंधिया के पास। इस प्रकार सरकार का इस पर नियन्त्रण रहेगा। कारखाने में जहाजों के निर्माण के एक अग्रिम योजना बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

विस्फोटक पदार्थ विभाग

इस विभाग की सहायता समय-समय पर दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की औद्योगिक जाँच के लिए ली जा रही है। विस्फोटकों, पेट्रोलियम तथा अन्य ऐसे पदार्थों के परिवहन, संग्रह तथा प्रयोग के विषय में रेलों, पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य विविध औद्योगिक संस्थानों द्वारा समय-समय पर विस्फोटक-पदार्थ विभाग के चीफ इन्सपैक्टर से सलाह ली जाती है। विस्फोटक विभाग के चीफ इन्सपैक्टर द्वारा हाल में बम्बई के निकट स्थापित होने वाले दो तेल साफ करने वाले कारखानों वाली जगह का निरीक्षण किया गया। इसी बीच में कलकत्ता में बमों की जांच तथा उन विस्फोटक पदार्थों की जांच के लिए, जो पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम में पाए गए हैं, एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस प्रयोगशाला ने १ नवम्बर, सन् १९५१ से कार्य आरम्भ कर दिया है।

पेट्रोलियम डिवीज़न

ईरान से पेट्रोलियम की प्राप्ति रुक जाने के कारण कठिनाइयां होते हुए भी पेट्रोलियम डिवीजन को सम्पूर्ण वर्ष पेट्रोलियम तथा उससे उत्पादित सभी वस्तुओं का निर्बाध और समुचित प्रबन्ध करने में सफलता मिली। वायुयानों के लिए प्रयोग में आने वाले तेल और पटसन उद्योग में प्रयोग में आने वाले तेल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पेट्रोलियम पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि तेल-कम्पनियों को अन्य दिशाओं से तेल प्राप्त करने में सफलता मिली। परन्तु वायुयानों के तेल और पटसन उद्योग में काम आने वाले तेल पर से भी अक्तूबर-नवम्बर सन् १९५१ तक प्रतिबन्ध हटा लिया गया।

सरकारी परीक्षण-गृह

सरकारी परीक्षण-गृह अर्थात् गवर्नमेंट टैस्ट हाऊस ने विशेषतः उद्योगों की सहायतार्थ परीक्षण और जांच के कार्य किए। इस प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के उपयोग, तैयार माल की किस्म में सुधार तथा सामग्री-उत्पादन सम्बन्धी आम औद्योगिक समस्याओं के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक सलाह दी गई है। वहनीय एक्सरे यंत्र के कुछ भाग देश में आ चुके हैं और उन्हें वहनीय यान्त्रों में लगाया जा रहा है। इस वर्ष होने वाले विश्लेषणों और परीक्षणों की संख्या १४,५०० रही है और इस से प्राप्त होने वाली फीस ५७५,००० रुपये रही है।

सम्भरण (सप्लाई) एवं व्यवस्थापन (डिस्पोजल) मुख्याधिदेश

भारत सरकार, राज्य की सरकारों और अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा होने वाली अधिकांश खरीद पहले भूतपूर्व निर्माण, उत्पादन और रसद मंत्रालय में केन्द्रित थी, जो यह कार्य खरीद सम्बन्धी संगठनों की सहायता से करता था। सन् १९५०-५१ में देश और विदेश में लगभग १७९ करोड़ रुपये के मूल्य की खरीद की गई। अप्रैल से अक्तूबर सन् १९५१ तक कुल खरीद १३४ करोड़ रुपये की हुई जबकि इसी अवधि में सन् १९५० में ८१ करोड़ रुपयों की खरीद हुई थी। अधिकांश खरीद रेलवे, रक्षा विभाग तथा विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के लिए हुई। यह नीति कार्यान्वित हो रही है कि जहां कहीं मूल्य उचित हों वहीं से खरीद की जाए। अप्रैल-अक्तूबर सन् १९५१ की अवधि में खरीद-संगठन की निरीक्षण-शाखा में जिस स्टोर का निरीक्षण किया गया उसका मूल्य ४६ करोड़ था, जब कि गत वर्ष इसी अवधि में उसका मूल्य ३८ करोड़ था। सम्भरण एवं व्यवस्थापन मुख्याधिदेश में कर्मचारियों की काफी छंटनी की गई और लगभग ८ लाख ५० हजार रुपयों की बचत की गई।

युद्ध के बाद सेना विभाग में बहुत अधिक स्टोर बच गया। यह स्टोर सरकारी विभागों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति की यह एक विशेषता रही है। सरकारी विभागों को दिए गए स्टोर के अन्तर्गत विविध वस्तुएं आती हैं, जिनके अन्तर्गत मशीनें तथा पूंजीगत सम्पत्ति भी है।

काफी स्टोर को विकास योजनाओं के लिए उपयोग में लाया गया है और कुछ मामलों में पूरे के पूरे कारखानों और फैक्टरियों का हस्तांतरण हुआ है। व्यवस्थापन के सम्बन्ध में निजी तौर पर संचालित उद्योगों की मांग की उपेक्षा नहीं की गई। पूंजीगत स्टोर को सुविधाजनक दरों में उद्योगों को बेचा गया है। शिक्षण संस्थाओं और गवेषणा संस्थाओं को घटे हुए मूल्य में वैज्ञानिक स्टोर दिया गया है। हाल के वर्षों में व्यवस्थापन के सम्बन्ध में बहुत अधिक प्रगति हुई है।

१ दिसम्बर, सन् १९५१ को कुल अतिरिक्त स्टोर, जिसका व्यवस्थापन होना बाकी था, ३३ करोड़ रुपयों का था।

वाणिज्य और उद्योग

१ फरवरी सन् १९५१ को वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग तथा रसद मंत्रालय को मिला कर एक मंत्रालय कर दिया गया और उसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय नाम दिया गया। खरीद तथा व्यवस्थापन, नमक का उत्पादन तथा वितरण और औद्योगिक कार्यों का प्रबन्ध जैसे विषयों को नए निर्माण, उत्पादन और रसद मंत्रालय को सौंप दिया गया। उद्योग और रसद मंत्रालय के अन्य सब कार्य तथा वाणिज्य मंत्रालय के, बीमा कम्पनी कानून और जहाजरानी को छोड़ कर, शेष कार्य नए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सौंप दिए गए। जहाजरानी को परिवहन मंत्रालय को सौंप दिया गया और बीमा तथा कम्पनी कानून को वित्त मंत्रालय के आर्थिक-विषय विभाग को सौंप दिया गया।

सन् १९५१ में देश की औद्योगिक और वाणिज्य सम्बन्धी स्थिति पर तीन बातों का विशेष प्रभाव था : खाद्यान्न की भारी कमी, कच्चे माल की कमी और ऊंचे दाम और भारत से निर्यात योग्य वस्तुओं की जोरदार और निरन्तर मांग। इस कमी के प्रमुख कारण, सूती वस्त्र का भारी निर्यात और आवश्यक आयात में कठिनाई थे। इसलिए इस परिस्थिति का सामना करने के लिए निर्यात और आयात नीति में संशोधन किया गया।

औद्योगिक नीति

भारत की निर्यात-योग्य मुख्य सामग्री, जैसे पटसन की बनी वस्तुएं, चाय, अभ्रक, लाख, काजू, काली मिर्च, तम्बाकू आदि के निर्यात को क्रियात्मक प्रोत्साहन दिया गया। परन्तु सूती वस्त्र, मूंगफली और कच्ची कपास के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया क्योंकि इनकी आवश्यकता देश के लिए थी। आयात नीति को समुचित रूप से उदार बनाया गया जिससे अधिकाधिक आन्तरिक उत्पादन सम्भव हो सके और लोगों को आवश्यक सामग्री समुचित रूप में मिलती रहे। अन्तिम कार्य यह किया गया कि लाइसेंस देने की पद्धति, विशेष कर के आयात और निर्यात लाइसेंसों की पद्धति, सरलतर बना दी गई जिससे विलम्ब कम से कम हो और आयात निर्यात करने वाले लोग विश्व के कठिनाई से पूर्ण बाजारों में प्रभावशाली सम्पर्क स्थापित कर सकें। इसके परिणाम बहुत अधिक सन्तोषजनक हुए। अर्द्ध-वार्षिक आयात लाइसेंसों को देने का कार्य पहले-पहल समय से पूर्ण हुआ जिससे आने वाले नए वर्ष के लिए कोई कार्य बाकी न रहा। निर्यात की स्थिति भी बहुत सन्तोषजनक रही और

देश के अन्दर किसी प्रकार की गम्भीर कमी भी उत्पन्न नहीं हो पाई।

पाकिस्तान के साथ व्यापार पुनः प्रारम्भ हो जाने के कारण, जो विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों के तय हो जाने और फरवरी सन् १६५१ में एक औद्योगिक समझौता हो जाने का परिणाम था, पटसन उद्योग की कठिनाइयाँ क्रमशः कम हुईं। परन्तु अन्य वस्तुओं का व्यापार अब भी सामान्य स्तर तक नहीं पहुँच सका है।

गन्धक और लोहेतर धातुओं जैसे आवश्यक खनिज पदार्थों के आयात की कठिनाई कुछ सीमा तक इसलिए भी कम हुई क्योंकि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे माल विषयक सम्मेलन में भाग लिया।

वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन

विभिन्न दिशाओं में प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप और भारत में बनी चीजों की गत दो वर्षों में माँग बढ़ जाने के कारण, जो कि कोरियाई युद्ध, पुनः शस्त्रीकरण योजनाओं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण सम्भव हुआ, भारत का निर्यात व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा रहा और इस वर्ष उसका मूल्य पिछले सभी वर्षों से आगे रहा। निर्यात के परिमाण का निश्चय करने में मुख्य विचार यही था कि भारत में निर्यात की कितनी क्षमता है। अतः यह प्रयत्न किया गया कि उत्पादन अधिकाधिक बढ़ाया जाए जिससे आन्तरिक और विदेशी बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके।

साथ ही साथ आयात-व्यापार के विकास के लिए सामान्य तरीकों के प्रति लापरवाही भी नहीं बरती गई। आस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैण्ड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, बर्मा और पौलैण्ड के साथ औद्योगिक समझौते किए गए। फ़िनलैण्ड, पौलैण्ड, हंगरी, नार्वे और स्वीडन के साथ वाणिज्य विषयक सदेच्छापूर्ण व्यावसायिक पत्र-व्यवहार हुआ।

व्यापारिक समझौतों और पत्रों के आदान-प्रदान के कारण भारत को कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने में सफलता मिली जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी थी और जिसका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था, जैसे अखबारी कागज, पूंजीगत सामग्री, इस्पात की बनी वस्तुएँ तथा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अन्य सामग्री।

नुमाइशें तथा मेले

जिन नुमाइशों और मेलों में सन् १९५१ में हमारे देश ने भाग लिया वे निम्नलिखित थे :

(१) 'कोरसो' के साथ सहयोग पूर्वक आठ भारतीय नुमाइशों का संगठन, (२) इटली के मिलान नगर में अन्तर्राष्ट्रीय मेला, (३) फ्रान्स के पेरिस नगर में अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला, (४) फ़िनलैण्ड के हेलसिंकी नगर में भारतीय नुमाइश, (५) अमेरिका के सानफ्रांसिस्को नगर में चौथा वार्षिक विश्व उद्योग मेला, (६) अमेरिका के सानफ्रांसिस्को नगर में भारतीय कुटीर उद्योग सामग्री की नुमाइश, (७) ब्रिटेन के लन्दन नगर में

भारतीय स्वतन्त्रता दिवस प्रदर्शनी, (८) हालैण्ड के एमस्टर्डम नगर में विश्व तम्बाकू कांग्रेस प्रदर्शनी, (६) सीलोन के कोलम्बो नगर में कोलम्बो योजना प्रदर्शनी। अमेरिका में दो और छोटी नुमाइशें भी हुईं। इनमें से एक सेंटा-बारबैरा में और दूसरी हालीवुड में हुई।

इन सब नुमाइशों और मेलों में भारत के भाग लेने से बड़ा लाभ हुआ। इनमें आने वाले हजारों लोगों ने विशेष रूप से भारतीय हस्त-कला-कौशल, कुटीर उद्योग सामग्री और विलास वस्तुओं में बड़ी रुचि दिखाई जिसके परिणामस्वरूप व्यापार सम्बन्धी अनेक प्रकार की पूछ-ताछ हुई।

प्रदर्शन-कक्ष

नुमाइशों के अतिरिक्त भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय दूतावासों में प्रदर्शन-कक्षों की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया। चालू वर्ष में सरकार और निजी उद्योगों द्वारा सरकार के कहने पर मौरीशस, ट्रिनीदाद, काबुल और ढाका को नमूने की वस्तुएँ भेजी गईं जिससे कि उन्हें भारतीय दूतावासों के प्रदर्शन-कक्षों में रखा जा सके।

आयात और निर्यात का मूल्य

इसके फलस्वरूप समुद्री और हवाई रास्ते से होने वाले आयात का कुल मूल्य बढ़ गया और सन् १६५१ में वह ७ अरब ६६ करोड़ ६२ लाख रुपये था, जबकि सन् १६५० में वह

५ अरब ३८ करोड़ ५५ लाख था। इस प्रकार ४२ '४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात के समग्र मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई और वह १९५० में ५ अरब २७ करोड़ ८३ लाख रुपयों से बढ़ कर सन् १९५१ में ७ अरब ३७ करोड़ ४५ लाख हो गया।

व्यापार में इस वृद्धि का कारण मुख्यतया मूल्यों में वृद्धि था, परन्तु प्रमात्रा देशनांक के आधार पर विचार करने पर आयात में सन् १९५० की तुलना में २३ '८ प्रतिशत की वृद्धि हुई और निर्यात सन् १९५१ में लगभग उसी स्तर पर रहा जिस पर कि वह पिछले वर्ष था।

व्यापार संतुलन

जहाँ तक भूमिगत व्यापार का सम्बन्ध है, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में सुधार के लिए, जो कि मुद्रा-अवमूल्यन के समय से काफी घट गया था, महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए। २८ फरवरी, सन् १९५१ को एक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ और इसके परिणामस्वरूप भारत का आयात सन् १९५० में ३६ करोड़ १४ लाख रुपयों से बढ़ कर सन् १९५१ में ९२ करोड़ ५८ लाख रुपयों के मूल्य का हो गया। भूमिगत आयात में इस वृद्धि के कारण ही समग्र प्रतिकूल व्यापार-संतुलन* सन् १९५१ में १ अरब ४ करोड़ ७३ लाख रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष वह ३४ करोड़ २८ लाख रुपये था।

---

*व्यापार-संतुलन-आँकड़ों को पारनयन-व्यापार को छोड़कर तैयार किए गए आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

निर्यात

भारतीय माल का समुद्री और हवाई रास्ते से निर्यात सन् १९५१ में ७ अरब ३२ करोड़ ८६ लाख रुपयों के मूल्य का हुआ। इसमें से ५७·१ प्रतिशत निर्यात तैयार सामग्री का था और अन्य दो श्रेणियों का निर्यात अर्थात् 'खाद्य, पेय तथा तम्बाकू' और 'कच्चे माल' का निर्यात क्रमशः २१·८ और २०·७ प्रतिशत था।

आयात

यद्यपि तैयार किये गए माल का स्थान प्रमुख रहा फिर भी इस प्रकार के माल का भाग ४२ प्रतिशत ही रहा तथा अन्य दो श्रेणियों के माल अर्थात् 'खाद्य, पेय तथा तम्बाकू' और 'कच्चे माल' का अनुपात क्रमशः २८ और २९ प्रतिशत रहा। अनाज, दालें और आटे का आयात १९५० में ७० करोड़ ३० लाख रुपये से बढ़ कर १९५१ में १ अरब ८३ करोड़ ४६ लाख रुपये का हो गया। मशीनों और कारखानों के कार्य से सम्बन्धित यंत्रों का आयात ९२ करोड़ ७५ लाख रुपयों का रहा जो पिछले वर्ष से ८ करोड़ ४६ लाख रुपये अधिक था। इसी प्रकार कच्चे कपास का आयात सन् १९५० में ८७ करोड़ १४ लाख रुपये से बढ़ कर सन् १९५१ में १ अरब १३ करोड़ ११ लाख रुपये का हो गया। जहां तक धातुओं का सम्बन्ध है, लोहा और इस्पात का परिमाण कुछ अधिक रहा और सन् १९५१ में १६ करोड़ ९९ लाख रुपयों का आयात हुआ जबकि पिछले वर्ष १६ करोड़ ३४ लाख रुपयों

का आयात हुआ था। लौहेतर धातुओं का आयात २६ करोड़ ५ लाख रुपये से घट कर १६ करोड़ ८१ लाख रुपये का रह गया क्योंकि इन द्रव्यों की कमी थी।

निर्यात में वृद्धि

कई वस्तुओं पर निर्यात-नियन्त्रण फिर से लगा दिया गया। इन नियन्त्रणों का उद्देश्य था देश के साधनों को समुचित रूप से सुरक्षित रखना न कि निर्यात को अनुत्साहित करना।

लगभग सभी वस्तुओं का निर्यात वृद्धि की ओर उन्मुख रहा; केवल तम्बाकू, मैंगनीज और तिलहन और सूती वस्त्र इसके अपवाद रहे।

व्यापार की दिशा

भारत के व्यापार की दिशा लगभग अपरिवर्तित रही। परन्तु जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, बर्मा और सिंगापुर के मामले में कुछ परिवर्तन हुए। जर्मनी से आयात में वृद्धि हुई और सन् १९५० में ६ करोड़ ६६ लाख रुपये से बढ़ कर आयात सन् १९५१ में २५ करोड़ ७८ लाख रुपये का हो गया और भारत के कुल आयात में उसका भाग १·२ प्रतिशत से बढ़ कर ३ प्रतिशत हो गया। उसी प्रकार जापान से होने वाला आयात ७ करोड़ ५० लाख रुपयों से बढ़ कर २२ करोड़ १७ लाख रुपये का हो गया और आयात में उसका भाग १·४ प्रतिशत से बढ़

कर २'६ प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि सन् १९५० और १९५१ के बीच हुई। इसी प्रकार १९५० और १९५१ के बीच बर्मा और इटली से आयात में क्रमशः २'३ से २'७ और १'७ से २'५ प्रतिशत वृद्धि हो गई।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन दो महत्वपूर्ण डालर क्षेत्र वाले देशों—अमेरिका और कनाडा—के भाग के बारे में हुआ। उक्त दोनों ही देशों से होने वाले आयात में काफी वृद्धि हुई। अमेरिका का भाग सन् १९५० में १८'५ प्रतिशत से बढ़ कर सन् १९५१ में २३'३ प्रतिशत हो गया और कनाडा का भाग १'९ प्रतिशत से बढ़ कर २'६ प्रतिशत हो गया। डालर क्षेत्र से आयात में इस वृद्धि का कारण मुख्यतया अनाज और कच्चे कपास का अमेरिका से बड़े परिमाण में आयात था।

आयात पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि ब्रिटेन, इटली, अर्जेन्टाइना, जापान और फ्रांस को होने वाला निर्यात बढ़ा। ब्रिटेन का भाग सन् १९५० में २२'१ प्रतिशत से बढ़ कर सन् १९५१ में २५'६ प्रतिशत हो गया अर्थात् ३'५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इटली और अर्जेन्टाइना के भाग में '८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जापान और फ्रांस को होने वाले निर्यात में काफी वृद्धि हुई जिनके भाग १९५० और १९५१ के बीच में क्रमशः १'३ प्रतिशत से २'१ प्रतिशत और '६ प्रतिशत से १'७ प्रतिशत हो गए। कई अन्य देशों को होने वाले निर्यात में भी किंचित वृद्धि हुई।

विभिन्न उपायों का अवलम्बन करने के कारण इस वर्ष औद्योगिक विकास बहुत अच्छा रहा। औद्योगिक उत्पादन का देशनांक सन् १९५१ में ११७ था जब कि सन् १९४८ में १०९, सन् १९४९ में १०६ और सन् १९५० में १०५ था। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में जो गिरावट आ रही थी उसको निश्चित रूप से रोक दिया गया।

युद्ध के बाद सब से अधिक औद्योगिक उत्पादन सन् १९५१ में हुआ। इस वर्ष के उत्पादन का स्तर पिछले वर्ष से १० प्रतिशत अधिक और सन् १९४८ से, जो कि युद्धोत्तर-कालीन सर्वोच्च स्तर का वर्ष माना जाता था, ६ प्रतिशत अधिक था।

सूती कारखाना उद्योग का वस्त्र उत्पादन ३ अरब ६६ करोड़ ५० लाख गज से बढ़ कर ४ अरब ८ करोड़ गज हो गया अर्थात् ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के कुछ आरम्भिक महीनों में कच्चे माल की कठिनाई न होती और अन्तिम दो महीनों में बम्बई में बिजली की उपलब्धि में कमी न होती तो उत्पादन कहीं अधिक होता। इस उत्पादन के अन्तर्गत हैण्डलूम के कपड़े को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका उत्पादन अनुमानतः ८० करोड़ गज है। सूत का उत्पादन १ अरब ३० करोड़ ४० लाख पौंड हुआ जब कि पिछले वर्ष यह उत्पादन १ अरब १७ करोड़ ४० लाख पौंड था, अर्थात् ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। नए स्पिण्डलों की संख्या इस वर्ष ४२२,७०३ थी।

पटसन के माल का उत्पादन इस वर्ष के आरम्भिक महीनों में कम था लेकिन बाद में वह इतना बढ़ गया कि उक्त उद्योग ने प्रति सप्ताह ४८ घंटे काम लेना आरम्भ किया। ३१ मार्च सन् १९५१ के बाद काम के घंटों को अस्थायी तौर पर घटा कर फिर ४२॥ कर दिया गया। कुल वर्ष का समग्र उत्पादन ८७३,००० टन था जब कि पिछले वर्ष का उत्पादन ८३५,००० टन था।

इस्पात का उत्पादन सन् १९४७ के बाद इस वर्ष सब से अधिक हुआ। उसका परिमाण युद्धोत्तर काल में सब से प्रथम १,०४०,००० टन था। तीनों ही प्रमुख इस्पात-उत्पादकों ने विस्तार की योजनाओं का आरम्भ कर दिया है। यह आशा की जाती है कि ये योजनाएँ ३ से ७ वर्षों में पूर्ण हो जाएँगी और इनके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष ४५०,००० टन और अधिक इस्पात का उत्पादन होने लगेगा।

सीमेंट के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह २६ लाख टन से बढ़ कर ३२ लाख टन हो गया, अर्थात् २३ प्रतिशत अधिक उत्पादन हो गया। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है जिनके अनुसार आगामी ३ वर्षों में प्रति वर्ष १३ लाख टन और अधिक सीमेंट का उत्पादन होने लगेगा।

कागज और गत्ते के उत्पादन में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई और उत्पादन १०९,००० टन से बढ़ कर १३१,००० टन हो गया अर्थात् २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गन्धक के तेजाब को छोड़ कर शेष सभी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इन पदार्थों के अन्तर्गत सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और बाइक्रोमेट आते हैं। कास्टिक सोडा का उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ गया और बाइक्रोमेट का उत्पादन ६० प्रतिशत। सिन्द्री कारखाने में काम चालू हो जाने के कारण यह आशा की जाती है कि अगले साल अमोनियम सल्फेट का उत्पादन काफी बढ़ जाएगा।

रंग-रोगन और दियासलाई का उत्पादन भी क्रमशः २१ प्रतिशत और १० प्रतिशत बढ़ गया।

कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों की प्रगति कई प्रकार से बहुत ही अच्छी रही। डीजल इंजनों का उत्पादन ४,५९६ से बढ़ कर ६,८५० हो गया अर्थात् ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिजली की ताकत से काम करने वाले पंपों की संख्या ७,००० और अधिक रही और इस प्रकार पिछले वर्ष से २४ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। स्टील बैल्ट लेसिंग का उत्पादन ३४ प्रतिशत बढ़ गया अर्थात् ९६,११४ बक्सों से बढ़ कर १३३,२९१ बक्स हो गया। बाल बेयरिंग उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और पिस्टन रिंग के उत्पादन में लगभग ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उसकी संख्या २५०,००० से बढ़ कर १४ लाख ४० हजार हो गई। लोहेतर धातु उद्योगों के अन्तर्गत कच्ची धातुओं को निकालने में वृद्धि हुई, विशेषतः अल्मुनियम, तांबा और सीसा में, जबकि अल्मुनियम और जस्ते का उत्पादन बढ़ गया। पीतल और तांबे का उत्पादन घटा क्योंकि इन धातुओं के आयात में कमी हुई। गैर-बिजली वाले तारों और पाइपों का उत्पादन बढ़ा और

कन्डुइट पाइपों का उत्पादन ३३ प्रतिशत बढ़ गया। मशीन यंत्रों के उत्पादन का मूल्य २६ लाख रुपये से बढ़ कर ४१ लाख रुपये हो गया जब कि छोटे यंत्रों का उत्पादन ४५०,००० से बढ़ कर १,०१८,००० हो गया, अर्थात् १२६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। लूम तथा रिंग फ्रेम भी इस वर्ष और अधिक तैयार हुए।

बैल्टों, अब्रेजिव, मैथेमैटिकल इन्सट्रूमेंट, शैफ्टिंग तथा वैल्डिंग इलैक्ट्रोड के उत्पादन में विभिन्न प्रकार की वृद्धि हुई। अन्तिम वस्तु की वृद्धि २ करोड़ ३० लाख फुट से बढ़ कर ३ करोड़ २० लाख फुट हो गई अर्थात् ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विकास शाखा के प्रोत्साहन और सहायता से भारत में पहले पहल कुछ नई चीजों का उत्पादन किया गया और कई दिशाओं में उत्पादन का एक नया स्तर प्राप्त हुआ। नई चीजों के अन्तर्गत स्वतःचालित लूम, ग्रामोफोन की सुइयां, अलुमुनियम चूर्ण, घरेलू रेफ्रीजरेटर, घरेलू प्रयोग के लिए 'वाट-आवर' मीटर और छोटे-छोटे बिजली के लैम्प हैं।

बिजली से सम्बन्धित उद्योगों में बहुमुखी विकास हुआ। सूखे सैलों का उत्पादन ४० लाख बढ़ गया। स्टोरेज बैटरियों में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी संख्या १८७,००० से बढ़ कर २०३,००० हो गई और बिजली की मोटरों का उत्पादन ८१,८३१ हार्स पावर से बढ़ कर १४१,६०० हार्स पावर हो गया। बिजली और वितरण ट्रांसफार्मरों का उत्पादन १७१,००० के० वी० ए० से बढ़ कर १६४,००० के० वी० ए० हो गया। लगभग १० लाख और अधिक लैम्प बनाए गए और बिजली के बल्बों

का उत्पादन २००,००० से बढ़ कर २२३,००० हो गया। लगभग ७५,००० रेडियो सेट बनाए गए जब कि पिछले साल ४५,००० बनाए गए थे। केबल और तार, रबड़ के इनसुलेटेड केबल और फ्लैक्सीबल् के उत्पादन में ७० लाख गज की वृद्धि हुई अर्थात् ३ करोड़ ५० लाख गज से बढ़ कर उत्पादन ४ करोड़ २० लाख हो गया।

सन् १९५० की तुलना में उन मोटर-गाड़ियों की संख्या, जिनको हिस्से जोड़ कर तैयार किया गया, २२,२५२ थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या १४,६०२ थी अर्थात् ५२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोटर-गाड़ियों के हिस्सों को बनाने के लिए पूरक उद्योगों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए।

मोटर-गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उनके टायरों और ट्यूबों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। टायरों का उत्पादन ६४०,००० से बढ़ कर ८५०,००० हो गया और ट्यूबों का उत्पादन ७००,००० से बढ़ कर ८२०,००० हो गया। साइ-किल के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन भी बढ़ा।

रबड़ की वस्तुओं के अन्तर्गत जूतों का उत्पादन ३६ प्रतिशत बढ़ा अर्थात् १ करोड़ ६६ लाख जोड़ों से बढ़ कर २ करोड़ २५ लाख जोड़े हो गया।

चमड़ा उद्योग में सन् १९५० में गिरावट आई थी, परन्तु सन् १९५१ में वह बहुत अच्छी तरह सँभल गया। वेजीटेबल टैनिंग में सुधार हुआ और उत्पादन संख्या १५ लाख कच्चे

चमड़े के टुकड़ों से बढ़ कर १७ लाख हो गई। क्रोम चमड़ा शोधन ५००,००० टुकड़ों से बढ़ कर ९००,००० टुकड़े हो गया। पहले में १३ प्रतिशत की वृद्धि और दूसरे में ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जूतों का उत्पादन भी बढ़ा और पिछले वर्ष की गिरावट में सुधार हुआ। विलायती जूतों का उत्पादन २८ लाख से बढ़ कर ३६ लाख जोड़ और देशी जूतों का उत्पादन १९ लाख ९० हज़ार से बढ़ कर २० लाख ५० हज़ार जोड़े हो गए।

बड़ी संख्या में विभिन्न अन्य उद्योगों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनमें उत्पादन वृद्धि का प्रतिशत निम्न प्रकार का था:—साबुन उद्योग में १०, रंग-रोगन में २२, दियासलाई में १०, काँच की चद्दरों में १६, इनैमेल बर्तनों में ५०, मिट्टी के बर्तनों में १८, चर्म वस्त्र में १५०, प्लाईवुड माचिस के बक्सों में ४४, सिलाई की मशीनों में ३९, हरीकेन लालटेनों में ४०, बिजली की बत्तियों में ७० और रेज़र ब्लेडों में १४०।

कानून

इस वर्ष दो महत्त्वपूर्ण कानून बनाए गए। पहला था उद्योग (विकास और नियमन) कानून, जिसके द्वारा उद्योगों के विकास के लिये श्रम और पूंजी में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूसरा टैरिफ कमीशन कानून था।

नियंत्रण

सूती वस्त्र, कपास, इस्पात और सीमेंट पर आन्तरिक नियंत्रण जारी रखना पड़ा। मूल्य-पृष्ठ अनुसूची को फिर से लागू करके इस वर्ष के आरम्भ में अखबारी कागज पर नियंत्रण मजबूत किया गया। माल की उपलब्धि और मूल्य कानून के अन्तर्गत गन्धक जैसी दुर्लभ वस्तुओं के समुचित वितरण के लिए अधिकार का प्रयोग किया गया और साइकिलों, बिजली के बल्बों, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, शिशुओं के खाद्य-पदार्थों आदि का मूल्य-नियमन और स्थिरीकरण किया गया। वादे के सौदों की बाजार में अहितकर सट्टे को घटाने के लिए संसद् में एक बिल भी पेश किया गया और उस पर सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है।

सुधरा हुआ तरीका

जहां कहीं संभव हुआ है, नियंत्रणों के प्रशासन और तरीके में सुधार किया गया है। कच्ची कपास के सम्बन्ध में विशेष सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। किस्मों का नियंत्रण विशेष सफल हुआ है और १९५० के विपरीत, १९५१ में नियंत्रित मूल्य सभी अवस्थाओं में अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। देश में खपत के लिए कपड़े की उपलब्धि में काफी वृद्धि हुई। फरवरी १९५१ में देशी बाजार के लिए मोटे और मध्यम किस्म के कपड़े की उपलब्धि ५२,००० गांठ रह गई थी जो निम्नतम स्तर की सूचक थी। पर जुलाई तक उपलब्धि १३२,००० गांठ हो गई और सितम्बर से उपलब्धि लगभग १४३,००० गांठ बनी रही है। इसी प्रकार हैण्डलूम

उद्योग के लिए सूत के वितरण में भी यथेष्ट सुधार हुआ है। फरवरी सन् १९५१ में ५५,२७५ गांठों से बढ़ कर वितरण नवम्बर १९५१ में ६४,५०० गांठ हो गया।

उत्पादन में वृद्धि होने और कुछ नये कारखाने खुल जाने से सन् १९५१ में न्यून मात्राओं में उपयोग के लिए सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया गया। पर इस्पात के संबंध में सम्पूर्ण वर्ष उपलब्धि में कठिनाई रही और उसका वितरण केवल अत्यावश्यक कार्यों के लिए सीमित रखना पड़ा।

टैरिफ कमीशन

सन् १९४५ में युद्धकालीन उद्योगों की जांच-पड़ताल के लिए स्थापित टैरिफ़ बोर्ड का स्थान अब टैरिफ़ कमीशन कानून १९५१ के अन्तर्गत स्थापित टैरिफ़ कमीशन ने ले लिया है। कमीशन का स्वरूप अर्ध-न्यायिक है। इस प्रकार के न्यायिक अधिकार, जैसे किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बुलाना और बाध्य करना और कागजात को पेश करने के लिए कहना, पहले टैरिफ बोर्ड को नहीं मिले थे। परिणाम यह होता था कि कभी कभी उद्योगों के महत्त्वपूर्ण एकक जांच के कार्य में सहयोग देने से इन्कार करते थे और इस प्रकार बोर्ड बहुमूल्य तथ्यों के संग्रह से वंचित रह जाता था।

संरक्षण

जिप फासेनर, बाल बेयरिंग और स्टीलबाल तथा सन से बनने वाली वस्तुओं के उद्योगों के मामले जांच के लिए टैरिफ बोर्ड

को सौंप दिए गए। साबूदाना और टैपिओका पर्ल उद्योगों को सन् १६५२ के अन्त तक के लिए संरक्षण दिया गया और कैल्शियम लैक्टेट, पेंसिल, फाउन्टेनपेन की स्याही, तेल चाप लैंप, बटन, स्टड और कफ लिंक उद्योगों को सन् १६५३ के अन्त तक के लिए संरक्षण मिला।

टैरिफ बोर्ड की सिफारिश पर जिन उद्योगों को सहायता या संरक्षण दिया गया उनके नाम हैं, हाइड्रोक्वीनोन, सूती वस्त्र उद्योग की मशीनें, पीतल के बने बिजली के लैम्पों के होल्डर और मशीनों के पेंच।

इसी बीच रेशम उद्योग को भी मार्च सन् १६५२ के अन्त तक के लिए और भी संरक्षण मिला और कृत्रिम रेशम तथा कपास और कृत्रिम मिश्रित धागों, वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त 'पिकर्स', सुरक्षित फल और चक्की के पाटों को दिया गया संरक्षण दिसम्बर सन् १६५२ तक के लिए बढ़ा दिया गया।

फल के रसों, कार्डियेल और शरबतों को दिया गया संरक्षण टैरिफ बोर्ड की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया।

विदेशी सहायता

२८ दिसम्बर १६५० को प्रेसिडेंट ट्रूमैन के चतुर्थबिन्दु कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक सहयोग के लिए भारत सरकार और अमेरिका के बीच एक सामान्य द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों को

प्रौद्योगिक सहायता सम्बन्धी मांग रखने के लिए आमंत्रित किया गया। समुचित विचार के बाद अल्यूमिनियम, लोहा और इस्पात, धातुओं, प्लास्टिक, रासायनिकों, सीमेंट, मशीनों, मोटर गाड़ियों और कांच के उद्योगों की सामग्री की मांगों को अमेरिकन सरकार के सम्मुख पूर्ति के लिए रखा गया।

इन मांगों के अन्तर्गत निर्यात संबंधी सहायता तथा अमेरिका में प्रशिक्षण की सुविधाएं—ये दोनों बातें आ जाती हैं। ३ महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए २२ विशेषज्ञों को मांगा गया है जिन पर कुल व्यय २७०,००० डालर आएगा। यह भी निश्चय किया गया है कि ७४,००० डालर के व्यय से ३३ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाए।

अमेरिकन सरकार से यह भी मांग की गई कि वह एक गंधक के तेजाब, एक फाउन्डरी, और एक स्टेनलेस स्टील के विशेषज्ञ को उक्त उद्योगों के संबंध में परामर्श देने के लिए भेजे।

औद्योगिक वित्त कारपोरेशन

१९५१ में वस्त्र इंजीनियरिंग, रासायनिकों, सीमेंट, कांच और मिट्टी के बर्तन, लोहा और इस्पात, अल्यूमिनियम, शकर, मोटर गाड़ी आदि उद्योगों की ओर से कुल ३ करोड़ ६९ लाख रुपयों के कर्जे की मांग के कुल ३३ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। उनमें से १४ प्रार्थनापत्रों को, जिनके अन्तर्गत १ करोड़ ९३ लाख रुपया कर्जा देने की व्यवस्था है, स्वीकृति दे दी गई।

पूंजी विनियोग

इस वर्ष भारत सरकार ने ६ करोड़ ६६ लाख रुपये की विदेशी पूंजी के विनियोग के लिए स्वीकृति दी, जबकि सन् १९४९ में ६ करोड़ ३५ लाख रुपयों और सन् १९५० में २ करोड़ ५७ लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई थी। इस रकम में ७ करोड़ ३५ लाख रुपये ब्रिटेन से आने थे और अमेरिका का भाग १ करोड़ १२ लाख था। जिन उद्योगों का विदेशी पूंजी से संबन्ध है, वे हैं: कांच, साइकिल, डीजल इन्जन, रबड़, रासायनिक, दवाइयां और सुई उद्योग।

इस वर्ष कई विदेशी फर्मों ने रायल्टी की अदायगी पर औद्योगिक ज्ञान प्रदत्त करने में गहरी रुचि दिखाई। इस प्रकार जिन कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गई उनका संबंध मोटर कार और मोटर गाड़ियों के हिस्सों, सिन्थेटिक रेसीन, रेडियो सैट, रंगों, रासायनिकों और दवाइयों, डीजल इन्जन आदि से है।

औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कार्यों को आरम्भ करने के लिए ५८ करोड़ ४३ लाख रुपयों के भारतीय पूंजी-विनियोग के लिए स्वीकृति दी गई। इसमें से ४२ करोड़ ६५ लाख रुपये औद्योगिक परियोजनाओं की पूर्ति के लिए व्यय होंगे।

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योग के विकास की देखरेख कुटीर उद्योग अधिदेश (डाइरेक्टोरेट) और उसके अन्तर्गत विभिन्न संगठनों के द्वारा

की गई। वस्तुतः कई दिशाओं में कुटीर उद्योगों में बहुत काफी उन्नति हुई।

नई दिल्ली स्थित अधिदेश के केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम में २२२,७४६ रुपयों की फुटकर बिक्री हुई। एम्पोरियम द्वारा समय-समय पर विशेष नुमाइशों का आयोजन किया गया। कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का प्रदर्शन पालम और विलिंगडन के हवाई अड्डों पर भी हुआ और इन वस्तुओं के प्रति बाजार की रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें ब्रिटेन, सीलोन, चेकोस्लोवेकिया, फ़िनलैण्ड, अफगानिस्तान, जापान, न्यूज़ीलेंड तथा इटली में भारतीय प्रतिनिधियों के पास भेजा गया। यह भी निश्चय हुआ कि नई दिल्ली में भारतीय कुटीर उद्योग अजायबघर की स्थापना की जाए। समय-समय पर इन वस्तुओं के विज्ञापनों को भी समाचार-पत्रों में दिया गया। प्रकाशित साहित्य द्वारा और प्रश्नों का उत्तर देकर कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में सूचनाएं दी गईं।

हरदुआगंज की कुटीरें उद्योग संस्था ने सुधरे हुए तरीकों से कुटीर उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार कीं जिनके अन्तर्गत घड़ी के पुर्जे बनाना, बिजली से चलने वाली छोटी-छोटी तेल की घानियां, वस्त्र, मोजे, बनियान, वर्कशाप की मशीनें, और तार-कीलों के उद्योग, छोटे बिजली के लैम्पों को बनाना और नीम के तेल का उत्पादन और प्रयोग आदि हैं।

इस्पात की चादरें और अन्य सामग्री देकर कुटीर उद्योगों की सहायता की गई। राज्यों को कुटीर उद्योग तथा अन्य छोटे

पैमाने के उद्योगों के लिए लगभग ८,००० टन इस्पात दिया गया। डाइरेक्टोरेट के उत्पादन केन्द्र ने विभिन्न कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के लगभग २५०,००० रुपयों के आर्डर सरकारी विभागों से प्राप्त किए।

कुटीर उद्योग के विकास के संबंध में राज्यों की सरकारों ने योजना कमीशन को द्विवर्षीय और पांच वर्षीय योजनाएं भेजीं। एक सुप्रसिद्ध रासायनिक-उद्योग संस्था के सहयोग से चटाई बनाने वालों द्वारा रंगों के इस्तेमाल के संबंध में प्रयोग किए गए और परिणामों को सम्बन्धित लोगों को भेजा गया।

इण्डियन स्टैन्डर्ड इन्स्टीट्यूट ने हैंडलूम कपड़े के प्रमाप-निर्धारण के लिए एक विशेष कमेटी की नियुक्ति की। उस संस्था ने पिकर्स, पैंडलाक और उनके साथ प्रयुक्त होने वाले दरवाजों के खिसकने वाले कब्जों के प्रमापों को अन्तिम रूप दिया। एक-दो कुटीर उद्योगों की जांच पड़ताल की गई और राज्यों को राजी किया गया कि वे भी इसी प्रकार की पड़ताल करें। कुटीर उद्योगों की समस्याओं और उनके सहकारी आधार पर संगठन के विषय में अध्ययन के लिए अफसरों को जापान भेजा गया।

इस वर्ष कुटीर उद्योग की वस्तुओं के विकास के लिए राज्यों और विशेष संस्थाओं को ६२८,००० रुपयों के सहायक अनुदान दिए गए।

३. आन्तरिक*

किसी भी देश की उन्नति की एक मुख्य शर्त यह है कि वहां आन्तरिक शान्ति हो और देश की आन्तरिक उन्नति वहां की रेल व्यवस्था और परिवहन तथा संचार साधनों की सुविधा पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में भी सरकार ने इस वर्ष काफी प्रगति की।

आन्तरिक मामले

गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी दो विषय-समूहों की है। पहले का संबंध सार्वजनिक सुरक्षा से है और दूसरे का सार्वजनिक सेवाओं से। भाग 'ग' के राज्यों में विधि और व्यवस्था की सीधी जिम्मेवारी केन्द्र पर है। भाग 'ग' राज्य कानून, १९५१, के पास हो जाने के बाद अब एतद्-विषयक कुछ अधिकार भाग 'ग' के राज्यों को भी मिल गए हैं।

---

* रक्षा और सूचना तथा प्रसार के लिए 'वैदेशिक' शीर्षक देखिए।

केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र

मंत्रिमण्डल द्वारा अन्दमान और निकोबार टापुओं के विकास और उनको बसाने की पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति एक महत्त्वपूर्ण कदम था। तदनुसार अन्दमान में २०,००० एकड़ जंगली भूमि को साफ किया जाएगा और उसे खेती के योग्य बनाया जाएगा। इस भूमि पर मुख्यतः धान की खेती के लिए पांच वर्षों की अवधि में लगभग ४,००० खेतिहर परिवारों (२०,००० भारतीय नागरिकों) को बसाया जाएगा। २०,००० एकड़ और भी पहाड़ी जमीन को मकान बनाने और फल तथा साग सब्जी के बगीचे लगाने के लिए काम में लाया जाएगा। बस्ती को सरकारी आधार पर बसाया जाएगा। इस क्षेत्र में पशुधन की वृद्धि और डेयरी फार्म के पुनर्गठन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उपाध्यक्ष और डेरी अनुसन्धान संस्था के निर्देशक ने अन्दमान का दौरा किया। उनकी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ

अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की संस्थाओं का निकट से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कमिश्नर ने मध्य भारत, भोपाल, राजस्थान, अजमेर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पेप्सू, पंजाब, कच्छ, मद्रास, त्रावनकोर, कोचीन, आसाम, मणिपुर, विन्ध्य प्रदेश, हैदराबाद, और बम्बई की यात्रा की। उनके द्वारा पिछड़े

वर्गों के लिए वैधानिक संरक्षणों विषयक कार्रवाइयों की भी जांच की गई।

भाग 'क' और भाग 'ख' के राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सन् १६५१–५२ में १७,५००,००० रुपयों का सहायक अनुदान दिया गया। १६५२–५३ के बजट में १८,०००,००० की और भी व्यवस्था की गई है। भाग 'ग' के राज्यों के अनुसूचित जनजातियों की दशा को सुधारने के लिए १,५००,००० रुपयों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

जनगणना

सन् १६५१ की जनगणना के सम्बन्ध में एक नई बात यह की गई कि सिवा पश्चिमी बंगाल, पंजाब, और त्रावनकोर-कोचीन के, अन्य राज्यों में जनगणना के आंकड़ों की पुष्टि के लिए नमूने की जांच की गई। यह आशा की जाती है कि इससे बड़ा लाभ होगा। सारे देश की गणना-पर्चियों की पहली गिनती के आधार पर तैयार कच्चे आंकड़ों को १४ अप्रैल सन् १६५१ को संसद् में पेश किया गया। अन्तिम रिपोर्ट १६५२–५३ तक तैयार हो जाएगी।

प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) कानून १६५१

विधान (प्रथम संशोधन) बिल पर बहस के समय प्रधान मंत्री महोदय तथा गृह मंत्री महोदय—दोनों ही ने बताया कि वे वर्तमान प्रेस-कानूनों का संशोधन इस प्रकार करना चाहते

हैं जिस से उन सब बातों का निवारण किया जा सके जो पत्रों की दृष्टि में आपत्तिजनक हों और इस प्रकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में मनमाने हस्तक्षेप से पत्र-पत्रिकाओं की और अधिक रक्षा की जा सके। इस सम्बन्ध में एक बिल संसद् में पेश किया गया और प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) कानून, १९५१ के नाम से उसे पास किया गया। इस कानून की अवधि दो साल की है। २३ अक्तूबर, १९५१ को इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और १ फरवरी, सन् १९५२ से यह लागू कर दिया गया है।

पुलिस विभाग

भाग 'क' के राज्यों और अजमेर, कुर्ग, दिल्ली तथा अन्दमान-निकोबार में पुलिस की संख्या पूर्ववत् है। राज्य की सरकारों को पहले की तरह पुलिस-विभाग के लिए आवश्यक शस्त्रादि, गोला, बारूद और बेतार के तार की सामग्री की सहायता केन्द्र द्वारा दी गई।

अन्तर्राज्यीय बेतार के तार की पुलिस-व्यवस्था का विस्तार भाग 'ख' के राज्यों के लिए भी कर दिया गया है। शिलांग, कलकत्ता, पटना, कटक, नागपुर, शिमला, अजमेर, बँगलौर, रीवां, भोपाल, भुज, पटियाला, और अगरतला में बेतार के तार के केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। अन्य जगहों में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और १९५२ के अंत तक उसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

नागरिक रक्षा समिति

नागरिक रक्षा समिति की सहायतार्थ एक नागरिक रक्षा विषयक प्रौद्योगिक उपसमिति का निर्माण गृह मंत्रालय के अन्तर्गत किया गया और उसके लिए एक पूरे समय का सेक्रेटरी तथा आरम्भिक कार्य के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए गए। यह उप-समिति देश के लिए नागरिक रक्षा की योजना बनाएगी और समय-समय पर उसे समयानुकूल बनाती रहेगी।

वैधानिक सुधार

सन् १९५१ में भाग 'ग' राज्य कानून पास हुआ जिसके अनुसार प्रस्तावित धारा सभाओं के चुनाव पूर्ण हुए और दिल्ली तथा कुर्ग राज्यों में १७ मार्च १९५२ को तथा अजमेर राज्य में २४ मार्च १९५२ को मंत्रिमंडल बनाए गए।

जून सन् १९५१ में पंजाब के राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विधान के अनुसार शासन का संचालन संभव नहीं होगा। अतः राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा करके पंजाब के शासन का भार स्वयं ग्रहण कर लिया। बाद को इस घोषणा को संसद् की स्वीकृति मिली। पर चुनावों के बाद वहां लोकप्रिय मंत्रिमंडल की पुनः स्थापना हो गई है।

भारतीय नागरिकता

विभागीय स्तर पर एक भारतीय नागरिकता बिल का प्रयोगात्मक मसविदा, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति

तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों का समावेश है, तैयार किया जा चुका है। उसको अन्तिम रूप मिलने में अनिवार्यतः अभी विलंब होगा क्योंकि बिल को विभिन्न न्यायिक दृष्टियों तथा गृह और विदेश नीति के प्रकाश में देखना और उस पर विचार करना होगा।

बड़ी संख्या में यहां से जो यहूदी पैलेस्टाइन चले गए थे उन्होंने फिर से भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वे उस देश के जीवन के अनुकूल अपने आपको नहीं बना सके। सरकार ने निर्णय किया कि जो यहूदी वस्तुतः भारतीय नागरिक थे उन्हें वापस आने दिया जाए और भारतीय नागरिकता सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उन्हें इस उद्देश्य के लिए यात्रा-संबंधी समुचित कागजात दिए जाएं।

अखिल भारतीय सेवाएं

सन् १९५१ में विशेष भरती बोर्ड ने मैसूर, सौराष्ट्र, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और त्रावन्कोर-कोचीन के राज्यों की नागरिक और पुलिस सेवाओं के अफसरों की पदोन्नति की सिफारिश की जिससे उनकी नियुक्ति भारतीय शासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में हो सके।

भारतीय नागरिक शासन (केन्द्र) संवर्ग योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उक्त संवर्ग में अर्ध-स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए भेजे जाने वाले अफसरों का चुनाव करने का भार केन्द्रीय एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को, जिसके

अध्यक्ष संघीय लोक सेवा आयोग के चेयरमैन होंगे, सौंपा गया है। भाग "क" के राज्यों को भारतीय शासन-सेवा और भारतीय शासन व पुलिस सेवा के अफ़सरों की आपत्-कालीन भरती-योजना के अन्तर्गत संवर्ग, और भारतीय शासन व पुलिस सेवा (राज्यों तक विस्तार) योजना के अन्तर्गत भाग "ख" के राज्यों के लिए इस प्रकार कई संवर्गों के संगठन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रशिक्षण

सन् १९५१ में भारतीय शासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल ने १९५० में हुई संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए उक्त सेवा के २९ नियमित रँगरूटों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। खुली प्रतियोगिता से भर्ती किए गए २३ रँगरूटों ने जनवरी १९५२ के प्रारम्भ में प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश किया।

सन् १९५१ में प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ४१ उम्मीदवार भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किए गए। इनमें ७ संकटकालीन उम्मीदवार भी थे। माउन्ट आबू के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज में इन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय सेवाएं

इसी बीच में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी के लिए नियुक्तियों के बारे में स्पेशल भर्ती बोर्ड की सिफारिशों को

लागू किया जा रहा है। अनेक अधिकारियों की सुपरिण्टेण्डेन्ट तथा सहायक सुपरिण्टेण्डेन्ट के रूप में पुष्टि की आज्ञाएं जारी भी हो चुकी हैं।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी (असिस्टेन्टों की श्रेणी) का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनस्संगठन और शक्ति संवर्धन) योजना द्वारा निर्दिष्ट परीक्षाएं हो चुकी हैं। पहली और दूसरी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। यह भी घोषित किया जा चुका है कि कुछ सामान्य प्रारम्भिक बातों के पूर्ण होने पर पहली परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम ४०० उम्मीदवारों की असिस्टेन्टों की श्रेणी में पुष्टि कर दी जाएगी। अधिकांश मामलों में पुष्टि की आज्ञाएं जारी भी की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सेवा की अवधि के अनुसार असिस्टेन्टों की एक सीमित संख्या की बिना परीक्षा के पुष्टि की व्यवस्था भी है। इस प्रकार के व्यक्तियों की अन्तिम सूची अभी बनी नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा योजना में पहली, दूसरी तथा तीसरी—तीन श्रेणियां हैं। अब तक स्टेनोग्राफरों के लिए उन्नति करने का कोई अवसर नहीं था। परन्तु अब उच्चतम श्रेणी अर्थात् प्रथम श्रेणी में पहुँचने पर एक स्टेनोग्राफर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर काम करने का पात्र हो जाएगा। इस सेवा में भर्ती केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा की गई परीक्षाओं के आधार पर ही की जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना का अन्तिम प्रारूप भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से परामर्श करने के बाद ही तैयार किया गया है। अपर डिवीज़न क्लर्क की श्रेणी को पुरःस्थापित करने का निर्णय कर दिया गया है। परन्तु इसकी शक्ति का निश्चय नमनीय रीति से किया जाएगा ताकि समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें।

सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल का गठन इस ढंग पर किया गया है कि भारत सरकार के मन्त्रीय कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को सुआयोजित, सोद्देश्य और व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सके। मार्च, १९५२ के अन्त तक ६,२७७ सरकारी नौकरों को जिनमें सुपरिन्टेंडेंट, सहायक सुपरिंटेंडेन्ट, असिस्टेन्टस्-इंचार्ज, असिस्टेन्ट और क्लर्क शामिल थे, इस ढंग का प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

कार्यमुक्त किए गए कर्मचारी

डायरेक्टर जनरल पुनस्संस्थापन और नियोजन के केन्द्रीय समन्वय दफ्तर में एक विशेष संगठन स्थापित किया गया है जो अतिरिक्त कार्यमुक्त अधिकारियों की सहायता करेगा, जो ६ मास तक निरन्तर केन्द्रीय सरकार की सेवा में रह चुके होंगे और एम्पलायमेंट एक्स्चेंज में पंजीयन के एक वर्ष के भीतर ही निकाल दिए जाएंगे। व्यावहारिक रूप में यह संगठन केन्द्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है।

भारतीय सेना, जल और वायु बलों के कर्मचारियों को भी, जो या तो निकाल दिए गए हैं या जिनके निकाले जाने की

संभावना है, नियोजन के मामले में वही विशेषाधिकार दे दिए गए हैं जो निकाले गए नागरिक कर्मचारियों को हैं।

राज्य

राज्य मन्त्रालय भाग 'ग' के राज्यों के प्रशासन से सीधा सम्बद्ध है जैसे कि भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्य प्रदेश राज्य और भाग 'ख' राज्यों के सामान्य प्रशासन से।

भाग 'ग' के राज्य

राज्यों के लोकतन्त्रीकरण की आदेशिका में "१९५१ के भाग 'ग' के राज्य सम्बन्धी सरकारी अधिनियम" का लागू करना एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति ६ सितम्बर, सन् १९५१ को प्राप्त हुई। इस अधिनियम के प्रयोग से इन राज्यों में प्रशासन से जनता का सम्बन्ध हो गया। इसमें भोपाल, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश में वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्वाचित विधान सभाओं और इन विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना की व्यवस्था है। राज्य विधायिनी सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों पर मन्त्रिमण्डलों और विधान मण्डलों का अधिकार रहेगा परन्तु राष्ट्रपति का निरीक्षणात्मक नियन्त्रण बना रहेगा। कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा के सीमांत राज्यों में गैर-सरकारी व्यक्तियों की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति का सुझाव रक्खा गया है जो इन राज्यों में मुख्य आयुक्तों के साथ प्रशासन का

उत्तरदायित्व उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश में उप-राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

विंध्य प्रदेश, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, मणिपुर और त्रिपुरा की विकास योजनाओं का कुल आकार २०·८६ करोड़ के लगभग है। सन् १९५२–५३ के पूंजीगत बजट में लगभग दो करोड़ रुपये के उपबन्ध रखने का सुझाव रक्खा गया है।

भूमि सुधार

सौराष्ट्र, मध्य भारत और राजस्थान में कृषि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए जा चुके हैं। सौराष्ट्र भूमि सुधार अधिनियम एक मिलाजुला उपाय है जो गिरासदारों तथा किसानों के सम्बन्धों का नियमन भी करेगा और अन्ततः राज्य को गिरासदारों के अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। किसान को बहुत थोड़ा लगान देना पड़ता है। गिरासदार की खुदकाश्त भूमि की सुरक्षा के उपबन्धों को छोड़कर, अपने लगान का ६ गुना अदा करने पर किसान को भोग-अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गिरासदार को किसान की भूमि से किसी प्रकार की आय नहीं मिलती। सरकार किश्तों द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर देती है।

मध्यभारत जमींदारी उन्मूलन कानून मध्य भारत विधान सभा द्वारा पास किया गया था और ५ जून, १९५१ को राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। तो भी सन् १९५१ का मध्य भारत जागीर उन्मूलन अधिनियम इससे अधिक

महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा राज्य एक निश्चित तिथि को समस्त जागीर भूमि को बिना किसी भार के हस्तगत कर सकता है। जागीरदार खुदकाश्त भूमि के मालिक बने रहेंगे और निजी कुओं, वृक्षों, भवनों, आवास-स्थलों, खुले बाड़ों, तालाबों और झुरमुटों पर अपने अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। जागीरदारों को उनसे ली गई जागीर भूमि का मुआवजा पाने का अधिकार होगा।

राजस्थान में जागीरों के उन्मूलन के प्रश्न ने बहुत-सी कठिनाइयां और जटिलताएं उत्पन्न कीं। प्रथम तो जागीरें ८३ प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई हैं। इनमें केवल एक चौथाई में कोई बन्दोबस्त है। एक चौथाई में बन्दोबस्त का कार्य हो रहा है और शेष आधी में कभी कोई बन्दोबस्त हुआ ही नहीं। यथार्थ में वहां कोई राजस्व तन्त्र है ही नहीं। बन्दोबस्त की जागीरों के अतिरिक्त शेष भूमि के लिए कोई भू-अभिलेख भी नहीं हैं। जागीरदारों की आय निर्धारित करने की सामग्री भी सरकार को सुलभ नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, जहां प्रथम ज्येष्ठाधिकार की विधि लागू नहीं है, जागीरों के विभाजन से हजारों छोटे-छोटे जागीरदारों की समस्या उत्पन्न हो गई जिनकी जीविका का एकमात्र साधन लगान ही है और जो अधिकतर वस्तु के रूप में मिलता है। विधि और व्यवस्था की असाधारण समस्याएं भी सामने आती हैं क्योंकि जागीरदार और किसान बहुत कुछ समुदायों के आधार पर बटे हुए हैं, जैसे क्रमशः राजपूत और जाट।

इस विषय पर राजस्थान सरकार ने अक्तूबर, सन् १९५१ में राज्य मंत्रालय के पास एक विधेयक का प्रारूप भेजा। यह

अपर्याप्त और दोषपूर्ण था। किसान और जागीरदारों, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति ने कई सुझावों के प्रारूपों को तैयार करके उन पर विचार किया। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप एक विधेयक का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। संशोधित राजस्थान जागीर उन्मूलन विधेयक को राष्ट्रपति ने फरवरी १९५२ में अपनी सहमति प्रदान की।

इस विधेयक के अनुसार ५,००० रुपये या इससे कम वार्षिक लगानवाली तथा जिनकी आय का उपयोग किसी धार्मिक पूजा के स्थान अथवा किसी धार्मिक सेवा के लिए होता है, ऐसी जागीरों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा। अन्य जागीरों में से, जो पुनर्ग्रहीत हो सकती हैं, सरकार केवल उन्हीं को पुनर्ग्रहण करने का इरादा रखती है जो या तो सरकार अथवा प्रति पालक न्यायालय की देख-रेख में हैं, या उन गांवों में हैं जहां बन्दोबस्त है। जागीरदार को अपनी जागीर के पुनर्ग्रहण के मुआवजे के रूप में शुद्ध आय का दस गुणा पाने का हक होगा। जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि के लिए उपयुक्त क्षेत्र आबंटन करने का उपबन्ध भी है, परन्तु यह ५०० एकड़ असिंचित भूमि से अधिक न होगा। जहां ऐसे क्षेत्र में सिंचित भूमि आ जाएगी, वहां एक सिंचित एकड़ को तीन असिंचित एकड़ के बराबर समझा जाएगा। सभी जागीर भूमियों पर भू-राजस्व लगेगा। विधेयक में किसानों की बेदखली से सुरक्षा और उनके लिए उपयुक्त कृषक अधिकारों की स्वीकृति की व्यवस्था है। जिन किसानों के पास अभी तक पूरी खातेदारी के अधिकार नहीं हैं, उनके लिए पूरी खातेदारी के

अधिकारों को प्राप्त करने का भार लगान से दस गुणा निश्चित किया गया है।

भाग 'ख' के राज्यों को केन्द्रीय सहायता

भाग 'ख' राज्यों की सरकारों ने भी पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास योजनाएं तैयार की हैं। आयोजन कमीशन ने इनका निरीक्षण किया और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाओं के परिणाम स्वरूप यह निर्णय किया गया कि भाग 'ख' के राज्यों की योजनाओं का आकार १८० करोड़ रुपये तक होगा। राजस्थान, मध्यभारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और सौराष्ट्र-राज्यों के साथ संघीय वित्तिक एकीकरण, समझौते के बाद प्रशासन और सेवाओं के एकीकरण आदि, विशेष रूप से विकास उद्देश्यों के लिए, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। तदनुसार सन् १९५१–५२ के केन्द्रीय बजट में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। यह निर्णय किया गया कि केन्द्र द्वारा दी गई राशि को सड़कों, सिंचाई और भवनों पर खर्च किया जायगा। १ करोड़ २० लाख रुपये राजस्थान को, ६० लाख रुपये मध्य भारत को, ३० लाख रुपये पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ को और ३० लाख रुपये सौराष्ट्र को दिए गए। ६० लाख रुपये संचित रखे गए।

भाग 'ख' के राज्यों के लिए परामर्शदाता

आम चुनावों के बाद घटनाओं के प्रकाश में मैसूर के अतिरिक्त भाग 'ख' के अन्य सब राज्यों में परामर्शदाताओं की

नियुक्ति के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया। इन राज्यों में स्थायी और कार्यपटु शासन व्यवस्था, कोष प्रबन्धों और वित्त में सुधार के साथ उचित वित्तीय प्रणालियों के चालू करने और विधि तथा व्यवस्था की स्थापना अपेक्षित है। अतः यह विचार किया गया कि अभी कुछ समय तक शासन एवं वित्त सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर परामर्श देने के लिए अपने अनुभवी अधिकारियों को इन राज्यों में भेजकर सहायता जारी रखना भारत सरकार के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हैदराबाद, सौराष्ट्र, मध्यभारत राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ तथा त्रावन्कोर कोचीन में अनुभवी अधिकारी भेजे गए। ये अधिकारी परामर्श-दाता कहलाएंगे और केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षकों के रूप में काम करेंगे। केन्द्रीय सरकार के पास प्रमुख नीति सम्बन्धी प्रश्नों सहित सभी महत्त्वपूर्ण मामले भेजे जाएंगे। कुछ महत्त्व-पूर्ण नियुक्तियों की पूर्ति के लिए भी भारत सरकार का अनु-मोदन आवश्यक होगा।

हैदराबाद

अभी हाल तक हैदराबाद के मन्त्रिमण्डल में चार लोकप्रिय मन्त्री और चार अधिकारी थे। आम चुनावों के बाद से एक लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बन गया है। वर्ष पर्यन्त शासन सम्बन्धी तथा अन्य सुधारों के कई महत्त्वपूर्ण उपाय अपनाए गए और जिन्हें म्यूनिसिपल कार्पोरेशन कानून, जिला-नगर नगरपालिका कानून तथा ग्राम पंचायत कानून में सम्मिलित किया गया।

तेलंगाना के क्षेत्र में राज्य सरकार ने विधि और व्यवस्था की पुनर्स्थापना की दृढ़ नीति को अपनाए रखा और हिंसा के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। कुछ बन्दी साम्यवादी नेताओं को पैरोल पर छोड़ा गया क्योंकि वे राज्य विधान सभा तथा लोक सभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे।

रेलें

विभाजन के उपरान्त रेलवे प्रशासन को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। उनमें से अधिकांश को या तो सुलझाया जा चुका है अथवा वे सुलझ रही हैं। तीसरे दशक तथा युद्ध के दिनों में पुनस्संस्थापन और प्रतिस्थापन की समस्या बहुत उलझ गई थी जो विभाजन के बाद और भी बढ़ गई। अप्रैल, १९५१ में १,६४० इंजनों को बदलना था जबकि साधारणतया प्रतिवर्ष २०० इंजन ही बदले जाते हैं। यात्रियों के ऐसे डिब्बों की संख्या ५,१२० थी जबकि साधारणतया वार्षिक टूट-फूट ६०० डिब्बों के लगभग रहती है। प्रयोग में रखने के लिए बहुत पुराने हो गए माल के डिब्बों की संख्या २५,००० थी जो साधारणतया बदली जाने वाली संख्या का पांच गुणा थी। रेलों को चालू रखने की कठिनाइयां भी सामने थीं। विभाजन के बाद सरकार ने इन कठिनाइयों का सामना बड़ी सफलता के साथ किया है और रेलवे मंत्रालय के लिए पुनस्संस्थापन कार्यक्रम के लिए अनुदानों में वृद्धि करना संभव हो सका है।

रेलों की आवश्यकताओं को यथासंभव देश में ही पूरी करने के अभिप्राय से रेलवे वर्कशाप का वैज्ञानीकरण किया गया

और निरन्तर उत्पादन के लिए लम्बी अवधि के कार्यक्रम बनाये गए। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक देश में ही ४४ इंजन, यात्रियों के १,५५० डिब्बे और मालगाड़ी के ८,२५० डिब्बे बनाए जाएँगे। गत वर्ष ७ इंजन, यात्रियों के २०० डिब्बे और मालगाड़ी के १,७१० डिब्बे बाहर से मँगाने पड़े थे।

पुनस्संस्थापन कार्यक्रम के अतिरिक्त विकास योजनाओं पर भी कार्य किया गया। देश में ही इंजन बनाने के लिए टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप स्थापित किए गए। संभवतः १९५३ के मध्य तक टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य-उत्पादन तक पहुँच जाए। चित्तरंजन के वर्कशाप का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि प्रतिवर्ष १२० इंजन और ५० स्टीम ब्वायलर बन सकें। इसमें निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और आशा की जाती है कि सन् १९५६ तक वर्कशाप अधिकतम सामर्थ्य के अनुरूप उत्पादन करने लगेगा। जब ये दोनों कारखाने पूरी तरह उत्पादन करने लगेंगे तो भारतीय रेलें, इंजनों, ब्वायलरों और फालतू पुर्जों की अपनी वार्षिक आवश्यकताओं में पूरी तरह आत्म-भरित बन जाएँगी।

पुनर्वर्गीकरण

प्रबन्ध में बचत और कार्यपटुता लाने के लिए रेलों का बड़े पैमाने पर प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था। इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए सन् १९५० के आरम्भ

में रेलवे बोर्ड की एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने सिफारिश की कि विभिन्न रेल-प्रणालियों को एकीकृत करके एक समन्वित रेल योजना बनाई जाए, जिसको ६ प्रमुख मंडलीय प्रशासनिक एककों में बांट दिया जाए। ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं और रेलों का पुनर्वर्गीकरण किया गया। तदनुसार १४ अप्रैल, १९५१ को एम० एण्ड एस० एम०, एस० आई० और मैसूर राज्य रेलों को मिला कर दक्षिणी रेलवे बनाई गई। पश्चिमी रेलवे और केन्द्रीय रेलवे का उद्घाटन ५ नवम्बर, १९५१ को हुआ। व्यापार, उद्योग, श्रम और संबद्ध राज्य-सरकारों के प्रतिनिधानों के कारण इन नई रेलों का गठन मौलिक योजना के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। केन्द्रीय रेलवे की लम्बाई ५,४२८ मील है और यह २१०,००० वर्गमील के विस्तृत क्षेत्र की सेवा करती है। पश्चिमी रेलवे की कुल लम्बाई ५,६६० मील है और बम्बई, सौराष्ट्र, राजस्थान और मध्य-भारत के १५०,००० वर्गमील क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस लाइन को विशेष महत्त्व प्राप्त हो गया है क्योंकि कांडला बन्दरगाह, जो अभी बन रहा है, इसी लाइन पर है। शेष तीन वर्गों—उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और पूर्वी रेलों का उद्घाटन इसी वर्ष १४ अप्रैल को हुआ था। दूसरी बातों के अतिरिक्त बचत और प्रशासन तथा रेलें चालू रखने में कार्यपटुता के आधार पर रेलों के वर्गीकरण के सिद्धान्त का देश ने आम समर्थन किया।

स्टोर समिति की रिपोर्ट

स्टोर की उपलब्धि, वितरण और संग्रह में सुधार और वैज्ञानीकरण की दृष्टि से रेलवे के भंडार-प्रबन्धों का निरीक्षण

करने के लिये एक समिति बनाई गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सिफारिश की है कि रेलवे के विशिष्ट भाण्डार की उपलब्धि का उत्तरदायित्व रेलवे मंत्रालय पर होना चाहिए। इस सिफारिश के लिए पहले निर्माण, उत्पादन और उपलब्धि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था। अन्तर्विभागीय चर्चाओं के परिणामस्वरूप मंत्रालय इस बात पर राजी हो गए हैं कि विशिष्ट रेलवे भाण्डार की उपलब्धि का कार्य रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत रेल के कारखानों में मरम्मत की सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाएगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फालतू पुर्जों और भागों की पर्याप्त उपलब्धि की बाधाओं को दूर किया जाएगा जो अब तक उत्पादन आयोजन में बाधक बनी हुई थीं।

प्रशिक्षण कालिज

रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ३१ जनवरी, १९५२ को बड़ौदा में एक स्टाफ कालिज खोला गया। प्रारम्भ में कालिज शिक्षार्थियों को यातायात (निष्कासन) और व्यावसायिक विभागों तथा नागरिक इंजीनियरों की शिक्षा भी देगा। बाद में कालिज का कार्यक्षेत्र विस्तृत कर दिया जाएगा और उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों तथा अनुभवी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-व्यवस्था की भी संभावना है। बजट में लखनऊ में एक रेलवे गवेषणा और प्रयोग केन्द्र स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है। रेलों के सम्मुख आने वाली विविध

कठिनाइयों को सुलझाने के लिए इस केन्द्र को आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित किया जाएगा।

श्रम

क्योंकि रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया, इसलिए सरकार की श्रम नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों का स्तर ऊँचा उठाने और उनकी स्थिति सुधारने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए सुलभ कर दी गई हैं और इनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय रियासती रेलों में बहुत थोड़ी मजूरी मिलती थी। वास्तव में जैसा कि रेलवे मन्त्री ने संसद् में बताया था, रेलवे के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन १० रुपये से बढ़ा कर ३० रुपये कर दिया गया है और तीसरी श्रेणी का ३५ रुपये से बढ़ा कर ५५ रुपये कर दिया गया है। कुशल कर्मचारियों की वेतन-दर ५५ रुपये से बढ़कर १३० रुपये कर दी गई है जो कि वेतन आयोग की सिफारिश से भी अधिक है। मँहगाई भत्ते की न्यूनतम दर ४५ रुपये थी। गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का संशोधन और प्रमापीकरण भी किया जा चुका है। सभी रेल कर्मचारियों को, जिनमें १२ मास की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी भी हैं, प्राविडेंड फंड का अनिवार्य अंश-दाता बना दिया गया है।

वित्तीय असुविधाओं के बावजूद श्रम के आवास की भी उपेक्षा नहीं की गई। चिकित्सा-राहत और शिक्षा की श्रेष्ठ

सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है। १ जून, १९५१ से मँहगाई भत्ते के जनवरी १९४९ में तदर्थ दिए गए १० रुपये के पिछले अनुदान में ५ रुपये की और वृद्धि कर दी गई। फरवरी १९५२ में श्रम कल्याण के लिए वर्ष भर के बजट में ७ करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की गई। बाद में श्रम कल्याण के लिए मूल उपबन्ध में पर्याप्ति वृद्धि करना भी संभव हो सका, विशेषकर आवास के लिए। जैसा कि रेलवे मन्त्री ने कहा था, "रेलवे ने चित्तरंजन में श्रम के आवास का अपने लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है जिसने 'भारत में कहीं भी श्रम का आदर्श आवास' के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। इस देश में श्रम के सबसे बड़े नियोजक के रूप में रेलवे मन्त्रालय का निरन्तर यही प्रयास रहा है कि अपने जन-कल्याण-राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन में श्रम के स्तर के अनुरूप ही काम की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं...हमने केवल श्रेष्ठ सुविधाओं से सज्जित नए घर बनाने की सर्वांगीण योजना ही नहीं बनाई है बल्कि वर्तमान घरों को प्रमाप तक लाने के लिए उनकी पुनर्रचना और नवीनीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया है।"

सरकार के सीमित साधनों के अन्तर्गत ही चित्तरंजन में स्थापित किए गए प्रमापों को सभी रेलवे आवासों तक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

बजट

गत फरवरी में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार १९५१–५२ की कुल अनुमानित आय २७९·५० करोड़

से बढ़ कर २८८'०६ करोड़ हो गई। इसका प्रमुख कारण औद्योगिक उत्पादन तथा खाद्य आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप माल और पार्सल यातायात का बढ़ना था। सामान्य कार्यापन्न व्यय में भी ८'९७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह व्यय १८६'७५ करोड़ रुपये से बढ़कर अब १९५'७२ करोड़ रुपये हो गया। रेलवे भाण्डार और खाद्यान्न के ऊँचे भाव तथा मँहगाई भत्ते में ५ रुपये महीने की वृद्धि इसका प्रमुख कारण है।

मई में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये बजट से स्पष्ट होता है कि फरवरी के अस्थायी बजट से अब तक सन् १९५२-५३ में यातायात के अनुमानित कुल आय तथा कार्यापन्न व्यय दोनों में ही काफी कमी हो गई है, तो भी अतिरिक्त पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। मूल अतिरिक्त २४'८७ करोड़ रुपये था और संशोधित अतिरिक्त २३'४७ करोड़ रुपये है।

परिवहन

सन् १९५१ में केन्द्रीय परिवहन बोर्ड तथा इसकी स्थायी समिति द्वारा हाथ में लिए गए प्रमुख मामलों में से नई रेलें बनाने का कार्यक्रम, उखाड़ी हुई लाइनों को पुनः चालू करना, अंतर्देशीय वाष्प जहाजों की पंजीयन संबंधी नीति का निर्धारण, गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना और आयातित खाद्यान्न के शीघ्र स्थानांतरण की सुविधाओं के लिए कदम उठाना आदि प्रमुख हैं। २५ जुलाई, १९५१ की अपनी बैठक में बोर्ड ने चुनार-राबर्ट्सगंज मुरलीगंज-माधोपुरा और चामराजनगर-सत्यमंगलम-कोयम्बटूर रेलवे लाइनों को बनाने का अनुमोदन किया।

७ मार्च, १९५२ की दूसरी बैठक में बोर्ड ने कई नई लाइनों (कांडला-दीसा, चुनार-राबर्ट्सगंज और चार अन्य) को १९५२-५३ और १९५३-५४ में ही पूरा करने का निर्णय किया। इनमें से कुछ पर निर्माण-कार्य हो भी रहा है।

आसाम रेल-संपर्क समिति, जो कि उत्तर-पूर्वी भारत में रेल और जल परिवहन के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, सन् १९५१ में भी अपना कार्य करती रही। वर्ष पर्यन्त यातायात की गति संतोषप्रद रही।

१९५१ में रेलें अधिक कोयला ढो सकीं और आम तौर पर कोयले के स्थानांतरण में काफी सुधार दिखाई दिया। कलकत्ते से समुद्री मार्ग द्वारा दक्षिण भारत और सौराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों को कोयला ले जाने की संभावनाओं पर भी खोज-बीन की गई। तटवर्त्ती क्षेत्रों के कोयला खदानों के उत्पादन का शीघ्रता से स्थानांतरण करने के लिये बन्दरगाह प्राधिकारियों द्वारा कदम उठाए गए।

बन्दरगाह प्रशासन

इस वर्ष प्रमुख विकास कार्यों में कांडला बन्दरगाह के प्रमुख निर्माण कार्यों के प्रबन्ध का पूरा होना, छोटे-बड़े बन्दरगाहों के लिये एक पंचवर्षीय योजना की तैयारी और राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन की जांच है। बन्दरगाह ट्रस्ट और बन्दरगाह (संशोधन) कानून, १९५१, का पास होना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका उद्देश्य बन्दरगाह प्रशासन में

एकरूपता लाना और कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास के प्रमुख बन्दरगाहों के दैनिक प्रशासन में प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण को साकार करना है। जुलाई, १९५१ से कानून लागू कर दिया गया है।

कलकत्ता बन्दरगाह

१९५०-५१ में कलकत्ता बन्दरगाह को ५,२०५,५६४ रुपये का घाटा हुआ। इसी प्रकार १९५१-५२ के अंत तक ५,०३०,९७६ रुपये के घाटे की संभावना है। १९५०-५१ पर्यन्त बन्दरगाह से गुजरनेवाला आयात-निर्यात टन-भार इस प्रकार था—आयात : ३,०४०,५७२ टन और निर्यात : ४,४६०,९२७ टन। दिसम्बर, १९५१ के अन्त तक तत्स्थानी आंकड़े थे—आयात : २,४१३,८८३ टन और निर्यात : ४,३८२,३२९ टन। जुलाई, १९५१ में बन्दरगाह ने ७१०,५९८ टन-भार ढोया, जिसमें २७६,२५० टन कोयला भी था। अब तक इतना टन-भार कभी भी नहीं ढोया गया था। १९५०-५१ में बन्दरगाह में आने वाले जहाजों की संख्या १,१७७ थी जबकि दिसम्बर १९५१ के अन्त तक की तत्स्थानी संख्या १,००० के लगभग थी। चालू वर्ष में बन्दरगाह आयुक्तों ने कितने ही प्रमुख निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय किया जिसमें कोयला लादने के एक यंत्र को लगाना, चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये शालीमार में क्वार्टरों का निर्माण और चाय रखने के लिए अतिरिक्त गोदामों की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

बम्बई बन्दरगाह

बंबई बन्दरगाह को १९५०-५१ में अपने कार्य में ५०'६१ लाख रुपये का लाभ हुआ। अनुमान किया जाता था कि १९५१-५२ के वर्ष में ६१'४ लाख रुपये का लाभ होगा, परन्तु नवीनतम चिन्ह इससे भी अधिक लाभ की सूचना दे रहे हैं। १९५०-५१ में इस बन्दरगाह से गुजरनेवाला आयात-निर्यात का टन भार इस प्रकार था—आयात: ३,६६६,६३४ टन और निर्यात: १,४५६,७०६ टन। १९५१-५२ के तत्स्थानी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु १९५१ में अक्तूबर के अन्त तक आयातित माल का टन भार ३,१५४,८४५ और निर्यातित माल का टन भार ९७५,८७२ था। १९५०-५१ में इस बन्दरगाह में २,९४६ जहाज आए। चालू वर्ष में अक्तूबर १९५१ के अन्त तक आने वाले जहाजों की संख्या १,४०३ थी। १९५१ में बन्दरगाह ट्रस्ट ने प्रमुख निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय भी किया जिनमें गोदामों और मालघरों का पुनर्निर्माण, तट तथा जहाज खींचनेवाले नाविकों और गैर-अनुसूचित कर्मचारियों, खलासियों आदि के लिए क्वार्टरों का निर्माण भी सम्मिलित है। बन्दरगाह ट्रस्ट ने कराची बन्दरगाह ट्रस्ट के उत्थापित कर्मचारियों को खपाने का कार्य भी जारी रखा। नवम्बर, १९५१ के अन्त तक इस प्रकार के नियोजित व्यक्तियों की संख्या १,६९७ तक पहुंच गई थी।

मद्रास बन्दरगाह

१९५०-५१ में मद्रास बन्दरगाह को अपने कार्य में ४४'७९ रुपये का लाभ हुआ। बजट के अनुमानों के अनुसार १९५१-५२

के अन्त तक २·३४ लाख रुपये के लाभ की आशा थी, परन्तु अब अधिक लाभ के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। १९५०-५१ में आयात-निर्यात के माल का टन भार इस प्रकार था—आयात : १,६२५,१५२ और निर्यात : २४८,६७६ टन जबकि दिसम्बर १९५१ के अन्त तक तत्स्थानी संख्या थी—आयात : १,३३१,७१८ टन, निर्यात : २३१,६५८ टन। १९५०-५१ में बन्दरगाह में आनेवाले जहाजों की संख्या १,०४८ थी जबकि चालू वर्ष में दिसम्बर, १९५१ के अन्त तक यह संख्या ६८५ थी। वर्ष पर्यन्त पोर्ट ट्रस्ट ने कई महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय किया जिनमें नए गोदामों का निर्माण, रेत में फँसान को कम करने के लिए रेत निकालने का नवीन यंत्र, रेत की वाड़ में ३०० फुट का विस्तार और इस्पात के बने हुए एक हज़ार टन की सामर्थ्य के हापर बजरे की खरीद भी सम्मिलित है। कुल पूंजीगत व्यय को ट्रस्ट ने अपनी निधि से ही पूरा किया और कोई ऋण नहीं लिया।

श्रम

अपने कर्मचारियों की सेवा की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए बन्दरगाह अधिकारियों ने कई क़दम उठाए। उदाहरण के लिए मद्रास बन्दरगाह के लिए न्यूनतम वेतन दरें अन्तिम रूप से निश्चित कर दी गईं और बम्बई तथा कलकत्ता के बन्दरगाहों के श्रम की निम्नतम श्रेणियों के लिए भी वही दरें निश्चित कर दी गई हैं।

कांडला बन्दरगाह निर्माण योजना

आयोजित कांडला बन्दरगाह निर्माण के लिए टेंडर मँगाए गए। टेंडर समिति में इन पर विचार किया गया जिसने नवम्बर १९५१ में अन्तिम रूपांकन की सिफारिश करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाही की जा रही है। ठेके पर हस्ताक्षर हो जाने के दो-तीन महीने बाद ही निर्माण-कार्य आरम्भ हो जाने की संभावना है। बन्दरगाह के निर्माण-कार्य का शिलान्यास १० जनवरी, १९५२ को प्रधान-मंत्री ने किया था।

बम्बई के प्रिंस और विक्टोरिया जहाजघाटों को आधुनिकतम रूप देने की एक योजना बनाई तथा स्वीकृत की जा चुकी है। इस समय-वेला के अनुसार दिन भर में ५ घंटे ही इन जहाजघाटों का उपयोग किया जा सकता है। आधुनिकीकरण के पूर्ण हो जाने पर ये चौबीसों घंटे सुलभ हो जाएँगे।

जहाजरानी

१९५१ में भारतीय जहाजरानी ने सभी दिशाओं में धीमी प्रगति की। तटवर्ती व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रखने की नीति को यथासाध्य अपनाया गया। भारतीय स्वामित्व के टन-भार को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना में १४·९४ करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था भी की गई। भारतीय टन भार में ५७,००० टन जी० आर० टी० की वृद्धि, भारतीय जहाज मालिकों की परामर्शदात्री समिति की स्थापना और

नौकरों के प्रशिक्षण की योजना का विस्तार आदि अन्य कई प्रमुख कार्य हैं।

१६५१-५२ में तटवर्ती और अन्तर्देशीय व्यापार में नियोजन के लिए भारतीय कम्पनियों को लगभग २१०,००० टन-भार उपलब्ध था जबकि गत वर्ष २०५,००० टन था। इस वर्ष तट व्यापार में नियोजित ब्रिटिश टन-भार की एक बड़ी मात्रा हटा ली गई। जहाँ तक माल उठाने का सम्बन्ध है, भारतीय कम्पनियों का भाग ६४ प्रतिशत तक हो गया जबकि १६५०-५१ में यह लगभग ८० प्रतिशत था।

इस वर्ष विशाखापट्नम जहाज़घाट में सरकार के खाते पर बने प्रथम तीन जहाज़ पूरे हुए। उनमें से दो सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी और तीसरा भारत लाइन्स के हाथ बेच दिया गया। सरकार ने इस जहाज़घाट में और तीन जहाज़ों के बनाने का आदेश दे दिया है जो अन्ततः भारतीय जहाज कम्पनियों के हाथ बेच दिये जाएँगे। इनमें से दो जहाज़ों को पानी में उतारा भी जा चुका है।

प्रशिक्षण जहाज़

प्रशिक्षण जहाज़ 'डफरिन' और नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग कालेज द्वारा अधिकारियों को वाणिज्य नौकानयन के लिए प्रशिक्षण मिलता रहा। पिछली संस्था बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। प्रशिक्षण जहाज़ 'एण्ड्रूज़', जिसका नाम अब टी० एस० 'भद्रा' हो गया है, कलकत्ता में ही रहा। टी० एस० 'लेडी फ्रेज़र', जिसका

नाम अब टी० एस० 'मेखला' हो गया है, फरवरी १९५१ से विशाखापट्नम में प्रशिक्षण-जहाज का कार्य कर रहा है। वर्ष भर में ६२० लड़कों ने इन जहाज़ों पर शिक्षण प्राप्त किया और उनमें से सभी को विदेश जाने वाले जहाज़ों पर काम मिल गया है।

नाविकों का कल्याण

वर्ष पर्यन्त नाविकों के कल्याण की भी उपेक्षा नहीं की गई। कलकत्ते में बन्दरगाह आयुक्तों को नाविकों के आश्रम (होस्टल) निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। हाल ही में वाणिज्य नाविक-कल्याण समिति ने योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है। संप्रति केवल एक पार्श्व तैयार करने का सुझाव है जिसमें ३०० आदमियों के लिए स्थान होगा। पूरा बन जाने पर आश्रम में ८०० आदमियों के ठहरने के लिए सुविधा होगी। केन्द्रीय सरकार की नाविकों की चिकित्सा-परीक्षा योजना बम्बई और कलकत्ते में आरम्भ की गई और इस योजना ने काफी प्रगति की। वर्ष पर्यन्त इनमें से प्रत्येक बन्दरगाह पर करीब १२,००० आदमियों की परीक्षा की गई। इसके साथ ही काम करने वाले डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और योजना को अन्य बन्दरगाहों तक विस्तृत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन

अन्तर्देशीय जल-परिवहन के क्षेत्र में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस बोर्ड का उद्देश्य

समस्त प्रणाली—गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों-के जल-परिवहन विकास को समन्वित करना है। यह भागीदार सरकारों के कार्यों में भी समन्वय स्थापित करेगा और नदियों के विशेष भागों में यातायात के विकास, जहाँ आवश्यक हो वहाँ नौकानयन सुविधाओं को बनाए रखने और उनमें सुधार करने, यात्रियों की सुविधाओं, यात्रियों और माल ढोने की दरों को निश्चित करने आदि के सुझावों पर विचार भी करेगा। पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सिद्धान्ततः बोर्ड-निर्माण के सुझावों को स्वीकार कर लिया और ८ मार्च, १९५२ को बोर्ड निर्माण सम्बन्धी भारत सरकार का संकल्प जारी कर दिया गया।

सड़क परिवहन

इस वर्ष राष्ट्रीयकरण किए हुए सड़क परिवहन कार्यों का एकीकरण और विस्तार हुआ। इस कार्य की मोटर गाड़ी कर जाँच समिति ने भी सराहना की है। दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी ने, जिसने अप्रैल १९५१ में दिल्ली ट्राम हस्तगत की थी, डीज़ल इंजन से चलनेवाली ८८ नई गाड़ियाँ चलाईं और नगर-परिवहन में बहुत काफी सुधार हुआ। १९५१–५२ के वित्तीय वर्ष के अन्त में इसके पास ३०५ गाड़ियाँ थी जिनमें से २०४ पैट्रोल से चलनेवाली थीं और १०१ डीज़ल इंजन से। बम्बई राज्य-परिवहन ने अपनी चालू पूंजी ५·३३ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ६ करोड़ रुपये कर दी और उसमें केन्द्रीय सरकार का भाग २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३३⅓ प्रतिशत कर दिया गया। इसने अपनी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा कर २,००० कर

ली और पूना स्थित विशाल केन्द्रीय कारखाने के एक पार्श्व का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया। इन दो राज्यों के अतिरिक्त आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावन्कोर-कोचीन, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिलासपुर की सरकारों ने भी अपनी-अपनी सड़क-परिवहन सेवाएँ चालू कीं।

पर्यटन

सरकार पर्यटन के विकास और विशेषकर विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के प्रश्न पर काफी विचार कर रही है। उनके लिए उपयुक्त आवास की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया गया। रेलों के विश्रामगृहों में उपयुक्त आवास सुलभ कराने के लिए रेलें कदम उठा रही हैं, और प्रमुख केन्द्रों में अतिरिक्त विश्राम-कक्ष बनाए जा रहे हैं। अनेक राज्य सरकारें डाक बँगलों में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। होटलों में अच्छे भोजन और सेवा की व्यवस्था के अभिप्राय से सरकार ने प्रादेशिक होटल संस्थाओं के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया है और दिल्ली तथा बम्बई में इन संस्थाओं ने अपना कार्य आरम्भ भी कर दिया है। अब उचित दरों पर सुसज्जित यात्री मोटरें और सैलून उपलब्ध हैं। सड़क द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सड़कों के मानचित्र और चार्ट तैयार करने में परिवहन मंत्रालय ने देश की ऑटोमोबाइल एसोसियेशनों से सहायता की प्रार्थना की है। प्रमुख केन्द्रों में

पथ-प्रदर्शकों की सेवाओं तथा अन्य सुविधाओं में भी प्रसार किया जा रहा है। बम्बई और दिल्ली के प्रादेशिक पर्यटक कार्यालयों में एक-एक पथ-प्रदर्शक नियुक्त भी किया जा चुका है। अन्य प्रदेशों में भी ऐसे ही पथ-प्रदर्शक नियुक्त करने का सुझाव है। पर्यटक प्रचार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 'इंडिया-टूरिस्ट इन्फार्मेशन' शीर्षक एक पुस्तिका, ट्रावन्कोर-कोचीन, हैदराबाद, और काश्मीर सम्बन्धी प्रादेशिक पथ-प्रदर्शिकाएं, एक सचित्र 'हैण्डबुक ऑफ इंडिया', एक 'होटल गाइड' और 'पैनोरमा ऑफ इंडिया' शीर्षक चित्रमाला प्रकाशित करके व्यापक क्षेत्र में वितरित की जा चुकी हैं। विदेशों में गैर व्यावसायिक वितरण के लिए उपयुक्त रंगीन यात्रा फिल्म बनाने का प्रबन्ध भी किया जा चुका है। इनमें से दिल्ली, आगरा, जयपुर, काश्मीर, कुल्लू और स्पीती सम्बन्धी कुछ फिल्म तो प्रदर्शित भी किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजपथ

इस वर्ष राष्ट्रीय राज्यों के सीमासेतु आयोजन, बड़े पुलों के लिए स्थल चुनने और उनके डिज़ाइन तैयार करने और अच्छी सड़कों के कार्यक्रमों के एकीकरण विशेषकर भाग 'ख' और 'ग' के राज्यों के बारे में परामर्श देने के कार्य में काफी प्रगति हुई। उपलब्ध सीमित निधि में से राष्ट्रीय राजपथों के विकास कार्य में प्रगति की गई। राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली की छूटी हुई लगभग १,०८० मील लम्बी कड़ी में से करीब १३० मील सड़क लगभग १४२ लाख रुपये की लागत से बनाई गई और २८५ मील सड़क अभी बन रही है। २·२० करोड़ रुपये की लागत से १५ बड़े

पुल बनाए गए और ४७ अन्य पुल बन रहे हैं जिन पर ३'४५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इसके अतिरिक्त पुरानी सड़कों के काफी लम्बे अंश को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया गया। इनमें से लगभग १,३१५ मील लम्बी सड़कों को सुधारा जा चुका है और ५५८ मील पर सुधार कार्य हो रहा है।

मार्च १९५२ के मध्य तक केवल ३ करोड़ से अधिक लागत की ६० योजनाओं को स्वीकृत किया चुका था। प्राविधिक दृष्टि से ये योजनाएं सही थीं। इसी अवधि में एक-एक लाख से अधिक लागत वाली २१ योजनाओं को पूरा किया गया जिन पर १'६४ करोड़ रुपये की लागत आई। ४४ अन्य योजनाएं विचाराधीन हैं।

संचार

संसार में अब तक के सबसे बड़े आम चुनावों के कारण डाक और तार सेवाओं पर बहुत भारी बोझ पड़ा। कर्मचारियों के कुशल आयोजन और सहयोग के कारण ही विभाग के लिए चुनावों में इतनी अच्छी सेवा करना सम्भव हो सका। एक बड़ी संख्या में डाकखाने खोले गए और उनमें अनेक को मिले-जुले डाक और तारघरों में परिवर्तित कर दिया गया। इसी अवधि में उन तमाम ग्रामों में, जहां पहले डाक नहीं जाती थी, नियमित रूप से डाक जाने लगी। जिन-जिन ग्रामों में चुनाव केन्द्र थे उन सबमें दैनिक डाक सेवा की व्यवस्था के यथासम्भव प्रबन्ध किए गए। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में एक स्थान

से दूसरे स्थान को जानेवाले चुनाव दल के साथ एक चलती-फिरती डाक-टुकड़ी संलग्न की गई।

निश्चित रूप से चुनाव-साहित्य पहुँचता रहे, इस के लिए विशेष कदम उठाए गए। इस प्रकार चुनाव आयोग, प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और उम्मीदवारों को डाक भेजने और डाक प्राप्त करने की अतिरिक्त सुविधाएं दी गईं। डाकखानों को प्रतिरक्षा सेवाओं में नियोजित कर्मचारियों और चुनाव-कार्य में लगे सार्वजनिक नौकरों के मतदान-पत्रों को लाने-लेजाने का कार्य भी करना पड़ा। चुनाव सम्बन्धी तारों को भी इसी प्रकार सुविधाएं और प्राथमिकताएं दी गईं। चुनाव-तारों और चुनाव की शीघ्र-डाक (एक्सप्रेस डिलीवरी) की सही प्राप्ति के लिए भी प्रबन्ध किए गए। चुनाव उद्देश्य के लिए पत्रों, दलों और उम्मेदवारों को अस्थायी टेलीफोन सम्बन्ध भी दिए गए।

उत्तरप्रदेश में उत्तरकाशी के स्थान पर और आसाम में होजाई के स्थान पर चुनाव के सम्बन्ध में एक-एक बेतार का तारघर खोला गया।

गत वर्ष डाक और तार विभाग ने अनुमानतः २,५८४,०००,००० डाक की वस्तुओं, ७३,६००,००० रजिस्ट्री की वस्तुओं, ५०,४००,००० मनिआर्डर, १२,७६०,००० सेविंग बैंक के हिसाब, १,६००,००० नेशनल सेविंगज़ सर्टिफिकेट, २५,७६०,००० तार और ८,३००,००० ट्रंक कॉलों (बाहर से आने वाले टेलीफोन) को निपटाया।

त्रावन्कोर-कोचीन राज्य की अंचल प्रणाली को हस्तगत कर लेने से १ अप्रैल, १९५१ को भूतपूर्व रियासतों की डाक प्रणालियों की अखिल भारतीय प्रणाली के साथ विलय की आदेशिका पूर्ण हो गई। १ अक्टूबर, १९५१ को जामनगर में नावानगर टेलीफोन कम्पनी की टेलीफोन प्रणाली को विभाग ने खरीद लिया। १ अप्रैल, १९५१ को हैदराबाद के रेडियो-टेलीफोन केन्द्रों को भी भारतीय तार प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया।

प्रशासन में नए रक्त का संचार करने और उसमें चेतना फूंकने के लिए सहायक शिकायत अधिकारियों के रूप में नियोजित विभागीय निरीक्षकों के स्थान पर बाहर से आदमी भर्ती किए गए। इस प्रकार ३१ दिसम्बर, १९५१ को लम्बित शिकायतों की संख्या ३८,१८८ थी जबकि गत वर्ष यह संख्या ५८,३०१ और १९४९ में १०८,८८० थी।

गत वर्ष १७ दिसम्बर, १९५१ से लेकर २३ दिसम्बर, १९५१ तक एक शिष्टाचार-सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह विभाग के अधिकारियों ने डायरेक्टर-जनरल से लेकर नीचे तक डाकखानों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों में नित्य कुछ समय तक जनता की सेवा स्वयं की और कर्मचारियों को उनके सही और शिष्ट सेवा करने के कर्तव्य का ध्यान दिलाया।

डाकखाने

१५ जनवरी, १९५२ तक खोले गए देहाती और शहरी डाकखानों की संख्या क्रमशः ४१० और २० थी।

अपने इतिहास में प्रथम बार विभाग ने डाक के क्लर्कों और आर० एम० एस० के डाक छांटने वालों की श्रेणियों के नए रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र खोला।

वर्ष पर्यन्त उत्तर प्रदेश, बिहार, केन्द्रीय और उड़ीसा के चार क्षेत्रों के १२ स्थानों में प्रयोगात्मक आधार पर डाक-सेवक योजना चालू की गई। इस योजना को एक अपर-विभागीय शाखा पोस्टमास्टर और अपर-विभागीय डाक लाने-लेजाने वाले कर्मचारियों द्वारा चालित साधारण अपर-विभागीय ग्राम डाकखाने का विकल्प समझा जाता है।

पहली मई, १९५१ से "ऑल अप" योजना, जिसके अन्तर्गत सभी प्रथम श्रेणी की डाक, जैसे कि अन्तर्देशीय पत्र, कार्ड और पोस्टकार्ड बिना किसी अतिरिक्त भार के वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, अन्तर्देशीय मनिआर्डरों तक विस्तृत कर दी गई।

१ सितम्बर, १९५१ से, जहाँ तक अन्तर्देशीय सेवाओं का सम्बन्ध है, बीमा की हुई वस्तुओं पर वायु मार्ग से ले जाने के नियन्त्रण को हटा दिया गया। अब जहां तक संभव होता है बीमाशुदा पत्र और बीमाशुदा वायुपार्सल वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाते हैं।

१ जून, १९५१ से लंका के लिए एक वायु पार्सल सेवा चालू की गई। १ जून, १९५१ से विदेशों के लिए हल्के पत्रों की विशिष्ट वायु सेवा को लंका और पाकिस्तान के लिए भी विस्तृत

कर दिया गया। पार्सलों सहित सभी डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं के लिए वायु डाक सेवा २१ दिसम्बर, १९५१ से अफगानिस्तान के लिए भी पुरःस्थापित कर दी गई।

१ दिसम्बर, १९५१ से द्वितीय श्रेणी की डाक के लिए विशेष वायु डाक सेवा, जो अब तक कुछ ही विदेशों (ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, मिश्र, इराक, मलाया, इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया) के लिए प्रयुक्त होती थी, वह सभी विदेशों के लिए, जहां वायु डाक जाती है, विस्तृत कर दी गई। लंका और पाकिस्तान इसके अपवाद हैं। इस विशेष सेवा के अन्तर्गत छपे हुए पत्र, समाचारपत्र, व्यापारिक पत्र, नमूने के बंडल, मिले-जुले बंडल और अंधों के लिए साहित्य वायु डाक की कम की हुई दरों पर भेजा जा सकता है।

२१ मई, १९५१ से नागपुर में पोस्ट बक्सों के मालिकों को रविवार के दिन खिड़की पर डाक बांटने का श्रीगणेश किया गया। बाद में यह सुविधा लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, झांसी, बांदा, पन्ना, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, हैदराबाद और जबलपुर तक विस्तृत कर दी गई।

२ अक्तूबर, १९५१ को मनाई गई गांधी जयन्ती के अवसर पर विभाग ने ४ पोस्ट कार्डों की एक माला जारी की, जिन पर महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी चुने हुए चित्र छपे हुए थे।

विभाग ने टिकटों की दो भिन्न मालाओं का भी आयोजन किया। एक सांस्कृतिक माला, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख

कवियों और संतों के चित्र होंगे। दूसरी में पुरातत्व और ऐतिहासिक रुचि के चित्र होंगे। यह स्थायी होगी और चालू टिकटों का स्थान लेगी। नई मालाओं के विषय कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में देश की प्रगति की अभिव्यंजना करेंगे।

टेलीफोन

१९५० के अन्त तक भारत में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या ५४० थी, जिनमें १०२,१५० सीधे सम्बन्ध थे और १८,०९३ विस्तार-सम्बन्ध थे। १९५१ में २२ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए। ४५ टेलीफोन एक्सचेंजों में पुनःसंस्थापन और विस्तार किया गया। कुल मिला कर वर्ष में ११,८८३ एक्सचेंज सम्बन्धों और ६,४७६ विस्तार सम्बन्धों की वृद्धि हुई।

वर्ष पर्यन्त २३८ सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर खोले गए। इससे सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तरों की कुल संख्या १,५१६ हो गई। ८८ ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर खोले गए जहां से दूसरे नगरों को भी टेलीफोन किया जा सकता है। स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों के विस्तार से दूसरे नगरों को टेलीफोन करने की सेवाओं में विस्तार और सुधार हुआ। बीकानेर, जोधपुर, जूनागढ़, गोंडल, और ध्रुवजी तक ये सुविधाएं विस्तृत कर दी गईं।

१९५१ में ३३ एक 'चैनल' वाले, १८ तीन 'चैनल' वाले और १ बारह 'चैनल' वाला वाहक लगाया गया। तांबे के तारों

की चोरी को रोकने के लिए बम्बई और थाना के मध्य और कलकत्ता तथा आसनसोल के मध्य भूमिगर्भस्थ टेलीफोन लाइन डालने का अनुमोदन किया गया।

दिसम्बर, १९४९ में आरम्भ की गई 'अपने टेलीफोन के आप मालिक बनो' योजना कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, मेरठ, राजकोट, सूरत और भटिंडा में चालू थी। इन्दौर, धूबरी और बंगलौर के तीन अन्य केन्द्रों तक भी इसको विस्तृत कर दिया गया।

'अपने एक्सचेंज के आप मालिक बनो' योजना के अन्तर्गत मालेगांव और कपाडवंज में दो एक्सचेंज खोले गए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, पूना, कानपुर, अमृतसर, इन्दौर, इलाहाबाद और दिल्ली में भार डालने की चालू संदेश दर प्रणाली को नागपुर और शिमला तक विस्तृत कर दिया गया। अब संदेश दर प्रणाली के अन्तर्गत १२ केन्द्र हैं।

सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तरों में बाहर से आने वाले टेलीफोनों के लिए 'संदेश वाहक सेवा' को १०५ और भी सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तरों तक विस्तृत कर दिया गया और उन ५ दफ्तरों से हटा लिया गया जहाँ पर्याप्त संचार-कार्य आकर्षित करना संभव नहीं था। इस प्रकार सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तरों की संख्या, जहाँ यह सेवा उपलब्ध है, ३२७ है। सम्बद्ध व्यक्ति को टेलीफोन दफ्तर तक पहुँचने के लिए उचित समय देने के अभिप्राय से प्रतीक्षा की अवधि १ घंटे से बढ़ा कर २ घंटे कर दी गई है।

२२ अक्तूबर, १९५१ को भारत और इंग्लैंड के मध्य रेडियो टेलीफोन सेवा का आइसलैंड तक विस्तार कर दिया गया है। २ जुलाई, १९५१ को भारत और मिश्र के बीच एक सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा चालू की गई। मार्च, १९५१ में एशियाई खेलों के अवसर पर भारत और जापान के बीच एक सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा कार्य कर रही थी। यद्यपि यह सेवा खेलों सम्बन्धी टेलीफोनों के लिए अभिप्रेत थी परन्तु बम्बई और दिल्ली से व्यापारिक टेलीफोनों का आज्ञा भी दे दी गई।

तार

देवनागरी लिपि में हिन्दी तार सेवा भुसावल, बेलगांव, कलकत्ता, पूना और शोलापुर तक इसी वर्ष विस्तृत की गई। अब ऐसे स्थानों की कुल संख्या, जहां यह सेवा उपलब्ध है, २२ हो गई है। उपर्युक्त स्थानों से देवनागरी में लिखे किसी भी भारतीय भाषा के तार भी भेजे जा सकते हैं। सन्देशों को शीघ्रता से बुक करने के लिए बड़े तार घरों में लगे नैशनल कैश रजिस्टर आगरा, लखनऊ और नागपुर में भी लगाए गए।

गत वर्ष "फोनोंकम" सेवा (१) गुजराती की अहमदाबाद-बम्बई के मध्य; (२) बंगला की नई दिल्ली-कलकत्ता के मध्य; (३) तमिल की मद्रास-त्रिचनापल्ली के मध्य; (४) तमिल की नई दिल्ली-त्रिचनापल्ली के मध्य; और (५) तमिल तथा तेलुगु की मद्रास-नई दिल्ली के मध्य चालू की गई।

बेतार के तार

अन्तर्राष्ट्रीय संचार के लिए तार का सीधा सरकिट भारत और इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच क्रमशः १ फरवरी १९५१ और १५ मार्च १९५१ से चालू किया गया। भारत और नैपाल के बीच एक सीधी बेतार के तार की सेवा भी स्थापित की गई।

एक नए ढंग की शब्द तार सेवा, जिसे "लोअरकम" कहा जाता है और जो वायु प्रवृत्त अभिकरणों के साथ आरम्भ हुई थी, ३ मई, १९५१ से चालू की गई। इसी के साथ अत्यावश्यक और पूरी दर के तारों की "एयरकम" सेवा ८ जून, १९५१ से आरम्भ की गई। यह भी वायु प्रवृत्त अभिकरणों के साथ ही निकली थी। यह दोनों सेवाएं विदेशों के कुछ स्थानों तक ही सीमित हैं।

वायरलेस

वर्ष पर्यन्त जहाजों की रेडियो-टेलीफोन सेवा के लिए मद्रास, बंगलौर और करवार में तटवर्ती वायरलेस केन्द्र खोले गए। १९५०-५१ में खोले गए सादिया, सैकोवाघाट और उत्तर लखीमपुर के वायरलेस स्टेशनों में से सैकोवाघाट का स्टेशन बन्द कर दिया गया है। गौहाटी से सम्पर्क बनाए रखने के हेतु आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में पासी घाट और लुंगले के स्थान पर दो नए वायरलेस स्टेशन खोले गए। तुना और नवलखी के बीच

रेडियो-टेलीफोन लाइन स्थापित की गई। बंगलौर में एक नया मोनीटरिंग स्टेशन खोला गया।

इस वर्ष कलकत्ता और पटना के बीच बारह 'चैनल' प्रणाली की स्थापना पूरी हुई। अनेक स्थानों पर ३ 'चैनल' और १'चैनल' प्रणालियाँ इतनी जल्दी पूरी की गईं जितनी जल्दी अब तक कभी नहीं हुई थीं। इनके अतिरिक्त ८ स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किए गए और बहुत-सी VFT और S+DX प्रणालियाँ कई महत्त्वपूर्ण लाइनों पर स्थापित की गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत को फिर सी. सी. आई. आर. के अध्ययन वर्ग का सभापति चुना गया। यह गर्म प्रदेशों में थोड़ी दूर के 'हाई फ्रिक्वेंसी ब्रांडकास्टिंग' के लिए अधिकतम शक्ति की खोज के निमित्त आई. टी. यू. का विशेष दल है।

आयोजन

पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित मामलों के लिए पी. एण्ड टी. डाइरेक्टोरेट में एक टैली-संचार-आयोजन उपविभाग खोला गया। बम्बई आयोजन यूनिट के नाम से एक अलग आयोजन संगठन का निर्माण किया गया। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसका कार्य बम्बई जिले के एक्सचेंजों का आयोजन करना है, जहाँ यह सुझाव रखा गया है कि पच्चीस हजार लाइनों के पुराने स्वचालित यन्त्रों को हटा कर तीस हजार नई लाइनें डाली जाएँ।

उच्च प्रशिक्षण

१९५१ में संयुक्त राष्ट्र संघ पार्षद् (फैलोशिप) कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी देशों में टेली संचार का अध्ययन करने के लिए विभाग के कुछ इंजीनियरिंग अधिकारियों को पार्षद् चुना गया। यह सुझाव रखा गया है कि कोलम्बो योजना और यूनाइटेड नेशन्स संस्था द्वारा चालित औद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की एक बड़ी संख्या को विदेश भेजा जाए। यह आशा की जाती है कि इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त किया गया अनुभव इस देश में मानदण्डों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने में बहुत सहायक होगा।

गवेषणा

बम्बई की गवेषणा वर्कशाप ने एक टेलीफोन गोलक और एक टेलीफोन प्लग का विकास किया है। इसके निर्माण के लिए अपेक्षित औजार और सांचे बनाए जा रहे हैं। जबलपुर में एक नया टेलीफोन सेट बनाया गया है जो कि वर्तमान टेलीफोन से आकार और बोझ में कम है, और जिस पर बीस प्रतिशत कम व्यय आया है। जबलपुर के वर्कशाप में एक स्वचालित दबाने का यन्त्र भी तैयार किया है जिससे लोहे के छल्लों (वाशरों) का दैनिक निर्माण तीन हजार से बढ़कर चालीस हजार हो गया है। मिलिंग मैशीन में एक नए रोलिंग यन्त्र के लग जाने से तांबे की छड़ों को सीधी करने का कार्य ७० से बढ़ कर प्रति घण्टा १,५०० हो गया है।

ग्रौद्योगिक सहायता

टेलीप्रिन्टरों को सुधारने के लिए इंगलैंड से एक वर्ष के लिए एक टेलीप्रिंटर विशेषज्ञ की नियुक्त की गई जो इन शीघ्रगति से कार्य करने वाली मशीनों को चालू रखने वाले कर्मचारियों को इन मशीनों के पुर्जे जोड़ने ग्रौर ठीक रखने का प्रशिक्षण देगा।

ग्रन्तरिक्ष विज्ञान विभाग

इस वर्ष भारत से बाहर जाने वाले दो वायु मार्गों—कलकत्ता-काठमण्डू ग्रौर कलकत्ता-काबुल—पर ग्रन्तरिक्ष विज्ञान की व्यवस्था की गई। ग्रौरंगाबाद, राजकोट, भावनगर ग्रौर पटना के हवाई ग्रड्डों पर नए ग्रन्तरिक्ष विज्ञान यूनिट स्थापित किए गए।

ऊंचे उड़ने वाले जेट चालित वायुयानों को ग्रन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। फरवरी १९५१ में एयरो क्लब ग्राफ इण्डिया ग्रौर हिन्द प्रॉविन्शियल फ्लाइंग क्लब के तत्वावधान में होने वाली नैशनल एयर रैली ग्रौर दौड़ में भाग लेने वाले उड़ाकुग्रों के लिए भी ग्रन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी प्रतिवेदन ग्रौर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई।

वर्ष के ग्रन्त तक ऐसे चुने हुए भारतीय जहाजों की संख्या ५५ थी, जिन्होंने स्वेच्छा से पूरा ऋतु पर्यवेक्षण-प्रतिवेदन जाने

का भार लिया था और जिन में जांच-सिद्ध अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी यन्त्र लगा दिए गए थे। समुद्र के अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी कार्य में भारतीय नौ-सेना के जहाजों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कार्य किया गया।

१९५१ में विभिन्न प्रादेशिक केन्द्रों की चेतावनी-सूची पर पतों की कुल संख्या ७१२ थी। इस प्रकार लगभग ३,२०० चेतावनी-संदेश जारी किए गए।

मरुप्रदेशों के ऋतु विज्ञान का अध्ययन करने के लिए यूनेस्को द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की नामावली में पर्यवेक्षण शालाओं के डायरेक्टर जनरल श्री बी. बी. सोहनी को एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया। पैरिस में मार्च-अप्रैल १९५१ में हुई प्रथम विश्व अन्तरिक्ष विज्ञान कांग्रेस द्वारा स्थापित एशिया के लिए प्रादेशिक आयोग का प्रधान भी इन्हें ही चुना गया। श्री बसु को ऋतु विज्ञान के लिए प्राबंधिक आयोग का उपप्रधान चुना गया।

फरवरी १९५१ में दक्षिण भारत में किए गए प्रयोगों की एक छोटी-सी माला से विषुवत् रेखा के आसपास चुम्बकीय क्षेत्रों में दोहरी विविधताओं के बारे में महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए।

समुद्र के तूफानों से लगने वाले झटकों का अनुसन्धान करने के लिए मद्रास में भूकम्प-निरीक्षण-केन्द्र का कार्य पूरा हुआ।

समुद्र-पार की संचार सेवा

थाईलैंड और रूस के साथ सीधी बेतार की तार सेवा क्रमश: १५ मार्च १९५१ और १८ जून १९५१ को आरम्भ की गई। बम्बई और न्यूयार्क के मध्य वायरलेस की दूसरी सीधी लाइन २ जुलाई, १९५१ से पुन: आरम्भ कर दी गई। १९४८ में इसे निलम्बित कर दिया गया था।

भारत को विदेशी टेली-संचार सेवाओं के विकास के लिए एक पंच-वर्षीय योजना का अनुमोदन किया गया। इस पर पांच वर्षों में अनुमानत: एक करोड़ रुपया व्यय होगा। इस योजना में कलकत्ते में एक वायरलेस टेली-संचार-केन्द्र खोलने और दिल्ली, बम्बई और मद्रास के वर्तमान केन्द्रों के विस्तार की व्यवस्था रखी गई है। विकास योजना में कलकत्ते में नए केन्द्र की स्थापना और दिल्ली में वर्तमान समुद्र-पार संचार सेवा केन्द्र के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। कलकत्ते के नए स्टेशन में भारत और अमरीका के मध्य सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा की व्यवस्था भी होगी। सुदूर पूर्वीय देशों से सीधी टेलीफोन, वायरलेस और तार सेवा के लिए भी इस लाइन का उपयोग किया जाएगा।

टेलीफोन फैक्टरी

वर्ष पर्यन्त 'डायल' और 'कन्डेसर' के अतिरिक्त टेलीफोन के सभी भाग फैक्टरी में ही बनाए गए। दिसम्बर, १९५१ के अन्त तक जोड़े गए टेलीफोन यन्त्रों की संख्या १५,६३८ थी। भारत की सभी आवश्यकताएं फैक्टरी और पी० एण्ड टी०

वर्कशाप में जोड़े और आंशिक रूप में बनाए गए टेलीफोन यन्त्रों से पूरी हो जाती हैं। फैक्टरी में सिंगल लाइन प्रोटेक्टर, हीट कॉयल और प्रोटेक्टर, स्लिप इन टाइप फ्यूज माउंटिंग, इन्टरमीडियट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम्स, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम और कलकत्ता के स्वसंचालीकरण के लिए लोहे का सामान भी बनता है।

नागरिक उड्डयन

इस वर्ष भारत में नागरिक उड्डयन ने मन्थर प्रगति की। देश के विभिन्न भागों में पांच नए हवाई अड्डे और पांच संचार केन्द्र खोले गए। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार के हालैण्ड की सरकार और इंग्लैंड की सरकार के साथ दो-तरफा वायु परिवहन करार हुए। मिश्र और इण्डोनेशिया की सरकारों के साथ भी इसी तरह के करार करने की बातचीत शुरू की गई। भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक वायु परिवहन सेवा का उद्घाटन किया गया।

१९५१ में अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं के प्रवर्तन में ९ वायु परिवहन कम्पनियां नियोजित थीं जब कि गैर-अनुसूचित सेवाओं को १८ कम्पनियां चालू रख रही थीं।

१९५१ में जुलाई के मध्य से अक्तूबर के अन्त तक उड्डयन स्पिरिट की कमी के कारण सीमित प्रवर्तनों के बावजूद वर्ष पर्यन्त अनुसूचित सेवाओं में कुल मिलाकर कुछ वृद्धि ही हुई। प्रवर्तित मीलों की टन सामर्थ्य और टन मील के भार-राजस्व में क्रमशः ९ प्रतिशत और १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि ढोए

हुए माल में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यात्रियों की संख्या में कुछ कमी रही।

वर्ष पर्यन्त कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली (द्वारा नागपुर) को मिलाने वाली रात्रि-वायु-सेवाएं, जिन्हें १ जून, १९५१ तक हिमालयन एवियेशन लिमिटेड चलाती थी, डेकन एयरवेज लिमिटेड द्वारा ले ली गईं। इन रात्रि-वायु-सेवाओं ने, दिल्ली-बम्बई लाइन पर एयर इण्डिया की रात्रि सर्विसों के साथ, ३४,७२३ यात्री, १,०६३,६१७ पौंड भाग और २,४४६,०२६ पौंड डाक ढोई। प्रतिदिन की औसत ९५ यात्री, २,९१४ पौंड माल और ६,७०१ पौंड डाक रही।

भारत-इंग्लैंड सेवाओं को बढ़ा कर प्रति सप्ताह ४ सेवाएं चालू कर दी गईं। एयर इण्डिया इन्टरनैशनल को २ आधुनिकतम ढंग के वायुयान—सुपर कन्स्टीलेशन टाइप १०४९ सी—खरीदने और सुस्थापित विदेशी वायु कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए सहायता देने के अभिप्राय से यह निर्णय किया गया था कि १९५२-५३ में कम्पनी को २५ लाख रुपये का एक ऋण और सन् १९५३-५४ में २५ लाख रुपये का दूसरा ऋण दिया जाए।

भारत और अफगानिस्तान के बीच वायु-परिवहन सेवा के चलाने में कठिनाइयों के बावजूद ५ दिसम्बर, १९५१ को हिमालयन एविएशन लिमिटेड ने दोनों देशों के बीच एक सेवा का उद्घाटन किया जो पाकिस्तान के इलाके से बच कर जाती थी। बाद में पाकिस्तान सरकार कराची में हवाई जहाजों के बिना

यात्रा-सुविधा के विराम के लिए राजी हो गई और अब यह सेवा अहमदाबाद-कराची-जाहिदान-कन्धार-काबुल के रास्ते जाती है। यह भारत को ईरान से भी मिलाती है।

एयरवेज (इण्डिया) ने २२ दिसम्बर १९५१ से दिल्ली और आसाम के बीच दिल्ली-आगरा-कानपुर-पटना-बागडोगरा-गौहाटी के रास्ते एक "एयरिस्ट" श्रेणी की अनुसूचित वायु सेवा आरम्भ की। इस सेवा का उद्देश्य प्रवर्तन कुशलता और सुरक्षा के साधारण प्रभावों को गिराए बिना आराम की सुविधाओं को कुछ कम करके सस्ती वायु-यात्रा की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त इस सेवा से उत्तरी भारत और आसाम के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया।

वर्ष पर्यन्त गैर अनुसूचित प्रवर्तनों पर ४१,८१५ घण्टे और ६,००८,१३९ मील की उड़ानें हुई। इसकी अपेक्षा गत वर्ष के आंकड़े क्रमशः ४४,५६६ घण्टे और ६,८३६,६४५ मील हैं। यात्रियों की संख्या लगभग ६४,२२५ रही और ढोए हुए माल का भार १३०,८४३,२७७ पौंड रहा। पिछले वर्ष यात्रियों की संख्या ५५,३४३ और माल भार ११६,४१३,६५१ पौंड था। यद्यपि उड्डयन तेल की कमी के कारण कुछ समय के लिए गैर-अनुसूचित प्रवर्तनों को सीमित करना पड़ा था, तो भी यातायात में कुछ वृद्धि ही हुई।

कुशल और आर्थिक प्रबन्ध के अन्तर्गत अनुसूचित वायु परिवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने के अभिप्राय से १ अक्तूबर, १९५१ से आर्थिक अनुदान की एक संशोधित योजना चालू की गई।

अफगानिस्तान और गौहाटी-दिल्ली की 'कोच' श्रेणी सेवाओं के अतिरिक्त इस वर्ष निम्नलिखित नई सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए—

प्रवर्तक	मार्ग	मान्यता की अवधि
एयर सर्विस ऑफ इण्डिया लिमिटेड	बम्बई-बेलगांव-कोचीन	७ जून, १९५२ तक
	[बाद में बम्बई-कोचीन के रूप में संशोधित कर दी गई (बिना विराम)]	
" " "	कलकत्ता-रंगून-बैंगकाक-हांगकांग (यह सेवा अभी चालू नहीं हुई है)	सेवा के चालू होने की तारीख से ६ महीने तक
भारत एयरवेज लिमिटेड	कलकत्ता-मोहनबाड़ी	अब लाइसेंस की अवधि बीत चुकी है

हिमालयन एविएशन लिमिटेड	कलकत्ता-मोहनबाड़ी (बिना विराम) (केवल माल ढोने वाली)	,, ,,
,, ,, ,,	कलकत्ता-इलाहाबाद-अहमदाबाद	१ फरवरी, १९५२ तक
,, ,, ,,	कलकत्ता-जोरहाट-मोहनबाड़ी	सेवा चालू होने की तारीख से ६० दिन तक
एयर इंडिया लिमिटेड	कलकत्ता-गोहाटी-तेजपुर	अब लाइसेंस की अवधि बीत चुकी है
एयर सर्विसिज ऑफ इंडिया लिमिटेड	ग्वालियर-कानपुर-लखनऊ	,, ,,
एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड	कलकत्ता-शैलांग-गोहाटी-कलकत्ता (अभी सेवा चालू नहीं हुई है)	सेवा के चालू होने की तारीख से ६० दिन तक

वायु-परिवहन करार

इस वर्ष दो दोतरफा वायु परिवहन करार किए गए। एक तो इण्डोनेशिया के परिवर्तित स्तर को देखते हुए सन् १९४७ में किए गए करार के स्थान पर नीदरलैंड की सरकार के साथ एक नया करार और दूसरा इंगलैंड की सरकार के साथ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल और मिस्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच क़ाहिरा में हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य वायु सेवा सम्बन्धी एक करार के मसविदे का विकास हुआ था और वह अब दोनों सरकारों के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

विमानशास्त्रीय संचार-सेवा

इस वर्ष रांची, इम्फाल, मुजफ्फरपुर, कोटा और काठमाण्डू में पांच नए विमानशास्त्रीय संचार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए। इस प्रकार इनकी कुल संख्या ५७ हो गई। वर्तमान संचार साधनों को भी सुदृढ़ किया गया और कुछ भी नए खोले गए।

रेडियो सुविधाएँ, जिनमें भूमि में लगे संचार साधन और समुद्री सहायताएँ भी सम्मिलित है, ४०६ हैं, जबकि गत वर्ष में ३८६ थीं।

४. वैदेशिक

सुदृढ़ वैदेशिक नीति को अपनाए रहने के कारण विश्व के राष्ट्रों में देश का मान और सुयश बहुत बढ़ा। भारत की सैन्य-शक्ति अक्षुण्ण रही और उसकी सूचना-सेवाएं वर्ष पर्यन्त प्रभावकारी ढंग से कार्य करती रहीं।

वैदेशिक मामले

भारत विश्व-शान्ति का हामी है। अपने इस उद्देश्य के अनुरूप ११ एशियाई देशों के सहयोग से उसने कोरिया में युद्ध बन्द कराने के लिए अथक प्रयत्न किए। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सहायक संगठनों में चीन के लोकतन्त्र को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भी उसने अपने प्रयत्न जारी रखे।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद-विवादों और इसके कृत्यकारी आयोगों तथा विशिष्ट अभिकरणों में भी सक्रिय भाग लिया। एफ० ए० ओ०, यूनेस्को, आई० एल० ओ०, आई० सी० ए० ओ०, डब्ल्यू० एच० ओ०, आई० टी० यू०, यू० पी० यू०, आई० टी० ओ०, डब्ल्यू० एम० ओ० आदि की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त उसने १५ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

अपने पांचवें सत्र में जनरल असेम्बली द्वारा नियुक्त किए गए १४ राष्ट्रों के शान्ति पर्यवेक्षण आयोग का भारत भी एक सदस्य चुना गया। परमाणु शक्ति आयोग और रूढ़िगत अस्त्र-शस्त्र आयोग के कृत्यों को एक करने के उपाय खोजने के लिए अपने पांचवें सत्र में असेम्बली द्वारा नियुक्त की गई बारह की समिति में भी उसने कार्य किया।

'इकोसॉक' के तेरहवें सत्र में भारत को पुनः तीन वर्ष के लिए सामाजिक और परिवहन संचार आयोग का सदस्य चुना गया। सामाजिक आयोग में पुनः निर्वाचन के अधिकार से भारत 'यूनीसेफ' के कार्य-पालिका बोर्ड का सदस्य बन गया। अब भारत आठ में से छः कृत्यकारी आयोगों का सदस्य है।

चीन के प्रतिनिधित्व पर अपने पांचवें सत्र में जनरल असेम्बली द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री बी० एन० राव ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्हें छः फरवरी १९५२ से ९ वर्ष के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुन लिया गया।

भारत में दो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए। जनवरी, १९५१ में दिल्ली में सिंचाई और नहरों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, बड़े बांधों पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, विश्व शक्ति सम्मेलन और हाईड्रोलिक स्ट्रक्चर गवेषणा की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की बैठकें हुई जिनमें संसार के सभी भागों के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भाग लिया। दिसम्बर १९५१ और जनवरी १९५२ में नई दिल्ली और कलकत्ता में अंक-विज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय शाखा का २७ वां अधिवेशन भी हुआ।

नए मिशन

वर्ष पर्यन्त भारत में मैक्सिको, हंगरी और फिलिपाइन गण-राज्य के तीन नए कूटनीतिक मिशन खोले गए। अब भारत में कूटनीतिक प्रतिनिधि रखने वाले देशों की संख्या चालीस हो गई है। बचत के विचार से इस वर्ष विदेश में केवल एक नया भारतीय मिशन खोला गया।

राष्ट्रमण्डल

१ दिसम्बर, १६५१ को नई दिल्ली में भारत और इंगलैण्ड के मध्य वायु सेवाओं के एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इंगलैण्ड की सरकार की इच्छाओं के अनुकूल यह निर्णय किया गया कि इंगलैण्ड, राष्ट्रमण्डल के देशों और उपनिवेशों में रहने वाले भूतपूर्व भारतीय नागरिक और सैन्य सेवाओं के सभी सदस्यों की पेंशन का उत्तरदायित्व इंगलैण्ड की सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाए जो कि वार्षिकी में से पेंशन का भुगतान कर देगी।

उत्तर-पूर्व सीमा

अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के सम्बन्ध मित्रता-पूर्ण बने रहे।

जनवरी १६५२ के आरम्भ में दोनों के हित के मामलों पर भारत सरकार के साथ विचार विनिमय करने के लिए नैपाल के प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल के चार साथियों सहित नई दिल्ली

पधारे। बाद में नेपाल में बड़े प्रभावकारी राजनीतिक परिवर्तन हुए जिससे भारतीय सरकार और काठमाण्डू में भारतीय राजदूतावास पर काफी बोझ पड़ा। सहायता और परामर्श के लिए विवाद-रत दलों ने निरन्तर दोनों द्वारों को खटखटाया।

भारत सरकार द्वारा उधार दिया गया आई० सी० एस० अधिकारी सिक्किम राज्य का प्रशासन चलाता रहा। प्रशासन के साथ जनता को सम्बद्ध करने की आदेशिका काफी आगे बढ़ी। समस्त राज्य में निर्वाचित पंचायतों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

आसाम की जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए। फरवरी-मार्च १९५१ में नागा जनजाति क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने और नरमुण्ड शिकार को रोकने के लिए आसाम राइफल्स का एक दण्डदाता दल भेजा गया। यह दल काफी सफल रहा। जन-जाति क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़े पैमाने पर राहत की व्यवस्था की गई।

दक्षिण पूर्व एशिया

७ जुलाई, १९५१ को रंगून में भारत और बर्मा के बीच मित्रता की संधि हुई। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों और इतिहास और संस्कृति के उन बहुत से सूत्रों को दृढ़ बनाना है जिनमें दोनों देश शताब्दियों से बँधे हुए हैं। संधि की मुख्य बातों में एक दूसरे की स्वतन्त्रता और अधिकारों की स्वीकृति, मित्रता और स्थायी शान्ति स्थापित करने की दोनों की इच्छा, कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए रखना,

सामान्य हित के मामलों में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों का यदा-कदा विचार विमर्श करना और व्यापार, शुल्क, आप्रवास और स्वदेश प्रत्यागमन के बारे में समझौतों का सम्पन्न होना है। अक्तूबर, १९५१ में बर्मा के प्रधान मन्त्री ने भारत की यात्रा की और भारत के प्रधान मन्त्री के साथ सामान्य हितों के अनेक मामलों पर चर्चाएं कीं।

२६ सितम्बर, १९५१ को भारत और बर्मा के मध्य एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अन्तर्गत बर्मा ने प्रति वर्ष भारत को ३ लाख ५० हजार टन चावल निर्यात करना और बदले में भारत से पटसन का सामान, वस्त्र और इस्पात की वस्तुएं लेना स्वीकार किया।

लंका की सरकार ने व्यापार और नियोजन में लंका वासियों को ही रखने की नीति जारी रखी। परन्तु जब कभी भी भारतीय हितों के विरुद्ध कोई बात हुई, तो लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा लंका सरकार से उसे दूर करने का प्रयत्न किया गया। विनिमय नियन्त्रण नियमों में ढील कर देने से भारत को रुपया भेजने में कठिनाइयां बहुत कम हो गई हैं। परन्तु लंका की नागरिकता के लिए भारतीयों की मांग सम्बन्धी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ५ अगस्त, १९५१ तक दो लाख भारतीयों ने लंका की नागरिकता के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे। दिसम्बर १९५१ तक केवल ७,७२८ भारतीयों का लंका निवासियों के रूप में वास्तविक पंजीयन हो सका था।

३ मार्च, १९५१ को जकार्ता में भारत और इण्डोनेशिया के मध्य एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए।

फ्रांस के साथ ऋण भुगतान समझौते के अनुकूल भारत सरकार ने भारत में बैंक ऑफ इण्डो-चाइना की सम्पत्ति को मुक्त कर दिया।

थाइलैंड में भारतीय दूतावास (लीगेशन) के स्तर को बढ़ा कर राजदूतावास कर दिया गया। थाइलैंड के विरुद्ध कुछ भारतीयों के युद्ध क्षति दावों के भुगतान में भारत को १०१,३२६ पौंड की राशि मिली थी। जून, १९५१ में थाइलैंड की सरकार के निमन्त्रण पर एक भारतीय वायु सद्भावना मण्डल ने वहां का दौरा किया। नवम्बर १९५१ में थाई वायु बल के डिप्टी कमाण्डर इन-चीफ के नेतृत्व में एक थाई वायु सद्भावना मण्डल ने भारत का दौरा किया।

सुदूर पूर्व

भारत और जनवादी चीनी गणराज्य के मध्य मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने रहे। १९५१ के अन्तिम चतुर्थांश में एक चीनी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया। यह मण्डल छः सप्ताह से अधिक समय तक भारत में रहा और इसने ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्त्व के अनेक स्थानों की यात्रा की।

भारत सरकार ने सानफ्रान्सिस्को में होने वाली बहु पक्षीय शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय जापान के साथ एक पृथक् दो-तरफा संधि के लिए बातचीत चलाने का निर्णय किया।

१ दिसम्बर १९५१ से दौत्य स्तर पर भारत और फिलिपाइन के मध्य कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए गए।

मध्य पूर्व

काबुल में ४ अप्रैल, १९५० को अफगानिस्तान के साथ वाणिज्य और व्यापार के जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसका २४ जनवरी, १९५२ को नई दिल्ली में अनुसमर्थन कर दिया गया। अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री हिज रायल हाइनेस मार्शल शाह महमूदखां गाजी ने जुलाई और सितम्बर १९५१ में थोड़े-थोड़े समय के लिए दिल्ली की यात्रा की। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अच्छे सम्बन्ध को और दृढ़ बनाने में इन यात्राओं से सहायता मिली। २६ जनवरी, १९५२ को काबुल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक वायु-करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अफगान सरकार के निमन्त्रण पर अगस्त १९५१ में अफगान जशन समारोहों में भाग लेने के लिए भारतीय हाकी टीम और फुटबाल टीम ने काबुल की यात्रा की। एक भारतीय फीचर फिल्म और कुछ अन्य फिल्में भी काबुल में प्रदर्शनार्थ भेजी गई।

भारत और मिस्र की सरकारों के बीच स्थापना के सन्धि-पत्र के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया और एक दुतरफा वायु करार की वार्ता पूर्ण हुई। इसी देश के साथ व्यापार करार को २९ फरवरी, १९५२ तक के लिए पुनः चालू किया गया।

भारत और ईराक की सरकारों के बीच एक व्यापार-करार सम्पन्न हुआ और दिसम्बर १६५१ के अन्त तक इस पर अमल होता रहा। भारतीय हितों की देखभाल के लिए बसरा में एक अवैतनिक भारतीय प्रदूत नियुक्त किया गया।

भारत और ईरान के बीच दुतरफा वायु-करार की समाप्ति तक, अस्थायी वायु करार को २७ दिसम्बर १६५१ से, ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अबादान में आँग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप समस्त भारतीय नौकरों को भारत पहुँचा दिया गया। उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने विभिन्न एम्पलायमेंट एक्सचेंजों को अनुदेश दे दिए हैं कि उचित स्थानों के नियोजन में उनको प्राथमिकता दी जाए।

तुर्की के साथ एक सांस्कृतिक करार और एक मित्रता के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। कर्नल शशाकलि द्वारा सीरिया में स्थापित नई सरकार को स्वीकृति प्रदान की गई। २४ दिसम्बर, १६५१ को अस्तित्व में आनेवाले नए स्वतन्त्र और सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लीबिया राज्य को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। ११,००० भारतीय हाजियों के यात्रा पर हेजाज जाने के प्रबन्ध किए गए।

अमेरिका

अमेरिका में भारत के राजदूत को मैक्सिको के राजदूत के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया।

१५ जून, १९५१ को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक अभिकरण—वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक—के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इसमें भारत सरकार द्वारा अमेरिका से खाद्य खरीदने के लिए १९०,०००,००० डालर के ऋण की व्यवस्था है।

अमेरिका से भेजे गए राहत के सामान और पैकटों के निःशुल्क प्रवेश और अन्तर्देशीय ढुआई के भार को वापिस कर देने के बारे में ९ जुलाई १९५१ को भारत की सरकार और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार के मध्य एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए गए।

५ जनवरी, १९५२ को भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य एक प्राविधिक (टेकनीकल) सहयोग-कार्यक्रम करार हुआ। पंचवर्षीय योजना में कल्पित देहात विकास कार्यक्रमों के प्रति फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के विनियमन के लिए २२ जनवरी, १९५२ को भारत सरकार और प्रतिष्ठान के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अफ्रीका

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में भारत सरकार के आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र को विस्तृत करके उसमें नियासालैंड के ब्रिटिश केन्द्रीय अफ्रीकन प्रदेश, उत्तरीय और दक्षिणी रोडेशिया और बेलजियन कांगो तथा रुआंडा-उरुण्डी भी सम्मिलित कर दिए गए।

भारत सरकार के प्रतिनिधानों के परिणामस्वरूप फ्रांस सरकार फ्रेंच मोराक्को में रहने वाले भारतीयों को भारत में अपने आश्रितों के पास रुपया भेजने की आज्ञा देने पर राजी हो गई। यद्यपि इरिट्रिया में एक मिशन खोलने की प्रार्थना पूरी न हो सकी, तो भी उस प्रदेश के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखभाल के लिए अदन स्थित भारत सरकार के आयुक्त को निर्देश दिए जा चुके हैं।

इथिओपिया स्थित भारतीय दूत ने अदीस अबाबा में एक प्रसूतिका-गृह का शिलान्यास किया। इसके लिए भारतीय समुदायों ने ३ लाख ५० हजार रुपया एकत्रित किया था। १० हजार रुपये का एक गैर-आवर्तक अनुदान भारतीय सरकार द्वारा दिया गया।

इथिओपिया के सम्राट द्वारा भेजे गये ५०० टन गेहूं के उपहार को मित्र की सहायता के रूप में धन्यवाद सहित स्वीकार कर लिया गया।

वर्ग क्षेत्र अधिनियम को लागू करने के अभिप्राय से गत वर्ष विभिन्न अधिसूचनाओं और विनियमों के प्रख्यापन से दक्षिण भारत में मूल भारत के निवासियों की स्थिति और बिगड़ गई। इस समय भारतीय समुदाय को केवल आवास के पृथक्करण का ही नहीं, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रश्न को सुलझाने की वार्ता में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के दिसम्बर १६५० के संकल्प को संघीय सरकार ने वार्ता का आधार बनाने से इन्कार

कर दिया। संकल्प को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया पत्र-व्यवहार असफल सिद्ध हुआ।

पाकिस्तान

वर्ष पर्यन्त पाकिस्तान की सरकार के साथ दुतरफा आधार पर इन बातों पर करार हुए :

(१) नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा २६ के अन्तर्गत एक देश के न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन दूसरे देश में बसे प्रतिवादी पर तामील करना;

(२) जहां तक दोनों पंजाबों का सम्बन्ध है, एक देश के उत्थापित व्यक्तियों का दूसरे देश के सम्बद्ध प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों की अधिकृत प्रतिलिपियां प्राप्त करना।

भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत-पाकिस्तान सीमा विभाजन, नहरों के जल का विवाद, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति का प्रश्न, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का युद्ध-प्रचार और पारपत्र-प्रणाली-नियमों के प्रश्नों पर वार्ताएं हुईं।

अपहृत व्यक्तियों (पुनः प्राप्ति और पुनः स्थापन) संबंधी १९४९ का कानून ३१ अक्तूबर १९५१ को समाप्त हो गया। १९४७ के दंगों में अपहृत व्यक्तियों के खोज के कार्य को इससे वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। क्योंकि अभी ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी जिनकी खोज करना

बाकी था, इसलिये कानून की मान्यता ३१ अक्तूबर, १९५२ तक बढ़ा दी गई।

सुरक्षा परिषद् द्वारा काश्मीर-विवाद में नियुक्त किये गये मध्यस्थ डा० फ्रांक पी. ग्राहम के साथ भारत सरकार ने पूरा-पूरा सहयोग किया।

सूचना-सेवाएं

इस वर्ष वैदेशिक प्रचार में काफी सुधार और विस्तार हुआ। जेनेवा, दमिश्क, कोलम्बो और काठमांडू में नए प्रचार-केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। प्रचार में सुधार करने की दृष्टि से मनीला, वैलिंगटन, रोम, हेग और ट्रिनीडाड के मिशनों में सांकेतिक प्रचार कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। अमेरिका के प्रचार-प्रबन्धों का पुनर्गठन किया गया और अमेरिकी प्रेस के केन्द्र न्यूयार्क में एक और नया दफ्तर खोला गया। अमेरिका के प्रचार कर्मचारियों में थोड़ी वृद्धि की गई और एक अनुभवी व्यावसायिक प्रचार विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध की गई। प्रादेशिक प्रचार योजना को लागू करने के लिए मध्यपूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्मचारी बढ़ाये गये। विभिन्न प्रदेशों में उपयुक्त प्रचार सामग्री की पर्याप्त उपलब्धि के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की गई। पैम्फ्लेट और सचित्र पुस्तिकायें बड़ी संख्या में प्रकाशित की गई। विदेशी और विशेषकर मध्य तथा दक्षिण पूर्व के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के उपयोग के लिए 'एबोनाईट' ब्लाकों की सेवा प्रारम्भ की गई। समुद्रपार के प्रचार केन्द्र द्वारा भारतीय समाचारपत्र और

पत्रिकाओं के वितरण में विशेष रूप से वृद्धि हुई। विदेशी प्रस के उपयोग के लिए विशेष लेख और संवादों के उत्पादन में बाहरी प्रतिभा का अधिक उपयोग किया गया। फोटोग्राफों द्वारा प्रचार-कार्य भी बढ़ाया गया।

मध्यपूर्व में भारत के प्रचार-कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया। तुर्की और ईरान के पत्रकारों को भारत की यात्रा करने के निमन्त्रण-पत्र भेजे गये। परिणामस्वरूप तुर्की के पांच प्रमुख पत्रकारों के प्रतिनिधिमण्डल ने छः सप्ताह तक भारत का दौरा किया। मध्यपूर्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क़ाहिरा में एक अरबी यूनिट स्थापित करने का कार्य भी किया गया।

भारत और मध्यपूर्व के बीच निकटतम सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के अभिप्राय से क़ाहिरा, इस्ताम्बूल, अन्कारा और बगदाद में प्रतिनिधि भारतीय चित्र, रेखाचित्र, और फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए।

रंगून में भारतीय कला की एक प्रदर्शिनी भी हुई। अमेरिका, फ्रांस, और ब्रिटेन में रेमण्ड बर्नियर और मदनजीतसिंह के फोटो-संग्रह भी प्रदर्शित किए गए। सभी सूचना-केन्द्रों में गणराज्य दिवस के उत्सवों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और विशेष बुलेटिन जारी किए गए।

प्रतिरक्षा

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से सशस्त्र बल जनता के अधिक निकट आ गए। प्राकृतिक प्रकोपों के एक क्रम ने, जिसमें सशस्त्र बलों ने

पीड़ित जनता की सेवा की, उनके लिए सराहना और प्रेम प्राप्त करवा दिया है। सौराष्ट्र और रायलसीमा ताजे उदाहरण हैं। प्रधान-मन्त्री के पास एक पत्र में मद्रास के मुख्य-मन्त्री ने लिखा था :

"सेना की टुकड़ियों ने मुश्किल से पांच सप्ताह में चट्टानें फोड़ने और करीब १२० कुएं गहरे करने का बड़ा सुन्दर कार्य किया है। वे जहां कहीं गए थे जनता ने बड़ी आशाओं के साथ उनका हार्दिक स्वागत किया था। उनको अपने कार्य में सफलता भी उसी के अनुरूप मिली। वह पीड़ित-क्षेत्र की समस्त जनता और मेरी सरकार के धन्यवाद के पात्र हैं।"

उत्पादन के कार्यों, जैसे कि देश की खाद्य उपलब्धि को बढ़ाना, वृक्षारोपण आदि, में भी उन्होंने काफी सफलता प्राप्त की। १९५१ के अन्त तक सेना ने २१,९६६ एकड़ भूमि जोत ली थी और ८,९२२ टन खाद्य उत्पन्न किया।

प्रशिक्षण

श्रेष्ठ अन्तर्सेवा सहयोग स्थापित करने के अभिप्राय से सेना, नौ-सेना और वायु बल के भावी सैनिकों के लिए देहरादून की नैशनल डिफेन्स एकेडेमी में प्रारम्भिक सम्मिलित प्रशिक्षण जारी रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत वायु बल के कैडिटो की प्रथम टुकड़ी को इस वर्ष के अन्त तक कमीशन मिल जाएगा।

वैलिंगटन का स्टाफ कालेज दूसरी अन्तर्सेवा-प्रशिक्षण-संस्था है। यहां समादेश और स्टाफ में नियुक्त किए जाने वाले तीनों

सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रकार अन्तर्सेवा सहयोग को पूर्ण किया जाता है। गत वर्ष अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और आस्ट्रेलिया के चुने हुए छात्रों ने आदान-प्रदान के आधार पर कालेज के पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

साज-सज्जा और शस्त्र

शस्त्रों और साज-सज्जा के मामले में आत्मभरित होने का प्रयत्न अभी जारी है। तो भी कुछ बातों में तो लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है और अन्य बातों में आत्मभरित होने के मार्ग में आवश्यक सामग्री का अभाव, अर्हत प्राविधिकों और कुशल श्रम की कमी तथा आवास के अभाव की कठिनाइयां हैं, मैशीन-टूल-प्रोटो-टाइप फैक्टरी की तैयारी अब अन्तिम अवस्थाओं में है और वर्ष पर्यन्त इससे सम्बद्ध आर्टिजन ट्रेनिंग स्कूल ने प्राविधिक शिक्षा के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सौ छात्रों की दूसरी टुकड़ी को प्रवेश दिया।

प्रतिरक्षा विज्ञान

सन् १९४८ में स्थापित प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन ने प्रगति जारी रखी। एक प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा बनाने का निर्णय किया गया जिसमें सेवाओं तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में नियोजित पौर-वैज्ञानिक होंगे। शस्त्रों के अध्ययन की एक संस्था स्थापित करने का भी सुझाव है जो शस्त्रों और साज-सज्जा में गवेषणा करेगी।

प्रादेशिक सेना

वायु बल और सेना दोनों के लिए ही अधिकारियों का एक नियमित संचय रखने का निर्णय किया गया है और विशदताओं पर कार्य हो रहा है। सन् १९४९ में प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में प्रादेशिक सेना स्थापित की गई थी। तीन वर्ष की प्रादेशिक सेना अभी निर्माण की अवस्था में ही है, परन्तु भर्ती-कार्य जो पहले धीमा था, अब धीरे-धीरे तेज होता जा रहा है। कई टुकड़ियों ने तो दो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर पास भी कर लिए हैं और दूसरों को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागरिक सेना को सफलता के लिए अनिवार्य रूप से ऐच्छिक सहयोग पर आश्रित रहना पड़ता है। एक आवश्यक बात यह हुई है कि हाल ही के एक कानून से इस सेना में भाग लेने वाले नागरिक कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इससे शहरी बलों की भर्ती का कार्य निस्सन्देह सरल हो जाएगा।

नैशनल कैडिट कोर

नैशनल कैडिट कोर का गठन देश के युवकों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने और उनमें अनुशासन की भावना जागृत करने के अभिप्राय से किया गया था। स्कूल और कालेज के छात्रों में यह प्रारम्भ से ही लोकप्रिय रही है। वास्तव में वित्तीय आवश्यकताओं से कोर का क्षेत्र सीमित होने के कारण भर्ती की माँग प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सका। वर्ष पर्यन्त कोर में एक महत्त्वपूर्ण विकास यह हुआ कि दो एककों के एक नौ-सेना-पार्श्व की वृद्धि हुई। कई एककों का एक वायु-पार्श्व इसमें है ही।

प्रथम बार नेशनल कैडिट कोर में सीधी भर्ती किए गए पन्द्रह कैडिटों ने नेशनल डिफेन्स एकेडेमी के सैनिक पार्श्व को पास कर लिया है। सरकार ने नेशनल कैडिट कोर के लड़कों के लिए नेशनल एकेडेमी में स्थानों का कुछ प्रतिशत सुरक्षित कर दिया है।

भारतीय वायु-बल

सन् १९४७ से भारतीय वायु-बल भारत के लिए वायु प्रति-रक्षा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रति वर्ष काफी प्रगति की गई। प्रशिक्षण के सुधार में अब बल आत्मभरित है। इसके स्कूल और एकेडेमी वायु-बल के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। भारतीय इस सेवा के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। भर्ती के कठोर तरीके और प्रशिक्षण इस बात की गारण्टी दे देते हैं कि केवल सर्वोच्च योग्यता वाले लोग ही इस नई सेवा में प्रवेश पा सकेंगे।

सेना के समान ही वायु-बल ने जनता की महत्त्वपूर्ण सेवा की। बाढ़ और भूकम्प से विध्वस्त आसाम के प्रदेशों में खाद्य गिराना इसका एक उदाहरण है। यहाँ यह उल्लेख कर दिया जाए कि इन दया के कार्यों में वायुयान चालकों से बड़ी कुशलता और अनुभव की अपेक्षा की जाती है।

वायुयान उत्पादन के कार्य में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने प्रथम भारतीय प्रशिक्षण वायुयान का डिजाइन बनाया और उसे तैयार किया। प्रारम्भिक जांचें सन्तोषप्रद रहीं।

भारतीय नौसेना

नौसेना में इस समय विस्तार के स्थान पर एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास किया जा रहा है और यद्यपि अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हमें अब भी इंग्लैंड द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं पर आश्रित रहना पड़ता है, परन्तु दूसरी श्रेणियों के लिए हमारे नौसैनिक-प्रशिक्षण-संस्थापन पूर्णतया समर्थ हैं। अनुभव प्राप्त करने के हेतु ब्रिटिश नौसेना और भारतीय वायुबल तथा शाही वायुबल के वायुयानों के साथ हमारे जहाज नौसैनिक अभ्यास करते हैं।

इसके अतिरिक्त नौसेना हमारे पड़ोसियों के प्रति सद्भावना का दौत्य-कार्य भी करती रही। गत वर्ष पूर्वी अफ्रीका, मदागास्कर और सेकेलीज में इसके जहाज गए जहां जनता और सरकारों ने इनका हार्दिक स्वागत किया। इस वर्ष हमारी नौसेना के बेड़े के जहाजों ने थाईलैंड, इण्डोनेशिया और मलाया की यात्रा की। महत्वपूर्ण समुद्री प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ये यात्राएं भारत और उसके पड़ोसियों के मध्य मित्रता के सम्बन्धों को दृढ़ करती हैं।

काश्मीर और कोरिया

यहां भारतीय सेना के उन रणबांकुरों का उल्लेख करना असंगत न होगा जो कठिन परिस्थितियों में जम्मू और काश्मीर की युद्धबन्दी-सीमा पर पहरा दे रहे हैं, और उस दूसरे दल की भी चर्चा करनी आवश्यक है जो 'दि फील्ड एम्बुलेंस' के नाम से

रोग और बीमारियों से युद्ध कर रही है और सुदूर कोरिया में युद्ध से पीड़ित सैनिकों और नागरिकों की समान रूप से सेवा कर रही है। पिछले दल को अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है और कई पारितोषिकों के प्रदान करने से उनके कार्य को उपयुक्त सराहना भी मिल चुकी है इनमें दल के संचालक अधिकारी को अमेरिका का 'मेरिटोरियस यूनिट साइटेशन' और महावीर-चक्र भी सम्मिलित है।

भूतपूर्व सैनिक

साधारणतः भूतपूर्व सैनिक कार्य-निवृत्त होने पर अपने गांव लौट जाते हैं और अपने पुराने व्यवसाय अपना लेते हैं। तो भी उनमें से अधिकांश को नए सिरे से जीवन आरम्भ करना पड़ता है। इसलिए देश का यह कर्त्तव्य है कि वे उचित रूप से संस्थापित कर दिए जाएं और उनके प्रशिक्षण तथा अनुभव का समाज के हित में उपयोग होता रहे।

तदनुसार सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनः संस्थापन के लिए योजनाएं तैयार की हैं। इनको पांच श्रेणियों में बांट सकते हैं: सरकारी अथवा वैयक्तिक सेवा में नियोजन, भूमि पर संस्थापन, व्यावसायिक अथवा प्राविधिक तथा उद्योग प्रशिक्षण, परिवहन संगठनों का निर्माण और छोटे पैमाने पर उद्योगों का संगठन।

इनमें आदर्श कृषि उपनिवेशों की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे न केवल भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के संवर्धन में सहायता मिलेगी, बल्कि सहकारी कृषि का उद्देश्य भी आगे बढ़ेगा।

सूचना और प्रसार

एक लोकतन्त्र राज्य में सरकार की नीतियों, निर्णयों और गति-विधियों के निर्वचन और प्रचार की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में प्रचार लोक-प्रिय शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के प्रचार-कार्य के लिए उत्तरदायी सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ऑल इण्डिया रेडियो, पत्र-सूचना विभाग, प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवीजन, विज्ञापन परामर्शदाता शाखा और रिसर्च एण्ड रेफ़ेंस डिवीजन द्वारा अपना कार्य करता है।

आम चुनाव

१९५१-५२ में इतिहास के लोकतन्त्रात्मक मताधिकार के महानतम अभ्यास के लिए मतदाताओं को शिक्षित करने के हेतु एक बड़ी मात्रा में प्रचार-कार्य करना पड़ा।

ऑल इण्डिया रेडियो ने इसके लिए एक वार्ता-माला का भी प्रबन्ध किया ताकि मतदाताओं को लोकतन्त्रात्मक देश में चुनाव का महत्व समझाया जा सके तथा लोकतन्त्र के आधार-भूत सिद्धांतों और वयस्क मताधिकार, चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता-सूची की तैयारी, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदि की व्याख्या की जा सके। ये वार्ताएं केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि ऑल इण्डिया रेडियो के सभी स्टेशनों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित की गई। इसके बाद चुनाव के तन्त्र पर भी वार्ताएं हुईं (उदाहरणतया मतपेटिका, मतदान प्रक्रिया और अनुचित व्यवहार के रोकने के तरीके, आदि)।

चुनावों के परिणामों की घोषणा सभी केन्द्रों से की जाती थी। प्रादेशिक केन्द्र अपनी स्थानीय घोषणाओं में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के मतदान-आंकड़े भी देते थे। आॅल इण्डिया रेडियो के केन्द्रीय सूचना प्रकोष्ठ से प्रसारित मुख्य समाचार बुलेटिनों में दिनभर के परिणामों का विवरण भी रहता था। दूसरी ओर प्रेस तथा समाचार अभिकरणों की सहायता के लिए पत्र-सूचना विभाग मुख्य चुनाव आयुक्त से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चुनाव के परिणामों का नवीनतम विश्लेषण भी भेजता रहा। इससे राज्य और केन्द्रीय विधान मण्डलों में दलों की नवीनतम स्थिति, उम्मीदवारों का दलों से सम्बन्ध और मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती थी।

चुनावों के बारे में ही दो नए फिल्म भी तैयार किए गए। एक का नाम 'अधिकार और उत्तरदायित्व' और दूसरे का 'डेमोक्रेसी इन एक्शन' (क्रियाशील लोकतन्त्र) था। इसे राज्य सरकारों की चलती-फिरती सिनेमा-गाड़ियों और चलते-फिरते सिनेमाओं के अतिरिक्त फिल्म डिवीजन की सूची के ३,१९७ व्यापारिक सिनेमाओं में भी प्रदर्शित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रार्थना पर 'डेमोक्रेसी इन एक्शन' की ७२० प्रतिलिपियों को नौ भाषाओं में वितरित किया गया और मूल्य की अदायगी पर राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को भी इसकी कापियां देने की सुविधाएं दी गईं।

प्रकाशन विभाग ने "मतदाता के रूप में आपके अधिकार" पुस्तिका भी प्रकाशित की जिसमें मतदाता के अधिकारों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, स्थानों की सुरक्षा और मतदान की

प्रक्रिया आदि की व्याख्या की गई थी। पत्र-सूचना विभाग ने अंग्रेज़ी तथा ६ भारतीय भाषाओं में चुनाव-तन्त्र सम्बन्धी एक लेखमाला जारी की, जिसका समाचार-पत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया गया।

ऑल इण्डिया रेडियो

ऑल इण्डिया रेडियो का कार्य बढ़ता ही गया और प्रसारण के घण्टे ७३,०७२ तक पहुँच गए जब कि सन् १९४७ में यह संख्या ३६,३६४ और १९५० में ६४,५२६ थी। इसमें १६,६१० घण्टे शास्त्रीय संगीत और वार्ता आदि के, तथा २४,७२६ घण्टे सूचना के थे। इस समय गृह सेवाओं द्वारा संस्कृत समेत १७ भाषाओं और १२ बोलियों में प्रसारण होता है। वैदेशिक सेवाओं में चीन की दो बोलियों सहित १३ भाषाओं में प्रसारण होता है। ऑल इण्डिया रेडियो में समाचार-प्राप्ति के वैदेशिक साधनों के विस्तार के मार्ग में वित्तीय कठिनाइयां हैं।

वर्ष की समाप्ति तक नित्य ७२ समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे: ४३ देश के श्रोताओं के लिए और २९ विदेशों के श्रोताओं के लिए।

चुनाव के दिनों में अपनी सूचनाओं के अन्दर ऑल इण्डिया रेडियो पूर्णतया निष्पक्ष और द्रष्टामात्र रहा।

शास्त्रीय संगीत और हिन्दी

हिन्दी और शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए ऑल इण्डिया रेडियो ने और क़दम उठाए।

अहिंदी भाषी क्षेत्रों के केन्द्रों तथा तामिल और गुजराती भाषी भारतीयों के लिए वैदेशिक सेवाओं में, नियमित रूप से प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा हिन्दी के पाठ का प्रसारण जारी रहा। हिंदी समाचार बुलेटिनों के प्रसारण से भी उनको इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिली।

वर्ष पर्यन्त त्रावन्कोर-कोचीन, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के स्कूलों में रिसीवर लगाने और उनका भार वहन करने की योजनाएं तैयार थीं। निधि के अभाव के बावजूद शैक्षणिक प्रसारणों को त्रावन्कोर-कोचीन तक विस्तृत कर दिया गया और अन्य दो राज्यों में भी शीघ्र ही आरम्भ हो जाने की संभावना है। मध्यप्रदेश और आसाम में भी कुछ रिसीवर लगाए गए। १९५१ में ऐसे स्कूलों की संख्या, जहां रेडियो थे, गत वर्ष से ५० प्रतिशत बढ़ गई।

वर्ष पर्यन्त एक हजार से अधिक रेडियो लगे। इस समय ४,६०० सामुदायिक रेडियो कार्य कर रहे हैं जिनमें से २५० औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं।

वर्ष पर्यन्त अरबी सेवा में प्रातःकालीन दो प्रोग्राम बढ़ाए गए और बच्चों के साप्ताहिक प्रोग्राम की वृद्धि करके अफगान सेवा का क्षेत्र विस्तृत किया गया। नवम्बर १९५१ में यूरोप के लिए एक नियमित सेवा का उद्‌घाटन वैदेशिक सेवाओं में महत्त्वपूर्ण विकास था। २४ घण्टे प्रसारण करते हुए वैदेशिक सेवा विभाग १२ विभिन्न भाषाओं में नित्य २१ घण्टे समुद्र-पार के श्रोताओं के लिए प्रसारण करता है।

नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों ने एशियाई देशों के रेडियो श्रोताओं और प्रसारण संगठनों के साथ सम्पर्क बढ़ाने का सुन्दर अवसर प्रदान किया। उनके प्रतिनिधियों को, राष्ट्रीय क्रीड़ांगन की दैनिक घटनाओं की सूचना देने की ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रस्तुत की गई रेडियो सुविधाओं का लाभ भाग लेने वाले ११ देशों में से ६ ने उठाया।

एक उत्साहजनक चिन्ह विदेशी प्रसारण-संगठनों का अपनी गृह सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोग्राम सामग्री तथा रिकार्डों की उपलब्धि का ऑल इण्डिया रेडियो से प्रार्थना करना था। कुछ प्रार्थनाएँ विशेष समारोह के रिकार्ड किए हुए प्रोग्रामों के बारे में थीं और कुछ विनिमय के आधार पर नियमित रूप से प्रसार-सामग्री के परिवर्तन की थीं। पहली प्रार्थना मान ली गई और वैदेशिक सेवा विभाग द्वारा भारतीय संगीत, वार्ता आदि के अच्छे रिकार्ड इंगलैंड, लंका, जापान, इण्डोनेशिया, जर्मनी, स्वीडन, टर्की, कनाडा और आस्ट्रेलिया भेजे गए।

घरेलू रेडियो लाइसेंस की संख्या, जो १९५० के अन्त तक ५ लाख के लगभग थी, १९५१ के अन्त में ६ लाख से भी बढ़ गई। क्योंकि रेडियो प्रणाली में कुछ परिवर्तनों से जनता को कुछ असुविधा उठानी पड़ी थी, इसलिए लाइसेंस पुनः चालू कराने में हुई देरी के सम्बन्ध में विशेष रियायतें दी गईं :

वर्ष पर्यन्त, (१) क्रिकेट का आँखों देखा हाल, (२) स्त्रियों के प्रोग्राम, और (३) बच्चों के प्रोग्राम के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए निदर्शन-पर्यवेक्षण किए गए।

अक्तूबर १९५१ में समाप्त होने वाले वर्ष में श्रोताओं के पत्रों की संख्या २४०,००० के लगभग थी।

लगभग ७५ विभिन्न प्रसारणों को, जिनका योग करीब २४ प्रसारण घण्टे प्रतिदिन होता था, मानीटर किया गया।

जेनेवा सम्मेलन

विश्व के प्रसारण करने वाले तीन प्रमुख देशों में से एक होने के नाते अगस्त और दिसम्बर १९५१ के मध्य जेनेवा में प्रशासनिक रेडियो के असाधारण सम्मेलन में ऑल इण्डिया रेडियो ने प्रतिनिधि भेजे।

आयोजन

नवम्बर १९५१ में हुई भारत में प्रसारण-विकास की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि एक प्रायोगिक टेलीविज़न केन्द्र स्थापित किया जाय। इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के लिए सुझाव तैयार किए जा रहे हैं।

आयोजन कमीशन के परामर्श से भारत में प्रसारण-विकास की ऑल इण्डिया रेडियो की योजना को संशोधित किया गया। यह नई योजना देश के सभी भागों के सम्बन्ध में है और सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय की स्थायी परामर्शदात्री समिति ने इसका अनुमोदन कर दिया है। शीघ्र ही इसके अन्तिम रूप में आ जाने की सम्भावना है।

पत्र सूचना विभाग

१९५१ में इस विभाग ने ६,१६७ पत्र-विज्ञप्तियाँ जारी कीं जिनमें मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा जारी की गईं १,८६८ विज्ञप्तियाँ भी हैं। इनके अतिरिक्त २३० सरकारी प्रकाशन, प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन आदि भी जारी किए गए। वर्ष पर्यन्त ९८ सचित्र विशेष लेख भी जारी किए गए। इनमें से ३१ लेख गणराज्य-दिवस और स्वतन्त्रता दिवसों पर प्रकाशन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे। विभाग ने ३८ प्रेस सम्मेलनों का भी आयोजन किया।

२४७ सम्मेलनों और बैठकों के सम्बन्ध में प्रेस के लिए सूचना और फोटोग्राफ भेजने का प्रबन्ध भी किया गया। इनमें से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तःसरकारी सम्मेलन थे। विश्वशक्ति सम्मेलन और नहरों तथा सिंचाई के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अवसरों पर समाचार पत्रों के परिशिष्टांकों के लिए विशेष लेखों और फोटोग्राफों की व्यवस्था की गई। अपनी वैदेशिक सेवाओं के लिए ऑल इंडिया रेडियो और वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय की भारतीय सूचना सेवाओं को सामग्री उपलब्ध कराई गई। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रदर्शिनी के सम्बन्ध में दिल्ली तथा बम्बई में सम्मेलन के सत्रों के अवसर पर समाचारपत्रों को सूचना और फोटोग्राफ भेजने की व्यवस्था भी की गई।

वर्ष पर्यन्त ५ दिसम्बर से १८ दिसम्बर तक नई दिल्ली और कलकत्ता में हुए अन्तर्राष्ट्रीय अंक-विज्ञान सम्मेलन, चीनी

सांस्कृतिक मिशन, नेपाल नरेश और अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया तथा बर्मा के प्रधान मंत्रियों की यात्राओं, जापान की शांति सन्धि के प्रति भारत के रुख, बिहार के अकाल, भूमि-सेना आदि का विशेष प्रचार किया गया। सभी माध्यमों द्वारा खाद्य और कृषि के प्रचार की योजना बनाने के लिए एक विशेष प्रचार-एकक स्थापित किया गया।

भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों से फोटोग्राफों की मांग बढ़ती ही रही। विभाग में काम करनेवाले फोटोग्राफरों ने ६७८ स्टिल और ४१६ चलचित्र के कार्यों को अलग से पूरा किया। भारत में १,५१० फोटोग्राफों की ३६,१२६ प्रतिलिपियां समाचारपत्रों को वितरित की गईं। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों और विदेशों से आनेवाले संवाददाताओं की प्रार्थना पर नियमित डाक सूची के अतिरिक्त फोटोग्राफों की १६,४२१ प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई गईं। समुद्रपार के प्रेस को वितरण करने के लिए वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय की भारतीय सूचना-सेवाओं के डाइरेक्टर द्वारा ५१ विदेश-स्थित केन्द्रों को ५२,८२३ प्रतिलिपियां भेजी गईं। इसके अतिरिक्त विभाग की लाइब्रेरी में ४,७६७ नए फोटोग्राफों की वृद्धि हुई, जहां अब ३०० वर्गीकृत विषयों पर ३६,००० फोटोग्राफ हैं। प्रदर्शन कार्यों के लिए वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय की भारतीय सूचना सेवा के डाइरेक्टर को प्रदर्शनी आकार के १,००० भारतीय विषयों के फोटोग्राफों की सीमित संख्या उपलब्ध कराई गई।

विदेशों से आनेवाले संवाददाताओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। जिनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई उनमें

अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बर्मा, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, नारवे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, इंग्लैंड और अमेरिका के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के आनेवाले सम्पादक तथा संवाददाता, टेलीविजन और प्रसारण कम्पनियों तथा सूचना और विशेष लेख अभिकरणों के प्रतिनिधि, प्रसारक, अखबारों में लेख लिखने वाले और प्रामाणिक चलचित्र उत्पादक भी थे।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग का कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन, विक्रय और वितरण का है।

इस वर्ष अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, तामिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगला और मलयालम में ८४ पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अरबी की ८ पत्रिकाओं के ९० अंक प्रकाशित किए गए और भारत तथा बाहर के ४१ देशों में वितरित किए गए। 'विश्वदर्शन' और 'आई० एण्ड एस०' बुलेटिन का प्रकाशन बन्द कर दिया गया; प्रथम को बचत के लिए और दूसरे को वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के कहने पर।

'इण्डियन आर्ट् थ्रू दि एजेस्' की ३,००० प्रतियां करीब ६ सप्ताह में ही बिक गईं। 'दि हैण्ड बुक आफ इण्डिया' की लगभग २०,००० प्रतियां ९ महीने के भीतर ही बिक गईं। भारत, लंका, बर्मा तथा दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य देशों में

'बुधिस्ट श्राइन्ज इन इण्डिया' पुस्तिका का हार्दिक स्वागत हुग्रा। 'ग्रावर नैशनल सॉन्स', 'सिन्स इण्डिपेण्डेन्स', 'दि फोर्थ इयर', ग्रौर 'दि फ़ाइव इयर प्लान—ए शार्ट इन्ट्रोडक्शन', बहुत लोकप्रिय हुए।

वर्ष पर्यन्त पुस्तिकाग्रों की एक माला का सम्पादन ग्रौर उत्पादन भी कार्य-क्रम में रहा। ये पुस्तिकाएं भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की गतिविधियों के बारे में थीं ग्रौर इनमें 'दि फाइव इयर प्लान' के हिन्दी ग्रौर उर्दू ग्रनुवाद भी सम्मिलित है। पर्यटकों के यातायात संवर्धन के लिए 'पैनोरमा ग्राफ़ इण्डिया' ग्रौर 'काश्मीर कालिंग' (द्वितीय ग्रावृत्ति) प्रकाशित किए गए। ऐसे मन्त्रालयों की संख्या, जिनके लिए इस विभाग ने प्रकाशन किए, कुल मिलाकर ६ है।

ग्रनेक साधनों द्वारा प्रकाशनों की बिक्री के प्रयास किए गए। समस्त भारत में हुई महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियों में बिक्री ग्रौर प्रदर्शन के लिए दुकानों की व्यवस्था की गई। विभाग ने भारत ग्रौर विदेशों में पुस्तिकाग्रों की ६००,००० प्रतियां ग्रौर पत्रिकाग्रों की ४७५,००० प्रतियां वितरित कीं।

इस वर्ष ४१ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन जारी किए गए जिनमें ८ हिन्दी में थे।

फिल्म डिवीजन

विविध विषयों पर ग्रनेक प्रमाणित फिल्म बनाए गए। वर्ष में विस्फोटकों सम्बन्धी 'छिपे खतरे', ग्रौर भारत के चुनाव संबन्धी

'डेमोक्रेसी इन एक्शन' जैसे कई सूचना और शैक्षणिक फिल्म बनाए गए। 'अपने देश को जानो' माला में, जो पहले आरम्भ की गई थी, इस वर्ष तीन अन्य फिल्म भी बनाए गए : हिमाचल प्रदेश, राजस्थान माला ३, और वर्डेन्ट द्वीप (अन्दमान और निकोबार द्वीप)। इनके अतिरिक्त पड़ोसी देशों पर छोटे-छोटे सूचना-फिल्म बनाने का कार्य भी आरम्भ किया गया। इस वर्ष नेपाल पर एक फिल्म बनाया गया।

कृषि और खाद्य सम्बन्धी फिल्मों में भारत की वन-सम्पदा सम्बन्धी फिल्म, खाद्य समस्या सम्बन्धी प्रामाणिक फिल्म और कुक्कुट पालन, मधुमक्षी पालन और शाकसब्जी उत्पादन जैसे सहायक व्यवसायों सम्बन्धी फिल्में उल्लेखनीय हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चेचक और परिचर्या पर फिल्म बनाए गए।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सम्बन्ध रखनेवाले फिल्मों में प्रादेशिक सेना सम्बन्धी एक प्रामाणिक फिल्म, नैशनल डिफेन्स एकेडेमी सम्बन्धी एक फिल्म तथा वायु और नौसेना बलों पर फिल्म बनाए गए।

उत्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी दो फिल्म बनाए गए : एक उपनगरों के बारे में और दूसरा उत्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा ऋण के बारे में।

सच्चे व्यापार, नागरिक भावना, छोटी-बचत-योजना, अनुशासन और सामाजिक सुरक्षा के बारे में उपदेशात्मक फिल्म बनाए गए। इनके अतिरिक्त महाबलीपुरम् और हाम्पी के बारे में दो पुरातत्व-विषयक फिल्म बनाये गए।

सम्बद्ध राजकीय सरकारों के सुझाव पर मध्य भारत और मैसूर के उद्योगों के बारे में फिल्म बनाये गए।

प्रामाणिक फिल्मों के निर्माण में निजी निर्माताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए और प्रयत्न किए गए। गत वर्ष शॉट फिल्म गिल्ड को पांच प्रामाणिक फिल्म बनाने का कार्य सौंपा गया था। 'योग्यता प्रथम' नाम का केवल एक फिल्म ही बना। निजी निर्माताओं को नए विषयों पर अनेक फिल्म बनाने का कार्य सौंपा गया।

२६ फरवरी, १६५२ को समाप्त होनेवाले वर्ष में ३६ प्रामाणिक फिल्म बनाए गए।

सूचना फिल्म निरन्तर प्रति सप्ताह जारी किए जाते रहे। सामान्य रुचि की और बातें जोड़ने का प्रयास किया गया। विदेशी सूचना-फिल्म-निर्माताओं के साथ दो-तरफा प्रबन्ध के परिणामस्वरूप सूचना-फिल्मों के निर्माण में एक विदेशी उपविभाग भी खोला गया।

गैर-व्यवसायी प्रदर्शन के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को वैदेशिक प्रचार के लिए प्रामाणिक फिल्मों की अनुमोदित प्रतिलिपियां और सूचना-फिल्मों के मासिक संस्करण भेजे गए। ३१ मार्च, १६५२ को डाक सूची पर मिशनों की संख्या ३६ थी। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रामाणिक फिल्मों और सूचना फिल्मों को टेलीविजन द्वारा प्रदर्शित किया गया। इण्डोनेशिया, बहरीन, पूर्वी अफ्रीका, मौरीशस, मदागास्कर, मोगादिसियो, वैस्टइण्डीज,

फीजी, लंका, बर्मा और सिंगापुर सहित मलाया के साथ व्यावसायिक सूत्रों द्वारा प्रामाणिक फिल्मों के वितरण की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया। तीन विदेशी सूचना फिल्म कम्पनियों के साथ एक दोतरफ़ा समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत उनके सूचना फिल्मों में निगमन के लिए सूचना फिल्मों की चुनी हुई सामग्री भेजी जाती है।

फिल्म डिवीजन द्वारा बनाए गए अनेक प्रामाणिक फिल्म कैनीज, वेनिस, एडेनबरा, साल्सबर्ग, कार्लोवी वेरी, बर्लिन, साउथ पौलो, और हेग में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म-समारोहों में प्रदर्शित किए गए। १९५१ के वैज्ञानिक और प्रामाणिक फिल्मों के दूसरे समारोह के लोकवार्ता और दृश्यावली विभाग में 'राजस्थान सीरीज १ : जयपुर' को प्रथम पुरस्कार मिला। एडेनबरा में 'राजस्थान सीरीज २ : मेवाड़' और 'केव टेम्पल्स आफ इण्डिया सीरीज १ : बुधिस्ट' को भाग लेने का प्रमाणपत्र दिया गया। वेनिस में 'स्टोरी आफ स्टील', 'ऐक्सेन्ट आफ एशिया', 'पावर फार टुमारो' और 'बाइटल लिंक' को ऐसे ही प्रमाणपत्र दिए गए। लन्दन की रायल फोटोग्राफिक सोसाइटी द्वारा 'वाइटल लिंक' को बोलपट बनाने के लिए भी चुना गया।

२४ जनवरी, १९५२ को बम्बई में भारत तथा एशिया में अपने ढंग के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया। समारोह में २३ देशों ने भाग लिया और ५९ फीचर फिल्म और ९६ छोटे फिल्म दिखाए गए। इनमें १३ भाषाओं के प्रामाणिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक फिल्म, गुड़िया फिल्म और बच्चों के फिल्म भी थे। समारोह में भाग लेने वाले अनेक देशों

ने अपने प्रतिनिधि भी भेजे थे। समारोह दो सप्ताह तक बम्बई में हुआ और फिर एक-एक सप्ताह मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में हुआ।

विज्ञापन परामर्शदाता शाखा

१९५१–५२ में ६,४३० बार विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। इन विज्ञापनों ने १४२,००० कालम इंच स्थान घेरा। ये विज्ञापन २६३ समाचारपत्रों और पत्रिकाओं (१९१ भारतीय भाषाओं के और ७२ अंग्रेजी भाषा के) में प्रकाशित हुए।

इस शाखा में बनाए गए सभी भाषाओं के पोस्टरों की मुद्रण संख्या २२१,२०० थी। समस्त भारत में प्रदर्शन के लिए तैयार किए गए सिनेमा स्लाइडों की संख्या ७५० थी। फोल्डरों, ब्लाटिंग पेपरों, कैलेण्डरों आदि की कुल संख्या वर्ष पर्यन्त ५३७,००० रही। इस संख्या में छपे हुए और छप रहे दोनों ही सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट का विज्ञापन करने वाले २०,०००,००० दियासलाई के लेबिल भी तैयार किए गए।

वर्ष पर्यन्त चलाए गए प्रमुख आन्दोलनों में से 'अधिक अन्न उपजाओ', पर्यटन, राष्ट्रीय बचत, प्रादेशिक सेना और प्रतिरक्षा, नियोजन सेवा, राजकीय कर्मचारी बीमा योजना, कारखानों में सुरक्षा, काश्मीर-प्रचार आदि हैं।

रिसर्च रेफरन्स डिवीज़न

औपचारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त रिसर्च एण्ड रेफरेंस डिवीजन ने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन प्रकाशित होने वाली पुस्तिकाओं और पत्रों के लिए गवेषणा-सामग्री एकत्र और आदेशित की। डिवीजन ने एक सूचीपत्र-निर्देशन-संग्रह का कार्य भी अपने हाथ में लिया है।

राज्य

१. भाग 'क'

खाद्य और कृषि

आसाम

कृषि विभाग ने कई गवेषणा-योजनाओं को कार्यान्वित किया जिनमें से महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्बन्ध दालों, शीतकालीन धान, गन्ना, कपास, सुपारी और पटसन से है। पौधों को उगाने और शुद्ध बीजों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किए गए और खाद, मिट्टी, विनाशकारी कीटों तथा पौधों की बीमारियों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल शुरू की गई। पशुधन, मुर्गी-पालन, बकरी-पालन, दुग्धशाला सम्बन्धी कार्यों, मिश्र-खाद की तैयारी आदि पर भी काम हुआ। इस विभाग ने सांडों, दूध और दूध से बनी वस्तुओं, बीज, पौधों तथा खाद के वितरण का भी प्रबन्ध किया।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य में १६ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। तीन समूहों में पूर्णता के लिए कुल ४७ सिंचाई की बड़ी योजनाओं को चुना गया। इनसे ३५६,५०० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा। इस वर्ष ४२६ सिंचाई की छोटी योजनाएं पूर्ण हुईं, जिनसे १३६,८२८ एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा। मार्च सन् १६५२ तक बिजली से

संचालित पम्पों से ५,७३५ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और इससे ३,८०० टन चावल की अतिरिक्त उपज हुई।

तालाब खोदने, कुएं बनाने, सड़कें बनाने और पुस्तकालय तथा स्कूल खोलने के लिए आत्म-निर्भरता-निधि से २५०,००० रुपयों को वितरित किया गया। बुनाई, कताई आदि कुटीर उद्योगों को संगठित करने के लिए इस निधि से सहायता दी गई। केन्द्र से नागा जन-जातियों में वितरणार्थ आत्म-निर्भरता सम्बन्धी सहायता के रूप में १,०००,००० रुपये मिले।

मिस्सामारी स्थित सहकारी बस्ती में, जिसका निर्माण आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत हुआ है, काम जारी रहा। देहात विकास विभाग ने एक आदर्श फ़ारम यहां और एक जयसागर स्थित देहात पॉलीटेक्नीक में संगठित किया। इस वर्ष २२ ग्राम पंचायतें और १७२ आरम्भिक पंचायतें कायम की गईं और इस प्रकार पंचायतों की कुल संख्या ५१ हो गई। स्थापित ग्राम-पंचायतों ने राष्ट्र निर्माणकारी कार्य जारी रखे, यथा पीने के पानी की उपलब्धि में सुधार, सड़क निर्माण, स्कूल, दवाखाने, पुस्तकालय और देहात निवासियों के लिए स्वास्थ्य तथा सामाजिक शिक्षा विषयक केन्द्रों को खोलना।

बिहार

सन् १९५१-५२ में बिहार सरकार ने निश्चय किया कि अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी कार्यवाइयों को कतिपत चुने हुए भरपूर खेती योग्य भू-भागों तक सीमित रखा जाए। तदनुसार

कुएं खोदने, नल लगाने, रहट लगाने तथा फास्फ़ेट की खाद के लिए ५० प्रतिशत तक सहायता दी गई। फोर्ड प्रतिष्ठान संस्था द्वारा भी बिक्रम, नौबतपुर और बिहटा क्षेत्र में १०० गांव वाले एक विकास-संवर्ग की स्थापना की गई।

साबौर में पौधों की बीमारियां, विशेषतः अरहर के मुरझाने, धान के दखिना, मक्का के उखड़ा, आलू के रोग 'लेट ब्लाइट' आदि के अध्ययन के लिए एक फफूंदी-शाखा (माईकोलोजिकल सेक्शन) की स्थापना की गई। परिणामतः मिर्चों के लकड़ा रोग, आलू के रोग, धान के दखिना रोग और मक्का के उखड़ा रोग के नियंत्रण के लिए उपाय निकाले गए। दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली दशाओं को देखते हुए गन्ने की खेती से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए पटना में एक गवेषणा-उप-केन्द्र खोला गया। इस प्रकार गन्ने की कुछ अधिक अच्छी क़िस्मों को पैदा किया गया और गेहूं, चना तथा मसूर के रोगों व रोग-कीटों की रोक-थाम के लिए उपाय खोजे गए।

कृषि-विभाग के बाग़बानी, वनस्पति-अध्ययन तथा रासायनिक अध्ययन-केन्द्रों का विस्तार किया गया। विस्तार-प्राप्त बाग़बानी शाखा का कार्य फलों और सब्जियों की खेती की उन्नति करना है। साथ ही, फलों के संरक्षणार्थ एक फल संरक्षण शाखा भी खोली गई। वनस्पति शास्त्र सम्बन्धी शाखा चावल, तिलहन, मक्का, जुआर, खाद्यान्नों तथा दालों के विषय में गवेषणा करती है। इस शाखा द्वारा सुधरे किस्म के धान, गेहूं, जौ, अरहर, चना, मटर, खेसरी, कलई और सरसों आदि का विकास किया गया है। इनमें से कुछ किस्में बाढ़ या सूखा का सामना करने में सक्षम हैं।

रासायनिक अध्ययन शाखा मिट्टी और खाद के सम्बन्ध में गहराई के साथ छान-बीन करती है।

सन् १९५१-५२ में भरपूर खेती वाले क्षेत्रों में ५० प्रतिशत की छूट पर ७६५ रहट और अन्य क्षेत्रों में २५ प्रतिशत की छूट पर २८८ रहट दिए गए। अधिक दिन तक चलने वाले और हलके क़िस्म के रहटों का एक नया नमूना भी निकाला गया।

सरकार ने सहकारी आधार पर ६ इंच व्यास के नल-कूपों (ट्यूब वेल्स) को लगाने के लिए भी इसी प्रकार की रियायतें दीं। इस प्रकार भरपूर कृषि वाले क्षेत्र में २,५७८ और अन्य क्षेत्रों में १,४२३ नल-कूप लगाए गए। इसके अतिरिक्त ८५० पम्पिंग सेट्स का वितरण हुआ; ९५७ बोरिंग भरपूर कृषि क्षेत्र के बाहर लगाए गए और ४२७ छोटे अहार, बांध आदि बनाए गए। इस वर्ष मध्यम श्रेणी की ९० सिंचाई की योजनाएं चालू रहीं।

नगरों में तैयार २३०,००० टन मिश्र-खाद में से ४६,००० टन की बिक्री हुई।

मक्का, अगहनी धान, रबी, आलू, गेहूँ और चने की फसल-प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

पशु धन की वृद्धि की दिशा में भी प्रभावशाली प्रगति हुई। थारपारकर, हरियाना और सहिवाल सांड़ों का प्रबन्ध निःशुल्क किया गया जिससे पशुओं की नस्ल अच्छी बने और उनके दूध की मात्रा व दूध देने की क्षमता बढ़े। वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन

सम्बन्धी प्राविधिक सलाह भी दी गई। २,००० अनुत्पादक पशुओं को रखने के लिए निर्मली और चिपदोहर में शिविर खोले गए।

सन् १९५१-५२ में पटना के आस-पास के महत्त्वपूर्ण गांवों में, शहर के लिए दूध की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, १०० अच्छी नस्ल के सांड़ों को वितरित किया गया। खराब नस्ल के बचाव के लिए ५,१९ रद्दी सांड़ों को बधिया किया गया; गांवों में २९८ अच्छी नस्ल के सांड़ों को वितरित किया गया और ३० और सांड़ों को स्थानीय नस्ल की सुधार के लिए ज़िला बोर्डों और नगरपालिकाओं को दिया गया।

पूसा स्थित इचौर पशु उन्नति फ़ारम, डुमरांव स्थित पशु उन्नति फ़ारम, गया स्थित भेड़ एवं बकरी जात्योन्नति फ़ारम, पटना स्थित केन्द्रीय मुर्गी पालन फ़ारम तथा पूसा स्थित बत्तख पालन फारम—इन सभी में इस वर्ष दृढ़ प्रगति हुई। वर्धा के ढंग पर सदाक़त आश्रम में एक आदर्श गोशाला की स्थापना की गई और ससाराम तथा डेहरी में ऊन की कटाई तथा वर्गीकरण के केन्द्र खोले गए।

डेयरी अथवा दुग्धशाला विकास योजना ने भी संतोषजनक रीति से प्रगति की जिसके परिणामस्वरूप पटना के आसपास कई निजी दुग्धशालाएं खुल गई हैं।

३१ दिसम्बर सन् १९५१ तक राजकीय सहकारी बैंक ने २५,७६७ टन रासायनिक खाद और १२७,८७९ मन खली का

वितरण किया। भरपूर संगठन योजना के अन्तर्गत १,५२६ गाँवों में १,१५३ विविध उद्देश्ययुक्त सहकारी समितियों की स्थापना हुई जिन्होंने ४१,७२६ मिश्र-खाद के गड्ढे खोदे, २,६६४ मन अच्छे बीजों की व्यवस्था की, १,३६८ हैण्डलूम लगाए, ४११ सुधरे किस्म की घानियां लगाईं, ४३ मील की लम्बाई की नालियों की सफ़ाई की, ३६,०६१ व्यक्तियों को टीके लगाए, ५,५१८ पशुओं को टीके लगाए और २,०७६ झगड़े निबटाए। अभी तक सब्जी उगाने वालों की ४५ सहकारी समितियों का भी संगठन हो चुका है।

बुनकरों की सहकारी समितियों की देख-रेख में हैण्डलूम की संख्या सन् १९५० में ८,६०० से बढ़ कर सन् १९५१ में १२,३५६ हो गई। सरकार ने भी हैण्डलूम बुनकर सहकारी यूनियन को ५००,००० रुपयों की सहायता दी।

राज्य की छः विभिन्न जगहों में गन्ने की खेती करने वालों में भी सहकारी ढंग से फ़ारम की स्थापना का प्रयत्न सफल हुआ है। ३१ मार्च, सन् १९५२ को गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों की संख्या ६,५६६ थी। शकर की मिलों को दिए जाने वाले गन्ने का लगभग ४५ प्रतिशत इन समितियों के ज़रिए जाता था।

बम्बई

किसानों को कृषि विस्तार प्रणालियों की शिक्षा देने के उद्देश्य से कैरा जिले में आनन्द नामक स्थान में एक प्रशिक्षण

एवं विकास योजना का आरम्भ किया गया। इसके लिए निधि की प्राप्ति फोर्ड प्रतिष्ठान से हुई। इस वर्ष सरकार ने अच्छे बीजों और खाद का वितरण किया, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए और नई जमीन को खेती योग्य बनाया तथा कृषि विषयक गवेषणा की ओर विशेष ध्यान दिया। चावल, दालों और गन्ने जैसी फ़सलों में सुधार के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की विशेष प्रगति हुई।

टिड्डी दल के खतरे का सामना करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। इसके लिए एक विशेष टिड्डी निरोधक संगठन बना दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एक भी टिड्डी को जीवित न रहने दिया गया और फसल को हानि से बचा लिया गया। सरकार द्वारा आरम्भ की गई सिंचाई की नई योजनाओं के अन्तर्गत नासिक जिले की गंगापुर योजना, सूरत जिले की तापी या काकरापार योजना, कैरा जिले की मेशवा और माही नहर योजना, तथा बेलगाम ज़िले की घाटप्रभा घाटी योजना महत्त्वपूर्ण हैं। नए कुवें और तालाब बनाए गए और पुरानों की मरम्मत की गई। पानी निकालने के लिए सरकार ने किसानों को नक़द भुगतान या 'तगाई' पर तेल के इंजन भी दिए।

अप्रैल सन् १९५१ से अब तक लगभग ३,९०० एकड़ बंजर जमीन को तोड़ा गया है। सन् १९५१-५२ में कृषि विषयक लोहा और इस्पात उपलब्धि योजना के अन्तर्गत कृषि कार्यों के लिए ३३,००० टन लोहा और इस्पात तथा ५२,००० टन सीमेन्ट दिया गया।

सन् १९५१-५२ के उल्लेखनीय एवं महत्त्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत पशुधन के सुधार के लिए एक मूलभूत फ़ारम योजना को स्वीकृति, तथा पशुधन वृद्धि शाखा का पशुचिकित्सा विज्ञान विभाग से कृषि विभाग को हस्तांतरण थे। कई जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति का सामना करने के लिए राहत के उपाय किए गए जिनके अन्तर्गत अभावजन्य परिस्थितियां हटाने के लिए कार्य, 'तगाई' क़र्जों और दातव्य सहायता का वितरण, चारे का वितरण, पीने के पानी का प्रबन्ध आदि थे। अनाज की वसूली का कार्य संतोषजनक रहा और नवम्बर सन् १९५१ से अप्रैल सन् १९५२ के मध्य तक २॥। लाख टन अनाज की वसूली हुई।

बम्बई दुग्ध योजना के अन्तर्गत, जिसने बम्बई में वितरित दूध के ४० प्रतिशत का प्रबन्ध किया, ५ लाख लोगों को शुद्ध, पाश्च्योराइज्ड और बोतल में बन्द दूध उचित दाम पर पहुँचाया गया। लगभग १३,००० पशुओं को शहर से हटा कर आरी दुग्ध-बस्ती में रखा गया।

मध्य प्रदेश

इस वर्ष धान, कपास, गेहूँ, दालों, तिलहन आदि प्रधान फ़सलों पर काफ़ी गवेषणा-कार्य हुआ। कपास-वृद्धि और जंग का सामना कर सकने वाले गेहूँ और खट्टे फलों की क़िस्मों के सम्बन्ध में योजनाओं पर कार्य होता रहा। विभिन्न क़िस्म की मिट्टी, सिंचाई के जल, खादों और उर्वरकों का भी यांत्रिक एवं रासायनिक विश्लेषण किया गया। साथ ही, फ़सलों को हानि पहुँचाने वाले विभिन्न क़िस्म के कीटाणुओं व वनस्पतियों पर भी गवेषणा

की गई। ७ सरकारी प्रयोगात्मक फ़ारमों, १६ बीज तथा प्रदर्शन फ़ारमों और १८ सरकारी प्रदर्शन भू-भागों के द्वारा इन उपायों को किसानों के खेतों में लागू करने की विधि बताई गई। राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए ६७ भरपूर खेती वाले क्षेत्रों में कार्य हुआ। सुधरे क़िस्म के ६ देशी कृषि-उपकरणों के नमूने भी तैयार किए गए।

अक्तूबर सन् १९५१ में अचलपुर में पशु चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत पशु-धन की देख-भाल करने वालों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। कृषि कालेज का विस्तार किया गया जिससे और अधिक लोगों को कृषि-शास्त्र की शिक्षा दी जा सके। कपास के विस्तार तथा कपास और मिट्टी की रक्षा सम्बन्धी प्रतियोगिताओं की योजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया। १७ क्षेत्रों में फसल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सर्वोच्च उपज ३,२०० पौंड प्रति एकड़ हुई। पर्वत एवं समुद्र सीमान्तों पर बांध बनाने तथा पट्टियों में फसल उगाने के कार्यों की देख-रेख के लिए एक भूमि-संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई।

गेहूं और जुआर की उपज वाले क्षेत्रों में चावल की खपत को घटाने के उपाय किए गए जिससे चावल उन क्षेत्रों को भेजा जा सके जहां वह भोजन का प्रधान अंग है। चावल की वसूली को तेज़ और उसके आवागमन तथा मूल्य को नियन्त्रित किया गया। जुआर के लिए वसूला-आन्दोलन चलाया गया और सर्वाधिक मात्रा में उसे देने वाले किसानों और व्यापारियों को पुरस्कृत किया गया। सन् १९५१ में ३०,९७८ टन जुआर की वसूली हुई

जबकि पिछले तीन वर्षों में १,००० टन से भी कम की औसत वसूली हो पाई थी।

राज्य में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि के विकास और पुनरुद्धार की १० योजनाएं, सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों की ७ योजनाएं तथा बीजों की उपलब्धि सम्बन्धी ५ योजनाएं कार्यान्वित होती रहीं। बांध-बन्धियों की मरम्मत व निर्माण तथा ट्रैक्टरों की खरीद के लिए क़र्ज दिए गए। मूंगफली की खली, उर्वरकों तथा धान के बीजों को नक़द तथा तक़ावी के रूप में बांटा गया। ग्राम मिश्र-खाद योजना को भी आगे बढ़ाया गया। ग्राम-पंचायतों को गांवों में मिश्र-खाद तैयार करने में प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिए गए। गेहूं, चावल और जुआर वाले क्षेत्रों में फसल-प्रतियोगिताएं संगठित की गईं। जुआर की प्रतियोगिता में ही ५,०१४ व्यक्तियों ने भाग लिया और ८,००० पौंड प्रति एकड़ तक उत्पादन हुआ।

मद्रास

भरपूर खेती योजना के अन्तर्गत लगभग ६३४ वहनीय तेल से परिचालित पंपिंग सेटों को कुओं से पानी निकालने के लिए रैयत को किराए पर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिलों में १४५ सेट बांटे गए। बड़ी संख्या में किसानों ने स्वयं अपने लिए सेट खरीदे और विभाग द्वारा उन्हें २११ सेट बेचे गए। सन् १९५१-५२ के अन्त तक ४४७ और भी पैट्रोल-चालित सेट बेचे गए और ३० अप्रैल, सन् १९५२ तक ४८५ तेल के इंजन और ११८ बिजली के मोटर वितरित किए गए। राज्य

में ८ केन्द्रों में नदियों से पानी खींचने के लिए पंपिंग मशीनें लगाई गईं।

कुरुवइ-काल में धान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए और धान के परती खेतों में धान की खेती के काल के बाद कपास और मूंगफली की खेती के लिए तन्जोर ज़िले में मार्च सन् १९५२ तक १६ नलकूप लगाए गए। वर्ष पर्यन्त ६१,७५० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया और तुंगभद्रा तथा निचली भवानी योजना क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाने के लिए और अधिक नई भूमि का उद्धार किया जा रहा है। भाड़ा-उधार प्रणाली पर सन् १९५१–५२ में ६ ट्रैक्टर दिए गए। बेलारी और अनन्तपुर ज़िलों में १९,९०० एकड़ से अधिक भूमि की पड़ताल की गई और ४,९१० एकड़ भूमि के उद्धार की स्वीकृति दी गई। इसी बीच फसल के समय के बाद की अवधि में ३,५१० एकड़ भूमि पर सीमान्त-बांध और खाई-निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। सहकारी समितियों के द्वारा रैयत को बैलगाड़ी के टायर, जी० शीट, एम० एस० राउण्ड, कृषि यंत्र आदि कच्चा माल दिया गया।

वर्ष पर्यन्त लगभग ८२,०२७ टन अमोनियम सलफेट, १४,४३९ टन फास्फेटिक उर्वरक, १२,४९० टन से अधिक धान के बीज, ६६३ टन जुआर-बाजरे के बीज और १,३१७ टन हरी खाद बांटी गई। खाद, यन्त्रादि और उर्वरकों की खरीद के लिए १०२·८३ लाख रुपयों से अधिक दिए गए और धान तथा जुआर-बाजरे के सुधरे क़िस्म के बीजों के उत्पादन के लिए ६६,८०० रुपयों का बिना सूद का कर्ज़ दिया गया।

मुंगारी कपास सुधार योजना के अन्तर्गत अडोनी में होने वाले फसल-वृद्धि कार्य के फलस्वरूप '८८१ एफ' क़िस्म के सुधरे हुए कपास के बीज पैदा किए गए और ऐसे बीजों को बड़ी मात्रा में पैदा करने के प्रयत्न सन् १९५१-५२ में जारी रहे। कोयम्बटूर के शीतकालीन फसल के क्षेत्र में उगाण्डा क़िस्म की कपास के बीजों की वृद्धि और वितरण की एक योजना को स्वीकृति दी गई। कृमिनाशकों को सरकारी सहायता-प्राप्ति के कारण घटे हुए दामों में वितरित किया गया जिससे कम्बोडिया कपास की रक्षा कीटों से की जा सके। ३ वर्ष के लिए एक अन्य योजना को स्वीकृति दी गई जिसके अनुसार अधिक से अधिक उपज की प्राप्ति के लिए किसानों द्वारा खेतों में प्रयोग तथा मिट्टी की जांच पड़ताल की जा सके। इस योजना का कुल व्यय अनुमानतः १६०,२२८ रुपये होगा।

उड़ीसा

सन् १९५१-५२ में उड़ीसा के अधिकांश भागों में फसल अच्छी रही है। १५ मार्च, सन् १९५२ तक ७५,४८० टन चावल की वसूली हुई। राज्य सरकार ने निर्यात के लिए ६१,८५० टन निर्धारित किया जब कि केन्द्रीय सरकार की बुनियादी योजना में १००,००० टन का अनुमान रखा गया था।

राज्य सरकार ने राज्य के भीतर अनाज के आने जाने पर रोक को हटा लेने का निश्चय किया। वसूली को अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वोत्कृष्ट कोटि के चावल और धान का मूल्य क्रमशः १ रुपया ९ आना ६ पाई और १ रुपया प्रति मन

बढ़ा दिया गया। खरीद-एजेण्टों के क्रय-स्थानों तक अनाज को पहुँचाने के लिए बुनियादी दामों के अतिरिक्त परिवहन-व्यय के लिए उत्पादकों को ३ आना प्रति मन और भी दिया गया।

पंजाब

सन् १९५१-५२ पंजाब के लिए एक अच्छा वर्ष था। बाढ़, और टिड्डी का खतरा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के होते हुए भी कुल मिला कर वहां की खाद्य-स्थिति सन्तोषजनक रही। इस अवधि में यह सब से अधिक अनाज को बाहर भेजने वाला राज्य था और निर्यात २००,००० टन से अधिक रहा। गेहूँ के अतिरिक्त यहां से ४५,००० टन चावल भी राज्य से बाहर भेजा गया।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई उपायों का अवलम्बन किया। सन् १९५१-५२ में इस मद का कुल खर्च २४,७९२,००० रुपये आया। सन् १९५१-५२ में १,७८३ गांवों के एकीकरण का कार्य चलता रहा। इनका क्षेत्रफल २,०९३,५४८ एकड़ है। इन सभी गांवों में कार्य तेजी से आगे बढ़ा और यह आशा की जाती है कि सन् १९५२-५३ के अन्त तक इस कार्य की पूर्णाहुति हो जाएगी।

काश्तकारों की दशा के सुधार के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए। पंजाब काश्तकार (काश्त-संरक्षण) संशोधन अधिनियम, १९५१, को पास किया गया जिसके अनुसार मालिक द्वारा स्वयं खेती के लिए सुरक्षित रखने वाली भूमि का क्षेत्रफल १००

एकड़ से घटा कर ५० एकड़ सीमित कर दिया गया है। एक अन्य कानून—पंजाब आला मिल्कियत और तालुकदारी अधिकार उन्मूलन कानून, १९५१ भी पास किया गया जिसका सम्बन्ध भूमि विषयक आला मिल्कियत के अधिकारों व उपाधियों के निर्मूलन और मुआवजा देकर अदना मालिक को मिल्कियत के पूरे हक़ देने से है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून को, जिसे २४ जनवरी सन् १९५१ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी, अब लागू कर दिया गया है। सभी ज़मींदारियों को १ जुलाई, सन् १९५२ को राज्य द्वारा हस्तगत कर लिया गया।

वर्ष पर्यन्त अनाज की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पर कुछ पूर्वी जिलों में बाढ़, सूखे और ओले के कारण अभाव की दशा उत्पन्न हो गई। लोगों को राहत देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में १,७५०,००० रुपयों के परीक्षात्मक निर्माण-कार्य आरम्भ किए गए। आर्थिक सहायता, तकावी, कर और लगान में उदारतापूर्वक छूट और सस्ते दामों में अनाज आदि अन्य कुछ उपाय थे।

नई ज़मीन को तोड़ने के लिए किसानों की सहायतार्थ तथा भूमि के पुनरुद्धार के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया। बस्ती जिले में बाण गंगा योजना द्वारा, जिसके द्वारा, २२,००० एकड़

भूमि की सिंचाई हो सकेगी, इस वर्ष के अन्त तक कार्य होने लगेगा। अन्य पूर्वी ज़िलों में भी इसी प्रकार की योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है। बुन्देलखण्ड में कई बांध और जलागार लगभग पूर्ण हो चुके हैं और नई योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है। सिंचाई की सुविधाओं को देने के लिए कई हज़ार बेकार पड़े हुए कुओं की मरम्मत की गई है और कई विभागों तथा निजी तौर पर कृषि में लगे किसानों के लिए पर्शियन कुओं की व्यवस्था की गई है तथा १०० वहनीय पंपिंग यंत्र पूर्वी ज़िलों के किसानों को दिए गए हैं। कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने १०० ट्यूब पहियों को बनाया है जिन्हें कई कुओं में लगाया गया है। वर्षान्त तक ६० से अधिक नल-कूपों का निर्माण हुआ।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में किसानों को बिना सूद के तक़ावी के रूप में ३,७८४,७४६ रुपये और ऋण के रूप में १,३०८,६२८ रुपये दिए गए। हज़ारों मन बीज और खाद भी वितरित की गई। कई फ़सल-प्रतियोगिताएँ हुईं जिनमें लगभग ६,००० किसानों ने भाग लिया। देश में आलू और गेहूँ की प्रति एकड़ सर्वोच्च उपज दिखाने वाले किसान उत्तर प्रदेश के ही थे। उन्हें अखिल भारतीय प्रथम पुरस्कार और कृषि-पंडित की उपाधि दी गई। गन्ना विकास योजनाओं के अन्तर्गत खेती के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ और प्रति एकड़ उपज भी बढ़ी। तीन महत्वपूर्ण नगरों—लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर—में गन्दे नाले के पानी के अधिकांश भाग को सिंचाई के लिए प्रयुक्त करने की योजनाओं को आरम्भ किया गया।

अनाज की वसूली के कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ में लगभग ५ लाख टन अनाज की वसूली हुई। राज्य में कार्यान्वित होने वाली ५ मार्ग प्रदर्शक योजनाओं की प्रगति अच्छी रही। विभिन्न क्षेत्रों में ६ और भी सामुदायिक योजनाओं के संचालन के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। राजपूताना के रेगिस्तान को राज्य की ओर बढ़ने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर भूमि की एक लम्बी पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न हो रहा है।

पश्चिमी बंगाल

सरकार ने छोटे क्षेत्रों में बीज, खाद इत्यादि बांटने का निश्चय किया। ६४ सिंचाई की छोटी योजनाएं, जिनसे २'८२ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा, पूर्ण हुई और ५७१ अन्य योजनाओं का कार्य आरम्भ हुआ। साथ ही, ४६१ तालाब खोदे गए, और उनसे २२,९०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

पटसन का उत्पादन ८'७६ लाख गांठ से बढ़ कर २३'३ लाख गांठ हो गया। यह उस लक्ष्य से अधिक था जो पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था।

कुल २'३५ करोड़ आबादी में से ७१ लाख को अनुविहित राशन-व्यवस्था द्वारा और २६ लाख को संशोधित राशन-व्यवस्था द्वारा अनाज मिलता है, अर्थात् पश्चिमी बंगाल में प्रति ४ व्यक्तियों में से १ व्यक्ति राशन-व्यवस्था से संलग्न है।

राज्य में मौसम की प्रतिकूल दशाओं के कारण अनाज की भारी कमी रही। इस प्रकार राज्य की आवश्यकता ८·५ लाख टन थी जिसमें से ६·०४ लाख टन केन्द्रीय सरकार ने दिया।

शिक्षा

आसाम

सन् १९५१–५२ में ५५ क्षेत्रों तक अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा का विस्तार किया गया। माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के तीन नार्मल स्कूलों में हिन्दी के लिए कई शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। एक अन्य केन्द्र का भी आरम्भ किया गया जहां प्रति वर्ष ५० शिक्षकों को १० महीने तक का हिन्दी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

५ बुनियादी शिक्षा केन्द्र, जिनके अन्तर्गत दो उच्च वर्गीय और ८५ जूनियर बुनियादी स्कूल हैं, अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इन केन्द्रों में फरवरी सन् १९५२ में ९८ शिक्षकों ने शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा केन्द्रों के आस-पास स्थित आरम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों के रूप में बदल देने के लिए चुना गया। इन बुनियादी स्कूलों में पढ़ाने के लिए पुस्तकों आदि की तैयारी का भार एक विशेष अधिकारी को दिया गया। सन् १९५१–५२ में बुनियादी शिक्षा पर ४८१,००० रुपये व्यय किए गए।

वर्ष पर्यन्त जन-जातियों की शिक्षा के लिए अधिकाधिक ध्यान दिया गया। जन-जाति क्षेत्रों में स्थित गैर-सरकारी माध्य-

मिक स्कूलों के लिए २०,००० रुपये वितरित किए गए और १०,००० रुपयों की एक अन्य राशि योग्य जन-जातीय विद्यार्थियों को वजीफे देने के लिए निर्धारित की गई। ५३,००० रुपये विभिन्न ऐसे विद्यार्थियों को दिए गए जो पार्वत्य प्रदेशों में रहने वाली जन-जातियों के विद्यार्थी थे और उनके लिए संचालित ७३ माध्यमिक स्कूलों को संचालन-सहायता के रूप में ५५,००० रुपये दिए गए। उक्त स्कूलों में शिक्षा कार्य करने के लिए प्रति वर्ष ४० शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ३३,४३३ रुपयों के खर्च से शिवसागर जिले में स्थित टीटाबाग बुनियादी-प्रशिक्षण संस्था खोली गई। विभिन्न जन-जातियों में से आने वाले शिक्षणार्थियों का पहला जत्था सन् १९५२ में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकेगा और उसी वर्ष से वह माध्यमिक स्कूलों में काम में लग जाएगा।

इस वर्ष शिक्षकों को सामाजिक शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम देने के लिए ८०० केन्द्र और १० प्रशिक्षण शिविर खोले गए। देहाती पुस्तकालयों की संख्या ३१२ से बढ़ कर ४०० हो गई।

बिहार

सन् १९५१-५२ शिक्षा की दृष्टि से बिहार के लिए एक महत्त्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष पटना और बिहार के दो नए विश्व-विद्यालय खुले, नालन्दा पालि संस्था और मिथिला संस्कृत संस्था की स्थापना हुई, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् और संगीत, नृत्य तथा नाट्य विषयक बिहार एकेडेमी का आरम्भ हुआ और प्रथम बुनियादी शिक्षा कालेज तथा प्रथम महिला ट्रेनिंग कालेज की

स्थापना हुई। माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए नया विषय-संवर्ग और नया पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया। संशोधित पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा और कतिपय व्यावसायिक विषयों की विशेष शिक्षा में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया।

बम्बई

सरकार ने शिक्षा पर १२ करोड़ रुपये अर्थात् अपने कुल बजट का लगभग पांचवां भाग व्यय किया। सन् १९५१–५२ के आरम्भ में इस राज्य में शिक्षा संस्थाओं की कुल संख्या ४०,११० और विद्यार्थियों की कुल संख्या ४,१७७,७२३ थी।

सन् १९५१–५२ में उन २० जिलों में, जो एकीकरण के परिणामस्वरूप बम्बई के अन्तर्गत आ गए थे, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार हो चुका था। इस योजना के अन्तर्गत वे सभी कस्बे और गांव आ जाते थे जहां की आबादी १,००० या उससे अधिक थी और वे सभी बच्चे आ जाते थे जिनकी आयु ७ से ११ वर्ष के बीच थी। बम्बई राज्य में सम्मिलित क्षेत्रों में लगभग १०० नए प्राइमरी स्कूल खोले गए। अभी तक १४४ बुनियादी स्कूल आरम्भ किए जा चुके हैं और लगभग २,७०० स्कूलों से भी अधिक में कला-कौशल की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए आरम्भिक और पोस्ट-ग्रेजुएट बुनियादी शिक्षा कालेज भी खोले गए हैं। आरम्भिक शिक्षा के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की वेतन-दर २५–४० रुपये से बढ़ा कर ४०–६० रुपये प्रति मास कर दी गई है। मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते इसके अतिरिक्त हैं।

पहले की मैट्रिकुलेशन परीक्षा को हटा कर उसके स्थान पर अब माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा रखी गई है जिसके अन्तर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद पर विशेष बल दिया जाता है। माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतन वही कर दिया गया है जो गवर्नमेंट स्कूलों के शिक्षकों को दिया जाता है। अधिक अच्छे दिशा-निर्देश और सम्बन्ध स्थापन की दृष्टि से प्रौद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी एक पृथक् विभाग बना दिया गया है। हिन्दी की शिक्षा, जो अभी तक पांचवीं, छठी और सातवीं कक्षाओं तक सीमित थी, अब आठवीं कक्षा तक अनिवार्य कर दी गई है।

'वयस्क शिक्षा' का नाम बदल कर अब 'सामाजिक शिक्षा' कर दिया गया है क्योंकि अब केवल साक्षरता पर ही बल नहीं दिया जा रहा, वरन् सामान्य शिक्षा पर भी। सामाजिक शिक्षा को संगठित करने के लिए उचित व्यक्तियों की भर्ती करने के उद्देश्य से भाषा के आधार पर क्षेत्रीय समितियों और जिला समितियों की स्थापना की गई। प्रति वर्ष १ लाख से अधिक वयस्कों को साक्षर बनाया जा रहा है।

बम्बई में एक बाल-केन्द्र खोला गया जहां आमोद-प्रमोद और शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त हैं। श्रव्य-शिक्षा विभाग की कार्रवाइयों का भी विस्तार हुआ।

मद्रास

इस वर्ष शिक्षा पर ११·४० करोड़ रुपये व्यय किए गए। भवन-निर्माण और सामग्री के लिए नई-नई शिक्षा-संस्थाओं को

आर्थिक सहायता दी गई। बुनियादी और वयस्क शिक्षा का विस्तार हुआ और माध्यमिक स्कूलों में पृथक्-पृथक पाठ्यक्रमों का आरम्भ हुआ तथा सरकारी कालेजों में नए पाठ्यक्रम चालू किए गए। नेशनल कैडिट कोर की एक वायु-शाखा का गठन किया गया।

पंजाब

सन् १९५१–५२ में शिक्षा के विस्तार और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए। लड़कों के लिए २६३ प्रारम्भिक और ४५ हाई स्कूल तथा लड़कियों के लिए ४७ प्रारम्भिक और २८ मिडिल स्कूल इस वर्ष और खोले गए। स्कूलों में शिक्षा पाने वालों की संख्या ६७६,१९८ से बढ़ कर ७०३,५६० बालक हो गई और १४१,५७७ बालिकाओं से बढ़ कर १४८,५४७ हो गई। हाई स्कूलों और वहां शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई।

स्कूल के पाठ्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए राज्य में अध्ययन की एक सुधरी हुई योजना को संचालित किया गया। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए तथा निरीक्षण-अधिकारियों के लाभार्थ एक संक्षिप्त विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई। भारत स्थित ब्रिटिश कौंसिल ने स्कूलों और कालेजों के शिक्षकों के लिए तारादेवी में अंग्रेजी भाषा में १५ दिन की अवधि के तीन पाठ्यक्रम संचालित किए। लुधियाना स्थित सरकारी कृषि कालेज में शिक्षकों के लिए कृषि विषयक प्रशिक्षण की कक्षा भी खोली गई।

विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय ने होशियारपुर के सरकारी कालेज की व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर ली। इस वर्ष दो अन्य सरकारी और चार निजी तौर पर संचालित कालेज खोले गए। लुधियाना के गवर्नमेंट कालेज में पोस्ट-ग्रेजुएट और आनर्स कक्षाओं के अध्ययन के लिए लड़कियों को आवास तथा भोजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पृथक् महिला छात्रावास खोला गया।

बुनियादी शिक्षा योजना के अन्तर्गत २५ बुनियादी प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। रिवाड़ी के अहीर हाई स्कूल में एक बुनियादी प्रशिक्षण कक्षा भी संलग्न कर दी गई। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए निजी तौर पर संचालित तीन संस्थाओं को बुनियादी संस्थाओं के रूप में बदल दिया गया।

नेशनल कैडिट कोर विद्यार्थियों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त करता रहा। सन् १९५१ में सरकार ने इसके लिए १,०७४,०८६ रुपये व्यय किए जबकि सन् १९५० में ८००,००० रुपये ही व्यय किए गए थे। साथ ही साथ इण्टर-मीडिएट और डिग्री कक्षाओं के लिए सैन्य-विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय बना दिया गया।

उत्तर प्रदेश

सरकार ने यह निश्चय किया कि सरकारी प्रारम्भिक स्कूलों को जिला बोर्डों के अधीन कर दिया जाए जिससे उनका कार्य अधिक सुचारु रूप से संचालित हो सके। परन्तु आवश्यक व्यय के लिए सरकार उन्हें सहायक अनुदान देगी। माध्यमिक शिक्षा

की वर्तमान प्रणाली के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है।

मध्य-वर्ग की आर्थिक कठिनाई के कारण ११ वीं और १२ वीं कक्षाओं में शिक्षा-शुल्क को एक रुपया घटा दिया गया और इस कमी की पूर्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं को समुचित आर्थिक सहायता दी गई। योग्य गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता देने के विचार से ६० रुपये प्रति मास के १०० सरकारी वजीफों की व्यवस्था की गई जिन्हें प्रति वर्ष १० महीने तक दिया जाएगा। इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को धन-राशियां दी गईं जिनसे वे योग्य और साधनहीन विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए सहायता देंगे।

देहाती क्षेत्रों में शिक्षा में नई स्फूर्ति लाने के लिए समुचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में नार्मल स्कूलों और पुराने हिन्दी मिडिल स्कूलों के अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल भी खुलते जा रहे हैं। स्कूलों और कालेजों में, विशेषतः देहाती क्षेत्रों में, कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थान देने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई जो उक्त विषय पर विस्तृत सुझाव तैयार करेगी। इस बीच में कृषि विभाग के नियन्त्रण में आने वाली प्रत्येक शिक्षण संस्था को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह तहसीलों में कृषि-विस्तार के कार्य को आरम्भ करे। शुद्ध सिद्धान्तों के बजाय व्यावहारिक कार्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी यह कहा गया है कि वे स्वयं भूमि की जुताई करें।

संस्कृत के विद्यार्थियों को शिक्षा और नियोजन के और अधिक अवसर देने के लिए कतिपय संस्कृत परीक्षाओं को वे ही मान्यताएं दी गईं जो सरकारी नौकरी तथा ट्रेनिंग और प्रौद्योगिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अन्य परीक्षाओं को दी गई है।

इस वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो भारत में अपने ढंग का पहला आयोजन था। राज्य में खिलौनों का एक स्थायी अजायबघर स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पश्चिमी बंगाल

लगभग ४ लाख बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा दी गई जिसका विस्तार ३,८३५ वर्गमील से भी अधिक क्षेत्र में है। प्रारम्भिक शिक्षा पर ही होने वाला कुल वार्षिक व्यय १०,६००,००० रुपये था।

पिछले वर्ष के १०० बुनियादी स्कूलों के अतिरिक्त इस वर्ष ५० नए बुनियादी स्कूल खोले गए। वयस्क सामाजिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या ६५२ थी और ५०,२८४ व्यक्तियों ने इन केन्द्रों से लाभ उठाया। चार पौलिटैक्नीक और तीन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रति वर्ष १,५०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है।

माध्यमिक शिक्षा का संचालन नव-निर्मित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून भी लागू कर दिया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

आसाम

सन् १९५१-५२ में आसाम में सब से प्रमुख बीमारी काला आज़ार रही। काला आज़ार के रोगियों की समुचित चिकित्सा और इस बीमारी की भली भांति जांच पड़ताल के लिए उपाय किए गए। इस समय ७६ दवाखाने, दो पूर्णतया सुसज्जित काला आज़ार के अस्पताल जिनमें १२२ पलंग हैं, तीन काला आज़ार के भीतरी वार्ड जिनमें ३९ पलंग हैं, और दो काला आज़ार के चलते-फिरते एकक कार्य कर रहे हैं। दो अन्य दवाखानों के भवन बन रहे हैं। मलेरिया निरोधक व्यापक उपाय किए गए हैं और जहां कहीं यह रोग फैला, वहां चिकित्सा के लिए १५,००० रुपयों की दवाइयां बांटी गई। अप्रैल सन् १९५१ से मार्च सन् १९५२ तक ५६,२३८ व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा की गई और २९,३७६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। भारत-अमेरिका प्रौद्योगिक-सहयोग समझौते के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि दो देहात-सहित-नगर सामुदायिक योजनाओं का आरम्भ किया जा सकेगा।

बिहार

सन् १९५१-५२ में ३,११५,७८६ हैजे के टीके, ४६,९९३ प्लेग के टीके, ४५३,२०६ प्रारम्भिक टीके और ४,०७६,३६३ दोबारा टीके दिए गए और १३६,५४१ कुओं, १,२४६,८८६ घरों तथा ५७५,९७६ चूहों के बिलों में कृमिनाशक गैस डालने की व्यवस्था

की गई। उचित मात्रा में पैलुड्रीन, हैजे की वैक्सीन, प्लेग की वैक्सीन और कुनैन के इंजेक्शन भी बांटे गए।

बी० सी० जी० टीका योजना के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ में ५६,५८८ व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा हुई और ३४,९६७ व्यक्तियों को टीके लगाए गए। ३२४ गांवों के लिए निर्मित मलेरिया-निरोधक प्रयोगात्मक योजना के अन्तर्गत ४४,१२० घरों में डी० डी० टी० छिड़की गई जिससे ३८३,१०८ व्यक्तियों को लाभ पहुँचा। इसके साथ ही ३१२,६१३ मलेरिया के बीमारों की चिकित्सा की गई और वर्ष पर्यन्त १४२,५३५ मलेरिया निरोधक गोलियां बांटी गईं।

बम्बई

सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई उपाय किए गए। रोगों के व्यापक प्रसार के विरुद्ध प्रभावशाली उपाय किए गए। गतिशील सफाई एककों के अतिरिक्त अधिकांश अस्पतालों में ऐम्बुलेंस की व्यवस्था की गई जिससे राज्य के भीतरी भागों से गम्भीर रोगियों को अस्पतालों तक लाया जा सके। दक्ष परामर्श और चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिए उच्चकोटि के योग्यतावाले चिकित्सकों की नियुक्ति की गई।

शिशुओं की मृत्यु संख्या, जिसकी औसत १६०·८३ प्रति १,००० जात-शिशु थी, घटकर १२६·६६ रह गई। मृत्यु और शिशुमृत्यु संख्या सन् १९०० के बाद इस वर्ष सब से कम थी। प्रसूति का मृत्यु-संख्या भी घट कर औसतन ६·९२ से ५·३८ रह

गई। सन् १९५१-५२ में मलेरिया नियन्त्रण का विस्तार कई जिलों में हो गया। अब उसके हितकर प्रभाव का लाभ ६,०००,००० से अधिक व्यक्ति उठा रहे हैं। अस्पतालों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे रोगियों की ओर अधिक शीघ्रता से ध्यान दे सकें, सभी पौर-अस्पतालों के लिए अवैतनिक चिकित्सा-अधिकारियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। आंख की बीमारियों से पीड़ित लोगों की चिकित्सा के लिए इस वर्ष दो या तीन आंख की चिकित्सा के शिविर सरकार द्वारा संगठित किए गए। इनमें हजारों रोगियों की डाक्टरी परीक्षा की गई और चोटी के नेत्र-चिकित्सकों के द्वारा कई सौ आंख के आपरेशन किए गए। अभी तक राज्य के विभिन्न भागों में आठ नेत्र-चिकित्सा शिविर संगठित हो चुके हैं। प्रत्येक शिविर पर लगभग ६,००० रुपये व्यय हुए।

चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के लिए सरकार ने एक गवेषणा-परिषद् की स्थापना की। होम्योपैथी विषयक बिल को अब कानूनी रूप प्राप्त हो गया है और होम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन-निर्णय-समिति की स्थापना की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश

इस वर्ष देहाती क्षेत्रों में ६ दवाखाने खोले गए। चार चलते-फिरते दवाखानों ने भी देहात की जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा पहुँचाई। एक विशेष दवाखाने ने सड़कों के किनारे बसे हुए गांवों में आंख की बीमारियों के रोगियों की चिकित्सा की।

गांवों में आंख की चिकित्सा सम्बन्धी शिविरों का संगठन करने के लिए सरकार ने नागपुर के नेत्रहीनों को राहत देने वाले मिशन को आर्थिक सहायता दी।

जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल को विस्तृत बनाया जा रहा है। छिन्दवाड़ा में १०० स्थानों वाले एक यक्ष्मा-आरोग्याश्रम का निर्माण हो रहा है और अमरावती तथा अकोला में तपेदिक वार्ड बनाए जा रहे हैं। नागपुर के मेयो अस्पताल में २५ पलंग बढ़ाए जा चुके हैं। गुप्त रोगों के प्रसार को रोकने के लिए जगदलपुर में एक केन्द्र खोला गया और गरीब रोगियों की चिकित्सा के लिए रायपुर और बिलासपुर के अस्पतालों में उक्त केन्द्र की शाखाएं खोली गई हैं। अमरावती में एक कुष्ट रोग निवारक एकक की भी स्थापना की गई है।

सरकार ने पहले-पहल पांच वर्ष की अवधि के लिए नागपुर स्थित पकवासा समन्वय रुग्णालय को १३,२०० रुपयों का आवर्तक सहायक अनुदान दिया। यह संस्था विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय के विषय में कार्य करती है। धारासभा द्वारा होम्योपैथिक और बायोकेमिक कानून पास किया गया और एक बोर्ड बना दिया गया है।

रायपुर में जल शुद्ध करने का एक नया यन्त्र लगाया गया। जल की उपलब्धि ८ लाख गैलन प्रतिदिन से बढ़ कर १२ लाख ५० हजार गैलन प्रतिदिन हो गई है। पंचमढ़ी का जलकल-निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसकी क्षमता ६० हजार गैलन प्रतिदिन है। देहाती क्षेत्रों में ८० कुएं बनाने के लिए ५५,१७० रुपये व्यय किए गए।

मद्रास

कुछ नए प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए इस वर्ष २ करोड़ रुपये व्यय हुए। इस समय राज्य में ऐसे ५१२ केन्द्र हैं। पुनर्गठित पोषक खाद्य योजना के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय एककों ने भोजन और पोषण सम्बन्धी पड़ताल की और जनता में फैले व्यापक कुपोषण का सामना करने के लिए उपाय किए गए। युनिसेफ ने १,४१२,००० पौंड दुग्ध चूर्ण भेजा जिसे ५० हजार व्यक्तियों के बीच बांटा गया। सन् १९५१ में ४१ जल उपलब्धि और ११ नालियों की योजनाओं पर, जो शहरों के लिए बनाई गई थीं, क्रमशः ७२'७६ लाख और ५'३० लाख रुपये व्यय किए गए।

कई ताल्लुकों में मलेरिया-निरोध का कार्य यथेष्ट रूप से आगे बढ़ा। युनिसेफ के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संस्था ने एरनाद में एक मलेरिया निरोधक प्रदर्शन टुकड़ी की स्थापना की है। २० लाख से अधिक व्यक्तियों के लाभ के लिए ३४ और भी मलेरिया निरोधक योजनाओं पर कार्य हुआ।

उड़ीसा

मलेरिया की दृष्टि से सन् १९५१-५२ का वर्ष सब से खराब वर्ष सिद्ध हुआ। पुरी जिले के चिलका झील क्षेत्र में मलेरिया का व्यापक प्रकोप हुआ। परन्तु उस पर नियन्त्रण पा लिया गया। प्रान्तीय मलेरिया संगठन और कटक स्थित मलेरिया निरोधक एकक ने मलेरिया की जांच पड़ताल की और मलेरिया निरोधक उपायों का संचालन किया। इस प्रकार कटक में मच्छरों की

संख्या काफी कम कर दी गई। विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा संगठित राज्य की मलेरिया निरोधक-टुकड़ी ने भी कोरापत जिले के जयपुर पार्वत्य प्रदेशों में कार्य किया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे लोगों की संख्या घटी जो तिल्ली के बढ़ने से पीड़ित थे।

चेचक और हैजे के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपाय किए गए। टीके लगाने के उद्देश्य से चेचक के ८००,००० टीके और हैजे की ६,०००,००० सी० सी० वैक्सीन निःशुल्क बांटी गई।

इसके साथ ही सरकार ने कुष्ट निरोधक कार्यों के लिए ६१,५२० रुपये और गुप्त रोगों के निवारण के लिए १०,००० रुपये व्यय किए। कोरापत और गंजाम जिलों में फकोलों की बीमारी से मोर्चा लेने के लिए वार्षिक आवर्त्तक सहायता के अतिरिक्त चिकित्सा के लिए कुछ दवाइयों की खरीद और रोगियों को पुरस्कार देने के लिए ३,००० रुपयों की विशेष सहायता दी गई।

युनिसेफ से प्राप्त दुग्धचूर्ण की एक यथेष्ट मात्रा को बच्चों और सद्यः प्रसूता माताओं में निःशुल्क वितरित किया गया। ६६,००० व्यक्तियों के यक्ष्मा से पीड़ित होने का सन्देह किया गया और उनकी डाक्टरी परीक्षा की गई तथा २६,२७० व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भरपूर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार किया गया।

कटक के एस० सी० बी० मेडिकल कालेज की विभिन्न शाखाओं में यथेष्ट सुधार हुआ और वहां के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई। अस्पताल के बाहरी रोगियों के विभाग और नए वार्ड को सुसज्जित करने के लिए २५,००० रुपये के अनावर्त्तक अनुदान के अतिरिक्त ३४,००० रुपयों का एक अनावर्त्तक अनुदान और भी दिया गया। एक उच्च शक्ति वाला एक्सरे का यन्त्र भी लगाया गया और पुरुष विद्यार्थियों के लिए एक नए अस्पताल की स्वीकृति दी गई। वर्ष पर्यन्त १३ नए दवाखाने बढ़ाए गए।

शरीर-रचना-विज्ञान सम्बन्धी अजायबघर तथा एक अजायबघर सहित-पुस्तकालय एवं प्रसूति वार्ड के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। सन् १९५०-५१ में आरम्भ किए गए नए निर्माण-कार्य के अन्तर्गत एक दो-मंजिला औषधि-गृह और प्रजनन विज्ञान वार्ड में एक आपरेशन गृह तथा एक शिशु-कक्ष थे।

इसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल से आनेवाले शरणार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न सहायता केन्द्रों में ६ शिविर अस्पताल और प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए।

पंजाब

सन् १९५१-५२ में पंजाब के देहाती तथा नागरिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का यथेष्ट विस्तार हुआ। जालन्धर और करनाल में अस्पतालों की दशा में सुधार

हुआ और देहाती क्षेत्रों में ३६ नए चिकित्सालय खोले गए। यह निश्चय हुआ कि देहात के दवाखानों का क्रमशः प्रान्तीयकरण होना चाहिए। लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल स्कूल को कालेज बना दिया गया।

सन् १६५१-५२ में एक महत्त्वपूर्ण सुधार यह हुआ कि एक परिवार आयोजन समिति की स्थापना हुई। एक अन्तर्विभागीय-समिति के द्वारा पोषण की समस्या की भी जाँच की गई और कई योजनाएं बनाई गईं तथा उनको कार्यान्वित किया गया।

तपेदिक के विरुद्ध होने वाली कार्यवाई के अंग के रूप में लगभग दो लाख व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। गुप्त रोग निवारक टुकड़ी की भी स्थापना हुई।

उत्तर प्रदेश

वर्ष पर्यन्त देहात के चिकित्सालयों के लिए कई भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। उनमें से कई भवनों में चिकित्सा-कार्य आरम्भ हो चुका है। जिला अस्पतालों के लिए भी भवनों का निर्माण हुआ है। लखनऊ मेडिकल कालेज के अन्तर्गत दन्तशल्य चिकित्सा का एक स्कूल भी हाल में खोला गया है। आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को अपनी शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी गई।

कारखाने में काम करनेवालों के विशेष रोगों की जांच-पड़ताल और उनके निरोध के उपायों को सुझाने के लिए कानपुर में एक औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई है।

बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन बड़े पैमाने पर चलाया गया है। देहरादून जिले में डाकपाथर नामक स्थान में एक यक्ष्मा-आरोग्याश्रम खोला गया है और शिक्षा-विभाग द्वारा शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्तियों के लाभार्थ एक यक्ष्मा-आरोग्याश्रम स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। लगभग आधे दर्जन अस्पतालों में एक्सरे के यन्त्रों को लगाने की व्यवस्था की गई है। योग्य नर्सों, दाइयों, महिला डाक्टरों और आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए महिला अस्पताल सहायिकाओं के प्रशिक्षण की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। कतिपय आंख के रोगों के विशेषज्ञों को उत्साहित किया गया कि वे देहाती क्षेत्रों में चलते-फिरते नेत्र-रोग चिकित्सा शिविर संगठित करें। लखनऊ स्थित एक परिवार आयोजन केन्द्र में दिसम्बर सन् १९५१ तक १,००० से अधिक व्यक्तियों को परामर्श दिया गया।

पश्चिमी बंगाल

१०३ नए देहाती स्वास्थ्य केन्द्र, जिनमें १,१२४ पलंग हैं, खोले गए। एन० आर० सरकार कालेज का स्तर उच्च कर दिया गया और उसमें एक भवन और बढ़ा दिया गया। दांत के कालेज का प्रान्तीयकरण हो गया है और उसका स्तर ऊँचा कर दिया गया है। बी० सी० जी० आन्दोलन के सम्बन्ध में लगभग ८,००० डाक्टरी परीक्षण हुए हैं। २३ गुप्त रोग चिकित्सालय भी बाहरी रोगियों के लिए खोले गए हैं।

पश्चिमी बंगाल अस्पताल संस्थान कानून स्वीकृत हुआ। इसके अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी संस्थानों, जिनके अन्तर्गत

नर्सिंग होम और चिकित्सा प्रयोगशालाएं भी आती हैं, के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है।

श्रम

बिहार

सन् १९५१-५२ में राज्य के समझौता-यन्त्र द्वारा ७४ झगड़ों का निबटारा किया गया और ४५ झगड़ों को पंच-निर्णय के लिए पंच-निर्णायक अदालत को सौंपा गया।

छंटनी के सम्बन्ध में सरकार ने कठोर सिद्धान्त का पालन किया। छंटनी की आज्ञा तभी दी गई जब श्रम की बचत के उपायों की पुष्टि श्रम-आयुक्तों द्वारा की गई, अथवा जब वैसे उपायों का कोई वास्तविक आधार मिला यथा वैज्ञानीकरण, अयथेष्ट वस्तुविक्रय इत्यादि।

बिहार उन राज्यों में से है जहां न्यूनतम वेतन कानून, १९४८, के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अनुसूचित समय के अन्दर निर्धारित कर दिया गया है। परन्तु कृषि के सम्बन्ध में केवल पटना जिले में ही न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ है।

राज्य गृह-निर्माण-योजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के लिए टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को २,५००,००० रुपयों की पेशगी सहायता स्वीकृत हुई। गृह-निर्माण के लिए साहिबगंज की एक कम्पनी को भी ५९६,४९० रुपयों

की सहायता दी गई। साथ ही राज्य सरकार को औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के कार्य-संचालन के विषय में परामर्श देने के लिए एक अस्थायी औद्योगिक-गृह निर्माण-बोर्ड की स्थापना की गई।

राज्य सरकार ने बिहार की ८५ ऐसी फैक्टरियों को जिनमें २५० से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों, कैण्टीन की व्यवस्था करने का आदेश दिया।

बम्बई

सन् १९५१-५२ में औद्योगिक सम्बन्ध सन्तोषजनक रहे। झगड़ों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित समझौता-यंत्र ने ४८७ झगड़ों को सुलझाया। सन् १९५१ के अन्त तक कुल मिला कर १२६ मिली-जुली समितियां और २३८ कार्य समितियां स्थापित की गईं। एकक उत्पादन समितियां भी कुछ संस्थानों में खोली गईं। इनका उद्देश्य अपव्यय को रोकना, यंत्रों को अधिक अच्छी तरह रखना और सुरक्षा के उपायों का प्रयोग करना आदि था।

सन् १९५१ में अटूट-कार्य-योजना के अन्तर्गत ५२,९७३ मजदूरों को रजिस्टर किया गया जिनमें से ४४,५०८ मजदूरों को फिर से काम दिलाया गया। सन् १९५१ में कुल कारखाने, जिनकी रजिस्टरी की गई और जो कार्य कर रहे थे, क्रमशः ८,४७० और ७,६७७ थे। उनमें मजदूरों की दैनिक औसत ७१८,८९७ थी। ५१,३६३ महिला मजदूरों के अन्तर्गत ४,८७६

महिलाओं ने बम्बई प्रसूति-लाभ कानून के अन्तर्गत लाभ के लिए दावे पेश किए और उन्हें १८८,४३३ रुपयों के मूल्य का लाभ दिया गया। कामकरों का मुआवजा कानून १९५१ के अन्तर्गत कर्मचारियों को ८२३,५८२ रुपयों के मूल्य का मुआवजा दिया गया। साक्षरता-योजना के अन्तर्गत सरकार ने राज्य के अन्दर ७९४ साक्षरता-कक्षाएँ आरम्भ कीं और वर्ष-पर्यन्त ७,७६३ कर्मचारियों को साक्षर बनाया गया।

मध्य प्रदेश

समझौता वार्ताओं के द्वारा झगड़ों को सुलझाने के लिए सी० पी० और बरार औद्योगिक संघर्ष समझौता कानून को वस्त्र उद्योग पर भी लागू किया गया। श्रम-कार्यालय ने समझौते द्वारा ३० झगड़ों को निपटाया और २८६ शिकायतों की जांच की। न्यूनतम वेतन सम्बन्धी नियमों और मध्य प्रदेश गृह-निर्माण परिषद् नियम १९५२ को अन्तिम रूप दिया गया। भारत सरकार द्वारा दिए गए २० लाख रुपयोंके ब्याज रहित ऋण को गृह-निर्माण परिषद् को दिया जा रहा है जिससे विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में गृह-निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा सके। कई नगरों में श्रम-कल्याण-केन्द्र भी संगठित किए गए। जुलाई सन् १९५२ से सम्पूर्ण राज्य में कर्मचारी प्राविडेण्ट फंड योजना के भी लागू हो जाने की आशा है।

मद्रास

राज्य श्रम-परामर्शदाता-बोर्ड के अन्तर्गत मजदूरों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधि थे और श्रम-सम्बन्धों तथा श्रम-

कल्याण की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने के लिए कई बार उसकी बैठकें हुईं। मालिकों और मजदूरों के बीच अधिक अच्छे सम्बन्धों की स्थापना के लिए और अधिक कार्य-समितियां बनाई गईं। उत्पादन की श्रेष्ठता के लिए कई औद्योगिक संस्थानों में एकक-उत्पादन-समितियां भी बनाई गईं। औद्योगिक गृह-निर्माण के व्यय के दो-तिहाई भाग के रूप में केन्द्र द्वारा ६ लाख रुपये का ब्याज रहित ऋण स्वीकृत हुआ।

उड़ीसा

सन् १९३६ के खोंडमल कानून नियमन को, जिसके अन्तर्गत सरकारी अफसरों और सेना को बाजार-दर पर बलात्-श्रम प्राप्त करने की आज्ञा दी गई थी, सुधारा गया और उन धाराओं को हटा दिया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध जाती थीं।

श्रम-आयुक्त और सहायक श्रम-आयुक्त द्वारा, जो कि राज्य के समझौता अधिकारी हैं, लगभग ६७० शिकायतों पर कार्यवाई हुई।

सन् १९४८ के न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ३० जुलाई, सन् १९५२ से विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के सर्वसंयुक्त न्यूनतम वेतन निर्धारित किए। मजदूरों के लाभ के लिए फिल्में दिखाई गईं तथा और अधिक फिल्मों की खरीद के लिए १,००० रुपये स्वीकृत हुए।

काम-दिलाऊ केन्द्रों का वर्तमान विस्तार सरकार द्वारा यथेष्ट नहीं माना गया है। अतएव संभलपुर में एक जिला काम-दिलाऊ कार्यालय और दो काम-दिलाऊ उपकार्यालय, मचकुण्ड में एक कार्यालय और चौदवार में एक और कार्यालय इस वर्ष खोले गए। इन कार्यालयों में १२,७४३ व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से ३,५६१ व्यक्तियों को काम दिलाया गया।

पंजाब

सन् १९५१-५२ में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा तेल मिलों, चाय के बगानों, चावल, आटा और दाल की मिलों, चमड़ों के कारखानों, आदि तथा स्थानिक संस्थाओं के अन्तगत निचली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निम्नतम वेतन निर्धारित किए गए। चाय बगानों के मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनों का प्रभाव १०,००० व्यक्तियों पर पड़ा है और कई मामलों में उनका वेतन ४० प्रतिशत तक बढ़ गया है। इस प्रकार निर्धारण का प्रभाव तेल मिलों, सड़क निर्माण और भवन निर्माण कार्यों तथा निजी निर्माण कार्यों में संलग्न ३०,००० व्यक्तियों और स्थानिक संस्था के निचली श्रेणी के १२,००० व्यक्तियों पर पड़ा है। १ अक्तूबर, सन् १९५१ से खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित हो जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में उन मजदूरों को लाभ हुआ।

हाल में कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड कानून पास हुआ। इसके अन्तर्गत ६ अनुसूचित उद्योगों में काम करने वालों के लिए प्राविडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की गई।

गत दो वर्षों में औद्योगिक संघर्षों की संख्या में क्रमशः कमी हुई है। सन् १९५१ में केवल १८ संघर्ष थे, जब कि सन् १९५० में उनकी संख्या ५८ थी।

उत्तर प्रदेश

इस वर्ष शक्कर उद्योग के मजदूरों के लिए गृह-निर्माण-योजना में यथेष्ट प्रगति हुई। आगामी उत्पादन-सत्र से पहले ५०० मकान बन जाने की आशा थी। कानपुर में ३० से अधिक गन्दी बस्तियों को ५०,००० रुपयों के व्यय से साफ-सुथरी और स्वास्थ्यदायक बना दिया जाएगा। समझौता और पंच-निर्णय यंत्र का पुनर्गठन किया गया जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय श्रम पंच-निर्णायक अदालत की स्थापना का परिणाम था। कानपुर की विभिन्न फैक्टरियों के छँटनीशुदा लोगों को काम पर लगाने के लिए एक समूह-प्रणाली का आरम्भ किया गया। सरकार ने अदालतों के सामने उपस्थित ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों में विश्वसनीय कानूनी सलाह प्राप्त कराने के लिए, जिनका सम्बन्ध कानून के महत्त्वपूर्ण और जटिल प्रश्नों से अथवा बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों से था, ट्रेड यूनियनों को सहायता देना निश्चित किया। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने के लिए वह अपने हिस्से का अंश-अनुदान देवे।

उद्योग और विकास

आसाम

सन् १९५१-५२ में राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कुटीर उद्योग विभाग ने ९,९८० रुपये सहायक अनुदान के

रूप में और ६६,३०० रुपये औद्योगिक ऋण के रूप में दिए। इस विभाग ने गौहाटी स्थित साबुन बनाने की शिक्षा देने वाली संस्था और कारखाने और शिलांग स्थित हाथ से कागज बनाने की संस्था की देख-रेख का भार लिया और मिकिर पार्वत्य प्रदेश में लाख की वस्तुओं को बनाने के लिए कारखाने खोले गए।

बिहार

बिहार का शक्कर उद्योग उत्तर प्रदेश के उद्योग के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सन् १९५१-५२ में ५०,९९५,५७४ मन और १५ सेर गन्ना इस राज्य में शक्कर बनाने के लिए पेरा गया और उससे ५,२१३,९४२ मन १४ सेर शक्कर प्राप्त हुई। सरकार द्वारा चार शक्कर के कारखानों के सुधार के लिए २५ लाख रुपया स्वीकृत हुआ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह निश्चय हुआ है कि उत्तरी बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में आरम्भिक रूप में ३०० नलकूप लगाए जाएं और बाद में ३०० और लगाए जाएं। इन नलकूपों के लिए सामग्री और श्रम जुटाने के उद्देश्य से १४,२९६,५०० रुपये स्वीकृत हुए और १ करोड़ ८० लाख की एक अन्य राशि की भी स्वीकृति इन नलकूपों को क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के लिए दी गई। इसके अतिरिक्त बेतिया, चकिया साकरी, समस्तीपुर, हाजीपुर और मीरगंज में छः बिजलीघर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बेतिया और चकिया के दो बिजली घरों का निर्माण कार्य आरम्भ भी हो चुका है। इन सभी बिजली घरों में डीजल तेल से चलने वाले विद्युत् उत्पादक

यन्त्र होंगे और इन से प्राप्त बिजली के द्वारा न केवल नल-कूपों का कार्य होगा वरन् बिजली के तार जिन मार्गों से होकर जावेंगे वहां के नगरों और गांवों में घरेलू उपयोग और औद्योगिक विकास के लिए भी बिजली दी जा सकेगी।

राज्य सरकार ने ४५ लाख रुपयों की लागत से सिन्द्री में एक सुपर फासफेट के कारखाने की स्थापना की स्वीकृति दी। इस कारखाने से प्रति वर्ष लगभग १५,००० टन सुपर फासफेट प्राप्त होगा। एक नया कानून बिहार राज्य उद्योग सहायता (संशोधन) कानून के नाम से स्वीकृत हुआ जिसका उद्देश्य एतद् विषयक पहले के कानून की त्रुटियों को दूर करना था।

बिहार कुटीर उद्योग संस्था गुलजारी बाग द्वारा उत्पादित कलापूर्ण वस्त्रों और कक्ष-सज्जा सामग्री की बिक्री विदेशों में पहले से बहुत अधिक हुई। सरकार ने राज्य में कुटीर उद्योगों क विकास और प्रोत्साहन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। बिहार खादी समिति को १३५,००० रुपये सहायक अनुदान के रूप में और १,१६६,२५० रुपये ऋण के रूप में दिए गए। दो अन्य जिन योजनाओं को स्वीकृति दी गई उनमें से एक चर्म शोधन तथा चमड़े के उद्योग के सम्बन्ध में थी जिसके लिए १६,००० रुपयों की अनुमानित आवर्त्तक सहायता और ५४,५५२ रुपयों की अनावर्त्तक सहायता दी गई और दूसरा उद्योग सरसों के डण्ठल से रेशे के उत्पादन का था जिसके लिए अनुमानित वार्षिक आवर्त्तक सहायता ११,२१२ रुपये और अनावर्त्तक सहायता १८,५०० रुपये दी गई।

ताड़ के गुड़ के उद्योग की इस वर्ष दृढ़ता के साथ प्रगति हुई। सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग ८८ मन ताड़ का गुड़ बनाया गया और विभागीय निरीक्षण में स्वतन्त्र उद्योगों द्वारा लगभग १,००० मन गुड़ बनाया गया। दिसम्बर, सन् १९५१ में नीरा की बिक्री के लिए पटना में एक विक्रय-केन्द्र भी खोला गया।

बम्बई

प्रयोगात्मक यन्त्रों के द्वारा नए उद्योगों के विकास के लिए निजी तौर पर उद्योगों के संचालकों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की गई जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। औद्योगिक व्यापार सम्पत्ति के विकास के लिए हदपसर नामक गांव में भूमि प्राप्त करने के लिए पूना म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को ३ लाख रुपये का कर्ज दिया गया। औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने औद्योगिक संस्थाओं, स्कूलों और औद्योगिक कारखानों की स्थापना की या उनकी स्थापना में सहायता दी।

इस समय राज्य में विभिन्न कुटीर उद्योगों की शिक्षा देने के लिए ६५ चलते-फिरते स्कूल और संस्थायें कार्य कर रही हैं। उनको औद्योगिक सहकारी समितियों के द्वारा, जिनकी संख्या सन् १९४६ में २०६ की तुलना में अब लगभग १,००० हो गई है, ऋण और सहायक अनुदान दिए गए। इन समितियों की सदस्य संख्या २५,००० से बढ़ कर ७९,००० हो गई है। कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए राज्य के १० महत्वपूर्ण नगरों में विक्रय-केन्द्र खोले गए हैं। इन वस्तुओं की

किस्म और मात्रा को सुधारने के लिए एक चार सदस्यों वाले प्रतिनिधि-मण्डल को जापान भेजा गया जिससे कि वहाँ कुटीर उद्योगों के संगठन का अध्ययन किया जा सके।

सरकार ने सन् १६५१-५२ में राज्य में जल-जन्तुओं सम्बन्धी ज्ञान के अध्ययन के लिए तारापोरवाला एक्वेरियम खोला। मछुओं की सहकारी समितियाँ और मछुओं को नावें बनाने, इंजिन खरीदने, जाल और मोटर-ठेले खरीदने और मत्स्य फार्म स्थापित करने के लिए ४६०,००० रुपयों तक की आर्थिक सहायता और ऋण दिए गए।

मध्य प्रदेश

सुधरी हुई किस्म के करघों तथा तत्-सम्बन्धी अन्य सामग्री की उपलब्धि के कारण बुनकरों के लिए नए और आकर्षक नमूने तैयार करना सम्भव हो सका। अगस्त, सन् १६५१ से हैण्डलूम बुनकरों को सुधरे किस्म की १३४ कंघियों और ३७ डाबियों तथा अन्य सामग्री की प्राप्ति की सुविधा मिली। रँगाई और छपाई करने वालों को रँगाई और छपाई के सुधरे हुए तरीकों की व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। बुनकरों के लाभार्थ नए-नए वस्त्रों, निवाड़, दरी और गलीचों आदि को तैयार करने की पद्धति सम्बन्धी प्रदर्शन किए गए। सरकारी बुनाई के कारखाने द्वारा नए नमूने के वस्त्रों का उत्पादन-कार्य हाथ में लिया गया। सन् १६५१-५२ में ऊनी कम्बलों और कम्बल के कपड़े के ६६,००० रुपयों के आर्डरों की पूर्त्ति की गई।

केन्द्रीय वर्कशाप ने साढ़े दस लाख रुपयों के काम किए। इसके अन्तर्गत डेढ़ लाख रुपये के आम चुनाव के लिए प्रयोग में आने वाले मत-पत्र बाक्स थे और कृषि-यन्त्र, कुटीर उद्योगों के लिए यन्त्र तथा विद्युत् उद्योग में प्रयुक्त होने वाले इस्पात के यन्त्र थे। रायपुर खादी विद्यालय के अन्तर्गत बसना केन्द्र को ५,००० रुपये की आर्थिक सहायता देना स्वीकृत हुआ। इस विद्यालय द्वारा सन् १९५१-५२ में ६२० कताई करने वालों और ३०२ बुनाई करने वालों को प्रशिक्षण मिला।

राज्य में एक विकास विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है और दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है। सिन्देवाही की प्रयोगात्मक विकास योजना का सम्पादन सम्मिलित रूप से राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा होगा। अन्य योजनाओं का सम्बन्ध कृषि और आर्थिक विकास सम्बन्धी ४ सामुदायिक योजनाओं से है।

मद्रास

इस वर्ष उद्योग-विभाग का पुनर्गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक शिक्षा की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया। काकीनाड़ा, कोजीकोड, मंगलौर, और बिलारी में पॉलीटैक्नीक के लिए स्थायी भवनों का निर्माण हो रहा है और मद्रास तथा मदुराई में पौलीटैक्नीक के भवनों को और बढ़ाया जा रहा है। इन सब के लिए ६ करोड़ २३ लाख ६० हजार रुपयों की स्वीकृति दी गई। तेल उद्योग के प्रशिक्षण और गवेषणा के लिए अनन्तपुर में एक तेल प्रौद्योगिक संस्था की स्थापना की गई।

इस वर्ष ५ सरकारी कारखानों में ३,६३६,३२० रुपयों की वस्तुएँ बनाई गईं और उनसे १४०,०८७ रुपयों का लाभ हुआ। साथ ही इस वर्ष १२ निजी उद्योगों के लिए ११ लाख रुपये स्वीकृत हुए।

पंजाब

विभाजन के बाद औद्योगिक पुनस्संस्थापन के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गईं और वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ीं। रजिस्टरशुदा औद्योगिक संस्थानों की संख्या ५०० से बढ़ कर १,३४० हो गई। ६० और भी कारखानों का निर्माण हो रहा है।

उद्योग-विभाग का पुनर्गठन किया गया और राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए दो सलाहकार समितियों की स्थापना हुई। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई।

२१ करोड़ ६७ लाख रुपयों की एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और चंडीगढ़ में नई राजधानी के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। उस स्थान पर सड़कों का भी एक जाल बिछाया गया है।

सन् १९५१-५२ में भाखड़ा और नांगल बांधों के निर्माण में प्रगति हुई। नांगल बांध पर सड़क के लिए पुल सितम्बर सन् १९५१ में खोल दिया गया और इस बांध में कंकरीट का काम

लगभग पूर्ण हो रहा है। भाखरा नहरों से सिंचाई का आरम्भ सन् १९५१ की खरीफ की फसल से आरम्भ हो गया और १५,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई हुई।

पंचवर्षीय सड़क विकास योजना के अन्तर्गत ७५ लाख रुपयों के मूल्य की नई सड़कें बनाने की व्यवस्था है। अधिकांश सड़कों का कार्य आरम्भ हो चुका है और सड़क यातायात के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की एक योजना को आरम्भ किया गया है।

उत्तर प्रदेश

कतिपय बड़े उद्योगों में वेतन दरों के समुचित निर्धारण के लिए उपाय किए गए। हैण्डलूम, गुड़, वनस्पति, चर्म शोधन, रेशम उद्योग और हाथ से बने कागज आदि कुटीर उद्योगों के विकास की योजनाएं वर्ष-पर्यन्त कार्यान्वित होती रहीं। खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष योजना को आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत १८,००० व्यक्तियों को कताई की शिक्षा दी गई और ३४,००० से अधिक चर्खे सरकारी सहायता प्राप्त दरों में देहाती क्षेत्रों में बांटे गए। इस बीच में सरकारी विभागों को खादी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विदेशों में बिक्री के लिए प्रयत्न किए गए। औद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार हुआ और कई औद्योगिक संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए गए।

लखनऊ में एक सूक्ष्म यंत्रों के बनाने का कारखाना राज्य की ओर से खोला गया है। मिर्जापुर ज़िले की सीमेंट फैक्टरी में यथेष्ट प्रगति हुई है। यूरोपियन फर्म के हाथों से लाख उद्योग को अधिकृत करने के बाद २७ महीनों के अन्दर प्रान्तीय बाजार व्यवस्था और विकास संघ को २५०,००० रुपयों का लाभ हुआ।

पश्चिमी बंगाल

राज्य में एक राज्य-विकास बोर्ड की स्थापना की गई जिसके प्रधान मुख्य मन्त्री हैं। विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा २४ परगना, नदिया, मिदनापुर, बर्दवान और वीरभूम में ८ क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई। प्रत्येक योजना के अन्तर्गत ५,००० की बस्ती वाले देहाती कस्बे के आस-पास के १०० गांव आएंगे। कार्य का आरम्भ हो चुका है और ३३,३००,००० रुपयों के व्यय से ३ वर्ष में ग्राम-संवर्गों के पूर्ण हो जाने की आशा है। उत्तरी कलकत्ता देहात बिजली ग्रिड योजना पूर्ण हो गई है और रानाघाट, शान्तिपुर, हरिनघाटा तथा फूलिया नगरों को बिजली दी जा रही है। सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत १,००० वर्गमील का क्षेत्रफल आएगा और अगले वर्ष वह पूर्ण हो जाएगी।

काचरपारा के निकट कल्याणी लघु-नगर तेजी से बस रहा है और उसमें ११·३७ करोड़ रुपये व्यय होंगे। उसका विस्तार ६,००० एकड़ भूमि पर होगा और उसके अन्तर्गत ४,००० एकड़ हरी-भरी भूमि होगी। १,१०० एकड़ के भूभाग में काम हो रहा है और सड़क-निर्माण, नाली बनाने, पानी के पाइप लगाने,

विद्युतीकरण तथा भूमि को बराबर करने का लगभग आधा कार्य पूर्ण हो चुका है।

मयूराक्षी जलागार योजना, जो कि राज्य की सब से बड़ी योजना है, समय से पहले ही यथेष्ट प्रगति कर रही है। सन् १९५१-५२ में तिलपाड़ा बांध द्वारा, जिसका कार्यारम्भ जुलाई सन् १९५१ में हो गया, एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। खरीफ की फसल के समय आशा की जाती है कि १ लाख ३० हजार एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकेगी। जब यह योजना सन् १९५४ में पूर्ण हो जाएगी तो इसके द्वारा खरीफ की फसल के समय ६ लाख एकड़ और रबी की फसल के समय १ लाख २० हजार एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकेगी। मसनजोर बांध का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। सन् १९५५ तक जल-विद्युत शक्ति-केन्द्र का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।

सोनारपुर—आरापांच—मातला नाली-योजना द्वारा, जो राज्य की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, ३६·५ वर्गमील क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा और १७,८०० टन धान तथा अन्य अनाज की फसलों को प्रति वर्ष पैदा किया जा सकेगा। अन्य सिंचाई की बड़ी योजनाएं, जो इस वर्ष पूर्ण होंगी, १,३८४,००० रुपयों के मूल्य की होंगी। उनसे ७८,२०० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा और १६,८०० टन अतिरिक्त अनाज पैदा हो सकेगा। १,५६५,००० रुपयों के मूल्य की ३६ सिंचाई की छोटी योजनाएं पूर्ण हुईं। इनके द्वारा ८२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और २२,३०० टन अनाज पैदा होगा।

पुनर्वास

आसाम

सितम्बर सन् १९५१ में अन्तिम सहायता-शिविर की समाप्ति के साथ विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर राहत देने का कार्य पूर्ण हुआ। मार्च सन् १९५२ तक राज्य में १२,००० परिवारों को फिर से बसाने का कार्य पूर्ण हो चुका था। कृषकों को भूमि तथा हल, पशु और मकान आदि की व्यवस्था के लिए क़र्ज दिए गए। अन्य पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत गौहाटी तथा नौगांव में कई बाजारों का निर्माण, गौहाटी के निकट एक लघु-नगर का निर्माण और शिलांग में भवन-निर्माण कार्य हैं।

बिहार

बिहार सरकार ने आरम्भ में ६५० मकान बनाने की योजना तैयार की थी और ५०० दुकानें बनाई जाने वाली थीं। इनमें से ४२३ दुकानें बन चुकी हैं और ५५० मकान प्रायः तैयार होने वाले हैं।

सन् १९५१–५२ में सरकार ने व्यापार के लिए १५०,००० रुपये और अन्य कार्यों के लिए २,५५८,०००रुपये ऋण के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए २,०११,८७८ रुपयों की सहायता दी गई और ४८,१४७ रुपये फिर से बसाने के कार्य में व्यय किए। साथ ही कृषक विस्थापितों को ५,३८६ एकड़ भूमि बांटी गई और ६४५ लड़कियों को विभिन्न उद्योग-धन्धों और कला-कौशल की शिक्षा दी गई।

सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के कार्य की ओर विशेष ध्यान देना जारी रखा। लगभग १०,००० मकान बन चुके हैं और ११,००० मकान बन रहे हैं। इन पर लगभग ३ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। विस्थापित व्यक्तियों की भवन-निर्माण सहकारी समितियों को भवन-निर्माण कार्यों के लिए २० लाख रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त कई जिलों में १,००० दुकानें बनाई गईं।

अहमदाबाद और उल्हास नगर में विस्थापित व्यक्तियों को उद्योग-धन्धों की शिक्षा देने के लिए केन्द्र स्थापित हुए हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए अन्य नगरों में सरकार ने चार उत्पादन केन्द्र भी खोले हैं। इन केन्द्रों में इस समय ६०० व्यक्ति लाभदायक धन्धों में लगे हुए हैं। उनको छोटे उद्योगों में फिर से लगाने के लिए लगभग २२,००० विस्थापित व्यक्तियों को १४२ लाख रुपयों की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त विस्थापित कृषकों के १,२०० परिवारों को कृषि विषयक पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत चार जिलों में बसाया गया। बैलों और कृषि यंत्रों की खरीद तथा भवन-निर्माण के लिए उन्हें तकावी भी दी गई।

सभी बस्तियों में प्रारम्भिक स्कूल खोले गए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कुछ बस्तियों में माध्यमिक स्कूल भी खोले गए। विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क की माफी देकर पढ़ाई जारी रखने में सहायता दी गई।

लगभग ११,५०० असहाय विस्थापित व्यक्तियों को नक़द दातव्य सहायता के रूप में राहत दी जा रही है। अनाथ स्त्रियों को कार्य-केन्द्रों में काम पर लगाया गया है। ये कार्य-केन्द्र विशेष रूप से ऐसी स्त्रियों के लिए ही खोले गए हैं। उक्त केन्द्रों में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बम्बई में एक विक्रय केन्द्र खोला गया है।

मध्य प्रदेश

राज्य में लगभग १२०,००० पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया गया है। सरकार ने अभी तक ४,८५० परिवारों को भवन-निर्माण के लिए २,६७७,००० रुपयों के कर्ज दिए हैं और ३,५०० परिवारों को अस्थायी तौर पर मकान दिए गए हैं। दुकान बनाने के लिए ४,१०० परिवारों को १,०७३,४०० रुपये कर्ज के रूप में दिए गए और १,७७७ मकान बन चुके हैं। विस्थापित व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि पर बसाने के लिए तीन सहकारी समितियों को भी कर्ज दिए गए हैं। व्यापार आरम्भ करने के लिए ३,४०० परिवारों को ८७८,००० रुपयों के कर्ज दिए गए हैं और लगभग १५० विस्थापित व्यक्तियों को औद्योगिक कार्यों के आरम्भ के लिए क़र्ज दिए गए हैं।

उड़ीसा

विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की विभिन्न योजनाओं को बनाने के लिए राज्य सरकार ने रिहायशी स्थानों की गणना

का कार्य पूर्ण किया। इन योजनाओं के अन्तर्गत एक खेतिहर परिवार को अर्द्ध स्थायी मकान, भूमि, बैल, कृषि-यन्त्र, बीज आदि दिए जाएंगे। बुनकरों को बुनाई के यन्त्र, सूत और रंग दिया जाएगा और मछुओं को जाल, नावें आदि दी जाएंगी। छोटे व्यापारियों के रहने के लिए मकान और ५०० रुपये से लेकर ३,००० रुपये का क़र्ज दिया जाएगा।

भूमि-आवास-योजना के अन्तर्गत २,०७४ एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया गया है और ३,०६२ एकड़ भूमि का उद्धार किया जा रहा है। छोटे उद्योग-धंधों में लगे हुए लोगों को सन् १९५१-५२ में ८४७,०१५ रुपयों के कर्ज स्वीकृत हुए।

कुल मिला कर ३५० विस्थापित व्यक्तियों को काम पर लगाया गया और ११७ व्यक्तियों को प्रौद्योगिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण के लिए वजीफे दिए गए। इसके अतिरिक्त कटक के उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में १०० स्थान और उड़ीसा के अन्य औद्योगिक स्कूलों में ३६ स्थान विस्थापित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित किए गए। पुरी के विधवाश्रम और महिला कुटीर शिक्षाश्रम में कुटीर उद्योगों की शिक्षा के लिए १० विस्थापित लड़कियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

बड़ी बस्तियों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यथा प्रारम्भिक स्कूल, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, सार्वजनिक वाचनालय, क्लब और खेल के मैदान आदि की व्यवस्था की गई। खेतिहर बस्तियों में अन्य धंधों वाले लोगों को बसाया गया जिससे वे बस्तियां मिश्रित और आत्म-निर्भर हो सकें।

पंजाब

सन् १९५१-५२ में भूमि-निर्धारण में संशोधन के लिए १२,४२६ और प्रार्थना-पत्र आए। कुल ८२,१४२ प्रार्थना-पत्रों में से ३५·३ प्रतिशत को वर्ष पर्यन्त स्वीकार किया गया और २८ मई सन् १९५२ तक १४,०१४ असन्तुष्ट दावेदारों को ७१,३७२ प्रमापी-कृत एकड़ भूमि दी गई।

जिन लोगों को भूमि मिली थी उनको फिर से बसने में सहायता देने के लिए आर्थिक अनुदान दिए गए। इस प्रकार ३१ मार्च सन् १९५२ तक ४४ अरब ४६ करोड़ रुपये देहाती क्षेत्रों के लिए बैल, खाद्यान्न, बीज, मकान, पानी के नल, नल-कूप, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए कर्ज के रूप में दिए गए।

शहरी पुनर्वास की दिशा में भी यथेष्ट प्रगति हुई। क्रय-विक्रय केन्द्र, मण्डियाँ और औद्योगिक नगर बसाए गए। २,८०४,७२६ रुपयों तक के कर्ज बाँटे गए जिनका उपयोग गृह-निर्माण के लिए हुआ। छोटे व्यापारियों को ४६६,८४० रुपये और विद्यार्थियों को २२ लाख रुपये, उद्योगपतियों को ७५६,१०० रुपये तथा सहकारी समितियों को ४० लाख रुपयों से अधिक कर्ज के रूप में दिए गए।

उत्तर प्रदेश

पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का कार्य यथेष्ट रूप से आगे बढ़ा और सहायता-शिविरों को बन्द कर दिया गया। अब भोजन तथा राहत के अन्य

उपाय केवल अनाथ विधवाओं और बच्चों के लिए विधवाश्रमों तथा अनाथाश्रमों में उपलब्ध है।

४,००० पक्के मकानों के अतिरिक्त सन् १९४८–५० में २,००० लकड़ी के स्टाल बनाए गए और सन् १९५१–५२ के बजट में एक कमरे वाले ३,५०० मकान तथा दो कमरों वाले १,५३० मकान बनाने की योजना की व्यवस्था है। मेरठ जिले में मोदीनगर और हस्तिनापुर में, इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान में और मथुरा जिले के कृष्णानगर नामक स्थान में नए लघु-नगर बनाने की योजनाएं आरम्भ हो चुकी है। इनके द्वारा लगभग १०,००० परिवारों को फिर से बसाया जा सकेगा। कई कृषक परिवारों को गंगाखादर और तराई बस्ती क्षेत्रों में बसाया गया है और लगभग १८,००० एकड़ भूमि उन्हें दी गई है। विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार और कृषि के लिए कर्ज भी दिए गए हैं।

विद्यार्थियों को कर्ज देने की प्रणाली में संशोधन किया गया। अब कालेजों और प्रौद्योगिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को ऐसे वजीफे दिए जा सकेंगे जिनको वापस करना आवश्यक न होगा। विस्थापित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र भी कई स्थानों में खोले गए हैं।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने ५० परिवारों को ऐसी भूमि पर बसाना स्वीकार किया है जहां पटसन की खेती हो सकती है। मिर्जापुर जिले में चुनार नामक स्थान पर २५० परिवारों के लिए तथा

अनाथ विस्थापित महिलाओं और बच्चों के लिए एक गृह खोला गया। इन लोगों को विभिन्न प्रकार के कला-कौशल की शिक्षा देने का प्रबन्ध भी किया गया है।

पश्चिमी बंगाल

पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को फिर से बसाने की योजनाओं का सम्बन्ध २८३,६०० परिवारों अथवा १,४१६,५०० व्यक्तियों से है। इनके अन्तर्गत ४४,६६३ परिवारों को सरकार द्वारा निर्मित बस्तियों में बसाना, ६,००५ परिवारों को खास-महल भूमियों में बसाना, और १३५,००८ परिवारों को सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर बसाना आता है। अन्य १३,६१८ परिवारों को बसाने का कार्य यूनियन बोर्ड योजनाओं के अन्तर्गत आएगा।

शहरी योजनाओं के अन्तर्गत गृह-निर्माण और उद्योग-धन्धों के लिए दिए गए कर्ज आते हैं। देहाती योजनाओं के अन्तर्गत भूमि, गृह-निर्माण और छोटे उद्योग-धन्धों के लिए क़र्ज आते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि विषयक कर्ज और बुनकरों, धान कूटने वालों तथा बागवानी करने वालों को देने वाले कर्ज भी आते हैं। शिक्षा, उद्योग-धन्धों की शिक्षा तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और काम दिलाऊ केन्द्रों के द्वारा लोगों को काम भी दिलाया जाएगा। दिसम्बर सन् १६५१ तक सरकार ने कर्ज के रूप में १० करोड़ रुपये और राहत, शिक्षा, तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए १३ करोड़ रुपये व्यय किए।

२. भाग 'ख'

खाद्य और कृषि

हैदराबाद

इस वर्ष कृषि विभाग के विस्तार-संगठन का पुनर्गठन किया गया। ३६ सहायक और २६२ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। अत्यधिक महत्त्वपूर्ण जिलों के प्रत्येक ताल्लुक में एक-एक सहायक केन्द्रित किया गया और एक-एक क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता को १० से १५ गांवों तक का एक समूह सौंपा गया। फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्गत हैदराबाद में एक आधारभूत विकास योजना आरम्भ की गई। औरंगाबाद के बदनापुर नामक स्थान में एक गेहूं गवेषणा केन्द्र स्थापित किया गया।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के अभिप्राय से १,०११ नए कुएं खोदे गए, ८४५ तेल से चलने वाले इंजन और पम्प सेट बांटे गए तथा २२ ट्रैक्टर तकावी पर दिए गए। २१ ट्रैक्टर विभाग के लिए प्राप्त किए गए जिन्होंने २०,६५४ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया। किसानों ने अपने पास से भी लगभग १,५०० तेल से चलने वाले इंजन और ५० ट्रैक्टर खरीदे। बोने के लिए किसानों में १३१,८३८ मन चावल, ६,६२४ मन गेहूं और ८,२०० मन

ज्वार बांटी गई। ७५ लाख एकड़ क्षेत्र में कपास की सुधरी किस्म के बीज बोए गए। धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरी खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया। १७०,००० एकड़ भूमि के लिए २१२ टन सन के बीज और खाद तथा उर्वरक भी बांटे गए। राज्य में खाद्य की सहायक फसलों के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए दो गाड़ी टैपीओका की कलमें, ६,००० मन आलू के बीज और ५० मन 'कुरका' बीज बांटे गए। साथ ही इस वर्ष घरेलू बगीचों के आन्दोलन को काफी प्रोत्साहन मिला। केवल हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में ही लगभग ५०० नए घरेलू बगीचे लगाए गए। हैदराबाद की नर्सरी ने १८६,३०० अंकुर और ७,३५१ पैकिट बीज उपलब्ध कराए। ६,००० रुपये के बीज और अंकुर जिलों में भी बांटे गए। फसल प्रतियोगिता योजना में १,२३० प्रतियोगियों ने भाग लिया।

मध्य भारत

राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ३६,००० एकड़ से अधिक कांस-संकुलित भूमि का पुनरुद्धार किया गया, ४,५०० एकड़ जंगल साफ किया गया और १३,००० एकड़ भूमि में खेती आरम्भ की गई। जोत की भूमि में करीब १८०,००० एकड़ और कपास की खेती में ८५,५५६ एकड़ की वृद्धि हुई। इसी बीच सुधरी किस्म के १४५,००० मन बीज और ६६,१७३ टन खाद तथा उर्वरक बांटे गए। २८,००० एकड़ के क्षेत्र में आधाशीशी के उन्मूलन के लिए कार्य किया गया। अब तक लगभग १,०४०,००० एकड़ को आधाशीशी से मुक्त किया जा चुका है। ४०,०००

व्यक्तियों को टिड्डी नियन्त्रण के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया और पौधा संरक्षण आन्दोलन के अन्तर्गत २० लाख मन गृहीत अनाज को कीट मुक्त किया गया।

मिश्र–खाद योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए ५०,००० टन और देहाती क्षेत्रों के लिए ६०,००० टन मिश्र-खाद तैयार की गई। किसानों को बीज और बैल खरीदने, कुएं खोदने और तालाब तथा पुश्ते आदि बनाने के लिए ६,०००,००० रुपये के तकावी-ऋण दिए गए। हरसी, भीलसा और राजपुर के क्षेत्रों में ३ कृषि एवं देहात विकास योजनाएं आरम्भ की गई और इन योजनाओं को चलाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण-कक्षाएं खोली गई। बृहत्तर ग्वालियर और भीलसा में ५ लाख रुपये की लागत से अनाज के गोदामों के बन जाने से खाद्यान्नों के संग्रहण की सुविधाओं में सुधार हुआ। अनेक क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों के परिवहन-प्रबन्धों में भी सुधार हुआ।

मैसूर

१९५१–५२ की कृषि गवेषणाओं में एक बहुत व्यापक और नाशक कीट को खा जाने वाले हितकर कीट की खोज अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। राज्य भर में इस नाशक कीड़े की व्यापकता के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है। वनस्पति व्याधि-शास्त्र में पौधों पर पनपने वाले नए-नए कीटाणुओं के प्रयोग से उत्साह-जनक परिणाम प्राप्त हुए। अधिक उत्पादन वाली शकरकन्द चुनने की योजना आरम्भ की गई। गन्ने की चुनी हुई किस्मों की अनेक किस्में लगाई गई।

१०० शहरी केन्द्रों ने २७,००० टन मिश्र-खाद तैयार की। ५,३०० गांवों में यह कार्य किया गया। १,५०० से अधिक नए गड्ढे खोदे गए और लगभग २००,००० टन मिश्र-खाद तैयार हुई। बुनियादी बीज फारमों में विभिन्न किस्मों का १६० टन सुधरा हुआ धान उत्पन्न किया गया। करीब १·२४ लाख एकड़ के क्षेत्र में कपास बोई गई जो कि गत वर्ष से १७ प्रतिशत अधिक है।

हल चलाने, वृक्षारोपण, राब और हरी खाद बनाने आदि के १६,००० प्रदर्शन किए गए। रैयतों को अपनी खेती में २,४०० प्रदर्शन प्लाट, १६५ 'क' फारम और ५२ आर्थिक सहायता प्राप्त प्लाट बने। राज्य के विभिन्न भागों में ६ प्रदर्शिनियों और २४ क्षेत्र-दिवसों का प्रबन्ध किया गया। सभी जिलों के ३०० किसानों के लिए मांडया में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के वार्षिक पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ।

खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए। इनमें सिंचाई के ३८२ कुंवों का तैयार होना, कुएं खोदने में सहायता के रूप में १३२,५०६ रुपये का अनुदान, ५४ तालाबों का पुनर्निर्माण और ५८३ सिंचाई-पंपों की सफाई आदि भी हैं। भूमि सुधार के हेतु नदियों तथा तालाबों को खोदने की लगभग ५२ योजनाएं और अन्य ३८ योजनाएं पूरी हुईं।

रैयतों में श्रेष्ठ बीज, अमोनियम सलफेट और मूंगफली की खली प्रचुर मात्रा में बांटी गई तथा १८,५०५ रुपये ऋण के रूप में भी दिए गए। देहाती क्षेत्रों में खाद के १२,२२३ नए

गड्ढे खोदे गए और ८,३६२ पुराने गड्ढों का प्रयोग पुनः आरम्भ किया गया। किसानों में बांटने के लिए ४४६,२७६ रुपये की लागत के कृषि-उपकरण सहकारी समितियों को दिए गए। सिंचाई के पंपिंग सैटों के लिए ३७,०३६ फुट गेलवेनाइज्ड पाइप भी दिया गया। ३,७६५ एकड़ ऐसी भूमि को, जिसमें कभी भी हल नहीं चला था, ४,२८२ एकड़ ऐसी भूमि को जिसमें एक फसल हो चुकी थी और १२४ एकड़ परती भूमि को ट्रैक्टरों ने जोता। १,००० एकड़ भूमि का बुल-डोजरों ने पुनरुद्धार किया। भाड़ा-खरीद प्रणाली पर ८६ डीज़ल तेल से चलने वाले और ५० बिजली से चलने वाले सेट दिए गए। सरकार ने १३,४४३ एकड़ परती भूमि नई खेती के लिए दी। तकावी और भूमि सुधार ऋणों के अन्तर्गत १८८,३२७ रुपये की राशि दी गई और फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बन्दूक के ६६८ लाइसेंस दिए गए।

जहां तक खाद्य पूर्ति का सम्बन्ध है, जुलाई सन् १९५१ से राशन की प्रारम्भिक दर को बढ़ाकर अखिल भारतीय स्तर का कर दिया गया: वयस्क को १२ औंस प्रतिदिन और शारीरिक काम करने वाले मजदूरों को ४ औंस ज्यादा। सितम्बर १९५१ से चावल और बाजरा खानेवालों का चीनी का मासिक राशन बढ़ाकर क्रमशः २ पौंड और १ पौंड प्रति व्यक्ति कर दिया गया था। बिहार और मद्रास के कमी वाले क्षेत्रों को कुल मिला कर ६८१·०३ बंगाली मन खाद्यान्न, जिसका मूल्य १०,७७८ रुपये १ आना ९ पाई था, और १,६७० रुपये १२ आने के नकद उपहार भेजे गए।

खाद्य के उत्पादन के सम्बन्ध में यह राज्य बढ़ोतरी वाला राज्य है। इस दृष्टि से पंचवर्षीय योजना यहां सफल रही। गत वित्तीय वर्ष में कुवों, पंपिंग मशीनों और नल-कूपों की संख्या बहुत बढ़ी, जिसके लिए एक सहायक अनुदान भी दिया गया था। भूमि-सुधार का कार्य जारी रहा।

जनवरी सन् १९५२ के आरम्भ में सरकार ने पेप्सू कृषक (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम प्रख्यापित कर दिया था जिससे सभी कृषकों को बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हो गई। इस प्रकार करीब १,१००,००० एकड़ भूमि में खेती करने वाले १२५,००० इच्छाधीन कृषकों की सुरक्षा की गई। कृषकों को और राहत देने के लिए नई विधान सभा ने इस अधिनियम में संशोधन कर दिया था।

अप्रैल १९५२ के अन्त में जमींदारी उन्मूलन की दृष्टि से भूमि सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई गई। आशा है कि समिति ३ महीने में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी और उस प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक विधान पास कर दिया जाएगा। १४८ वर्गमील में फैले ११४ गांवों में माडसन आधारभूत विस्तार योजना चालू की गई। इसमें खेती के सुधरे तरीकों, सुधरे बीजों, खादों और उपकरणों के प्रयोग, शिक्षण सुविधाएं, चिकित्सा और पशु-चिकित्सा सहायता आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयासों का आयोजन किया गया है। सन् १९५२ में

सरकार ने दिल्ली राज्य को ७०,००० टन गेहूं देने का वचन दिया।

राजस्थान

मई १९५१ से मई १९५२ के बीच सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों से करीब-करीब ४५,००० एकड़ भूमि लाभान्वित होगी। आशा की जाती है कि इसके परिणामस्वरूप करीब ३,२०० टन अतिरिक्त खाद्यान्न की उत्पत्ति होगी। अन्य उपायों के अन्तर्गत लगभग १०१,५७० टन मिश्र-खाद तैयार की गई और ५,१३० टन बांटी गई। समस्त राज्य में किसानों को रासायनिक उर्वरक बांटे गए। ३७० नए कुएं खोदे गए और करीब ८०० पुराने कुओं की मरम्मत की गई। विभिन्न स्थानों में लगाने के लिए चरस और पंपिंग मशीनें दी गईं। बीज की सुधरी हुई किस्में बांटी गईं। लगभग ४,५०० एकड़ परती भूमि का पुनरुद्धार किया गया और १०० से अधिक ट्रैक्टर उपयोग में लाए गए।

फसल प्रतियोगिता के द्वारा बूंदी से गेहूं के उत्पादन में एक नया रिकार्ड स्थापित किया गया—प्रति एकड़ ५२ मन २२ सेर।

कृषि सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए।

भीलों के रहने वाले क्षेत्रों में स्थित कुओं को गहरा करने और नए कुएं खोदने के लिए ५ लाख रुपए की विशेष राशि अलग रखी गई। नियन्त्रित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के

लिए उचित मूल्य की अनेक दुकानें खोली गईं। इस प्रकार जनता में विश्वास स्थापित किया गया और छिपे हुए अन्न-संग्रह बाजार में आ गए। पशुओं को मुफ्त चारा देने के लिए १४ केन्द्र खोले गए।

सौराष्ट्र

सौराष्ट्र की कृषि-समृद्धि अधिकतर सिंचाई पर आधारित है। अतः राज्य सरकार ने अपनी शक्ति सिंचाई की सुविधाओं के सुधार और विकास पर केन्द्रित कर रखी है।

१९५१–५२ में २१,७९०,००० रुपयों की लागत की ८ प्रमुख सिंचाई योजनाएं प्रगति कर रही थीं। इनके पूरी होने पर ४२,०१६ एकड़ परती की अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई के २४ मध्यम-छोटे निर्माणों ने काफी प्रगति की। इन पर १६ लाख रुपए व्यय होंगे। सरकार ने मोज, पुना, सासोई और आजी योजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है और इनसे २१,५०० एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

इन्हीं दिनों 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत ७ नदी-घाटी योजनाओं और १८ मध्यम सिंचाई निर्माणों ने भी काफ़ी प्रगति की। वर्ष पर्यन्त छोटे-छोटे २०० से अधिक निर्माण कार्य पूरे हुए और पुनरुद्धार पुश्ते बनाए गए, विशेषकर समुद्र की बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के दहानों पर। इस प्रकार मियानी घेड़ बांध और मोता असोवा बांध तैयार किए गए।

नीलकंठ पर एक अंतर्देशीय धीरजगढ़ बाँध भी बनाया गया। जल साधनों को उपयोग में लाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों आधारों पर लिफ़्ट की सिंचाई को प्रचलित करने के प्रयत्न किए गए।

प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए मूंगफली की खली, अमोनियम सलफेट और सुपर फास्फेट के मिश्रण की खाद का प्रयोग आरम्भ किया गया। इससे खपत १९५०-५१ में ३,००० टन से बढ़ कर १९५१-५२ में ६,००० टन हो गई।

राज्य में भूमि सुधारों को आरम्भ करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। परिणामस्वरूप सौराष्ट्र भूमि सुधार अधिनियम, १९५१, सौराष्ट्र बढ़खाली उन्मूलन अधिनियम, १९५१ और सौराष्ट्र सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम, १९५१ पास किए गए। इन अधिनियमों से कृषक सुधार आयोग की सिफ़ारिशें पूरी हो जाती हैं और कृषि तथा ग़ैर-कृषि भूमि और गिरासदारों तथा बढ़खालीदारों की सम्पदाओं पर भी लागू होगा।

भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्य ने एक नया तंत्र भी स्थापित किया। इन सुधारों से उत्पन्न समस्याओं के सुलझाने के लिए मामलतदारों के सहयोग से स्थानीय समितियां नियुक्त की गईं।

काश्तकारों को भोग-अधिकार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए ऋण का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से एक सहकारी भूमि-बंधक बैंक स्थापित किया गया। कालान्तर में इस बैंक द्वारा काश्तकारों को दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त एक जिले में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की गई और यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि जिला सहकारी बैंकों की कार्रवाइयों को एक प्रान्तीय सहकारी बैंक की स्थापना के द्वारा सम्बद्ध किया जाए।

इसी बीच में भूमि सुधारों की दिशा में तेजी से प्रगति हुई। गिरासदारों से प्राप्त भूमि के विभाजन सम्बन्धी १२,७३३ प्रार्थना-पत्रों में से, जो व्यक्तिगत काश्त के लिए दिए गए थे, ९७८ प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय हुआ और इस प्रकार ८२६ गिरासदारों को २०,९५३ एकड़ भूमि बांटी गई जब कि २,७९३ भोग-अधिकार प्रमाण-पत्र ८६,७८७ एकड़ घरखेड़ भूमि के लिए दिए गए। साथ ही, २७२ गिरासदारी असामियों को २,९१९ एकड़ से अधिक भूमि के भोग-अधिकार प्रदान किए गए। ४०१ बड़खालीदारों को व्यक्तिगत काश्त के लिए ४,११५ एकड़ भूमि बांटी गई और २,११९ बड़खालीदारों को ३३,९५० एकड़ से अधिक भूमि पर भोग-अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त धर्मादा संस्थाओं को १३,०७० एकड़ भूमि पर भोग-अधिकार प्रमाण-पत्र दिए गए। उन बड़खाली असामियों की संख्या, जिनको बिना किसी भुगतान के ७३,१९८ एकड़ से अधिक भूमि पर भोग-अधिकार दिए गए, ३,३०३ थी।

सन् १९५०-५२ में लगभग १०८,९८१ 'कोंस' (cons) क्षेत्रफल में ग्रामों की जांच-पड़ताल की गई। इसके अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि सम्पूर्ण राज्य में कुल भूमि का दो-तिहाई भाग ऐसा है जिस पर काश्त हो रही है और ४,२८८,००० एकड़ बंजर भूमि है।

सौराष्ट्र में वर्ष-पर्यन्त सहकारी आन्दोलन की प्रगति अच्छी रही। लगभग १३७ नई सहकारी समितियाँ स्थापित हुईं और प्रथम ६ महीनों में उन्हें दिया गया कर्ज ३५७,८२० रुपये था। १४,३४३,३४४ और १४,२६६,२५२ रुपयों के मूल्य की सामग्री राज्य की ७६७ सहकारी समितियों द्वारा खरीदी और बेची गई और उनको ६९५,१७४ रुपयों का लाभ हुआ।

ट्रावन्कोर-कोचीन

पिछले वर्ष सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कृषि और खाद्य उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम इस वर्ष जारी रहे और सन् १९५१-५२ में नए कार्यक्रम आरम्भ किए गए। राज्य के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई और बिजली के लिए १४ करोड़ ६४ लाख रुपयों की व्यवस्था है।

पूर्ण हो जाने पर पीची सिंचाई योजना द्वारा ४६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और प्रति वर्ष कम से कम १५,००० टन अतिरिक्त धान की पैदावार होगी। इस बांध की कुल ऊँचाई १३० फुट होगी जिसमें से ८० फुट का निर्माण हो चुका है और ७० फुट तक पानी का संग्रह किया जा चुका है। पिछले मौसम में इस संगृहीत जल द्वारा त्रिचूर के निचली सतह वाले क्षेत्रों में खेती के लिए पानी दिया गया।

राज्य की दूसरी बड़ी सिंचाई की योजना चलकुडी योजना है। इस योजना के द्वारा लगभग ५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उससे प्रति वर्ष १५,००० टन अतिरिक्त धान की

पैदावार होगी। इस योजना की प्रारम्भिक अवस्था का उद्घाटन दिसम्बर सन् १६५१ में हो गया। जनवरी सन् १६५१ में वदक्कनचेरी नदी-घाटी योजना का कार्य आरम्भ हुआ और उसमें तेजी से प्रगति हुई। यहाँ पर एकत्रित जल द्वारा ११,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

जब कुट्टनद विकास योजना का कार्य आरम्भ हो जाएगा तो ३६,००० एकड़ धान के खेतों में दो फसलें पैदा होने लगेंगी और १०,००० एकड़ नई भूमि की काश्त आरम्भ हो जाएगी। उसके पूर्ण हो जाने पर राज्य को प्रति वर्ष २५,५०० टन अतिरिक्त धान मिलेगा और अभी तक नमकीन पानी तथा ज्वार-भाटे के प्रभाव से नष्ट होने वाला १०,००० से लेकर १५,००० टन तक धान बचा लिया जाएगा। सन् १६५१–५२ में इस योजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य आगे बढ़ा।

दिसम्बर सन् १६५१ में नैय्यर बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ। इस योजना द्वारा ३०,००० एकड़ धान के खेतों को लाभ पहुँचेगा और ४०,००० टन अतिरिक्त चावल की पैदावार हो सकेगी।

पेरिचनी-थ्रिप्परप्पु योजना का उद्देश्य कोडायर योजना द्वारा प्राप्त जल की मात्रा को और अधिक बढ़ाना है तथा उससे ५,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सन् १६५१–५२ में इस योजना ने तेजी से प्रगति की और बाँध लगभग तैयार हो चुका है।

मूवत्तुपुजा नदी धारा घुमाव योजना काफी आगे बढ़ चुकी है और नहरों का निर्माण तथा बिजली की लाइनों का विस्तार लगभग पूर्ण हो चुका है।

इन बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त सरकार द्वारा कतिपय छोटी योजनाएं भी आरम्भ की गईं। इस प्रकार की कुल १६ सिंचाई योजनाओं द्वारा १५,३८५ एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है और ६ अन्य ऐसी योजनाओं का कार्य आगे बढ़ रहा है जिनसे २,७६० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष ३,००० अन्य सिंचाई के छोटे कार्य जिनके द्वारा ३ लाख एकड़ के लगभग क्षेत्र की सिंचाई होती है, पूर्ण हुए। साथ ही, भू-स्वामियों के लाभ के लिए सरकार ने ४० नए कुएं बनाने के लिए आंशिक आर्थिक सहायता दी और १८८,००० रुपयों के व्यय से ११४ निजी तौर पर बनाए गए तालाबों में सुधार हुआ।

इसी अवधि में कई भूमि-पुनरुद्धार-योजनाओं को भी आरम्भ किया गया। इनमें से सब से अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित थीं: (१) वन्दनमेत्तु योजना, जिसके द्वारा ३२,००० एकड़ भूमि बसने योग्य हो जाएगी, (२) कुन्नथुकल योजना, जिसके अन्तर्गत १,२०० एकड़ भूमि की पड़ताल की गई और उसे अनाज के उत्पादन के लिए बांटा गया, (३) वैस्सेरिकन्दम योजना जिसके अन्तर्गत कई एकड़ जंगली भूमि को समतल करके खेती योग्य बनाना आता है और (४) वेम्बनद भूमि-उद्धार योजना जिसके द्वारा लम्बे-चौड़े जलानुवेधित क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जाएगा।

लगभग ५०,००० एकड़ 'कारी' भूमि का पुनरुद्धार किया गया। यह भूमि कुट्टनद की चावल उगाने वाली लम्बी-चौड़ी पट्टियों के अन्तर्गत है जहाँ तेज़ाब के प्रभाव से कभी-कभी फसल बिल्कुल चौपट हो जाती है। सरकार द्वारा इस भूमि के २,५०० एकड़ भाग में ४५०,००० रुपये के व्यय से कार्य आरम्भ हुआ। कालान्तर में इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण 'कारी' भूमि पर होगा।

दो-तिहाई मूल्य पर रैयत को ११,००० टन के लगभग खाद बांटी गई जिससे लगभग ११०,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा। कर्ज़ पर भी रैयत को खाद दी गई।

मिश्र-खाद को बनाने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए तेज़ी से आन्दोलन चलाया गया। टैपिओका और मूंगफली के आटे को मिला कर बनाए गए मिश्रित-अनाज का उत्पादन जारी रहा। भरपूर खेती को प्रोत्साहन देने के लिए धान की फसल की प्रतियोगिता को आयोजित किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

शिक्षा

हैदराबाद

वर्ष पर्यन्त लड़कों के लिए १३ प्रारम्भिक स्कूल और लड़कियों के लिए ८ प्रारम्भिक स्कूल, ४०० एक शिक्षक वाले प्रारम्भिक स्कूल और ६६८ सहायता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। राज्य में बुनियादी शिक्षा को आरम्भ करने के प्रश्न पर

विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई। आरम्भ के रूप में मिकनूर और मोमिनाबाद में दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। सरकार को माध्यमिक शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा तथा औद्योगिक शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिए समितियां बनाई गईं और राज्य में एक पौलिटैक्नीक खोलने के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई। इस बीच में एक केन्द्रीय कला-कौशल संस्था की स्थापना के द्वारा विभिन्न कला-कौशल की वस्तुओं का प्रशिक्षण केन्द्रीभूत किया जा रहा है। सामाजिक और दृश्य-श्रव्य शिक्षा के विस्तार के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाओं को प्राप्त किया गया।

देहाती क्षेत्रों में औद्योगिक–सहित-कृषि स्कूलों को खोलने की एक योजना आरम्भ की गई और दो ऐसे स्कूलों को खोलने के लिए भूमि हस्तगत की गई। गृह-विज्ञान सम्बन्धी लड़कियों के स्कूलों की शिक्षिकाओं की मांग को पूरी करने के लिए अगस्त सन् १६५१ से एक ट्रेनिंग कालेज खोला गया। सरकार ने हिन्दुस्तानी और कर्नाटक पद्धतियों के एक संगीत और नृत्य विद्यालय को खोलने की भी स्वीकृति दी।

मध्य भारत

इस वर्ष सभी १६ जिलों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ की गई। वयस्क शिक्षा को संगठित करने. गांव की सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत करने, गांव की सफ़ाई में सुधार करने आदि कार्यों में समाज सेवा दलों ने सहायता की। कई जगहों में शैक्षणिक मेलों का संगठन किया गया जिनके अन्तर्गत

समाज-सेवा सम्बन्धी प्रदर्शन, खेल-कूद, श्रव्य-दृश्य शिक्षा और प्रदर्शिनियाँ की गईं। सन् १९५१–५२ में इन्दौर में द्वितीय राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा सम्मेलन हुआ और सामुदायिक केन्द्रों के संगठन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

राज्य की कला तथा संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न समितियों में परस्पर सम्पर्क स्थापना और नई समितियों के आरम्भ के लिए एक कला समिति की स्थापना हुई। इस वर्ष मध्य भारत ओलिम्पिक समिति की भी स्थापना हुई। प्रथम मध्य भारत खेल-कूद सम्मेलन फरवरी सन् १९५२ में आयोजित किया गया।

मैसूर

इस वर्ष १०१ वर्तमान स्कूलों में सुधार करके बुनियादी शिक्षा योजना को मजबूत किया गया। राज्य में ३१ जुलाई सन् १९५१ को ७,८५१ बुनियादी स्कूल थे। हट्टनहल्ली के वयस्कृत्य प्रशिक्षण केन्द्र में सन् १९५१–५२ में ३०० प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई और १८ केन्द्रों में दृश्य शिक्षा योजना जारी रखी गई। दृश्य शिक्षा योजना का लाभ ४४,००० से अधिक लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार ६ हाई स्कूलों में नैशनल केडिट कोर एककों का कार्य आगे बढ़ता रहा। सन् १९५१–५२ से आरम्भ होकर १२ करोड़ २३ लाख ५० हजार रुपयों के व्यय की शिक्षा-विस्तार सम्बन्धी पंचवर्षीय आधार की योजना का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया।

जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, देहाती क्षेत्रों में एक सरकारी हाई स्कूल, ६ जिलाबोर्ड हाई स्कूल और ५४ मिडिल

स्कूल खोले गए। प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों में २२८ प्रारम्भिक स्कूल और शहरी क्षेत्रों से २५ स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई।। राज्य के प्रारम्भिक स्कूलों में किताबों, स्लेटों और नक्शों के वितरण के लिए १०,००० रुपये दिए गए।

पेप्सू

एकीकृत राज्यों से पेप्सू को लड़कों और लड़कियों के ८०० हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, और प्राइमरी स्कूल प्राप्त हुए। इस समय शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में ५५ हाई स्कूल, एक नार्मल स्कूल, १०१ अपर मिडिल स्कूल, १२४ लोअर मिडिल स्कूल और ८०६ प्रारम्भिक स्कूल हैं। १२ सरकारी कालेज भी हैं जिनके अन्तर्गत एक ट्रेनिंग स्कूल, एक वाणिज्य कालेज और पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज भी है। शिक्षा के लिए बजट में अनुदान वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता रहा है। सन् १९४८ में २६ लाख रुपये से बढ़ कर वह सन् १९५२-५३ में ७८·०८ लाख रुपये हो गया है।

सरकार ने विशेष ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर दिया और अन्तिम उद्देश्य यह रखा गया कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में निजी तौर पर संचालित स्कूलों को उदारतापूर्वक सरकारी सहायक अनुदान दिए गए। माध्यमिक शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। फगवाड़ा की बी० आर० औद्योगिक संस्था को भी सहायता दी गई।

बुनियादी शिक्षा का क्रमिक प्रारम्भ सरकार की स्वीकृत नीति है। तदनुसार ३ शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली स्थित जामिया मिलिया में भेजा गया और २०० वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले गए।

शिक्षा विषयक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ३० बुनियादी स्कूलों को खोलना और बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों के लिए दो ट्रेनिंग स्कूल खोलना, मिडिल स्कूलों में प्रौद्योगिक शिक्षा को आरम्भ करना, वर्तमान ७५ प्रारम्भिक, लोअर मिडिल और अपर मिडिल स्कूलों में सुधार करना, मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों और वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों को जुनियर बुनियादी स्कूलों का रूप देना आते हैं। इसके अन्तर्गत चलते-फिरते और स्थिर पुस्तकालयों की स्थापना भी है।

पेप्सू में किसी भी शिक्षा संस्था पर प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लगाया जाता। राज्य में एक पृथक् विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक निधि का आरम्भ किया गया है।

राजस्थान

कुछ वर्षों में निरक्षरता को दूर करने के आन्दोलन के अंग के रूप में सन् १९५१ के ग्रीष्मावकाश में ३,००० वयस्क-शिक्षा कक्षाओं का आयोजन किया गया। बहुत बड़ी संख्या में सभी धंधों और अवस्थाओं वाले स्त्री-पुरुषों ने उनसे लाभ उठाया। प्रशिक्षण शिक्षकों की मांग की नियमित पूर्त्ति के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग-व्यवस्था अधिक अच्छी बनाई गई।

२५ और अधिक हाई स्कूल, ३० मिडिल स्कूल और लगभग १०० अन्य स्कूल खोले गए। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की संख्या में ८०,००० से अधिक की वृद्धि हुई। शिक्षा-शुल्क को भी घटाया गया।

बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर और भरतपुर में कला और वाणिज्य की डिग्री कक्षाओं के लिए संध्या की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। जोधपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला गया और यहाँ के मैडिकल कालेज में १५ और स्थान बढ़ाए गए।

सौराष्ट्र

शिक्षा के सम्बन्ध में स्थिति समान रूप से सन्तोषजनक थी। स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी और पढ़ाई का स्तर भी सुधरा। १०० प्रारम्भिक स्कूल, १० शिक्षकों के ट्रेनिंग-स्कूल, ८० वयस्क शिक्षा केन्द्र और दो ट्रेनिंग कालेज वर्ष पर्यन्त और स्थापित हुए। ५६ नए प्रारम्भिक स्कूलों के भवन बनाए जा रहे हैं जिनका व्यय अंशतः दान द्वारा और अंशतः सरकारी सहायता द्वारा प्राप्त होगा। भावनगर स्थित एम० एस० वाणिज्य कालेज को पूरी तरह कालेज बना दिया गया है। इन संस्थाओं पर होने वाला अतिरिक्त व्यय २११,००० रुपये था।

सामलदास कालेज का विज्ञान-शिक्षण विभाग नए बनाए गए भवन में पहुँच गया और भावनगर स्थित सर प्रभाशंकर पट्टनी संस्था के अध्यक्ष के रूप में एक डीन की नियुक्ति की गई।

सौराष्ट्र के कुछ हाई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का भी आरम्भ हुआ। सहायक अनुदान के आधार पर देहाती पुस्तकालयों की व्यवस्था भी की जा रही है।

१६७ विद्यार्थियों को वजीफे देने के लिए १६१,००० रुपयों की राशि निर्धारित की गई है। खेदद में कृषक-वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वजीफों का प्रबन्ध करने के हेतु १ लाख रुपये की एक राशि का उपयोग हो रहा है।

त्रावन्कोर-कोचीन

सन् १६५१–५२ से बजट में शिक्षा के लिए २ करोड़ ८८ लाख २० हजार रुपयों की व्यवस्था रखी गई है जो राज्य के कुल आगम का २५ प्रतिशत है। वर्ष पर्यन्त महत्त्वपूर्ण विकास के अन्तर्गत बुनियादी और सामाजिक शिक्षा का आरम्भ, निजी तौर पर संचालित माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा की दशाओं में सुधार, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार, जातिगत स्कूलों की समाप्ति और पॉलिटैक्नीक संस्था की स्थापना है।

वयस्क शिक्षा योजना के सम्पादन के लिए एक वयस्क-शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया गया है। त्रिवेन्द्रम् में वयस्क शिक्षा केन्द्रों के संगठन और संचालन के तरीकों की शिक्षा देने के लिए एक वयस्क शिक्षा गवेषणा तथा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया। इस वर्ष उक्त संस्था में शिक्षकों के पहले दल को प्रशिक्षण मिला। इन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों में से ३६ को सामाजिक शिक्षा संगठन कर्त्ताओं के रूप में नियुक्ति मिली और उन्हें

३६ 'पकुठियों' में, जो सबसे निचले राजस्व-एकक हैं, कार्य के लिए नियुक्त किया गया। पाँच सदस्यों की एक सामाजिक शिक्षा-परिषद् का भी गठन प्रत्येक पकुठी में हुआ जिसका कार्य आयोजन और योजनाओं के सम्पादन में संगठन कर्ताओं को सहायता देना था।

दो और तालुकों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना का विस्तार हुआ।

दूसरी और तीसरी कक्षा में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने के अतिरिक्त सरकार ने हिन्दी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सहायता दी। सभा को अपनी परीक्षाओं के लिए स्कूल-भवनों का निःशुल्क उपयोग करने दिया गया। इन परीक्षाओं को नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई।

बजट में एक पॉलिटैक्नीक संस्था की स्थापना के लिए ५ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गई। इस संस्था में मोटर-इंजीनियरिंग, रासायनिक-इंजीनियरिंग, मत्स्य-पालन विज्ञान और खाद्य-विज्ञान के पाठ्यक्रम रहेंगे। जुलाई सन् १९५१ से इस संस्था का कार्य आरम्भ हो चुका है।

सरकार ने जातिगत स्कूलों को समाप्त कर देने की आज्ञा दी है और उन्हें सामान्य निजी स्कूलों के तौर पर चलते रहने के लिए कहा है। प्रारम्भिक, मिडिल और हाई स्कूल कक्षाओं में पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों का एकीकरण सम्पन्न हुआ।

ट्रावन्कोर विश्वविद्यालय में एक औषधि-विभाग और आयुर्वेद के लिए एक पृथक् शाखा खोली गई और अगस्त सन् १९५१ में एक मैडीकल कालेज खोला गया। दो नए कालेज भी खोले गए और त्रिचूर के बी० टी० कालेज की पुनर्स्थापना हुई।

संस्कृत कालेज में एक महोपाध्याय के आगे की कक्षा खोली गई। इसके अतिरिक्त वर्ष पर्यन्त चार जिला पुस्तकालय और ७ तालुक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किए गए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैदराबाद

देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी राहत देने के लिए ७६० ऐसे गाँवों में, जहाँ की आबादी १,००० से अधिक हो, सादी दवाइयों वाले बक्स बाँटे गए। ये बक्स बड़े लोकप्रिय हुए और दो लाख से अधिक रोगियों ने उनसे लाभ उठाया। ४ जिलों में चलते-फिरते चिकित्सा और स्वास्थ्य एककों की व्यवस्था की गई। छः महीने की अवधि में ही इन एककों ने दूरवर्ती क्षेत्रों के ५९६ गाँवों का दौरा किया, ५३,७७९ रोगियों और ५०७ सद्यः-प्रसूता महिलाओं की देख-रेख की तथा प्रसव के १९ मामलों को निबटाया। ३६ ऐसे रोगियों को, जो अपेक्षाकृत गम्भीर रोगों से पीड़ित थे, निकटतम अस्पतालों में पहुँचाया गया जिससे उनकी आगे की चिकित्सा की जा सके। एक अन्य एकक पट्टनचेरु में आरम्भ किया गया जिसने २२ गाँवों और २५,००० की आबादी की सेवा की।

१८ प्लेग निरोधक एककों ने लगभग ७१६,००० घरों की जांच-पड़ताल की और ४,०६४,८८६ चूहों के बिलों को बन्द किया। वर्ष पर्यन्त कुल मिला कर ५१३,७०७ हैजे के टीके और १,४८०,१३६ चेचक के टीके लगाए गए—उस्मानाबाद में एक कुष्ट आरोग्याश्रम और दो शिशु कल्याण केन्द्र खोले गए—एक रायचूर में और दूसरा बीदर में। फफोला निरोधक और मलेरिया निरोधक आन्दोलन भी संचालित किए गए। यूनिसेफ द्वारा प्राप्त १५०,००० पौंड दुग्ध-चूर्ण भी राज्य भर में बांटा गया। जन्म और मृत्यु के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की पद्धति में सुधार के लिए भी नियम बनाए गए।

मध्य भारत

ग्वालियर में ३५० पलँगों वाले नए बनाए गए कमलाराजा महिला और शिशु अस्पताल में कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा। इन्दौर में ६८० पलँगों वाले एक नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है। कुछ चलते-फिरते दवाखानों, ४ प्रसूति-गृहों, दो तपेदिक के अस्पतालों और ५ आयुर्वेदिक दवाखानों को भी आरम्भ किया गया। सन् १९५१ के अन्त में ६२५,६५६ व्यक्तियों का ट्युबरकुलीन द्वारा परीक्षण किया गया और १५८,०५३ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए।

देहाती क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी अधिक अच्छी राहत देने के लिए ग्राम पंचायतों को लगभग ३,००० दवाइयों के बक्स दिए गए। यूनिसेफ से प्राप्त १६०,००० पौंड मखनिया दुग्ध-चूर्ण बांटा गया। रोगियों के मन-बहलाव के लिए लगभग आधे दर्जन अस्पतालों में रेडियो और हेडफ़ोन लगाए गए।

मैसूर

सन् १९५१–५२ में रामनगरम् तालुक और चिकमगलूर तथा चितलद्रुग जिलों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की पड़ताल के लिए पोषण विषयक जांच की गई। प्लेग, चेचक और हैजा जैसी बीमारियों के व्यापक प्रसार को रोकने के उपाय सभी प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ववत् किए गए। कई जिलों में क्षय-कीटाणु नियन्त्रण और डी० डी० टी० के छिड़कने का कार्य जारी रहा। विधान सभा द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उप-कर लगाने के सम्बन्ध में अधिनियम स्वीकृत हुआ।

सन् १९५१–५२ में राज्य में ४९३ मेडिकल संस्थाएं और १४३ देहाती स्वास्थ्य केन्द्र थे। वर्ष पर्यन्त नए देहाती दवाखानों को खोलने और वर्तमान मेडिकल संस्थाओं में प्रसूति शालाएं संलग्न करने के लिए १·१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। देहाती क्षेत्रों में ५० चलते-फिरते दवाखानों के खोलने की भी स्वीकृति दी गई।

पेप्सू

राज्य में चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के विकास के लिए विशेष बल दिया गया। मुख्य मन्त्री की एक हाल की घोषणा में एक आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना का संकेत किया गया था। सरकारी नियन्त्रण में तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधियां शीघ्र प्राप्य हो जाएंगी। वर्ष पर्यन्त सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाना और मलेरिया निरोधक कार्य आते हैं। राज्य के किसी भी भाग

में बड़े पैमाने पर कोई गम्भीर बीमारी नहीं फैली। राज्य द्वारा तीन चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था की गई जिन्होंने गांवों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाई। इसके अतिरिक्त सरकार ने १४० से अधिक अस्पतालों और दवाखानों का प्रबन्ध भी जारी रखा। कुछ अधिक महत्वपूर्ण अस्पतालों में वर्ष पर्यन्त और अधिक पलंग बढ़ाए गए।

राजस्थान

राज्य की जनता को स्वास्थ्य के विषय में सजग बनाने के लिए एक जोरदार आन्दोलन आरम्भ हुआ। सम्पूर्ण राजस्थान में स्वास्थ्य-सप्ताह मनाया गया जिसमें सड़कों की सफाई हुई, कूड़े-कर्कट के ढेर हटाए गए, भाषण दिए गए, फिल्म और स्लाइड दिखाए गए, प्रदर्शिनियों का आयोजन हुआ और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का संगठन हुआ। रेड-क्रास सप्ताह भी मनाया गया और जोधपुर में भारतीय रेड क्रास की एक शाखा खोली गई। विभिन्न अस्पतालों में निरीक्षण के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और डाक्टरों द्वारा मरीजों की देख-रेख के शुल्क को निर्धारित और लागू किया गया। सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित शुल्क का आधा भाग देने की सुविधा दी गई। जयपुर के मेडिकल कालेज के लिए और अधिक कर्मचारियों की स्वीकृति हुई।

जोधपुर में तपेदिक के अस्पताल का निर्माण-कार्य पूर्ण हुआ और जयपुर के दुर्गापुर मुहल्ले में एक उतना ही बड़ा तपेदिक का रुग्णालय आरम्भ किया गया।

तपेदिक की मुहरों की बिक्री का आन्दोलन सम्पूर्ण राज्य में चलाया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को राजस्थान के मुख्य सार्वजनिक विश्लेषणकर्ता के अधिकार में रख दिया गया और इन प्रयोगशालाओं के कार्य के प्रमापीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उसके हितों की देख-रेख के लिए एक पृथक् आयुर्वेदिक विभाग और एक बोर्ड की स्थापना की गई। इस विभाग द्वारा नियमित औषधालयों का संचालन होता है और निजी तौर पर कार्य करने वाले वैद्यों तथा दातव्य औषधालयों को सहायक अनुदान दिया जाता है। सरकारी खर्चे पर पांच विद्यार्थी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सौराष्ट्र

सौराष्ट्र की आय का ७ प्रतिशत भाग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए व्यय हो रहा है अर्थात् इस विषय में सौराष्ट्र का स्थान पश्चिमी बंगाल के बाद सर्वोच्च है।

अन्य प्रमुख निर्माण कार्यों के अतिरिक्त कुंडला प्रसूति-गृह का निर्माण-कार्य भी सम्पूर्ण हुआ। पोरबन्दर स्थित भावसिंह जी अस्पताल में और अधिक भवन बढ़ाए गए।

मुहीर, गढ़ादा, कुंडला और बोटद में नए प्रसूति-गृह तथा लाठी और महुवा में नए अस्पताल खोले गए। राजकोट के वेस्ट अस्पताल में एक गाढ़ चिकित्सा एक्स-रे एकक लगाया गया। अन्य उल्लेखनीय अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत गोपनाथ जी प्रसूति अस्पताल में एक रक्त-संक्रामण केन्द्र और भावनगर में एक शिशु कल्याण केन्द्र तथा जैतपुर, सुरेन्द्रनगर और लिम्बडी में तीन पागल कुत्ते के काटने के चिकित्सा केन्द्र खोले गए।

क्षय-कीटाणुओं का प्रसार, जो हृदमटिया और प्रभास पट्टन तक हो चुका था, रोका गया और उसे स्थायी तौर पर नियन्त्रण में लाने के उपाय किए गए। चेचक, मलेरिया और तनुसूत्र (फ़ाइलेरिया) के निरोध के लिए भी क़दम उठाए गए। ५२,७७० व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा की गई और २१,५०२ को बी०सी० जी० के टीके लगाए गए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना की महत्त्वपूर्ण बातों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें हैं: तपेदिक, कुष्ट और मानस रोगों की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, एम० बी० बी० एस० डिग्री के लिए महिलाओं को वज़ीफ़े, नर्सों के प्रशिक्षण के लिए स्कूलों का आरम्भ, राजकोट में एक नए केन्द्रीय अस्पताल का निर्माण, ज़िला अस्पतालों में और अधिक पलँगों की व्यवस्था, ३०० रोगियों के रहने योग्य तपेदिक के चिकित्सालयों एवं अस्पतालों का निर्माण, अमरगढ़ के सेठ के० जी० अस्पताल को सहायक अनुदान तथा विश्लेषणात्मक एवं निदानात्मक प्रयोगशालाएं और रुग्णालय कक्ष।

आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग और वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए कोंड, तालसाना, सुदामदा, तिम्बी, धासा और सनाला में नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गए। इस बीच एक आयुर्वेदक चिकित्सा-सेवा अधिदेश की स्थापना की गई और आयुर्वेदिक औषधियों के वितरण का कार्य आरम्भ किया गया।

त्रावन्कोर-कोचीन

सन् १९५१-५२ के बजट में डाक्टरी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के लिए १ करोड़ ३५ लाख २० हजार रुपयों की बढ़ी हुई व्यवस्था रखी गई। इस प्रकार इस मद में राज्य ने अपनी आय का लगभग १० प्रतिशत व्यय किया।

वर्ष पर्यन्त ८ नए दवाखाने, मालुकुन्नथुकवु में एक क्षय आरोग्याश्रम, पल्लुरुथी में एक तपेदिक रुग्णालय और त्रिवेन्द्रम् में एक तपेदिक प्रशिक्षण आरोग्याश्रम और प्रदर्शन केन्द्र खोले गए। त्रिवेन्द्रम में एक नेत्र चिकित्सा अस्पताल का निर्माण-कार्य पूर्ण हुआ। अलेपी का आम अस्पताल महिलाओं और शिशुओं का अस्पताल बना दिया गया और १७५ पलंगों वाला एक नया आम अस्पताल बनाया गया। त्रिचूर के अस्पताल का काफ़ी विस्तार किया गया।

क्विलोन के अस्पताल में एक एक्स-रे का यन्त्र लगाया गया। अलेपी में एक और आम अस्पताल की स्थापना का कार्य चल रहा है। १ करोड़ ३० लाख के पूंजीगत व्यय और १२ लाख से १५ लाख तक के वार्षिक आवर्त्तक व्यय वाली मेडिकल कालेज योजना

में तेज़ी के साथ प्रगति हुई। आशा है कि यह मैडिकल कालेज एक आदर्श संस्था होगी और उसका निर्माण अगस्त सन् १९५१ में आरम्भ हो गया। सन् १९५१–५२ में योजनान्तर्गत कतिपय संलग्न संस्थाओं, यथा मैडिकल कालेज, श्री अवित्तोम थिरुमल महिला एवं शिशु अस्पताल, नर्सों के स्कूल और होस्टल तथा कर्मचारियों के लिए नए क्वार्टरों के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। श्री अवित्तोम थिरुमल महिला एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन जनवरी सन् १९५२ में हो गया। उसमें १४० शिशुओं और २०० महिलाओं के लिए स्थान है।

इस वर्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा विषयक डिग्री-पाठ्यक्रम का भी आरम्भ हुआ। भीतरी मरीज़ों की ख़ुराक में सुधार के लिए बजट में ३ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई। १ लाख १० हज़ार रुपयों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।

तपेदिक के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। एक नया आरोग्याश्रम, एक रुग्णालय और एक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के अतिरिक्त सरकार ने बी० सी० जी० आन्दोलन को ज़ोरदार बनाने के लिए क़दम उठाए। साथ ही सरकार ने नए मैडिकल कालेज के निकट एक तपेदिक के अस्पताल का भवन बनाने की स्वीकृति दी। सरकार के सहयोग से तपेदिक असोसिएशन ने अलेप्पी और पल्लुरुथी में तपेदिक के गम्भीर बीमारों को रखने वाले वार्डों को खोला। सन् १९५१ के अन्त तक त्रिवेन्द्रम् के तपेदिक केन्द्र में १,२०० व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा की गई जिनमें से १,००० व्यक्तियों को तपेदिक की बीमारी के सक्रिय संकेतों से युक्त पाया गया। बड़े पैमाने पर

एक्स-रे परीक्षा-सेवा का आरम्भ हुआ और ३१ दिसम्बर सन् १९५१ तक लगभग ३,००० व्यक्तियों की परीक्षा की गई। दिसम्बर सन् १९५१ तक ३०४,९८२ व्यक्तियों की परीक्षा की गई तथा १२२,४५१ को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। नवम्बर सन् १९५१ में द्वितीय तपेदिक मुहर बिक्री आन्दोलन आरम्भ हुआ।

इस बीच स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का पुनर्संगठन इस ढंग से किया गया जिससे राज्य की १५ से २० हजार तक आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा सहायक प्राप्य हो। साथ ही, हैजा, चेचक, प्लेग और मलेरिया जैसे रोगों की व्यापकता को रोका गया और सुदूरवर्ती गांवों तक डाक्टरी सहायता का विस्तार किया गया।

श्रम

हैदराबाद

सन् १९५१–५२ में रजिस्टरशुदा कारखानों की संख्या १,०३६ थी। कार्य की दशाओं में सुधार की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। अभी तक न्यूनतम वेतन कानून, १९४८ के अन्तर्गत बीड़ी के कारखानों और चर्मशोधन उद्योगों में न्यूनतम वेतनों का निर्धारण हो चुका है। न्यूनतम वेतन निर्धारण कानून में अनुसूचित ५ कार्य संवर्गों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के हेतु समितियाँ बना दी गई हैं।

हैदराबाद नगर में औद्योगिक मजदूरों के लिए ३०० घरों का निर्माण लगभग पूर्ण हो रहा है। श्रम कल्याण केन्द्रों की योजना बनाई गई है और सरकार ने इस कार्य के लिए १०,००० रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें से एक केन्द्र नगर के औद्योगिक क्षेत्र में खोला भी जा चुका है। ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को श्रम कानून, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों की जानकारी कराने के लिए दिसम्बर सन् १९५१ में कक्षाओं की व्यवस्था की गई। फिर से बसाने के क्षेत्रीय अधिदेश के कार्यों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने के उपायों की खोजना तो था ही, उसके कार्य का विस्तार काम खोजने वाले नागरिकों के लिए भी कर दिया गया। राज्य की सेना के विघटित सैनिकों को फिर से बसाने के लिए विभिन्न कृषि योजनाओं के हेतु १,२००,००० रुपये बांटे गए हैं।

मध्य भारत

इस वर्ष कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मासिक मजूरी २६ रुपये निर्धारित की गई और उक्त उद्योग सम्बन्धी विभिन्न धन्धों के वेतन का स्थिरीकरण हुआ। शक्कर उद्योग और कुछ अन्य छोटे उद्योगों में भी न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ। एकरूपता लाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे प्रगतिशील श्रम कानूनों को अपनाया गया है जो अन्य राज्यों में लागू हैं। इनके अन्तर्गत इस प्रकार के कानून आते हैं जैसे भारतीय कारखाना कानून, बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध कानून और बम्बई प्रसूति लाभ कानून।

इन्दौर में दो श्रम-आवास-योजनाएं चालू हैं। लगभग १,१००,००० रुपयों के व्यय से सड़कों, नालियों, कुओं और पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। मजदूरों को गृह-निर्माण के लिए लगभग २,००० प्लाट पट्टे पर दिए जाएंगे।

औद्योगिक संघर्ष के समाधान के लिए पृथक् न्यायिक व्यवस्था की गई जिसके अन्तर्गत ३ श्रम अदालतें और एक औद्योगिक अदालत है। दिन प्रतिदिन की शिकायतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकांश वस्त्र मिलों में अननु-विहित कार्य-समितियां स्थापित की गई हैं।

मैसूर

वर्ष पर्यन्त दो अदालतों ने औद्योगिक संघर्षों पर पंच निर्णय दिया। मैसूर आवास कानून के अन्तर्गत नियमों को अन्तिम रूप दिया गया और स्थानिक अधिकारियों के अन्तर्गत कार्यों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन की सूचनाएं प्रकाशित की गईं। रोजी-रोजगार की खोज के लिए एक रोजगार परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई। वयस्क नागरिकों के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना जारी रही।

पेप्सू

पेप्सू में सबसे बड़ी संख्या में मजदूर कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। इन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत कताई और बुनाई, लोहे

और लकड़ी की वस्तुएं, साइकिल और सिलाई की मशीनें, कपड़े की छपाई आदि आते हैं। सन् १९५१–५२ में न तो एक भी हड़ताल हुई और न तालाबन्दी। मजदूर और प्रबन्धकों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने रहे। कुछ समय पहले सरकार, मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ और इसका उनके पारस्परिक सम्बन्धों पर बहुत हितकर प्रभाव पड़ा। इस राज्य में भी कारखाना कानून, उद्योग कर्मचारी कानून तथा ऐसे अन्य कानून लागू रहे। औद्योगिक क्षेत्रों में नियुक्त श्रम-कल्याण अधिकारियों की सहायता से श्रम-आयुक्त ने कानूनों के पालन की देखरेख की और विभिन्न दलों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता दी।

राजस्थान

राज्य में न्यूनतम वेतन कानून लागू किया गया और यह आशा की जाती है कि इसके परिणाम-स्वरूप गलीचे, शाल, बीड़ी, सड़क और गृह-निर्माण तथा चावल, दाल और आटा मिलों में काम करने वाले ५०,००० मजदूरों को भी लाभ पहुँचेगा। अभ्रक की खानों और सरकारी मोटर-यातायात में काम करने वाले मजदूरों को भी लाभ पहुँचेगा। १८ बिजली घरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए समान वेतन दरों को निर्धारित किया गया। इससे पूर्व विभिन्न वेतन दरों की संख्या १२० थी।

बम्बई के कानून के नमूने पर राजस्थान प्रसूति कानून विचाराधीन है।

सौराष्ट्र

राज्य के श्रम कानूनों को केन्द्र तथा अन्य राज्यों के कानूनों के समान किया गया।

वर्ष पर्यन्त दो और भी श्रम-कल्याण केन्द्र खोले गए। एक पारिवारिक बजट जांच-पड़ताल आरम्भ की गई और १,२०० परिवारों के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसके साथ-साथ सन् १९३९ के बाद से अब तक मकान के किराए की गति-विधि को भी आंका गया। इसके साथ ही खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काम करने वालों की मजूरी में कमी की जांच के लिए एक पड़ताल की गई।

३५५ औद्योगिक संघर्षों में से २४४ मामलों में समझौते के प्रयत्न सफल हुए। औद्योगिक अदालतों को सौंपे गए २५ मामलों में से १६ पर पंच निर्णय दिया गया।

३१ दिसम्बर सन् १९५१ तक बीस अन्य ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर किया गया।

त्रावन्कोर-कोचीन

वर्ष पर्यन्त राज्य में लगभग १,६०० औद्योगिक संघर्ष रहे। केवल कुछ को छोड़ कर जिन्हें पंच निर्णय के लिए भेजा गया, शेष को सन्तोषजनक रीति से समझौते के द्वारा तय किया गया।

नई रजिस्टरशुदा ट्रेड यूनियनों की संख्या ७८ रही। न्यूनतम वेतन कानून की धाराओं के अन्तर्गत जांच-पड़ताल करने के लिए

और अनुसूचित कार्यों के अन्तर्गत सम्पत्तियों के मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए सरकार को परामर्श देने के हेतु एक समिति की नियुक्ति की गई।

उद्योग और विकास

हैदराबाद

वर्ष पर्यन्त राज्य के औद्योगिक संस्थानों में आम तौर पर उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार उदाहरण स्वरूप सिंगरेनी कोयला खानों में १,२००,००० टन कोयला, निजाम शक्कर कारखाने में ३८,६३५ टन शक्कर, गवर्नमेंट पावर अलकोहल कारखाने में ३९७,५०५ गैलन शुद्ध अलकोहल और ११४,५०५ गैलन रेक्टिफाइड स्पिरिट तथा सीरपुर कागज मिल में ४,६०० टन कागज का उत्पादन हुआ। उसमानशाही मिल्स लिमिटेड और आजमजाही मिल्स लिमिटेड में स्पिण्डलों और करघों की संख्या बढ़ी और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही उनका उत्पादन दूना हो जाएगा। प्रागा औजार निगम में मशीनी औजार का उत्पादन आरम्भ हो गया। सिरसिल्क लिमिटेड के भवन का निर्माण और यन्त्र-संस्थापन-कार्य भली भाँति आगे बढ़ रहा है।

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राज्य में कुटीर उद्योग सलाहकार बोर्ड, औद्योगिक सहकारी संघ, प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ और ताड़ के गुड़ सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। केन्द्रीय और सब-जेलों में कुटीर उद्योगों

के विकास और पुनर्गठन के लिए उद्योग किया गया। 'हिमरू' श्रमिकों को आवश्यक कच्चा माल दिया गया। बीदरी बर्तन उद्योग सहकारी समितियों का भी संगठन किया गया और इस उद्योग का एक सूचीपत्र प्रकाशित किया गया। अनेक कलापूर्ण वस्तुओं को बनानेवाले उद्योगों के लिए बाहरी बाजार की खोज की गई। इन उद्योगों के अन्तर्गत बीदरी बर्तन, इत्रदान, हिमरू, खिलौने आदि हैं। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शिनियों में हैदराबाद कुटीर उद्योग की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। हैदराबाद में होने वाली अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शिनियों में जापानी कुटीर उद्योग यन्त्रों का प्रदर्शन किया गया।

मध्य भारत

राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया और मशीनों पर आयात-निर्यात में छूट, कच्चे माल और तैयार माल के आयात-निर्यात में छूट आदि के रूप में विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं। सूत के कार-खाने का कार्य, जिस पर ३·५ करोड़ रुपया लगाया गया है, इस वर्ष आगे बढ़ा। अन्य कई कुटीर-उद्योगों का भी आरम्भ हुआ। उदाहरणार्थ, इन्दौर के निकट भद्रक में एक रेशम के कीड़े पालने का फारम और आदिवासी क्षेत्रों में ताड़ का गुड़ बनाने के ५ केन्द्र खोले गए। तीन नई औद्योगिक सहकारी समितियां भी स्थापित हुईं जिनमें से दो चर्म शोधन के लिए और एक हैण्डलूम उद्योग के लिए थी। बुनकरों की समितियों के द्वारा ३ लाख रुपये के मूल्य के हैण्डलूम कपड़े की मांग को पूरा किया गया। राज्य में सहकारी आन्दोलन के विस्तार के लिए उपाय

और साधन सुझाने के लिए एक सहकारी योजना समिति की नियुक्ति की गई है। मंडियों के कार्य में सुधार के लिए इस वर्ष एक कृषि उत्पादन बाजार कानून पास किया गया।

नई सड़कें बनाने के लिए २२ लाख रुपये और वर्तमान सड़कों की मरम्मत के लिए १,४४८,२६३ रुपये इस वर्ष व्यय किए गए। मध्य भारत रोडवेज के लिए ५१ नई बसों की व्यवस्था की गई। इन्दौर और उज्जैन में भी बस-सेवाओं की व्यवस्था की गई है। दो पुल बनाए जा रहे हैं जिनमें से एक निसारपुर के निकट उरी बाघनी नदी पर और दूसरा झाबुआ के निकट सुनार नदी पर बन रहा है। इन पर क्रमशः ५२१,००० और २४७,००० रुपये व्यय होंगे।

सिंचाई के वर्तमान साधनों को कायम रखा गया और १,५३३,३४२ रुपयों के व्यय से उनका विस्तार और सुधार किया गया। लगभग २२ लाख से अधिक रुपयों के व्यय से दो नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं।

मध्य भारत पंचायत कानून के अन्तर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए और ४,१११ गांव-पंचायतें, २२३ केन्द्र, २२३ न्याय और १६ मण्डल-पंचायतें कायम की गईं। कुल मिला कर ३०,०६० पंचों का चुनाव हुआ। देहात-विकास कार्यों के अन्तर्गत कुवों, देहात के मार्गों, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों और वयस्क शिक्षा कक्षाओं की व्यवस्था की गई। देहात सुधार के लिए सहायक अनुदान के रूप में १३०,३६७ रुपयों की स्वीकृति दी गई।

मैसूर

राज्य में १२,४६८ ग्राम-पंचायतें काम कर रही हैं और उनके द्वारा पंचायत-कर के रूप में ७३०,०४० रुपये एकत्रित हुए। इनमें से ३७२ पंचायतों में रेडियो भी हैं। देहात विकास के लिए २,३२५,००० रुपये बांटे गए और वृक्षारोपण के लिए १५,००० रुपये, सामाजिक कार्यों के लिए भवन-निर्माण के हेतु ६३,३५० रुपये और अछूतों के लिए भवन निर्माण के हेतु १,६००,००० रुपये स्वीकृत हुए। राज्य में अक्तूबर सन् १६५१ तक २,२५७,१८३ पेड़ लगाए जा चुके हैं।

कई नगरों में नालियों, सफाई, जल की व्यवस्था आदि की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। नगरों में जल की व्यवस्था के लिए सन् १६५१-५२ में ५ लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। वर्ष पर्यन्त २६ कस्बों और गांवों तक बिजली पहुँचाई गई।

पेप्सू

राज्य की लगभग २० प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए उद्योग पर निर्भर करती है। इस समय राज्य में ४५० छोटे और बड़े उद्योग चालू हैं। बड़े उद्योगों में ही विनियोजित उत्पादक पूंजी ४ करोड़ रुपये है और उनमें ७,००० मजदूर काम करते हैं। बैलों से चलने वाली आटे की चक्कियां और घानियां अब बिजली से संचालित की जा रही हैं। बिजली के यन्त्रों के द्वारा अन्य सामान्य कार्य यथा लकड़ी काटना आदि किए जा रहे हैं।

पेप्सू कुटीर उद्योग बोर्ड की सलाह से सरकार कुटीर उद्योगों को पूरी-पूरी सहायता दे रही है। हैण्डलूम प्रदर्शन समूह प्रत्येक सम्भव उपाय द्वारा हैण्डलूम उद्योग की सहायता कर रहा है और सुधरी किस्म के हैण्डलूम काम में लाए जा रहे हैं। आधुनिक ढंग पर एक रँगाई गृह का आरम्भ हो चुका है। विभिन्न कुटीर उद्योगों के कार्यकर्ताओं को औद्योगिक सहकारी समितियों के अन्तर्गत संगठित किया जा रहा है। केन्द्रीय कारखानों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल में साइकिल के हिस्से बनाने वाले संगठन को ६०,००० रुपये का कर्ज दिया गया।

कपूरथला जिले के फगवाड़ा नामक स्थान में एक पालिटेक्नीक कार्य कर रहा है जिसमें ९६ विद्यार्थियों के लिए स्थान है और जहां ओवरसियर, ड्राफ्टसमैन तथा बढ़ईगिरी और लोहारगिरी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सन् १९५१–५२ के वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्योगों को १९५,००० रुपयों की सहायता दी गई। २७०,००० रुपयों के अनुमानित व्यय से पटियाला और कपूरथला के कारखाना-क्षेत्रों का सुधार किया जा रहा है। पेप्सू में विभिन्न उद्योगों सम्बन्धी समस्याओं को गवेषणा के लिए पटियाला में एक केन्द्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना हो रही है। जगजीत सूती वस्त्र मिल में, जिस की स्थापना हाल में हुई है, ५०० मजदूर काम कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि अन्ततोगत्वा उसमें २,००० मजदूर काम करने लगेंगे और ५०,००० छल्लेदार टेकुवे तथा १,००० लूम लगाए जा सकेंगे।

औद्योगिक विकास के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत नाभा में एक औद्योगिक संस्था, मलेरकोटला में एक क्षेत्रीय बिक्री केन्द्र और एक अन्य केन्द्र फगवाड़ा में खोला जा चुका है। पेप्सू उद्योग सहायता कानून को लागू कर दिया गया है और उसके अन्तर्गत योग्य उद्योगों को सहायता और कर्ज दिया जाएगा। राज्य में एक अस्थि चूर्ण कारखाना स्थापित करने की योजना भी बन चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने सिंचाई की दो छोटी योजनाओं का कार्य आरम्भ किया है जिनके द्वारा ४६,७०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों को बड़े क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक सड़क विकास योजना भी तैयार की गई है।

राजस्थान

राज्य में उद्योगपतियों को नए उद्योग आरम्भ करने में सहायता देने की नीति जारी रही। सरकार ने वस्तुओं के निर्यात पर लगाई गई चुंगी के ७५ प्रतिशत भाग को वापस करने का निश्चय किया। मिलों और कारखानों को समय पर कच्चा माल पहुंचाने और काम के घंटों को नियमित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई।

सरकार ने ताड़ के गुड़ के उद्योग के विकास के लिए एक योजना बनाई। इसके अन्तर्गत ३६ नए केन्द्र खोले जाएंगे जहां १,०८० व्यक्तियों को उत्पादन का प्रशिक्षण मिलेगा। यह आशा की जाती है कि सन् १९५६ के अन्त तक उत्पादन २१,६०० मन हो जाएग। आदिवासी क्षेत्रों में चार नए केन्द्र खोलने के

लिए ४०,००० रुपयों की स्वीकृति दी गई है। इस समय २१ केन्द्र कार्य कर रहे हैं जहां २५५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में वन-महोत्सव आन्दोलन के समय हज़ारों ताड़ के बीजों को लगाया गया। ६ अन्य केन्द्रों में सहकारी समितियों का संगठन हुआ जिनकी सदस्य संख्या १२० है।

लिग्नाइट, कच्ची चांदी, सीसा, सोपस्टोन, स्लेट, अभ्रक, लाइम स्टोन आदि को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। राजस्थान में खड़िया मिट्टी की खदान बड़ी बहुमूल्य है और यह अनुमान किया गया है कि जोधपुर और बीकानेर में दो करोड़ टन खड़िया मिट्टी पाई जाती है। राज्य से बहुत बड़ी मात्रा में सिन्द्री खाद के कारखाने की आवश्यकता के लिए यह कच्चा माल भेजा जाता है। यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में राजस्थान से २,००० टन खड़िया मिट्टी नित्य प्रति भेजी जा सकेगी। इस बीच में अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त सीमेंट के कारखाने की आवश्यकताओं के लिए १ लाख टन खड़िया मिट्टी बेची गई है। भवन-निर्माण कार्यों के लिए भी प्रति वर्ष २०,००० टन खड़िया मिट्टी राज्य के अन्दर दी जाती है।

राज्य में ऊन की पैदावार काफी होती है। राजस्थान सरकार ने भेड़ों और ऊन की किस्म में सुधार के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। राजस्थान में मिलने वाली विभिन्न किस्मों की ऊन के वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति को आरम्भ करने का भी प्रयत्न किया गया है। इस बीच में ऊन की धुनाई और अन्तिम रूप

से तैयारी का एक केन्द्र भी खोला गया है। भेड़ और ऊन सुधार अधिकारी और चमड़ा निरीक्षक को उत्तम प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए सरकारी व्यय से विदेश भेजा गया।

भारत सरकार ने भारत अमेरिका प्रौद्योगिक सहयोग समझौते के अन्तर्गत राजस्थान में दो सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र चुने हैं। इन योजनाओं के द्वारा लगभग ५ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा और ४६०,००० व्यक्तियों को जो ७०० गावों में रहते हैं, इनका लाभ मिलेगा।

सौराष्ट्र

सन् १९५१ में नमक के उत्पादन में और अधिक वृद्धि हुई। नमक के उत्पादन के लिए ५,६८७ एकड़ भूमि पर ४ नए पट्टे दिए गए। जापान को ६२,००० टन नमक का निर्यात करने के लिए लाइसेंस दिए गए।

मालिया से सुलतानपुर तक समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों की पड़ताल की गई और मछली की बिक्री के लिए ७ मछुओं की सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं। ४ समितियों को ४६,००० रुपये बांटे गए और ३ समितियों को भाड़ा-खरीद के आधार पर गहरे समुद्र में मछली मारने के लिए २० समुद्री यात्रा योग्य सुधरी हुई नावें दी गईं। मछली मारने के जाल, उपकरण, कपास और तांत दी गई जिनकी आवश्यकता घोल और धारा ढंग की मछली मारने में पड़ती है।

सौराष्ट्र में मछली उद्योग की सफलताओं से उत्साहित होकर अमेरिका के औद्योगिक सहयोग प्रशासन ने १३ लाख ४० हजार रुपयों की सहायता देना स्वीकार किया है। इसका उपयोग शक्ति द्वारा संचालित नावों, हिम तथा शीत संग्रहण, चूर्ण तथा तैल कारखाने, परिवहन तथा बन्दरगाह विकास आदि के लिए किया जाएगा।

सीका में मोती की सीपियों के विकास और संरक्षण के लिए एक पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला की स्थापना की गई। सीका में मुलेट-पालन के लिए ८ मत्स्य-पालन फारम भी खोले गए और खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोगार्थ ४०,००० सूखी मछलियों को संगृहीत किया गया।

वर्ष पर्यन्त उद्योगों के विकास के लिए सौराष्ट्र राज्य बैंक को कुल २,२५४, २०० रुपयों के कर्ज स्वीकृत हुए।

दो सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को छोटे पैमाने के उद्योगों के संगठन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जापान भेजा गया।

राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए जापान से मशीनें मंगाने के लिए सरकार को १० लाख रुपये के मूल्य के बड़े लाइसेंस प्राप्त हुए। बन्तवा निर्माण केन्द्र में 'गाराबो' सिद्धान्त पर कार्य करने वाले एक कताई यन्त्र को लगाया गया।

राजकोट में एक ८०० किलोवाट की मशीन लगाई गई और दो अन्य ८०० किलोवाट की मशीनें अगले वर्ष लगाई जाएंगी।

५६७ किलोवाट का एक नया उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया और ७ अन्य बिजली घरों का विस्तार होगा। इन सब में ६,४७२,००० रुपये व्यय होंगे। इस प्रकार कुल बिजली का उत्पादन २,३५० किलोवाट बढ़ गया। विशेषतः कृषि के कार्यों के लिए डाली गई एक लाइन द्वारा जूनागढ़ को शाहपुर से मिला दिया जाएगा जो कि ७ मील की दूरी पर है।

विद्युतीकरण योजनाएँ जिनके अन्तर्गत राज्य के कतिपय भागों को तार द्वारा मिलाने के लिए केन्द्रीय स्टेशनों को स्थापित करना है, तैयार की गईं और केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग द्वारा उनकी जाँच की गई तथा आयोजन कमीशन ने उनको स्वीकृति दी।

सौराष्ट्र के ५ माध्यमिक और कुछ अन्य छोटे बन्दरगाहों में कई विकास योजनाओं का कार्य आरम्भ हुआ।

भावनगर में शहर के मुख्य जलागार से कंकरीट की जेटी तक जल पहुँचाने के लिए पानी के नल लगाए गए। बेदी के बन्दरगाह में सूखे (ड्राइ) 'डाक' पूर्ण किए गए और दो माल-गोदाम बनाए गए। एक हार्स पावर के ३५० टन और ५ टन का एक स्टीम क्रेन मंगाने के लिए आर्डर दिए गए। नवलखी और पोरबन्दर में बन्दरगाह की सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए गए।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने १७ अरब ९३ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया है और राज्य की

ओर से २१ करोड़ ४० लाख ८१ हज़ार रुपये व्यय होंगे। इस वर्ष के लिए प्रस्तावित व्यय को राज्य के बजट में रखा गया है।

पंचवर्षीय योजना का विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है :

(१) कृषि और ग्राम विकास ... ६ करोड़ ५२ लाख

(२) सिंचाई और बिजली योजनाएं ... ७ करोड़ ३० लाख

(३) उद्योग ... २८ लाख

(४) सड़क यातायात .... ३ करोड़ ८६ लाख

(५) समाजोन्नति योजनाएं .... ३ करोड़ ४३ लाख

त्रावन्कोर-कोचीन

सन् १९५१–५२ में एक नींबू-घास गवेषणा केन्द्र और एक आधारभूत यन्त्र लगाने की व्यवस्था की गई। एक प्लाइवुड का कारखाना खोलने का काम भी आगे बढ़ा। इल्मेनाइट और समुद्र-तट पर पाई जाने वाली खनिज रेत से टीटेनियम आक्साइड बनाने की एक फैक्टरी का उद्घाटन भी जनवरी सन् १९५२ में हुआ। यह कारखाना पूर्व में अपने ढंग का अद्वितीय है और राज्य में रासायनिक उद्योगों के विकास में इसका महत्त्वपूर्ण भाग होगा।

उद्योगों के प्रबन्ध और विकास की योजना बनाने और समन्वित नीति निर्धारित करने में राज्य सरकार को परामर्श

देने के लिए श्री कस्तूरभाई लालभाई को आमन्त्रित किया गया कि वे राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थानों की जांच-पड़ताल करें। मार्च सन् १९५१ में उन्होंने राज्य का दौरा किया और व्यापक जांच के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कुटीर उद्योग बोर्ड के तत्वावधान में राज्य में कुटीर उद्योगों की भी जांच-पड़ताल की गई। बांस, रत्तन, पौराई घास, स्क्रू पाइन आदि वस्तुओं से कुटीर उद्योगों की चीजें बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक जापानी विशेषज्ञ को आमन्त्रित किया गया। राज्य में उक्त वस्तुएं बड़े परिमाण में पाई जाती हैं। उक्त विशेषज्ञ ने बांस से प्लाइवुड बनाने के ढंग का प्रदर्शन किया और बांस के बने घरों की पद्धति भी बताई। उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने त्रिवेन्द्रम में एक प्रयोगात्मक और प्रदर्शन केन्द्र तत्काल खोलने के लिए कदम उठाया। बोर्ड को कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित प्रौद्योगिक समस्याओं पर सलाह देने के लिए तदर्थ सलाहकार समिति बना दी गई।

सहकारी आधार पर ताड़ का गुड़ बनाने और वैज्ञानिक उत्पादन के तरीकों को अपना कर गुड़ की किस्म को अच्छी बनाने के लिए सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई। इस बीच सरकार द्वारा छः आदमियों को ताड़ का गुड़ बनाने का ढंग सीखने के लिए बाहर भेजा गया और लौटने पर राज्य के छः गुड़ बनाने वाले केन्द्रों में उनकी नियुक्ति की गई। उनके काम की देख-रेख के लिए सरकार ने एक ताड़ संगठनकर्ता की भी नियुक्ति की।

पुनर्वास

मध्य भारत

ग्वालियर और इन्दौर में बनाई गई दो बस्तियों के अतिरिक्त ३५० घरों वाली एक अन्य बस्ती उज्जैन में बसाने का कार्य वर्ष पर्यन्त पूरा हुआ। विभिन्न नगरों में ३३७ मकानों वाली छः अन्य बस्तियों के निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ। सन् १९५१–५२ के अन्त तक कुल बनाए गए घरों की संख्या १,१६८ थी। यह आशा की जाती है कि शेष ३३७ घर जून सन् १९५२ तक बन जाएंगे। १,५०५ मकानों वाली सम्पूर्ण ६ बस्तियों पर अनुमानतः २८·४४ लाख रुपये व्यय होंगे।

कुल ५३६,७५४ रुपयों के कर्ज ७२८ विस्थापित व्यक्तियों को वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य धंधों में फिर से बसने के लिए दिए गए। पुनर्वास ऋण योजना के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ के अन्त तक ६,५०१ विस्थापित व्यक्तियों को कर्ज प्राप्त हुए और दिए गए कुल कर्जों का परिमाण ६,६१५,९१९रुपये था। इसके अतिरिक्त ५७२ व्यक्तियों और संस्थाओं को नियन्त्रित वस्तुओं के लाइसेंस और कोटा प्राप्त करने में सहायता दी गई। शहरी आबादी के अतिरिक्त २५० परिवारों को भूमि पर बसाया गया। सन् १९५१–५२ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों के लिए पक्की दुकानें बनाने के हेतु विभिन्न नगर-पालिकाओं को ७०१,००० रुपये कर्ज के रूप में दिए गए। यह ग्वालियर नगरपालिका को दिए गए दो लाख रुपयों के कर्ज के अतिरिक्त था। सन् १९५१-५२ के अन्त तक बनाई गई दुकानों की संख्या ७५९ थी।

वर्ष पर्यन्त विस्थापित व्यक्तियों के लिए ६ उद्योग-धंधों और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के केन्द्र चालू रहे और सन् १९५१-५२ के अन्त तक १,१४६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ३६ विद्यार्थियों को २० रुपये से ६० रुपये तक के वज़ीफे दिए गए। वज़ीफों के लिए कुल ११,४६५ रुपये व्यय हुए। शिक्षा विभाग के द्वारा योग्य विद्यार्थियों को २०,०२५ रुपये बांटे गए। इसी प्रकार ५४५ असमर्थ बूढ़े और अपंग व्यक्तियों को १० से लेकर १५ रुपये तक का नक़द दान दिया गया। नक़द दान के लिए सन् १९५१-५२ के अन्त तक ६२६,०७८ रुपये दिए गए।

मैसूर

मैसूर राज्य की सेना के भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने के लिए २,०२४,७४० रुपयों की एक व्यापक योजना तैयार की गई। कुछ मामलों में भूतपूर्व सैनिकों को कर्ज़ दिए गए और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई।

पेप्सू

मुस्लिम निष्क्रमणार्थी अपने पीछे ४३१,४६६ स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि छोड़ गए थे। पंजाब और पेप्सू के लिए जालंधर में जो सम्मिलित अर्द्ध-स्थायी नियतन कार्य हुआ, उसके अन्तर्गत १०२,९३६ स्टैण्डर्ड नियतन आज्ञाएं जारी की गईं और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा ३ लाख रुपये से अधिक भूमि हस्तगत की जा चुकी थी। केन्द्र से लगभग १ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करके पेप्सू विकास बोर्ड ने दो नए लघुनगर बसाए—एक राजपुरा में

२,४०० मकानों वाला और दूसरा पटियाला के निकट त्रिपुरी में १०० मकानों वाला। समाना और राजपुरा में दो प्रशिक्षण और कार्य-केन्द्र विस्थापित व्यक्तियों को उपयोगी धंधे सिखाने के लिए संचालित हैं।

सौराष्ट्र

सौराष्ट्र में लगभग ६० प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न उद्योग-धंधों में फिर से लगाया जा चुका है। इनमें से २,८४६ व्यक्तियों को अनाथालयों और शिविरों में दातव्य सहायता दी गई क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों को पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्रों में नहीं बसाया जा सकता था, अतः प्रयत्न किया गया कि उन्हें गाँव में मकान और दुकानें बनाने के लिए सुविधाएं और कर्ज देकर वहाँ भेजा जाए।

हरिजनों की दशा में सुधार के लिए सरकार ने एक हरिजन गृह-निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाई। इस कार्य के लिए राज्य और गांधी स्मारक निधि द्वारा दो लाख रुपये की दो सहायताएं देना स्वीकार किया गया। निधि द्वारा डेढ़ लाख रुपये का एक ब्याज रहित ऋण भी दिया जाएगा।

त्रावन्कोर-कोचीन

इस वर्ष फिर से बसाने की एक ऐसी योजना स्वीकृत हुई जिसके अनुसार खाद्य उत्पादन के लिए दी गई सम्पूर्ण भूमि की चकबन्दी इस प्रकार के समुचित क्षेत्रों में होगी जिससे लाभदायक सहकारी बस्तियाँ बनाई जा सकें। उद्देश्य यह रखा गया है कि

प्रथम तीन वर्षों में १०० परिवारों वाली ऐसी ७० बस्तियाँ संगठित की जाएं। गृह-हीनों को गाँवों में बसाने के सम्बन्ध में संगठन कार्य की स्वीकृति दी गई और इसके लिए आवश्यक भूमि सरकार से और ऐच्छिक उपहार द्वारा प्राप्त होगी तथा जब आवश्यक होगा तब सरकार भूमि को हस्तगत कर सकेगी जिससे कि मकान बनाए जा सकें।

पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत ५६,२५० रुपयों के व्यय से २८५ मकान बनाए गए। ४३५ और भी मकानों को बनाने का कार्य चल रहा है। साथ ही पिछड़ी हुई जातियों को घटे हुए दामों में ६५६ एकड़ भूमि दी गई और कुठापट्टम में खाद्य उत्पादन के लिए १,३४६ एकड़ भूमि को पट्टे पर उठाया गया।

३. भाग 'ग'

खाद्य और कृषि

अजमेर

सन् १९५१–५२ में राज्य में जोर का अकाल पड़ा। विपत्ति को दूर करने के लिए सरकार ने १८ प्रयोग-निर्माण-कार्य आरम्भ किए जिनसे ६०,००० लोगों को राहत पहुँची। राहत कार्यों के लिए बजट में ५,०००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

अक्तूबर सन् १९५१ में कमी वाले क्षेत्रों में मितव्ययता (देहाती क्षेत्र) खाद्य योजना चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत अक्तूबर सन् १९५१ और अप्रैल सन् १९५२ के मध्य देहाती क्षेत्रों और प्रयोग-निर्माण-कार्यों में ५,४३५·७ टन खाद्यान्न बाँटा गया। तकावी ऋण के रूप में बाँटने के लिए १,१५०,००० रुपयों की राशि मंजूर की गई।

इस वर्ष कूड़ा-कर्कट की अधिक खाद बनाई गई। इस प्रकार नगरों से लगभग ५,००० मन मिश्र-खाद देहाती क्षेत्रों को भेजी गई और किसानों ने स्वयं भी खाद के लगभग १,६४० गड्ढे खोदे। मिश्र-खाद भेजने के लिए ३ ट्रक और खरीदे गए।

टिड्डियों तथा अन्य प्रकार के कीड़ों के निवारण के लिए उपाय किए गए। २१३ गाँवों के २,३१२ एकड़ क्षेत्र में फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों पर नियन्त्रण रखने के लिए कृमिनाशक रासायनिकों का प्रयोग किया गया। टिड्डियों से बचने के लिए किए गए उपाय बहुत सफल रहे और वर्ष पर्यन्त किसी हानि की सूचना नहीं मिली। पुष्कर क्षेत्र में पाए गए टिड्डों को नष्ट करने के लिए ८ मील के क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया गया और बी० एच० सी० पाउडर छिड़का गया। टिड्डियों से भरी १०,७५० झाड़ियों को जला दिया गया। साथ ही ३०० बीघे भूमि में चूहों के विरुद्ध जिंक फ़ास्फ़ाइड फंदे और मारक गैस का प्रयोग (cymage) किया गया।

१९५१–५२ में रबी के आधार पर १,५०० मन गेहूँ के, २,००० मन चने के और ७,६०० मन जौ के बीज बांटे गए। जनता में तरकारियां उगाने को प्रोत्साहन देने के लिए टेक्नीकल कर्मचारियों ने दौरे किए और निःशुल्क परामर्श तथा सहायता दी। पौष्टिक तरकारियों के बीज तथा अंकुर मुफ्त बांटे गए।

कई स्थानों पर किसानों के अपने खेतों में प्रदर्शन-क्षेत्र बनाए गए और खली की खाद तथा एमोनियम सलफेट मुफ्त दिया गया। ताड़ के गुड़ की एक विकास योजना आरम्भ की गई और इस उद्देश्य से पुष्कर मण्डल के रुपहेली स्थान में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत ६०७ व्यक्तियों को बैल खरीदने के लिए ३६८,४५० रुपये का तकावी ऋण दिया गया, नए कुएं खोदे गए और पुरानों की मरम्मत की गई जिसमें १,७०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए ३४० कुएं हो गए, २५ प्रतिशत सहायता के आधार पर १३३ पम्प बांटे गए और तकावी ऋण पर किसानों को ४३१,७३३ रुपये के मूल्य के २८ ट्रैक्टर दिए गए। सरकार ने २०,००० मन बीज और २,०६४ टन उर्वरक बांटे। इस वर्ष ३१ तालाब, १६ बांध और नहरें तैयार की गईं और २६ तालाब अभी बन रहे हैं। १२३,००० रुपये की लागत की कालियासोट सिंचाई योजना भी पूरी की गई। ट्रैक्टरों ने १०३,७१३ एकड़ भूमि का कांस से उद्धार किया। ३,००० एकड़ के क्षेत्र में ट्रैक्टरों द्वारा हल्की जुताई की गई।

५,००० एकड़ में अच्छी तरह जुताई की गई। विभिन्न गांवों में खाद के गड्ढे खोदे गए और तालाबों की सिवार, चीनी मिल की फोक इत्यादि से मिश्र-खाद बनाने का कार्य हाथ में लिया गया। गांधी जयन्ती सप्ताह में किसानों ने गांवों में करीब ८०० गड्ढे खोदे। सरकारी फारमों और किसानों के खेतों में विभिन्न रोगों और कृमियों के नियन्त्रण के प्रदर्शन किए गए। बीज द्वारा फैलनेवाली बीमारियों को रोकने के लिए जुआर, धान और गेहूं के बीजों को 'अगरोसन' द्वारा युक्त किया गया। ३,१३२ मन कपास के बीज बांटे गए और २३,००० एकड़ भूमि

में खेती आरम्भ की गई। सामुदायिक विकास का भी श्रीगणेश किया गया।

इस वर्ष खाद्यान्नों का कोई राशन लागू नहीं किया गया। राज्य न केवल आत्मभरित था अपितु कुछ बढ़ोतरी ही थी। सरकार ने २०६,७७७ मन गेहूँ और २१,५६२ मन ज्वार कमी वाले राज्यों को भेजी। गेहूँ की उपलब्धि के सम्बन्ध में आरोपण-प्रणाली चालू की गई और इस कार्य के लिए उपलब्धि अभिकर्ता नियुक्त किए गए। १ जून, १९५२ से राज्य में चीनी का राशन तोड़ दिया गया। कांटे की चीनी की दर नियन्त्रित है और वर्तमान वितरण प्रबन्ध चालू रहेंगे।

प्रधान मन्त्री की खाद्य उपहारों की अपील के उत्तर में राज्य ने ८,५०० रुपये के मूल्य का २२० बोरी गेहूँ बिहार भेजा, ८,२६१ रुपये प्रधान मन्त्री की राष्ट्रीय राहत निधि में और ५,००० रुपये महिला खाद्य परिषद्, पटना को भेजे।

बिलासपुर

भू-सम्पत्ति की खरीद और बेच के लिए इस वर्ष कृषि और ग़ैर-कृषि लोगों का भेद मिटा दिया गया है। भूमि क्षय को रोकने के लिए भाखरा-नांगल योजना के उपरि भाग का पर्यवेक्षण किया गया है।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत कुल १५ योजनाएं भारत सरकार के पास खर्च की मंजूरी के लिए भेजी गईं। कगारों के सुधार और सिंचाई के साधनों का पर्यवेक्षण

करने के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति का निर्णय किया गया। खाद, बीज के चुनाव और क्रम से फसल बोने के तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए गए। किसानों में लागत मूल्य पर बढ़िया किस्म के बीज के गेहूं बांटे गए। फल और तरकारी के उत्पादन को लोकप्रिय बनाया गया। औहार के कृषि फ़ारम को आदर्श प्रदर्शन फ़ारम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। 'अधिक अन्न उपजाओ' और 'कम अन्न खाओ' आन्दोलनों में प्रशंसनीय कार्य करने वाली अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के अन्तर्गत बिलासपुर में एक ऐसा ही फ़ारम खोला जा चुका है। अनेक ग्रामों में फसल-प्रतियोगिता आरम्भ की गई। राज्य के प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि-सेना भर्ती की जा रही है। अन्त में विस्तार-निदेशक के स्थान की मंजूरी भी उल्लेखनीय है।

अपने-अपने क्षेत्र में कृषि-उत्पादन बढ़ाने और सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के बारे में पंचायतों से सुझाव भेजने को कहा गया था प्रत्येक पंचायत से ईंधन, चारे और लकड़ी का संचय बनाने को भी कहा गया।

कुर्ग

वर्ष पर्यन्त राज्य में एक कृषि गवेषणाशाला स्थापित की गई। धान की किस्म सुधारने के लिए सन् १९५१ में पोन्नमपेट में एक फ़ारम भी खोला गया। कुडिगे फ़ारम से सम्बद्ध एक कृषि स्कूल के लिए लगभग १०० एकड़ भूमि हस्तगत की गई। कृषि-विभाग के कर्मचारियों ने लोहे के हलों के प्रयोग में

२४३ प्रदर्शन किए, ३२७ भाषण दिए और ७ प्रदर्शिनियों का आयोजन किया। विभाग के लिए एक ट्रैक्टर-एकक भी हस्तगत किया गया।

भरपूर कृषि योजना के अन्तर्गत १३२ तालाब या तो खोदे गए या फिर से ठीक किए गए और ७३ बांध और नहरें बनाई गईं या उनकी मरम्मत की गई जिससे १,३३६ एकड़ धान की खेती की सिंचाई हो सकेगी। १,३०६ एकड़ भूमि सहायक खाद्य फ़सलों के अन्तर्गत लाई गई। लगभग १,०६० टन खाद और उर्वरक किसानों में बांटे गए। २१०,००० टन मिश्र-खाद सुरक्षित रक्खी गई और किसानों में अधिक मिश्र-खाद को सुरक्षित रखने को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से १६,५४० रुपये के उपकरण पारितोषिक के रूप में बांटे गए। धान, सन्तरे, काफ़ी, इलायची और सुपारी के वृक्षों पर ८०,००० रुपये की लागत के कृमिनाशक और कुकरमुत्ता-नाशक रसायन छिड़के गए। धान की फसल के रोगों को निर्मूल किया गया या रोका गया।

वर्ष पर्यन्त फसल प्रतियोगिता के अन्तर्गत २६४ गांवों से ४,५०२ प्रतियोगियों को भर्ती किया गया और प्रति एकड़ अत्य-धिक उत्पादन करने वाले किसानों को सुन्दर पारितोषिक दिए गए। सरकारी फार्मों में जई, रिजका और हरा चारा उगाया गया। पशुओं की महामारियों को सफलतापूर्वक रोका गया। पशु प्रदर्शन और एक अखिल कुर्ग कुक्कुट प्रदर्शन किए गए। किसानों को देने के लिए साहीवाल सांड़ प्राप्त किए गए। कुहिंगे फारमों से सम्बद्ध एक दुग्धशाला और एक कृत्रिम पशु गर्भाधान

केन्द्र भी स्थापित किया गया। वर्ष पर्यन्त जीवित पशुओं की पंचवर्षीय गणना भी की गई।

दिल्ली

सिंचाई के कुओं को बनाने के लिए किसानों को तकावी ऋण दिए गए और इन कुओं के लिए सिमेन्ट नियन्त्रित दर पर दी गई। इन्हीं दिनों ३४२ कुएँ खोदे गए जिनसे १,५५२ टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ४७४·६४ एकड़ भूमि का सुधार किया गया और ३१ मई सन् १९५२ तक ७१०·२० एकड़ भूमि में खेती की गई। इसके अतिरिक्त २०,३२५ टन मिश्र और कूड़े-कर्कट की खाद कम दरों पर बाँटी गई। इससे ५,०६५ एकड़ में २०,३२५ मन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न हुआ। कृषि-उपकरणों, गाड़ियों के पहियों और चरसों के लिए ७३०·४ टन लोहा और इस्पात दिया गया। गेहूँ, चने, मक्का, और बाजरा के बीजों की प्रचुर मात्रा बांटी गई और प्रति एकड़ अत्यधिक उत्पन्न करने वाले किसानों को अच्छे-अच्छे इनाम देने की घोषणा की गई। पशुओं के लिए चारा, बिनौला और नमक बेचा गया। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए अनेक उपाय किए गए जिनमें झाड़ना, छिड़कना और सुगन्धित करना भी शामिल है। वर्ष पर्यन्त कुल मिलाकर ७,५४० वृक्ष लगाए गए।

मछली पकड़ने को भी नियमित किया गया और अब राज्य में लाइसेंस द्वारा ही मछली पकड़ी जाती है। देहाती क्षेत्रों के तालाबों में शफरी जाति की मछली एकत्र की गई। मछली पालने के लिए ७ गांवों में नए तालाब भी हस्तगत किए गए।

वधि में ४० एकड़ भूमि पर एक कृषि-फारम खोला गया और इसे कृषि स्कूल से सम्बद्ध कर दिया गया। वर्ष पर्यन्त १,००० नए कुएं खोदे गए। दो छोटे-छोटे सिचाई-निर्माण-कार्य पूरे किए गए और पंजाब के बढ़िया किस्म के बीज-गेहूं तथा ४८ टन एमोनियम सलफेट किसानों में बांटा गया। खाद की स्थिति सन्तोषप्रद रही। यद्यपि वर्षा के न होने से कुछ कठिनाई की सम्भावना थी तो भी बुद्धिमत्तापूर्ण वितरण और केन्द्रीय सरकार द्वारा सामयिक खाद्य अनुदान की प्राप्ति से स्थिति को काबू में रखा जा सका।

मणिपुर

सन् १६५१–५२ में राज्य की राजधानी इम्फाल के निकट एक नया सरकारी फारम स्थापित किया गया। अधिकांश कर्मचारी फारम को लगाने के कार्य में व्यस्त रहे तो भी लगभग ३० एकड़ भूमि में गेहूँ, मटर, चना, आलू, सरसों, बंदगोभी, फूलगोभी, मूली, सलाद और अन्य तरकारियाँ—रबी की विभिन्न फसलें, बोई गईं। इच्छुक उत्पादकों को तरकारियों की पौध नाममात्र मूल्य पर दी गई। सरकारी फारम में १,००० फल-वृक्षों से अधिक की नर्सरी में आम, अमरूद, केला, सेब और अन्य फलों की विभिन्न किस्में उगाई गईं। फारमों में पशुधन भी छोटे पैमाने पर बढ़ाया गया।

वर्ष पर्यन्त गेहूँ और मटर में रतुआ तथा आलू में कंकर महामारी के रूप में लगने लगे। सरकार ने इनके निवारण के लिए

रसायन और उपकरण उपलब्ध कराए। बड़े पैमाने पर पटसन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए चुनी हुई किस्मों के पटसन के बीज प्राप्त किए गए और उत्पादकों में कम दर पर बांटे गए।

कठोर, बिनाजोती और पड़ती भूमि की जुताई और पुनरुद्धार के लिए किसानों को एक फोर्डसन ट्रैक्टर किराए पर दिया गया। इससे १०० से अधिक एकड़ भूमि की जुताई की गई।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत सरकार ने इस शर्त पर गेहूं, चने, आलू और सरसों के अधिक बीज बांटे कि अगली फसल पर या तो उतनी ही मात्रा लौटा दी जाएगी या उतना ही धन दे दिया जाएगा। सन् १९५०–५१ में अधिकांशतः घाटी के किसानों में बीज बांटे गए थे। सन् १९५१–५२ में अधिकतर पहाड़ी लोगों में बीज बांटे गए। इस प्रकार पहाड़ी के उत्पादकों में लगभग ६० मन गेहूं के, चार मन चने के, ३७३ मन आलू के और २० मन सरसों के बीज बांटे गए।

त्रिपुरा

राज्य के कृषि फारम में धान, पटसन, गन्ना, मूंगफली, मकई, तम्बाकू और लम्बे रेशे वाली कपास की बढ़िया किस्में बोई गईं। किसानों में प्रचुर मात्रा में बीज बांटे गए। अगरतला के पौध-स्टेशन में पौध की विभिन्न किस्में उगाई गईं और उत्पादकों में बांटी गईं। इसके साथ ही वहां उगाई गई तरकारियां बाजार

में बेची गई। क्षेत्र-कर्मचारियों द्वारा की गई नालियों की खेती का परिणाम भी उत्साहजनक था।

वर्ष पर्यन्त ३५,६५३ घन फुट मिश्र-खाद तैयार की गई और ३,७६० घनफुट किसानों में बाँटी गई। लगभग ५२५ प्रतियोगियों ने फसल-प्रतियोगिता में भाग लिया। अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान लगभग ४० टन है।

आइजटनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था में प्रशिक्षण के लिए एक नए पशुचिकित्सा स्नातक को भेजा गया। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुओं के सुधार की कुंजी फारम योजना से सम्बद्ध प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है।

विन्ध्य प्रदेश

वर्ष पर्यन्त कृषि के ४ अतिरिक्त एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर नियुक्त किए गए। प्रत्येक के जिम्मे दो जिले होंगे। इनमें से एक को रामपुर-भूमि-संरक्षण योजना का कार्यभार सौंपा गया है। इस समय राज्य की ३,८८२,६७२ एकड़ भूमि में हल चलता है और २,५७४,०६८ एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है। कांस संकुलित भूमि का पुनरुद्धार कार्य जारी रहा और २,१०६ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया तथा उसमें खेती आरम्भ की गई। वर्ष पर्यन्त १३० कुंए और ५२ तालाब तैयार किए गए और १८ रहट लगाए गए। इससे १,२०० एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी।

इसके साथ ही किसानों में ५,२०७ मन धान के बीज, ८६२ मन गेहूँ के बीज, ३५० मन पटना के लाल आलू के बीज और १८६ मन अन्य बीज बाँटे गए। किसानों को ८·६८ लाख रुपये के तकावी ऋण भी दिए गए।

शिक्षा

अजमेर

सन् १९५१–५२ में अजमेर के गवर्नमेंट कालेज में कानून की कक्षाएं आरम्भ की गईं और डी० ए० वी० कालेज तथा सावित्री गर्ल्स कालेज के स्तर को बढ़ा कर डिग्री तक कर दिया गया। अजमेर की गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग संस्था को अजमेर प्रशासन द्वारा हस्तगत कर लिया गया। इसे अब तक दिल्ली प्रशासन चलाता था। पुष्कर के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया। हाई स्कूलों में अधिक स्थानों की बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने के लिए ब्यावर में दो और स्कूल खोले गए—एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। इसके अतिरिक्त केकरी गवर्नमेंट वेथम हाई स्कूल और विजयनगर के नारायण हाई स्कूल की नवीं कक्षाओं में विशेष उप-कक्षायें खोली गईं।

राज्य में बुनियादी शिक्षा ने भी प्रगति की। नवम्बर सन् १९५१ में ब्यावर सब-डिवीजन में ८५ नए स्कूल खोले गए और वर्तमान ३० प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिणत कर दिया गया।

सन् १९५१–५२ के बजट में सामाजिक शिक्षा के लिए १००,००० रुपयों की व्यवस्था की गई। नवम्बर सन् १९५१ में ५० सामाजिक केन्द्रों की वृद्धि की गई। गर्मी की छुट्टियों में स्वेच्छा के आधार पर ३०० अध्यापकों, छात्रों, स्काउटों और जूनियर रेडक्रास के सदस्यों की एक भूमि-सेना बनाई गई।

अजमेर में आदर्श नगर स्थित अंधों के लिए वर्तमान घर और स्कूल का प्रान्तीयकरण किया गया। वर्ष पर्यन्त ३,००० रुपये व्यय किए गए।

भोपाल

सन् १९५१–५२ में भोपाल राज्य में शिक्षा ने बहुत प्रगति की। ४ मिडिल स्कूलों और ६ लोअर मिडिल स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उन्हें क्रमशः हाई स्कूल और मिडिल स्कूल कर दिया गया। गांवों में २९ प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। सेहोर हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज बन गया और हमीदिया कालेज में बी० एस० सी० और पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाएं खोली गईं। सभी कक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य विषय बना दिया गया और कृषि, ललित कलाएं, सामाजिक शिक्षा, संगीत और आरोग्य-विज्ञान जैसे लाभदायक विषयों को आरम्भ किया गया। ८ स्नातक अध्यापकों को बी० टी० की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ४ मैट्रिक अध्यापकों को डिप्लोमा के लिए और १० को बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। पुस्तकों के रूप में दी गई सहायता के अतिरिक्त शुल्क माफ कर दिए गए और हरिजन तथा परिगणित जातियों के छात्रों को १३,००० रुपये की

छात्रवृत्तियां दी गईं। राज्य भर के समस्त ग्राम-स्कूलों में सामाजिक शिक्षा आरम्भ कर दी गई।

बिलासपुर

शिक्षा ने वर्ष पर्यन्त उल्लेखनीय प्रगति की। स्कूल के भवनों को पूरी तरह ठीक किया गया। साज-सज्जा का प्रमापीकरण हुआ और जहां आवश्यकता थी, नए कक्ष बनाए गए। ४ प्राइमरी स्कूलों को बढ़ा कर मिडिल के स्तर का कर दिया गया और लड़कियों का एक मिडिल स्कूल हाई स्कूल बन गया। इस के अतिरिक्त क्रम से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। उदाहरण के लिए, १५ अध्यापकों के एक दल ने दिल्ली की जामिया मिलिया में बेसिक ट्रेनिंग पूरी की और इतने ही अध्यापकों का एक अन्य दल ट्रेनिंग पा रहा है। स्कूलों में ३८ नए अध्यापक नियुक्त किए गए। शिक्षण-कक्षाएं, पर्यटन, वाद-विवाद, नाटक, क्लब, रेडक्रास का कार्य, वन-महोत्सव और विश्व स्वास्थ्य सप्ताह समारोहों से स्कूल में छात्रों का जीवन अधिक समृद्ध और लाभदायक होता जा रहा है।

कुर्ग

मरकारा के सेंट्रल हाई स्कूल में लगभग २३ अध्यापकों ने सामाजिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। राज्य में वयस्क शिक्षा को संगठित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया और अब इसे उत्तरी कुर्ग के २० स्कूलों में आरम्भ किया जा रहा है। देहाती क्षेत्रों में अनेक पुस्तकालय खोले गए।

इस समय वयस्क शिक्षा देने वाले स्कूलों के साथ २० पुस्तकालय हैं। देहाती कलाओं, गीतों और नृत्यों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १९५२ में एक हाई स्कूल में नैशनल केडेट कोर की एक टुकड़ी भी बनाई गई।

दिल्ली

राज्य में शिक्षा, विशेषकर बुनियादी और सामाजिक शिक्षा, ने प्रगति जारी रखी। १५० बेसिक स्कूल खोले गए और इनमें पढ़ने वालों की संख्या २४,०८० थी। सामाजिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए १४५ गांवों में तीन-तीन दिन के मेले आयोजित किए गए और लगभग ३६,३४४ वयस्कों ने साक्षरता-कक्षाओं से लाभ उठाया। अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को लागू करने के अभिप्राय से उचित आयु के बच्चों की एक संयुक्त-सूची तैयार की गई। वर्ष पर्यन्त ५३८ बेसिक और प्राइमरी स्कूल, ७२ मिडिल स्कूल और ७६ हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल कार्य करते रहे। इनके अतिरिक्त दो प्रौद्योगिक संस्थाएं—एक व्यावसायिक-सहित-सांस्कृतिक-केन्द्र और दूसरा गूंगे-बहरों का लेडी नौइस स्कूल तथा अध्यापकों के लिए दो प्रशिक्षण संस्थाएं, जिनमें से एक स्त्रियों के लिए है, कार्य करती रहीं। अन्तिम संस्था में छात्राओं की संख्या ५४० थी।

कच्छ

वान्धे में एक अन्धों का और दूसरा कृषि स्कूल खोला गया। विभिन्न गांवों में १० नए प्राइमरी स्कूल खोले गए और भुज के

टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में विस्तार हुआ। धीरे-धीरे प्रमाप बढ़ाने के अभिप्राय से विभिन्न स्कूलों में उच्च कक्षाएं खोली गईं। भुज में लड़कियों के स्कूल को बढ़ा कर अब हाई स्कूल बना दिया गया है। सन् १९५०-५१ में ३१ वैयक्तिक संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए गए थे, सन् १९५१-५२ में ७३ संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए गए। पुस्तकालयों को भी अनुदान दिए गए। ८ प्रारम्भिक स्कूलों को भी सरकार ने अनुदान दिए। दृश्य-श्रव्य शिक्षा के प्रबन्ध भी किए गए और इस उद्देश्य के लिए साज-सज्जा खरीदी गई। जून सन् १९५३ से एक कालेज के खुल जाने की सम्भावना है, जिसके लिए ५ लाख रुपये का दान प्राप्त हो चुका है और सन् १९५२-५३ के बजट में आवर्त्तक व्यय के लिए व्यवस्था की जा चुकी है।

मणिपुर

वर्ष पर्यन्त राज्य के लड़कों और लड़कियों के कालेज में एफ० ए० की विज्ञान कक्षाएं खोली गईं।

चालू वर्ष के आरम्भ में ४९ मिडिल स्कूल थे। इनमें से १३ सरकारी मिडिल इंगलिश स्कूल, २४ सहायता प्राप्त और १२ प्राइवेट स्कूल थे। अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या ३३ से बढ़ कर ३५ हो गई। दो लोअर प्राइमरी स्कूलों—एक सरकारी और दूसरा सहायताप्राप्त—को अपर प्राइमरी स्तर का कर दिया गया। ३५ अपर प्राइमरी स्कूलों में से ८ सरकारी थे, ३ सहायता प्राप्त थे, और शेष २४ प्राइवेट स्कूल थे।

सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूलों की संख्या २१८ से बढ़ कर २५० हो गई। नए लोअर प्राइमरी स्कूलों में से ४ विस्थापित बच्चों के लिए थे। सहायता प्राप्त लोअर प्राइमरी स्कूलों की संख्या ११८ से बढ़ कर २०६ हो गई।

त्रिपुरा

सन् १९५१-५२ में सरकार ने एक कालेज, ३४ सेकेण्डरी स्कूल, ३७८ प्राइमरी स्कूल, प्राच्य शिक्षा के ४ स्कूल, वयस्कों के दो स्कूल, और १ बेसिक स्कूल का प्रबन्ध किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० एस० सी० डिग्री की शिक्षा देने के लिए एम० बी० बी० कालेज के लिए सहमति प्राप्त की गई। वर्ष पर्यन्त सरकार ने विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं को २८,२४० रुपयों तक की सहायता प्रदान की।

विन्ध्य प्रदेश

सन् १९५१ में शिक्षा का कुल व्यय ४,४८४,००० रुपये था जब कि गत वर्ष वह ४,११३,००० रुपये था।

तीन प्राइमरी स्कूलों को बढ़ा कर हिन्दी मिडिल स्कूल कर दिया गया और २५ नए प्राइमरी स्कूल खोले गए। इस समय राज्य में १,७२२ प्राइमरी स्कूल कार्य कर रहे हैं। सन् १९५१ में तीन मिडिल स्कूल खोले गए और इस प्रकार हिन्दी मिडिल स्कूलों की कुल संख्या १३८ हो गई। पांच ऐंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूलों को बढ़ा कर हाई स्कूल बना दिया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अजमेर

सन् १९५१-५२ में अजमेर की चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं ने अच्छी उन्नति दिखाई। रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप किंग जार्ज फिफ्थ मेटर्निटी होम में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए। इसी बीच केकरी के मिसेज गिटनी जनाना अस्पताल को सरकार अपनी देखरेख में ले रही है और अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल में सुधार किए गए। पिछले अस्पताल में एक तपेदिक रुग्णालय खोला गया और मदार के आरोग्याश्रम में निर्धन रोगियों के मुफ्त उपचार के लिए ३२ पलंग सुरक्षित कर दिए गए। रुग्णालय के लिए एक नए भवन की मंजूरी दी जा चुकी है।

रामसर, सवार, पुष्कर, टोडगढ़, देवली, काकरी और मासूदा के दवाखानों को सरकार ने अपनी देखरेख में ले लिया और अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए। बी० सी० जी० योजना के अन्तर्गत टीके लगाने का सुझाव है और ब्यावर में ५० पलंगों वाला एक अस्पताल स्थापित किया जाएगा। सरकार ने सरधना, भिनाई, जावजा और श्रीनगर में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

भोपाल

वर्ष पर्यन्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार द्वारा महामारियों को रोका गया। हैजे के केवल दो मामले हुए, जब

कि गत वर्ष ३३ हुए थे। चेचक से होने वाली मृत्युओं की संख्या भी १५२ से घट कर १४ रह गई। कई स्थानों पर डी० डी० टी० 'पाइरेथ्रम' छिड़का गया और कुछ महीनों की अवधि में ही तिल्ली-देशनांक ५० से गिर कर ३० रह गया। ८,००,००० रुपयों की लागत के एक तपेदिक अस्पताल का शिलान्यास किया गया। बी० सी० जी० के आन्दोलन के अन्तर्गत लगभग १०,००० व्यक्तियों की परीक्षा की गई और उनको टीके लगाए गए।

बिलासपुर

वर्ष पर्यन्त देहाती दवाखानों के भवनों का पुनर्निर्माण किया गया, एवं और अधिक दवाइयां और यन्त्र खरीदे गए। बिलासपुर के जनाना अस्पताल के लिए एक नई लेडी डाक्टर को भर्ती किया गया। चीफ मेडीकल आफिसर को एक्सरे विज्ञान का प्रशिक्षण दिलाया गया। कम्पाउंडरों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सफाई के दारोगाओं और नर्सों के स्थानों की मंजूरी भी दी गई।

मलेरिया निरोधक आन्दोलन चलाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल द्वारा गुप्त रोगों की जांच-पड़ताल का आयोजन किया गया और डी० डी० टी० के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया। स्कूल के बच्चों की चिकित्सा-परीक्षाएं की गई। इन बच्चों के हित के लिए ही आरोग्य-विज्ञान, सफाई और उचित पुष्टई के विषय में भाषण भी कराए गए।

बड़े पैमाने पर टीके लगा कर, शौच जाने के लिए गड्ढे खोद कर और पीने के पानी को शुद्ध करके महामारियों को रोका गया। डी० डी० टी० नियमित रूप से छिड़का गया। सन् १९४७ में मलेरिया से हजार पीछे २४७ मृत्युएं, सन् १९५१ में घट कर १९ रह गईं और तिल्ली के बढ़ने से ६५ प्रतिशत से घट कर ५ प्रतिशत से भी कम रह गईं। अस्पतालों में गुप्त रोगों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य की देखरेख की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषणों, प्रदर्शनों और प्रदर्शिनियों का आयोजन किया गया।

अब राज्य के नगरों और गांवों की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था है। होटलों, स्कूलों, बस के अड्डों, विश्रामगृहों और थिएटरों में मूत्रालयों और शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है। मेलों और समारोहों में कटी हुई खाइयां और शौच के लिए गड्ढे बना दिए गए हैं। प्रमुख केन्द्रों पर कूड़ा डालने के डिब्बे रख दिए गए हैं।

सब होटलों को सन्तुलित-भोजन-चार्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं, और स्कूलों के बच्चों के लिए खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं। पूरे समय के लिए नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य-निरीक्षण अब स्कूल जीवन का नियमित अंग बन गया है। आरोग्य-विज्ञान सभी कक्षाओं में एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है। अब राज्य में होटलों, नानबाई की दूकानों और सोडावाटर की फैक्टरियों को लाइसेंस दिए जाते हैं और

बार-बार अचानक निरीक्षण किया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली

शहरी क्षेत्रों में आवास की तंगी और जन-संख्या का बढ़ना बराबर जारी रहा। महामारियों को फैलने से रोकने के लिए हैजे के टीके लगाए गए और कुओं के पानी को साफ़ किया गया। खाद्य पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इस प्रकार राज्य में प्रथम बार हैजे का एक भी मामला नहीं हुआ और चेचक के भी न्यूनतम मामले रहे। बी० सी० जी० के टीके लगाए जाते रहे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सहायता से इरविन अस्पताल में बच्चों के लिए ४८ पलंगों का एक नया वार्ड खोला गया। इसी अस्पताल में बाहरी बच्चों के लिए एक पृथक् रुग्णालय खोला गया है। इरविन अस्पताल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में दो शिशु-रुग्णालय भी चलाए गए।

शिशु-स्वास्थ्य और प्रसूति विज्ञान के बारे में अनेक संस्थाओं को प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण, भाषण और प्रदर्शन की सुविधाएँ भी हैं। विस्थापित व्यक्तियों के लिए बसाए गए चार उपनगरों के अस्पतालों के नए भवन करीब-करीब तैयार हैं।

कच्छ

देहाती क्षेत्रों के लिए एक अन्य चलता-फिरता दवाखाना और अंजार में एक नया प्रसूतिका-गृह खोला गया। वागड के

नेत्र-चिकित्सा शिविर में ५३८ छोटे-बड़े आपरेशन किए गए और ४२४ व्यक्तियों की बाहरी रोगियों के रूप में चिकित्सा की गई। १६८ व्यक्तियों की दन्त-चिकित्सा की गई। सन् १९५१-५२ में ४ निजी तौर पर संचालित चिकित्सा-संस्थाओं को १८,६०० रुपये के सहायक अनुदान दिए गए।

भुज में एक आम सर्जिकल अस्पताल और माण्डवी में एक आँखों का अस्पताल बनाने का सुझाव है, जिसके लिए सरकार को ४ लाख रुपये का दान मिलेगा।

बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन चलाया गया और लगभग ४,६०२ छात्रों के टीके लगाए गए। मलेरिया निरोधक उपाय भी किए गए और इनके परिणाम स्वरूप वर्ष पर्यन्त मलेरिया के बहुत कम मामले हुए।

मणिपुर

सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के एक अंग के रूप में दो डाक्टरों को एम० बी० का संक्षिप्त कोर्स करवाया गया और एक-एक डाक्टर को डी० एम० आर० तथा टी० टी० एम० के कोर्स करवाये गए।

प्रशिक्षित कम्पाउंडरों, दाइयों और नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए इम्फाल के सिविल अस्पतालों में प्रशिक्षण कक्षाएं खोली गई। इस समय ३६ लड़के कम्पाउंडर का और २२ लड़कियां दाई और नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। वर्ष पर्यन्त एक

अन्य चलते-फिरते दवाखाने की व्यवस्था करके चिकित्सा-सुविधाएं देहाती जनता के द्वार तक पहुँचाई गईं।

राजमहल का दवाखाना जो अब तक राजमहल की आवश्यकताओं को ही देखता था, बन्द कर दिया गया और राजमहल तथा जनता के उपयोग के लिए दवाखाने की एक शाखा खोली गई। इम्फ़ाल के सिविल अस्पताल में एक तपेदिक रुग्णालय खोला गया, जिसे सप्ताह में तीन बार एक अर्हत डाक्टर देखता है। रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। इसी बीच एक डाक्टर को बी० सी० जी० के टीके लगाने की विधि का प्रशिक्षण किया गया। वर्ष पर्यन्त इम्फ़ाल के सिविल अस्पताल में बहुत से सुधार हुए। इसके परिणामस्वरूप अस्पताल में रहने वाले और बाहरी रोगियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। अब उनकी अच्छी देखभाल होती है। अधिक दवाइयों और श्रेष्ठ साज-सज्जा की व्यवस्था से बाहर के अस्पतालों में भी काफी सुधार हुए हैं। वर्ष पर्यन्त छात्रों का चिकित्सा-निरीक्षण भी आरम्भ किया गया।

कोढ़ी बस्ती में दो नई झोपड़ियां बनाई गईं। इसके वासी अब अपने लिए आप तरकारियां उगाते हैं और शीघ्र ही वे अपने कपड़े भी बुनने लगेंगे।

त्रिपुरा

वर्ष पर्यन्त १६ पलंगों वाले एक नए प्रसूतिका-वार्ड का निर्माण और अगरतला के वी० एम० अस्पताल में नर्सों के

होस्टल का निर्माण आरम्भ किया गया। भारत की मलेरिया इन्स्टीट्यूट के विशेषज्ञों के दल ने राज्य में मलेरिया की जाँच पड़ताल की।

विन्ध्य प्रदेश

प्लेग, हैज़ा और चेचक की महामारियां फैलीं। हैजे के १२४ मामले हुए, जिनमें से ६६ की मृत्यु हुई। प्लेग के ८४ मामलों में से १४ मरे और चेचक के ९८७ मामलों में से ३१० मरे। राज्य में टीका लगाने वाले ८८ केन्द्रों में ६६,९९६ व्यक्तियों के टीके लगाए गए और कुत्ते के काटने का इलाज करने वाले तीन केन्द्रों में १३० रोगियों की चिकित्सा की गई। वर्ष पर्यन्त एक बी० सी० जी० दल का निर्माण हुआ। २८,०७५ व्यक्तियों की परीक्षा की गई और १०,७७७ व्यक्तियों के टीके लगाए गए।

श्रम

अजमेर

सन् १९५१-५२ में मजदूरों में, और विशेषतः सूती मिल मजदूरों में, बहुत अधिक असन्तोष था। इसके परिणामस्वरूप ७० औद्योगिक संघर्ष हुए जिनमें से ६५ को समझौते द्वारा सुलझाया गया और ५ को औद्योगिक अदालत को सौंपा गया। साथ ही, मजूरी की भुगतान में विलम्ब या भुगतान न देने के विषय में २४१ शिकायतों को तय किया गया।

श्रमिकों की अशान्ति का मुख्य कारण नित्य प्रति के उपयोग में आनेवाली वस्तुओं के मूल्य में असामान्य वृद्धि था। इस समस्या को सुलझाने के लिए तम्बाकू के कारखानों में, जिनके अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाले कारखाने भी आ जाते हैं, न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग में भी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा रही है। न्यूनतम मजूरी को निर्धारित करने के लिए ६ चुने हुए गाँवों में खेतिहर मजदूरों के पारिवारिक बजट की पड़ताल की गई। इस बीच में मजूरी भुगतान कानून की धाराओं को खानों तक लागू कर दिया गया है।

भोपाल

औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहने के कारण उत्पादन में बहुमुखी वृद्धि हुई। औद्योगिक संघर्षों को समझौते द्वारा निपटाया गया और जब समझौता असफल हुआ, तो उन्हें पंच-निर्णय के लिए औद्योगिक अदालत को सौंपा गया। न्यूनतम मजूरी कानून के लागू हो जाने के साथ-साथ अनुसूचित उद्योगों में, यथा बीड़ी बनाना, सड़क निर्माण, गृह निर्माण, पत्थर तोड़ना आदि, काम की दशाओं और मजूरी की दरों के विषय में जांच-पड़ताल का कार्य पूर्ण हुआ।

भोपाल नगर के लिए जीवन-यापन देशनांक तैयार करने के लिए पारिवारिक बजट की पड़ताल की गई। इस प्रकार ८०० मजदूर परिवारों के लिए अनुसूचनाएं तैयार की गईं। भोपाल में एक काम दिलाऊ केन्द्र कायम किया गया। राज्य के श्रम विभाग की प्रेरणा से कुछ प्रमुख औद्योगिक संस्थानों ने अपने अन्तर्गत

मजदूरों के लिए आवास, शिक्षा और आमोद-प्रमोद की सुविधाएं प्रदान कीं।

कुर्ग

सन् १९४८ के कारखाना-कानून के अन्तर्गत अभी तक २२ कारखानों को रजिस्टर किया गया है। सन् १९४८ के न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत कहवा के बगानों और इलायची के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के हेतु सन् १९५१ में एक सलाहकार बोर्ड कायम किया गया। कहवा बगानों के लिए ३० मार्च सन् १९५२ से न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई और इलायची के बगीचों के लिए सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। न्यूनतम मजूरी को संशोधित करने के लिए बगान क्षेत्रों के पारिवारिक बजट की पड़ताल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पूर्ण भी हो चुकी है।

दिल्ली

वर्ष पर्यन्त लगभग ४५ औद्योगिक संघर्ष हुए, परन्तु ९ से अधिक मामलों में हड़ताल का निश्चय नहीं किया गया। इनमें से सरकार के हस्तक्षेप पर ८ हड़तालों को आरम्भ होते ही वापस ले लिया गया। इस बीच में ३६१ व्यक्तिगत शिकायतें पेश हुईं, जिनमें से २५५ मामलों में मजदूरों के हित में समझौता हुआ और ५२ मामलों में पारस्परिक समझौता हो गया।

तीन अन्य उद्योगों में कार्य समितियों की स्थापना की गई और इस प्रकार ऐसी समितियों की संख्या ४० हो गई। समस्त अनुसूचित धन्धों में संलग्न दक्ष, अदक्ष और अर्द्ध-दक्ष मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई। २४ फरवरी सन् १९५२ से राज्य कर्मचारी बीमा कानून लागू किया गया। कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड शासनादेश भी लागू किया गया। लेकिन बाद में उसका स्थान सन् १९५२ के कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड कानून ने ले लिया। इस समय राज्य में उक्त कानून और सन् १९५१ का औद्योगिक सांख्यकीय (श्रम) नियम लागू है। सन् १९५१-५२ में ५० नए ट्रेड यूनियन रजिस्टर हुए और इस प्रकार उनकी कुल संख्या १२६ हो गई।

विभिन्न कानूनों की धाराओं का समुचित पालन करवाने के लिए कारखाना कानून के अन्तर्गत ७१२, मजूरी भुगतान केन्द्र के अन्तर्गत ५००, ब्वायलर्स कानून के अन्तर्गत २१६, बिजली कानून के अन्तर्गत १२७, लिफ्ट कानून के अन्तर्गत २२ और बालकों के नियोजन कानून के अन्तर्गत ४० पड़तालें की गईं। पंजाब व्यवसाय कर्मचारी कानून के अन्तर्गत लगभग ४१,००० दुकानों और व्यावसायिक संस्थाओं की जांच की गई और उक्त कानून के अन्तर्गत बिना सूचना दिए और बिना मजूरी दिए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सम्बन्ध में ५३१ व्यक्तिगत शिकायतों की जांच की गई। राज्य में काम करने वाले ठेकेदारों, फोरमैनों और वायर-मैनों को ८५६ लाइसेंस दिए गए या फिर से जारी किए गए। भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत फोरमैनों और वायर-मैनों की परीक्षाएं भी आयोजित की गईं।

भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत १६६ नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई और भारतीय समिति कानून के अन्तर्गत ४७ समितियों तथा भारतीय साझा कानून के अन्तर्गत ११ विदेशी कम्पनियों और ७०४ नई फर्मों की रजिस्ट्री हुई। इस वर्ष के अन्त में १,३२७ कम्पनियां कार्य कर रही थीं, जिनकी कुल अधिकृत पूंजी १७५.८ करोड़ रुपये, प्रार्थित पूंजी ४२.३६ करोड़ रुपये और प्राप्त पूंजी ३३.१ करोड़ रुपये थी।

कच्छ

राज्य में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए एक कारखाना निरीक्षण विभाग खोला गया। वर्ष पर्यन्त खेतिहर मजदूरों की दशाओं के सम्बन्ध में जांच की गई और न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ।

त्रिपुरा

राज्य के चाय-बगानों में तथा बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ। वर्ष पर्यन्त २५ औद्योगिक संघर्ष हुए, जिनमें से ६ मामलों में सौहार्दपूर्ण समझौता किया गया।

विन्ध्य प्रदेश

श्रम विभाग ने श्रम दशाओं के सुधार और औद्योगिक संघर्षों के निपटारे के लिए कार्य जारी रखा। वर्ष पर्यन्त राज्य में निम्नलिखित कानून लागू किए गए: बालकों का नियोजन कानून,

१६३८, भारतीय ट्रेड यूनियन कानून, १६२६ और औद्योगिक संघर्ष कानून, १६४७।

उद्योग और विकास

अजमेर

ब्यावर में एक बटन का कारखाना और अजमेर में एक रेयन सिल्क का कारखाना स्थापित हुआ। वर्ष पर्यन्त औद्योगिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी की गई।

बिलासपुर

वर्ष पर्यन्त सड़कों के निर्माण और यातायात साधनों के विकास की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया गया। निम्नलिखित सड़कें पूर्ण की गईं: दाधोल से लदरौर तक ६ मील की पक्की सड़क, बिलासपुर से घुमरविन और घुमरविन से लदरौर तक २७ मील की पक्की सड़क पर छोटी-बड़ी पुलियों का निर्माण, शिमला-मण्डी सड़क के नामहोल-बरमाना भाग पर ३२ मील लम्बा ४ फुट का रास्ता, शिमला-नांगल सड़क पर नामहोल-स्वारघाट वाले भाग में १६ मील लम्बा दो फुट का रास्ता, शिमला-हमीरपुर सड़क का घाघुस-भागर वाला ८ मील लम्बा भाग और घुमरविन-कुलारी सड़क पर ८ मील लम्बा दो फुट वाला रास्ता।

भागर-तलाई सड़क पर १४ मील, स्वारघाट-नैनादेवी-बरमाला सड़क पर २४ मील और दाधोल-बरखिन सड़क पर ६ मील

की पड़ताल तथा रेखाकरण-कार्य पूर्ण हुआ। बिलासपुर यातायात सेवा में ७ नई गाड़ियां बढ़ाई गईं और बिलासपुर यातायात प्रशासन कानून के अन्तर्गत नियम बनाए गए। रोपड़ के अन्तिम रेलवे केन्द्र में एक टिकटघर भी खोला गया।

पंजाब पंचायत कानून के अन्तर्गत राज्य को ४० मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक मंडल के लिए एक पंचायत कायम की गई तथा पंचों का निर्वाचन हुआ। पंजाब मछली कानून को राज्य तक व्यापक किया गया। अब बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना वर्जित है।

कुर्ग

विराजपेट में जुलाई सन् १९५० में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोली गई, जिसका कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। वर्ष पर्यन्त कई उद्योग-धन्धों में परीक्षाएं ली गईं और सफल परीक्षार्थियों को उपयुक्त कामों में लगाया गया। देहाती क्षेत्रों में हैण्डलूम उद्योग के विकास के लिए एक शिक्षक को बंगलौर की हैण्डलूम बुनाई संस्था में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

दिल्ली

सन् १९५१ के अन्त में भारतीय कारखाना कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्थानों की संख्या ४९६ से बढ़कर ५०९ हो गई। १९६ नई कम्पनियां भी रजिस्टर की गईं, जिनकी अधिकृत पूंजी २३·२ करोड़ रुपये थी और इस प्रकार मार्च सन् १९५२ के अन्त में नई कम्पनियों की संख्या १,३२० हो गई। हड्डी के चूरे की

खाद, बिजली की टार्च, शीशे के गिलास, बोतलें और शीशियां, चीनी मिट्टी के कलापूर्ण सजावट वाले बर्तन, पेन्सिलें, साफ नमक, सेल्यूलाइड के चश्मे के फ्रेम, लैन्स और चश्मे, ऊन की गांठें बांधने के कार्य, तेल से जलने वाले स्टोव और ग्रामोफोन तथा टायरों को फिर से काम योग्य बनाने के सम्बन्ध में १४ नए उद्योग खोले गए। उत्पादकों को लगभग १७,००० टन लोहा और इस्पात और कच्चा लोहा दिया गया तथा छोटे उत्पादकों को ४,३५८ टन सामग्री दी गई।

कारखानों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना के लिए बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिकों को, जिनके अन्तर्गत १,८१३ विस्थापित औद्योगिक भी थे, सहायता दी गई। २२७ औद्योगिक उत्पादकों को कच्चा माल प्राप्त करने में भी सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा एक व्यापक औद्योगिक पड़ताल की गई और उद्योगों को ऋण देने के लिए एक उद्योग सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई। तदनुसार ७ उद्योगों को आर्थिक सहायता देना निश्चित हुआ और लगभग १०५ औद्योगिक वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए विभाग के प्रदर्शन-गृह में रखा गया।

कच्छ

कोटेश्वर, जखाऊ और मुन्द्रा में तीन नए नमक के कारखाने आरम्भ किए गए। यूनाइटेड साल्ट वर्क्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को और अधिक विस्तार के लिए कांडला में १,२०० एकड़ अतिरिक्त भूमि दी गई।

योजना कमीशन ने कच्छ के लिए निर्धारित विकास योजना को स्वीकृति दी। यह योजना अधिकांशतः विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत सिंचाई, सड़क-निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन-वृद्धि, सहकारिता आदि के विकास की सम्भावनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट पर आधारित है। उक्त योजना में लगभग २·८३ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

त्रिपुरा

पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक योजना बनाई गई। सन् १९५३ में उसको लागू करना भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

विन्ध्य प्रदेश

बजट में कुटीर उद्योगों के लिए १०,००० रुपये की राशि रखी गई। भारतीय कारखाना कानून, १९४८, और उसके अन्तर्गत नियमों को राज्य में लागू किया गया। सन् १९५१ में ८ खानों के पट्टे स्वीकृत हुए, तीन पट्टों को समर्पित किया गया या खत्म किया गया और ९ अन्य की सिफारिश की गई। ६ पार्टियों को सम्भावित लाइसेंस दिए गए। १५ पार्टियों को स्वीकृति के प्रमाणपत्र दिए गए और २१ मामलों पर पुनर्विचार हुआ। पत्थर निकालने की खानों के ठेके भी १५ पार्टियों को दिए गए। सन् १९५१ में २,३८१ हीरों का नीलाम हुआ और सरकार को लगभग ८०,००० रुपये की रायल्टी मिली।

पुनर्वास

अजमेर

राज्य में जनवरी सन् १९५१ में विस्थापित व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य आरम्भ हुआ। इसके परिणामस्वरूप १,४२६ और अधिक परिवार, जिनकी सदस्य संख्या ७,०२० थी, रजिस्टर किए गए।

भारत सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए २९६ और अधिक मकानों के बनाने की एक और योजना की स्वीकृति दी। इनमें से विस्थापित हरिजन पुनर्वास बोर्ड के द्वारा एक कमरे वाले १३७ मकान बनाए जा चुके हैं।

वर्ष पर्यन्त ७१० विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी तौर पर बसने के लिए कांडला भेजा गया। पुनर्वास ऋण योजना के अन्तर्गत ३ लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत हुई।

भोपाल

२४१ परिवारों को, जिनकी सदस्य संख्या १,००० थी, राज्य में फिर से बसाया गया। प्रत्येक परिवार को १० विभिन्न गांवों में १५ एकड़ ट्रैक्टर से जुती हुई भूमि दी गई। इतनी ही संख्या में काश्मीर से आए हुए शरणार्थियों को भूमि तथा अन्य सुविधाएँ दी गईं।

कच्छ

विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए दो लाख और देहाती क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपये कर्ज के रूप में दिए। इसमें से क्रमशः १६०,००० रुपये और ४५,००० रुपये शहरी और देहाती कर्ज के रूप में व्यय हुए। ५४० विस्थापित विद्यार्थियों को वज़ीफे भी दिए गए।

त्रिपुरा

कुल मिला कर सम्पूर्ण राज्य में विस्थापित व्यक्तियों के लिए ४७ स्थानान्तरण-शिविर खोले गए। सन् १९५१-५२ में राहत के लिए २१·४३ लाख रुपये व्यय हुए। इस प्रकार ५,७५२ एकड़ खास भूमि में और १६,३०३ एकड़ हस्तगत भूमि में ६३,५८१ विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया गया। ३० पुनर्वास केन्द्र और कई बस्तियों का निर्माण हुआ। प्रत्येक परिवार को ४ एकड़ भूमि दी गई।

विस्थापित व्यक्तियों को दिया गया कुल ऋण ५,१८०,७०० रुपये था। विभिन्न पुनर्वास-केन्द्रों में १६ प्रारम्भिक स्कूल संचालित थे, जिनमें ३,७४८ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। इसके अतिरिक्त सन् १९५१-५२ में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए १६८,२५० रुपये व्यय किए गए।

पुनर्वास विभाग ने ४० पलंगों वाले एक अस्पताल का भार ग्रहण किया और बच्चों की चिकित्सा के लिए रेडक्रास सोसाएटी

द्वारा एक बाहरी दवाखाना स्थापित किया गया। विभिन्न पुनर्वास केन्द्रों में २६ चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध थे। मलेरिया विरोधी कार्यों में पांच दल संलग्न थे। मार्च सन् १९५२ तक प्रशिक्षण और कार्य केन्द्रों में विभिन्न कुटीर उद्योगों यथा बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी, बुनाई, पीतल के बर्तन का काम, साबुन बनाना आदि की शिक्षा २५१ विद्यार्थियों को दी गई। इस केन्द्र में ३६,५८७ रुपया २ आना ३ पाई के मूल्य की वस्तुएं तैयार हुईं और सन् १९५१-५२ में ३२,२८७ रुपये २ आने ३ पाई की वस्तुएं बेची गईं।

भारत सरकार ने एक योजना को स्वीकृति दी, जिसके अनुसार साढ़े चार वर्गमील के रुद्रसागर के क्षेत्र में ६०० मछुओं और कृषकों को फिर से बसाया जाएगा। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों को खेती के लिए जमीन और मकान और मछली मारने के लिए एक झील प्राप्त होगी। अभी तक वहां ४०० परिवार बसाए जा चुके हैं और उन्हें मकान बनाने, खेती करने तथा मछली मारने के लिए २,५२,३१६ रुपये १३ आने कर्ज के रूप में दिए जा चुके हैं। साल भर में पकड़ी गई मछलियों की बिक्री से ४५,००० रुपये प्राप्त हुए और आशा की जाती है कि केवल ७०० एकड़ जमीन पर खेती के द्वारा ८,५०० मन 'बोरो' धान प्राप्त होगा। कृषि-कार्यों के लिए एक मोटर-पम्प और एक ट्रैक्टर खरीदा गया।

विन्ध्य प्रदेश

दातव्य सहायता की समाप्ति के साथ-साथ अब राज्य में केवल बूढ़े और कमजोर लोगों तथा निराश्रित स्त्रियों और बच्चों

के लिए दो सहायता शिविर शेष रह गए हैं। ३१ दिसम्बर सन् १९५१ को इन शिविरों में रहने वालों की संख्या ४९४ थी। इनकी आजीविका का प्रबन्ध सरकारी खर्चे से हो रहा है।

१०१ विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार १,१३२ रुपये के कर्ज दिए गए। इन परिवारों को, तथा अन्य ऐसे परिवारों को, जिन्हें सन् १९५० में कर्ज मिल चुके थे, ३१२·३९ एकड़ कृषि-योग्य भूमि बांटी गई। अभी तक ३०४ विस्थापित परिवारों को भूमि बाँटी गई है और उनको दिए गए कर्ज की रक़म ३३७,३१४ रुपये है। ३२३ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को कुल ४१५,८०० रुपये के कर्ज दिए गए तथा २,३२३ अन्य विस्थापित परिवारों को छोटे-छोटे कर्जों के रूप में १,७९८,६५० रुपये कर्ज के रूप में दिए गए। ६ विस्थापित विद्यार्थियों को कुल २,०६८ रुपये के वज़ीफे दिए गए।

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
New Delhi

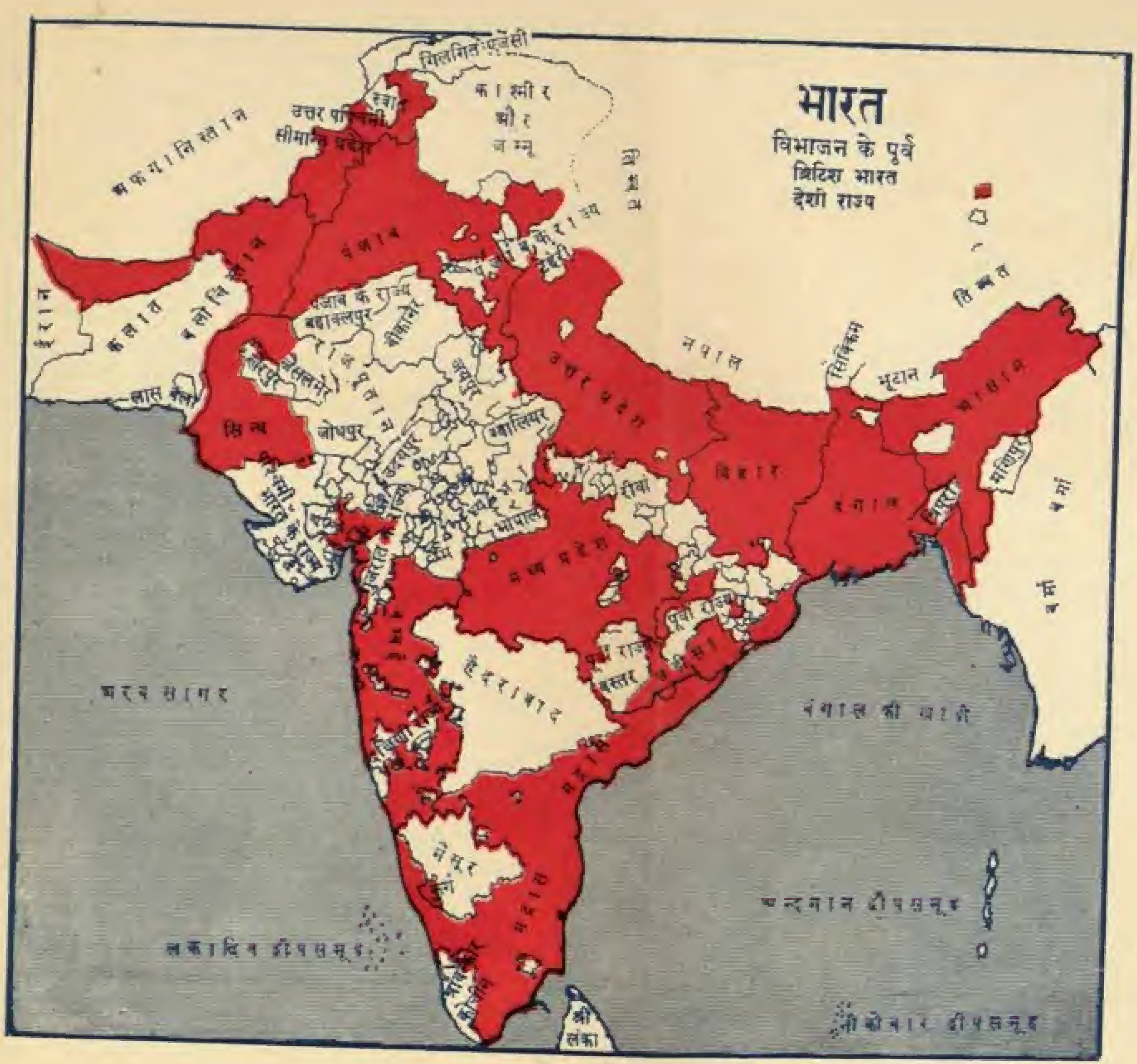
भारत
विभाजन के पूर्व
ब्रिटिश भारत
देशी राज्य
गिलगित एजेंसी
काश्मीर और जम्मू
उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश
पंजाब
बहावलपुर
बीकानेर
जोधपुर
ग्वालियर
सिन्ध
कलात
ईरान
नेपाल
सिक्किम
भूटान
तिब्बत
उत्तर प्रदेश
बिहार
बंगाल
आसाम
मणिपुर
बर्मा
रीवा
भोपाल
मध्य प्रदेश
हैदराबाद
बस्तर
मैसूर
मद्रास
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
लकादिव द्वीपसमूह
अन्दमान द्वीपसमूह
नीकोबार द्वीपसमूह
श्री लंका

I

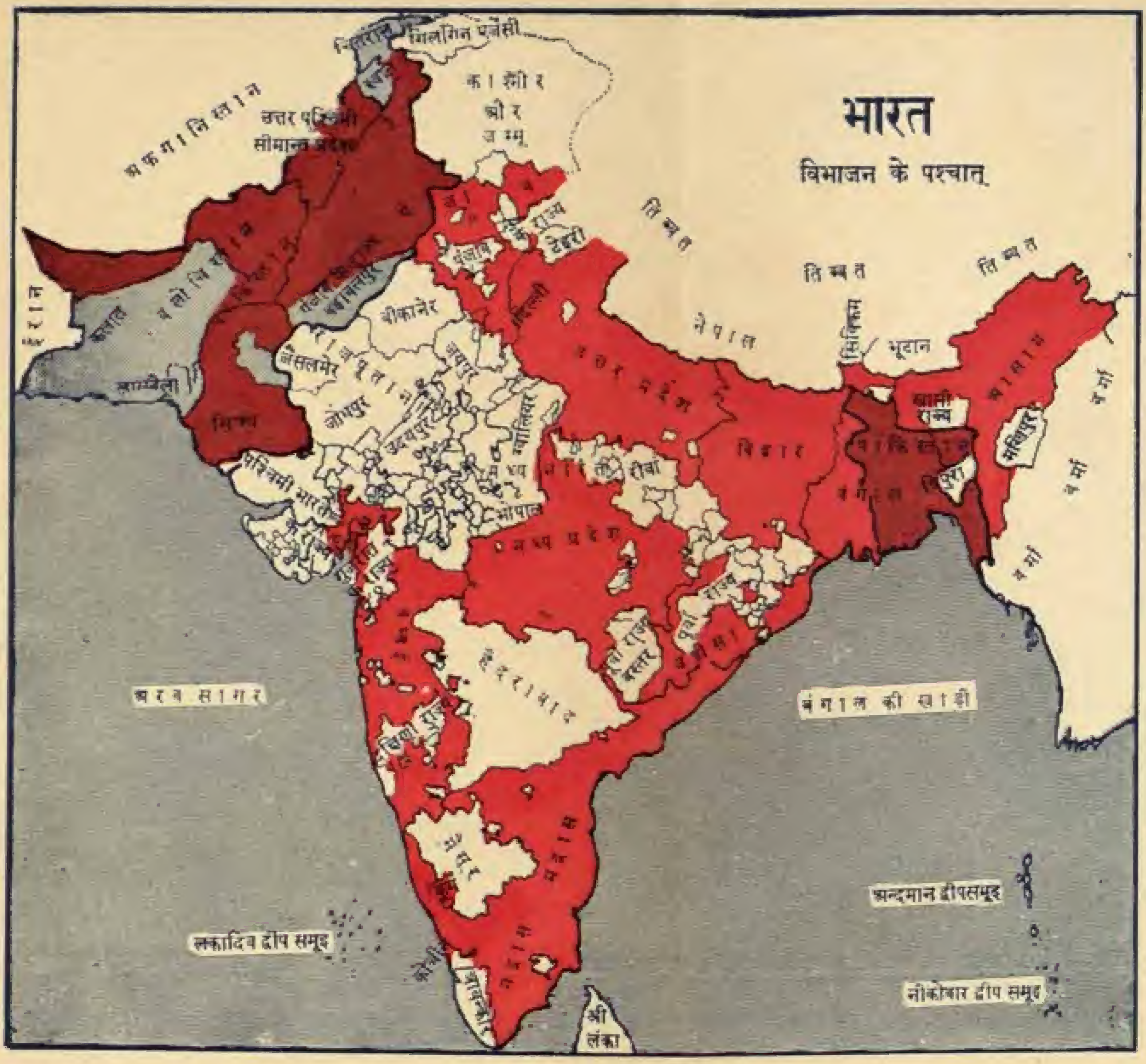

भारत
विभाजन के पश्चात्
गिलगित एजेंसी
काश्मीर और जम्मू
उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश
तिब्बत
तिब्बत
तिब्बत
नेपाल
सिक्किम
भूटान
आसाम
खासी राज्य
मणिपुर
त्रिपुरा
बर्मा
बर्मा
बर्मा
टेहरी
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
बिहार
बंगाल
कलात
बीकानेर
जैसलमेर
जोधपुर
उदयपुर
ग्वालियर
रीवाँ
भोपाल
सिन्ध
पश्चिमी भारत
मध्य प्रदेश
बस्तर
हैदराबाद
मैसूर
मद्रास
कोचीन
ट्रावनकोर
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
अन्दमान द्वीपसमूह
नीकोबार द्वीप समूह
लक्कादिव द्वीप समूह
श्री लंका

II

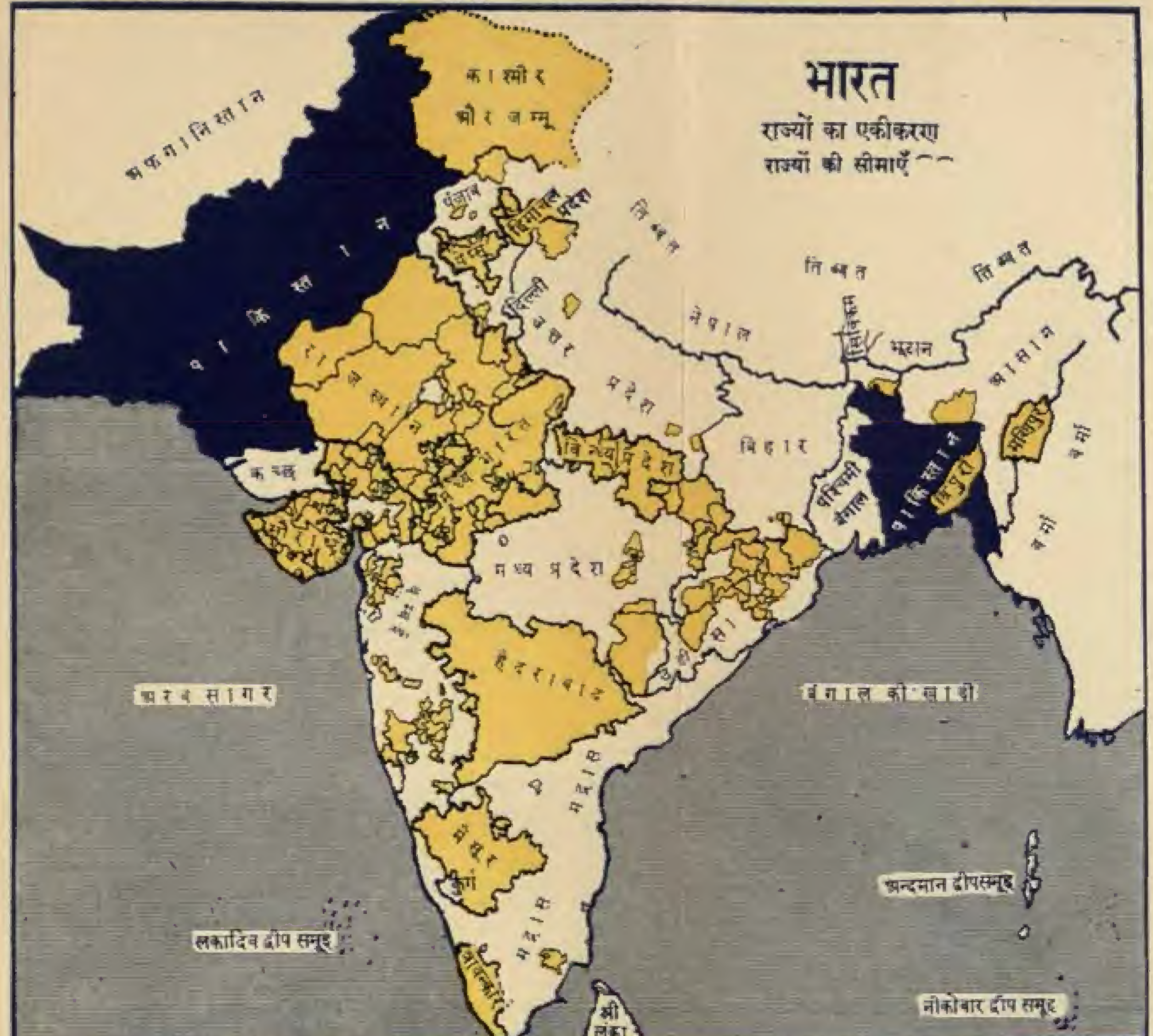
भारत
राज्यों का एकीकरण
राज्यों की सीमाएँ
काश्मीर और जम्मू
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
पंजाब
दिल्ली
तिब्बत
तिब्बत
तिब्बत
नेपाल
सिक्किम
भूटान
आसाम
मणिपुर
त्रिपुरा
बर्मा
बिहार
पश्चिमी बंगाल
पाकिस्तान
विन्ध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश
कच्छ
हैदराबाद
मद्रास
मैसूर
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
अन्दमान द्वीपसमूह
लकादिव द्वीप समूह
नीकोबार द्वीप समूह
श्री लंका

III

भारत
विस्थापितों के लिए नगर
(आबादी के लक्ष्य के सहित)
पाकिस्तान
चंडीगढ़ ६०,०००
६,००० त्रिपुरी
राजपुरा १५,०००
१०,००० नीलोखेड़ी
हस्तिनापुर १०,०००
गोविन्दपुरी ३०,०००
फरीदाबाद
४०,०००
गांधीधाम २५,०००
सरदार नगर ३०,०००
फुलिया
५,०००
हाबरा
४०,०००
उल्हास नगर
१,३०,०००
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी

ऊषा
सिलाई मशीन
दि जय इंजीनियरिंग
वर्क्स लिः
ढाकुरिया, कलकत्ता।

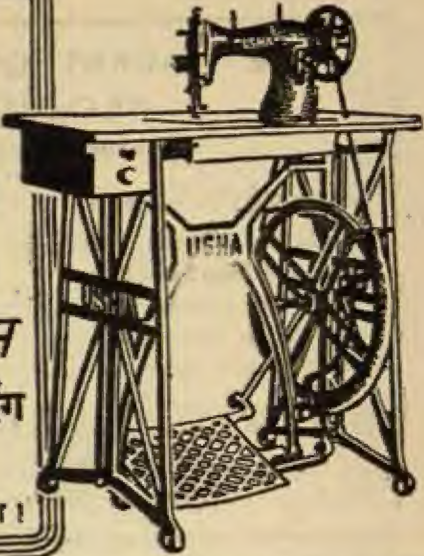

FOR SELF-SUFFICIENCY IN FOOD AND OTHER CROPS

USE

TALUKDARS' COMPLETE FERTILISERS

for

PADDY; WHEAT, MAIZE, POTATO, VEGETABLES, SUGAR-CANE, JUTE, COTTON, Etc., Etc.

Contain all essential plant-foods :
Yield maximum crops at minimum cost :
Stabilise and preserve the soil.

TALUKDAR & CO., (Fertilisers) Ltd.,

20. Netaji Subhas Road, CALCUTTA.

Gram: "LUKDAR" CALCUTTA.

Phone : Bank 5880
Bank 5690

USE MADRAS GOVERNMENT
PRODUCTS
for your requirements of

CROCKERY WARE :
Bowls, Cups, Soucers, Milk Pots, Milk Jugs, Sugar Pots, Tos, Pots, Feeding Cups, Casa Plates, Butter Bowls, Jumblers, Rice plates.

SANITARY WARE :
Water Closets, Spare traps "P" or "S" Urinals 18", Foot Rest.

GOVT. CERAMIC FACTORY
GUDUR. ... ... (Nellore Dt.)
Telegrams : CERAMICS, Gurdur.

SISTA'S-CF-IA

AN OUTSTANDING ACHIEVEMENT

In the 5th year of our Independence in the establishment of a well-equipped Factory for the production of
SCREW CUTTING TAPS, DIES,
TANGENTIAL & RADIAL CHASERS.
THE SMALL TOOLS Mfg. Co. OF INDIA Ltd.,
CALCUTTA

Sole Distributors :
ANGUS KEITH & CO.
30, Strand Road, Calcutta—1.

Phone
Bank 2550

Telegram :
"Conformity"

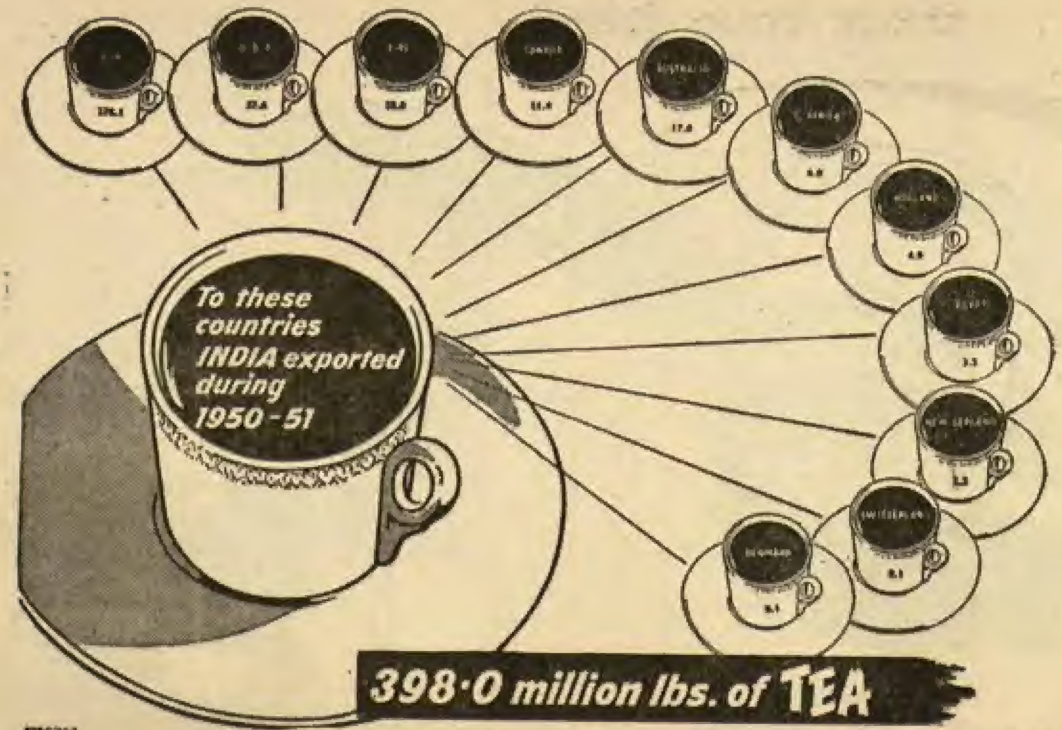

ISSUED BY CENTRAL TEA BOARD

स्फूर्ति
और
ताज़गी के लिये
Indian Coffee
इण्डिया काफी हाउस
पधारिये
INDIAN COFFEE BOARD, BANGALORE.

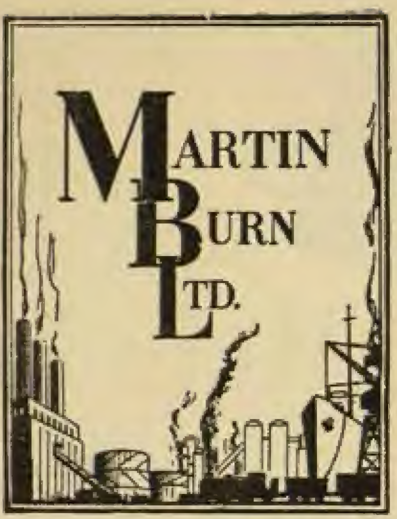

From its modest beginning in 1774 this Organization has followed a path of planned progress and its history epitomises the industrial advance of India. The building of beautiful memorials, modern offices, and dwellings is only a very small part of the activities of this vast industrial group which also produces iron, steel and cement ; has the largest and most up-to-date fully mechanised foundry in Asia ; builds ships and bridges ; maintains electricity supply undertakings and light railways ; makes railway wagons ; possesses, the largest gear-cutting plant East of Suez ; makes refractories; ceramics and glazed ware, railway lines, points and crossings ; manufactures cast iron pipes for water, gas, and sewage and, in fact, covers a very wide range of mechanical industrialisation. If you require a keg of nails or a railway wagon; complete building material for a house or office (with plans) ; a gallon of paint or a grinding machine ; in fact, if your requirements fall within the purview of mechanical industrialisation, your enquiry should be addressed to :—

MARTIN BURN LIMITED

12 MISSION ROW, CALCUTTA-1

Branches : BOMBAY : NEW DELHI : KANPUR

INDIAN ART

through the ages

With 37 colour plates and 127 illustrations in monochrome representative of masterpieces of sculpture, painting, bronzes and textiles.

In this revised and enlarged edition 1951, the story of Indian art has been brought up to date. The survey of contemporary trends covers every important feature of the modern movement.

A perfect gift to art lovers old & young

FROM LEADING BOOKSELLERS OR DIRECT FROM

The PUBLICATIONS DIVISION

OLD SECRETARIAT • DELHI

AC 225

THE FIVE YEAR PLAN

Written in lucid and easily understandable English the brochure presents the essential features of the plan drawn up by the Planning Commission. It will be found especially useful to students and others who require a working but not too detailed knowledge of the Plan.

Available also in Hindi & Urdu

Price As. -/8/- per copy
Postage extra

From leading book-sellers or direct from :

PUBLICATIONS DIVISION

Old Secretariat, DELHI.

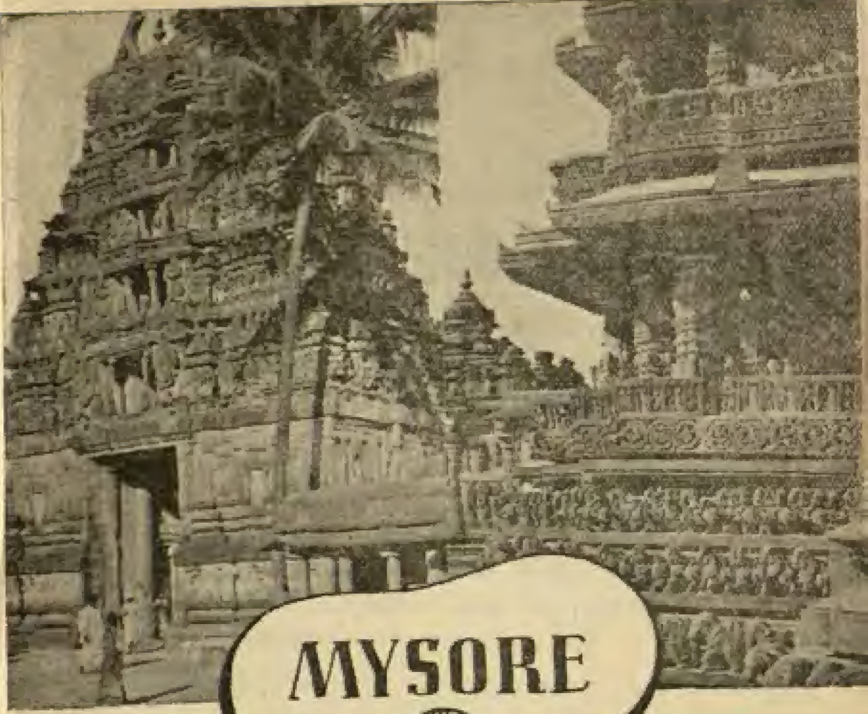

MYSORE

GOVERNMENT OF MYSORE

The best of India for the Traveller

The natural beauty of Mysore is a perfect setting for the many places, temples and monuments of this historic land. And not only settings, for here you will find scenes that have no equal in any quarter of the globe.

An equable climate, comfortable travel and up-to-date accommodation ensure the enjoyment of your visit from beginning to end.

Full travel details from :

THE PRINCIPAL INFORMATION OFFICER,
GOVT. OF MYSORE

PUBLIC OFFICES BANGALORE

जीवन भर के लिये पैन्शन

क्या आपका व्यवसाय, व्यापार या धन्धा ऐसा है जिसमें पैन्शन का प्रबन्ध नहीं ? "आत्म-सहायता" की इस धन लगाने की आसान योजना द्वारा आप भी जीवन भर के लिये पैंशन का प्रबन्ध कर सकते हैं।

आज ही श्री गणेश कीजिए। यदि अगले १२ वर्ष के लिए उधाहरणतया आप १५० रुपये के १२-वर्षीय नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफ़िकेट्स प्रति मास नियमपूर्वक ख़रीदते रहेंगे तो १९६४ के उपरान्त इन सर्टिफ़िकेट्स की अवधि प्रतिमास एक २ करके समाप्त होती रहेगी। इस अवधि की समाप्ति पर प्रति मास इन सर्टिफ़िकेट्स को भुनाते जाइए। ७५ रुपये का ब्याज पैंशन के रूप में वापस लेते रहिए और १५० रुपये के मूलधन से फिर सर्टिफ़िकेट्स ख़रीदते जाइए। इस प्रकार १९६४ के उपरान्त ७५ रुपये मासिक आय आपको प्राप्त होती रहेगी और आपके आश्रितों के लिए २१,६०० रुपये संचित हो जाएंगे। आज ही से १२ वर्ष के लिये सर्टिफ़िकेट्स प्रति मास ख़रीदना आरम्भ कर दीजिए।

नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफ़िकेट्स

दूरदर्शिता भविष्य को सुरक्षित बनाती है

यह सर्टिफ़िकेट्स नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफ़िकेट नियम, १९४४ (संशोधनों सहित) के आधीन प्रचारित हैं। विशेष जानकारी के लिए नेशनल सेविंग्ज़ कमिश्नर शिमला-३ को लिखें।

A. C. 389

ANOTHER ACHIEVEMENT OF INDIA

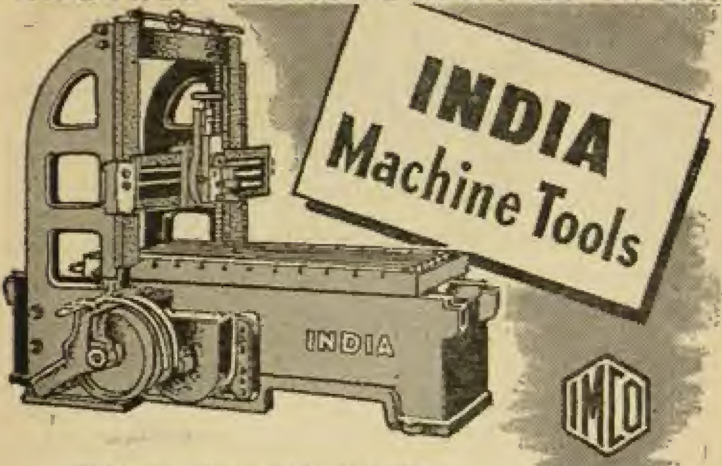

PLANERS, SLOTTERS, SHAPERS, LATHES, MILLING, DRILLING, BORING and other Machine tools—produced by us are of Grade I Accuracy and are serving innumerable works to build up the industrial strength of India.

Write for more informations.

THE INDIA MACHINERY COMPANY LIMITED.

29, STRAND ROAD, CALCUTTA
Works : DASS NAGAR, HOWRAH.
Telegram : 'MARVELLOUS'
Telephone : BANK 3383, HOWRAH : 565, 532.

OTHER PRODUCTS

ATLAS
Weighing Machines: Wagon & Cart Weighbridges, Dial Scales etc.

INDIA
Textile Machines : Looms, Spinning frames etc., for Jute & Cotton.

BHARATI
Printing Machines : Flat-Bed, Treadles.

IEW पँखों से सदा लाभ हैं

अधिक वायु
कार्य क्षमता
आर्थिक बचत

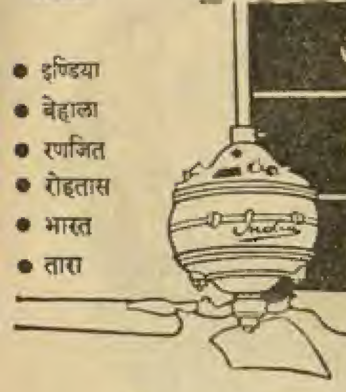

- इण्डिया
- बेहाला
- रणजित
- रोहतास
- भारत
- तारा

दि इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लि.

साफ़ी से
रक्त भी साफ़ और
त्वचा भी साफ़

Hamdard

हमदर्द दवाखाना (वक्फ) देहली

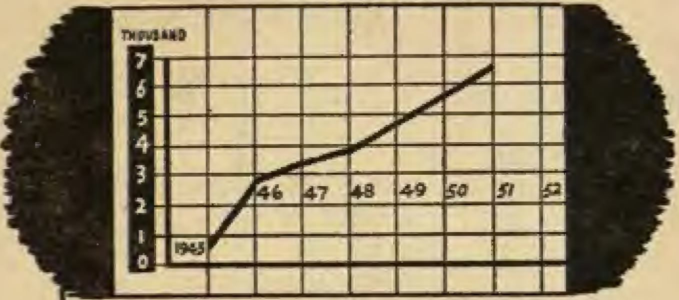

A Measure of Increasing CONFIDENCE

"Effective utilization of man-power, having regard to the requirements of both industry and the workers, is a question of national importance", says the Planning Commission.

The National Employment Service is the agency which seeks to achieve this ideal. The steady increase in the number of employers utilizing this Service is the measure of their confidence in its usefulness and worth.

RIGHT MAN FOR THE RIGHT JOB

Issued by the Directorate-General of Resettlement and Employment, Government of India, Ministry of Labour.

A. C. 390

CATALOGUED.

Distributors & Stockists throughout India

ARCHAEOLOGIC

C. CATALOGUED.

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book
lean and moving.